राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 30 वां दिवस [संख्या 22

1] [2

मंगलवार
दिनांक 27 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल हादी ।

बाड़मेर में कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमणों का नियमन

594. **श्रीअब्दुल हादी** (चौहटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला बाड़मेर में कृषि प्रयोजनार्थ अनधिकृत अतिक्रमण के नियमन के सम्बन्ध में सरकार के क्या निर्देश प्रचलित हैं ?

(2) इस वर्ष (1978-79) राजस्व अभियान में चौहटन तहसील में कितने अनधिकृत अतिक्रमण का नियमन किया गया ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान के अन्य जिलों, जिनमें सूखा सम्भावित जिले भी सम्मिलित हैं, में संवत् 2032 अर्थात् दिनांक 1-7-75 के वर्ष पूर्व के भूमिहीन व्यक्तियों के अनधिकृत अतिक्रमण के नियमन किए जाने के सरकार के निर्देश हैं जब कि जिला बाड़मेर में सरकार की नीति भिन्न है ? यदि हां, तो ऐसी भेदभावपूर्ण नीति का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार जिला बाड़मेर में अनधिकृत अतिक्रमणों के नियमनों के संबंध में समान नीति अपनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : (1) निर्देशों की प्रति संलग्न है ।

(2) 1970 तक के अतिक्रमण के मामले 1977-78 में ही नियमित हो चुके थे । अतः 1978-79 के अभियान के अन्तर्गत नियमन का प्रश्न ही नहीं उठता, खास कर जब कि राज्य सरकार 1970 के बाद के अतिक्रमण के मामले नियमित करना उचित नहीं मानती ।

(3) मरुस्थल विकास के अन्तर्गत आने वाले जिलों को छोड़ कर अन्य जिलों में

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

दिनांक 1-7-75 तक के अतिक्रमण नियमित किए गए, परन्तु बाड़मेर सूखा सम्भावित क्षेत्र होने से दिनांक 31-12-70 के बाद के अतिक्रमण नियमन नहीं करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया था।

(4) सूखा सम्भावित क्षेत्र होने से राज्य सरकार दिनांक 31-12-70 के बाद के अतिक्रमणों का नियमन उचित नहीं समझती।

(निर्देशों के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : जब और जिलों में नियमन 1-7-75 तक किए जा रहे हैं और बाड़मेर में भी आवंटन चयनित अन्त्योदयी परिवारों को किया जा रहा है। तो जो बाड़मेर के भूमिहीन निवासी हैं और जिस गांव के हैं, उस गांव के निवासी भूमि पर काश्त करते हैं, भूमिहीन है, जमीन भी अलाटमेंट के लिए उपलब्ध है तो राज्य सरकार ने नियमों में दो तरह के मापदण्ड क्यों रखे हैं? बाड़मेर और जैसलमेर के लिए क्यों नहीं खुला कर देते हैं?

श्री बालचन्द आर्य (डग) : आपने अभी तक कितनी जमीन और कहां-कहां कितने लोगों को दी है, कब्जा दिलाया है, जिन पर बड़े-बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अतिक्रमण के मामले राजस्थान में हैं और बाड़मेर जिले के हैं तो क्या जालौर, सिरोही जिलों में संवत् 2010 से चल रहे अतिक्रमण के मामलों को नियमित किया जाएगा?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : सूखा सम्भावित क्षेत्रों के लिए स्पेशल स्कीम्स है। उनके लिए भारत सरकार से अनुदान और सहायता मिलती है, उनके तहत चले जाते हैं। वहाँ पर चरागाह का विकास करना और एक नेशनल पार्क वहां बनाना, इन दोनों बातों को लेकर वहां पर नियमन नहीं किया गया। भूतपूर्व सरकार ने निर्देश जारी किए थे। अभी उन आदेशों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं हुई लेकिन जो सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि वहां पर जो भूमि शिड्यूल्ड कास्ट्स या अल्पसंख्यकों की है तो जो प्रतिनिधि मेरे पास एक महीना पहले आए थे, उनसे मैंने निवेदन किया था कि आप बाड़मेर आ जायें, किसानों का सम्मेलन रखें। उसमें सभी तरह के लोग थे, कलेक्टर के सामने करेंगे, अगर कोई हल निकल सकता हो तो जो आदेश हैं उनको कायम रखते हुए राज्य सरकार कोशिश करेगी।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : सूखा क्षेत्र तो बाड़मेर और जैसलमेर के अलावा और जिले भी हैं उन जिलों में तो

(श्री मथुरादास माथुर)

आपने 1975 तक नियमन कर दिया और सिर्फ जैसजमेर और बाड़मेर को ही डिसक्रीमनेट क्यों किया ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : जालौर भी।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैंने जैसा निवेदन किया, नेशनल पार्क की जो स्कीम्स बाड़मेर और जैसलमेर के लिए हैं, औरों के लिए नहीं। और भी जिले हैं जिनमें यह नियमन नहीं किया गया है—जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली, बीकानेर, व चूरू। सभी डी. पी. ए. पी. के अन्दर आते हैं। इनके अन्दर नियमन किए गए हैं अभियान के अन्दर लेकिन चूंकि यहां पर नेशनल पार्क की स्कीम और चरागाह की स्कीम है इसलिए नियमन नहीं किया गया।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या यह सही है कि राजस्व मन्त्री ने जिन आदेशों का हवाला दिया कि डी. पी. ए. पी. के जो जिले हैं, वहां पर नहीं होगा तो वहां पर सिर्फ अलाटमेंट के लिए कहा गया कि अलाटमेंट नहीं होगा, नियमन के बारे में वे आदेश नहीं थे। इसके बाद जैसा आपने बताया, पाली जिला डी. पी. ए. पी. में है, वहां नियमन हुआ है। तो क्या आपने बाड़मेर के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि वहां पर नियमन नहीं होगा ?

दूसरी बात, आपने आवंटन में भी छूट दी अन्त्योदयी परिवारों के लिए। आपका आदेश गया बाद में कि आवंटन इन जिलों में नहीं होगा लेकिन अन्त्योदयी परिवारों को भूमि आवंटित की जा सकेगी। तो जहां पर आपने यह क्लाज लगाया कि जहां नियमन वाले मामले पेन्डिंग हैं वहां भी एग्जेम्पशन कर सकते थे। किसान सम्मेलन बुलाने की बात क्या है जब लोगों के पुराने कब्जे हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी व हरिजन हैं ? आप दोनों बातों का जवाब दीजिए, यह डिसक्रिमिनेशन क्यों ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह जो नेशनल पार्क के लिए आपने फर्माया, इसका बहुत बड़ा भाग जैसलमेर में है, बाड़मेर में सिर्फ 5–7 गांव हैं जैसलमेर से लगे हुए। उनके नियमन की बात है। आप क्यों डिसक्रिमिनेशन करने जा रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने नेशनल पार्क के लिए जो जमीन ईयरमार्क की है, वह जमीन कहां-कहां है ?

श्री मथुरादास माथुर : नेशनल पार्क की स्कीम या पास्चर लैण्ड की स्कीम अगर आप लागू करना चाहते हैं तो जमीन चाहिए। इसके लिए न अलाटमेंट करें न नियमन। अलाटमेंट कर रहे हैं रिफ्यूजीज को, अन्त्योदयी परिवारों को। तो फिर पहले से जो लैंडलेस हैं, भूमि उनके कब्जे में है, उनका नियमन नहीं करें और नयों को अलाटमेंट करने जा रहे हैं, यह डिसक्रिमिनेशन

(श्री मथुरादसा माथुर)

समझ में नहीं आता। फिर तो सब रोकने चाहिए।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय शंकर लालजी ने जो दरयाफ्त किया है कि अलाटमेंट नहीं करवा रहे हैं, नियमन का सवाल है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आदेश 13 अप्रैल, 1971 को जारी हुआ था। मैं पढ़ कर सुनाता हूं :—

"It has been the endeavour of the Government to allot land to landless persons as speedly as possible. It was in that context that the Government took a liberal view of encroachment of Government agricultural land by landless persons and issued instructions for regularisation of such cases of trespass committed up to 31st December, 1966. Under the circumstances narrated in detail in this department circular No. F. 3 (50) Rev./B/64 dated 5-10-67. The question of of such regularisation of trespass cases has been further reviewed by the Government and it has been decided that all cases of encroachment made upto 1st January, 1971 by landless persons on Government agricultual land, except land in colony areas, be regularised without payment of any penalty or premium, provided that the total area of the land held by such persons in the State, including land as so regularised, does not exceed 15 bighas and the land does not fall in any of the categories of land wich are not available for allotment under Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Act, 1970.

"It has also been decided that the penalty and premium recovered for regularisation of such cases of trespass after 1st January, 1966, from the landless persons would be adjusted towards as well as furture demand of land revenue of the trespassers."

यह आर्डर था....

श्री मूलचन्द डागा : यह आर्डर कहां लागू होता है ?

श्री शंकरलाल : डी. पी. ए. पी. क्षेत्र एण्ड रेगुलराइजेशन के लिए कहां लिखा है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो 71 का आर्डर है····

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : जी हां, यह 71 का आर्डर है। सन् 71 के बाद में जो आदेश जारी हुआ वह भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यह 76 का आर्डर है—

"मरुस्थलीय जिलों में स्थित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन करने तथा मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखने हेतु," यह इसका सब्जेक्ट है।

"मरुस्थलीय जिलों में स्थित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन कर मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग परिपत्र सं.–सी एण्ड सी—(राजस्व ग्रुप–3) विभाग के परिपत्र संख्या प. 3 (16) राज. (ग्रुप-3) 73, दिनांक 20–9–75 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि सीलिंग कानून के तहत अवाप्त भूमि के नियमानुसार आवंटन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं माना जावे तथा राजकीय अनधिकृत भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामलों का राज्य सरकार के आदेश/परिपत्र के अनुसार नियमन किया जावे।"

(व्यवधान)

सुनिये, मेरी पूरी बात तो सुनिये।

"राज्य सरकार ने मरुस्थलीय जिलों में स्थित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन न करने तथा मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जाने के प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार कर यह निर्णय लिया है कि मरुस्थलीय जिलों में एक हैक्टेयर तक भूमि के टुकड़े के आवंटन के सिवाय अन्य किसी कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जावे।"

अतः निदेशानुसार लेख है कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली, बीकानेर तथा चूरू जिलों में एक हैक्टेयर तक के टुकड़े में स्थित भूमि के आवंटन के सिवाय अन्य किसी कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जावे। ऐसे एक हैक्टेयर तक भूमि के टुकड़ों का आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में उल्लिखित आवंटन हेतु निषेध क्षेत्र, आवंटन के लिए व्यक्तियों की योग्यता एवं प्राथमिकता तथा अन्य प्रावधानों को मद्दे नजर रखा जाकर उक्त नियमों के अधीन किया जावे। एक हैक्टेयर से अधिक का सिवाय चक क्षेत्र मरुस्थलीय विकास के लिए आरक्षित रखा जावे।"

श्री शंकरलाल : यह तो नियमन के लिए नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : पूरी बात तो

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

कहने दीजिए। माननीय सदस्य, पूरी बात तो कहने दीजिए।

श्री शंकरलाल : आपका जबाव विपरीत आया है। आपने जो पढ़ा है वह नियमन के लिए नहीं हैं, आवंटन को आपने रोका है....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : यह मैं भी समझता हूं, माननीय सदस्य, लेकिन नियमन को भी अलाटमेंट मानता हूं। सरकारी नियमों के अनुसार नियमन को भी अलाटमेंट मानते हैं।....

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिए। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि....

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : अन्य नियमन को अलाटमेंट मानते हैं, तो हमारे पाली जिले में नियमन हुए हैं। कानून में नियमन और आवंटन अलग अलग हैं।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न तो बाड़मेर का है।

श्री मूलचन्द डागा : जालौर जितना लम्बा जिला है उसमें नियमन को अलाटमेंट कैसे मान सकते हैं ?

श्री शंकरलाल : मंत्री महोदय यह कह रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्त्ता श्री हादी।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : नियमन में खातेदारी दी जाती है और अलाटमेंट में गैर खातेदारी दी जाती है। यह रात दिन का फर्क है, माननीय मन्त्री महोदय किस प्रकार से जबाव दे रहे हैं ? यह तो बड़ी अजीबो गरीब समस्या है।

श्री शंकरलाल : नियमन का कानून अलग है, अलाटमेंट का कानून अलग है।

श्री रतनलाल वर्मा : बिल्कुल अलग-अलग कानून हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अलाटमेंट में गैर खातेदारी होती है जो दस पन्द्रह साल तक चलती है और नियमन करने के बाद उसी वक्त कब्जा दे दिया जाता है। इतना बड़ा फर्क होने के बाद भी आप इसको एक ही बात बता रहे हैं। आप इसका भेद बताइये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

माननीय प्रश्नकर्त्ता ।

श्री अब्दुल हादी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया और राज्य सरकार की तरफ से अभी जो अभियान चलाया गया उसमें हमारे चौहटन तहसील में जो लोग, ज्यादातर 2026 के लोग हैं उनको बाकायदा अलाटमेंट किया है । यह जो कापी है, सर्टीफाइड कापी है । उसके बाद सरकार का यहां से आदेश जाने से यह सारा कुछ रद्द कर दिया । उसके बाद इस साल अभियान चलाया कि हम 2027 का जिनका कब्जा है उनको दे रहे हैं । मगर असलियत बिलकुल जुदा है । ईमानदारी की बात यह है कि सरकार की जितनी भूमि सूखा सम्भावित की और दूसरी बातें थीं वे सब थोथी थीं । मिनिस्टर साहब हाउस को धोखा दे रहे हैं । ईमानदारी से जो कुछ हुआ है उसको कह दीजिए । ईमानदारी की बात तो यह है कि दरअसल में सरकार वहां पर शरणार्थियों को बसाना चाहती है । वहां के जितने भी शिड्यूल्ड कास्ट्स के, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के और अल्प संख्यक गरीब लोग हैं, जो वहां पर बर्षों से काबिज हैं, जो भूमिहीन लोग हैं उनकी भूमि को रेगुलराइज नहीं करके उसके बदले वहां पर शरणार्थियों को बसाना चाहती है । जो पहले से वहां पर भूमिहीन काबिज हैं उनको तो सरकार शरणार्थी बनाना चाहती है और जो नए शरणार्थी आए हैं उनको वहां बसाना चाहती है । ईमानदारी की बात तो यही है फिर सरकार चाहे जो कुछ कहे । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं, मेहरबानी करके जो कुछ स्थिति है उसमें अपने कर्म से, ईमानदारी से फैसला करें, इसी से अच्छा होगा । आज आपकी हुकुमत है, आज आप हैं, कल दूसरे लोग हुकूमत में आ सकते हैं । आप अगर इस तरह से लोगों के साथ जुल्म और अन्याय करेंगे तो आपके साथ ही वही हालत होगी जो पहले हुई है । जिन लोगों को 2027 से काबिज माना है, मैं आपसे कहता हूं कि 2027 से ही नहीं, वहां पर दस पन्द्रह साल से काबिज हैं, उनको बेदखल करके सरकार शरणार्थियों को वहां पर जमीन अलाटमेंट कर रही है । उसका नतीजा क्या होगा ? उसका नतीजा यही होगा कि लोगों में आपस में झगड़े फसाद होंगे । इसलिए गुजारिश यही है कि कृपा करके हमारा जो अमन चैन का एरिया है वहां पर अमन चैन रहने दें । सभी के साथ वाजिब इन्साफ कीजिए, यही हमारी आपसे विनती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य, इस प्रश्न का उत्तर आने दीजिए ।

श्री शंकरलाल : मन्त्री महोदय जवाब

(श्री शंकरलाल)

नहीं दे रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मुझे जवाब देने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और माननीय मथुरादासजी माथुर ने भी प्रश्न किया है कि शरणार्थियों को क्यों आवंटन किया जा रहा है। इसके लिए तो मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि चूंकि यह भारत सरकार के आदेश के मुताबिक किया जा रहा है....

(व्यवधान)

पूरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद में कहिये।

दूसरा, शरणार्थियों को आवंटन करना अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व है इसलिए शरणार्थियों को आवंटन किया ही जावेगा।

तीसरी बात यह कि जो अन्त्योदयी परिवारों को आवंटन किया गया है, एक हैक्टेयर से ज्यादा नहीं किया है।

चौथी बात यह कि माननीय सदस्य चौहटन से आने वालों ने जो बात उठाई है, मैं इस बात को दो भागों में बाटना चाहता हूं। एक भाग तो यह कि जो शरणार्थी यहां पर पहले काबिज थे जमीन पर और 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई में देश को छोड़ कर चले गए, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान ही गए, कहीं भी चले गए थे, तो राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 63 और धारा 64 में वर्णित अवण्डनमेंट की थ्योरी है, सरेंडर की थ्योरी है, उसके मुताबिक वह जमीन खालसा मानी जाएगी। यह कानून है जो कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, माननीय हादी साहब, उस कानून के मुताबिक खालसा मानेंगे। इसलिए वह लोग जो यहां से चले गए थे सन् 71 की लड़ाई में या 65 की लड़ाई में और उसके बाद वे आकर काबिज हो गए, उनका सवाल तो अलग है। इसको दूसरी तरह से एग्जामिन किया जा रहा है जो धारा 63 और 64 के अन्दर समाविष्ट किए गए हैं। बाकी दूसरे लोग अगर लैंडलेस हैं, चाहे वह शिड्यूल्ड कास्ट्स के हों, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हों या दूसरे लोग हों, या अल्पसंख्यक लोग हों, उनके लिए जैसा मैंने निवेदन किया कि इस प्रश्न पर विचार किया जाकर जमीन का नियमन किया जा सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनके रिप्रेजेन्टेटिव्स आ जावें, या मैं वहां चला चलूं, उनके साथ बात करके, कोई तरीका निकल आवे जिससे भारत के नेशनल पार्क का जो प्रश्न है उसमें कोई अड़चन न आवे और चरागाह में कोई अड़चन न आवे, फिर जमीन का नियमन किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी कहा कि वहां कोई किसान सम्मेलन बुला लिया जाये । हम यहां सदन में बैठने वाले सब प्रतिनिधि हैं, यहां मौजूद है । सूखा ग्रस्त क्षेत्र के एम.एल एज. चाहे किसी के पार्टी के हों, आप के आफिस से हों. कलेक्टर को बुला लीजिये, राउंडटेबल कान्फ्रेन्स हो, सब बैठ जायें । 2,4 दिन में मीटिंग बुलाने को तैयार हों ? तो हम बैठ कर जो आपकी नैशनल प्लार्क वाली स्कीम है, उसको देख लेते हैं । यह स्कीम कब आने वाली है ? 71 से सुन रहे हैं । उसके बाद में फैसला कर लीजिये । हाई कोर्ट में रिट भी हुई है । एक एक गरीब किसान को हाई कोर्ट जाना पड़ता है, वकील करना पड़ता है । क्या आप चिन्तन करने को तैयार है, सैशन खतम हो उससे पहले ?

श्री पुरुशोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मथुरादासजी से निवेदन करना चाहूंगा । 3 दिन में मेरे लिये संभव नहीं है । विधान सभा के सत्र के समाप्त होने के 8-10 दिन के अन्दर बैठ जायें ।

श्री मथुरादास माथुर : सैशन खतम होने के एक हफ्ते के अन्दर ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री बत्तीलाल ।

श्री बालकिशन धानवी (फलोदी) : कृपया मुझे भी दो मिनट का समय दिया जाये ? जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह लिखा है कि एक साल के भीतर जितनी भी खालसा सरकारी जमीन पड़ी है, वह भूमिहीन किसानों में बांट दी जायेगी । मगर आज पौने दो साल होने आये हैं फिर भी जमीन भूमिहीन किसानों में नहीं बांटी गई है । इस तरह घोषणा पत्र के विपरीत काम किया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह गलत कार्यवाही न करें, घोषणा पत्र को क्रियान्वित करें । जो जिले सूखा सम्भावित क्षेत्र में लिए गए हैं उन जिलों के भूमिहीन भूखों मर रहे है कारण कि उनके पास अनाज पैदा करने के लिए जमीन नहीं है । जिन 9 जिलों में कांग्रेस सरकार ने खेती की जमीन पर रोक लगा कर यहां के भूमिहीनों के साथ अन्याय किया था उसे दूर हटा कर आप भूमिहीनों को जमीन देने का फैसला कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत आवंटित अनाज

595. **श्री बत्तीलाल मीणा** (टोडाभीम): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री बत्तीलाल मीणा)

(1) काम के बदले अनाज योजना में राज्य में किस पंचायत समिति को कितना कितना अनाज आवंटित किया गया और उसके द्वारा किस किस प्रकार के काम पंचायतों के माध्यम से करवाये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार इसी योजना को वर्ष 79-80 के लिए भी चालू रखने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(3) काम के बदले अनाज योजना की सफलता और असफलता के मूल्यांकन का आधार राज्य सरकार के पास क्या है ? यह योजना सफल हो रही है अथवा असफल इसकी जानकारी के साधनों के लिये राज्य सरकार के पास क्या व्यवस्था है ?

पंचायत मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस योजना में पंचायतों के माध्यम से शाला भवन, औषधालय, पंचायत भवन पेयजल कूप, डिग्गियां, सिंचाई के तालाब, गंवाई सड़कें, सांड भर, खरंजा आदि के निर्माण कराये गये हैं।

(2) जी हां।

(3) योजना के सफल क्रियान्वयन का आधार इस योजना के अन्तर्गत अब तक पूर्ण कराये गये 29,061 कार्य एवं 26,088 प्रगति पर कार्य हैं। इसके अतिरिक्त योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागाध्यक्षों से सूचना प्राप्त होती है। राज्य के अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि समय समय पर क्षेत्र निरीक्षण करते हैं। पंचायतों का कार्य जिलाधीशों की देख रेख में किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री बत्तीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि जिन सरपंचों ने पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पास करा कर कार्य प्रारम्भ कर दिया लेकिन उस कार्य की लागत 5 हजार से अधिक थी और टैक्निकल व्यक्तियों के अभाव में एस्टीमेट नहीं करा पाये, उसकी मन्जूरी नहीं दी गई। अब उनको कब तक मन्जूरी दिला दी जायेगी ?

दूसरा, जिन पंचायत की योजना कार्यों की लागत कम थी लेकिन अधिक खर्च हो गया, क्या ऐसे कार्यों के लिये शेष मजदूरी का भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बहादुर सिंह (नौहर) : काम के बदले अनाज योजना में 1979–80 में कितना अनाज दिया जायेगा ? पिछले वर्ष जिन पंचायतों को बहुत कम दिया गया क्या उनको प्रिफरेन्स के आधार पर अनाज देने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री टीकमचन्द कांत (जालौर) : 1979–80 में इस योजना को आपने चालू रखा है लेकिन 78–79 के अन्दर जो कार्य इस योजना के अन्तर्गत पूर्ण हो गये या अधूरे रहे गये जिनका अभी भी अनाज नहीं मिला है, वह अनाज कब तक भेज दिया जावेगा ?

श्री **अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय ।

श्री दिग्विजय सिंह : जो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि जो कार्य 5 हजार से अधिक के हुए हैं उनकी मन्जूरी नहीं ली गई, उनका क्या होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कार्य 5 हजार का अनुमान करके लिये गये थे और बाद में 5 हजार से अधिक हो गए । टैक्निकल स्वीकृति करने के पहले हमने जूनियर इन्जीनियर पंचामत समितियों में लगा दिये है, वे नक्शे बनाकर उनकी एप्रूवल दे देंगे उनको मन्जूर कर दिया जायेगा ।

दूसरा प्रश्न जो प्रश्नकर्ता ने पूछा, जो वर्क 5 हजार से कम के थे लेकिन ज्यादा खर्चा हो गया उसके लिये हमने एक आदेश दे दिया है कि जो काम रह गये उनको पूरा किया जाये । अभी जो दूसरे कामों के लिए स्वीकृति है उसको रोक दिया जाये और अगले वर्ष के लिये स्वीकृति दे दें वे कार्य अगले वर्ष के लिये दे दिये जायेंगे । जो काम बाकी हैं, मैंने निवेदन किया जो काम अधूरे पड़े हैं वे काम पूरे कराये जायें । पंचायतों को और जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं । अनाज का भुगतान कर दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी अनाज पहुंच गया है । 5 हजार टन भारत सरकार से और प्राप्त किया है । 40 हजार टन अनाज मिला है । हमने सब बांट दिया है ।

श्री बहादुर सिंह : 1979–80 में कितना गेहूं काम के बदले अनाज योजना में आवंटित किया जावेगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : जैसा माननीय टीकमचन्द जी ने कहां, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जालौर में अभी हमने 500 मैट्रिक टन लोड किया है....

श्री टीकमचन्द कांत : 1400 मैट्रिक टन अनाज की आवश्यकता है ।

श्री दिग्विजय सिंह : उसके पहले 1970 मैं टन हम कर चुके हैं ।जो मांगा था उसके अनुसार कर दिया ।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि इस योजना के लिये क्या जिला स्तर पर कोई सलाहकार समिति बनी हुई है ? अगर नहीं तो क्या इस योजना को चालू रखना चाहते हैं ? अगर चालू रखना चाहते हैं तो क्या मन्त्रिमण्डल उपयुक्त समझता है कि क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की सलाहकार समिति बनाई जाय ।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय,....

श्री बालचन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, काम पूरा ले लिया, अनाज का भुगतान नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बारे में पूरी चर्चा हो रही है, मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है। 90 आदमियों के ऊपर मुकदमे चलाने का कहा है। जो अनियमित तायें कर रहे हैं वे सजा पायेंगे। इसे दोहराने का क्या फायदा ?

श्री रघुनन्दन व्यास : अनियमितता की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के आदेश से पंचायतों ने काम शुरू किया। विकास अधिकारी और जिलाधीश के माध्यम से तखमीने बनाये गये। राज्य सरकार के पास सूचना नहीं आई कि कितना अनाज चाहिये ? यह कभी जिला स्तर पर जिलाधीश के कार्यालयों में रही। इसके कारण आज 31 मार्च में तीन दिन घटते हैं और आज भी राज्य सरकार के पास किस जिले में कितना अनाज चाहिये, यह सही आंकड़े नहीं है। इसके कारण गांवों में झगड़े हो रहे हैं। क्या राज्य सरकार वायरलैस के माध्यम से जिलाधीशों को स्पष्ट सूचना देकर उनको अनाज पहुंचाने की व्यवस्था करेगी और जिन–जिन जिलाधीश महोदय ने नियमित सूचना सरकार को नहीं दी है, उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री जिथिंग (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि पिछली सरकार ने जिस जिस जिले में खास करके विकास किया है क्या राज्य सकार यह काम के बदले अनाज योजना उन जिलों को प्राथमिकता के आधार पर देने का विचार रखती है ?

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : राजस्थान के ग्रामदान ग्राम, जो पंचायतों में शामिल नहीं है, के लिये क्या राज्य सरकार ने ऐसे आदेश प्रसारित किये है उनके माध्यम से काम के बदले अनाज योजना में काम हो? दूसरे पंचायत समितियों का गठन नहीं हुआ है तो क्या केवल जिनका गठन हुआ है उन्हीं के मार्फत गेहूं का अलाटमेंट होता है ? अब स्थिति यह है कि पंचायत समितियों के विकास अधिकारी अपना विवेक ठीक ठाक काम में नहीं ले रहे हैं, पक्षपात बरत रहे हैं ऐसी स्थिति में क्या पंचायत समितियों में जन प्रतिनिधियों का समावेश करने की कोई योजना बनायेंगे ताकि वे देख सकें कि अनाज का वितरण सही हो रहा है और उसका सदुपयोग हो रहा है ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय करतार सिंह जी और माननीय गोपाल सिंह जी ने जो बात कही उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। हमें जन प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने में कोई आपति नहीं है। जो ग्राम पंचायत का

(श्री दिग्विजय सिंह)

सरपंच है वह भी जन प्रतिनिधि ही होता है। महीने में दो वार विकास अधिकारी मीटिंग बुलायेगा। जो योजना चल रही है काम के बदले अनाज के अन्तर्गत उसका मूल्यांकन करेंगे और जो एस्टीमेट से बढ़ा हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसलिये जन प्रतिनिधि तो पहले से ही हैं। अगर आपका अर्थ विधायक से है तो हम उनको भी शामिल कर लेंगे, इसमें कोई आपति नहीं है। जिला स्तर पर कोई कमेटी बनाई जा सके इस पर विचार करेंगे। ग्राम दान गांवों में भी हमने आदेश दिये हैं कि यह काम चालू किया जाय।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ है ....

(व्यवधान)

श्री शिव नारायण (थानागाजी) : सवाई माधोपुर के सरपंच ने वाजार में गेहूं की वोरियां वेच दीं, क्या यह वात सही है ?

श्री मोहन लाल बंशीवाल (दूदू) : वे रातों रात गड़बड़ियां कर रहे हैं अगर इन्क्वायरी जल्दी नहीं हुई तो कुछ न कुछ कार्यवाही कर लेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने पहले भी शिकायत की थी तो जो कुछ आपके पास है उसकी मुझे जानकारी करा दें। सदन में वार वार कहें तो इससे तो कोई लाभ है नहीं। रातों रात क्या कर रहे हैं, यह तो आप मुझे बता दें।

श्री रघुनन्दन व्यास : सवाई माधोपुर में कितनी वोरियां वाजार में बिकीं ?

श्री दिग्विजय सिंह : सवाई माधोपुर के सरपंच ने जो कुछ किया है, उसकी जांच हुई है। वह जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। वहां के सरपंच ने बाजार में गेहूं की वोरियां वेची है और हमने एफ. आई. आर. भी दर्ज करवाई है।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सामुदायिक एवं विकास मन्त्री यह जानकारी देने का कष्ट करेंगे कि पंचायतों के मार्फत काम के बदले अनाज योजना में जो टोटल वेज बिल बना है, वह कितना है और उसके अनुपात में भारत सरकार ने जो अधिकृत अनाज दिया है उस अनाज में पैसों के हिसाब से कितने करोड़ की कमी है ? क्या यह सही है कि जोधपुर का जो टोटल वेज बिल बना है वह साढ़े ग्यारह हजार टन है जब कि पंचायत विभाग ने जो आवंटन किया है वह केवल 10 हजार टन किया है और अब तक कलेक्टर के पास केवल 6 हजार टन अनाज ही पहुंचा है ? एक प्रश्न, दूसरा यह बताने की कृपा करें कि काम के बदले अनाज योजना

(श्री परसराम मदेरणा)

के अन्दर सजेशन आया है कि विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी पंचायत समिति के स्तर पर, कमेटी में सम्मिलित करने के बारे में क्या कोई सरकार का विचार है ? मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप विधान सभा के सदस्यों को रखते हैं तो जो टोटल वेज विल बने हुये हैं, जो काम ज्यादा कर दिया गया है, 20 मजदूरो ने काम कर दिया और 5 का भुगतान हो गया, बाकी रह गये वह भी वे देख लेंगे। अगर भारत सरकार प्रपोर्शनेटली अनाज कम दे रही है तो सभी को समान वितरण हो ताकि जिन मजदूरों ने जितना काम किया है उतना उनको पूरा भुगतान भी हो सके।

श्री दिग्विजय सिंह : विरोधी दल के माननीय नेता ने जो बात कही वह अभी तो जानकारी में नहीं है लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जोधपूर में जो अनाज आवंटन किया है वह 10,960 मैट्रिक टन है और अब तक 4,983 मै. टन का उपयोग किया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह कम है। आवंटन तो कर दिया लेकिन मिला कम है। चार हजार मै. टन ही मिला है इसलिये यह जो गेप है ....

श्री दिग्विजय सिंह ; मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सुनिये—हमने आवंटन कर दिया 10,960 मै. टन उसके अगेन्स्ट में उपयोग 4,984 मै. टन का हुआ है। बाकी का अनाज पड़ा हुआ है उसका भी उपयोग करेंगे। यह नहीं है कि मिला नहीं है। अब जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा, एम. एल. एज. को हम पंचायत समिति के स्तर पर रखें, हमें कोई आपति नहीं है। इसके लिये आदेश दे दिये जायेंगे कि वे उनको सम्मिलित कर लें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री ओम प्रकाश।

बूंदी जिले में सार्वलनिक निर्माण विभाग के भवन

596. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सही है कि बून्दी जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुछ भवन हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या यह सही है कि उन भवनों में कुछ को प्रभावशाली व्यक्तियों ने किराये पर ले रखा है ? यदि हां, तो बून्दी जिले में कितने हैं ?

(3) क्या यह सही है कि भवनों की कमी के कारण राज्य सरकार के कार्यालय प्राइवेट भवनों में लगाये जाते हैं ? जिनकी धनराशि भी अधिक होती है और राज्य

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

सरकार को नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्यों नहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवनों में ही इन कार्यालयों को लगाया जाय ? क्या यह सम्भव है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया); (1) जी हां। बून्दी जिले में कुल 530 भवन व दुकानें निर्माण विभाग के पास है।

(2) जी नहीं। केवल 12 भवन प्राइवेट किरायेदारी पर हैं। बाकी 186 भवन राजकीय आवास में तथा 77 भवन राजकीय कार्यालय में प्रयुक्त होते हैं तथा 255 दुकानें व थड़ियां हैं। उक्त 12 भवन व दुकानें तथा थड़ियां काफी लम्बे अर्से से किरायेदारी पर चली आ रही हैं।

(3) यह सही है कि उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध नहीं होने पर होने पर ही कार्यालय हेतु प्राइवेट भवन किराये पर लिये जाते हैं वरना सरकारी भवन का ही प्रयोग किया जाता है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : जैसा कि, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि प्राइवेट किरायेदार सरकारी भवनों में बहुत पुराने अर्से से चले आ रहे हैं और सरकारी कार्यायल के लिये प्राइवेट भवन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो क्या मन्त्री महोदय जिन व्यक्तियों के पास पुराने भवन हैं उससे खाली करवाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): उनसे क्यों करवाया जाय ? आप कहीं साजिश तो नहीं कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश शर्मा : बून्दी में जो दुकानें बनी हुई हैं उन दुकानों की पगड़ी लेकर दूसरों को दे देते हैं तो क्या सरकार उनसे वापस लेगी ? किरायेदारों से पगड़ी लेकर दूसरे व्यक्तियों को दी हैं। दूसरे व्यक्ति जो बेरोजगार हैं उनको देंगे या उनकी आप नीलाम बोली लगायेंगे, जिससे सरकार को लाभ हो ?

श्री कौशलकिशोर जैन (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि ....

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय. मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बून्दी जिले में ऐसे कितने सरकारी भवन हैं जो किराये पर दूसरे लोगों को दे रखे हैं और किराये के पेटे कितनी राशि प्राप्त होती है ? उससे प्रति माह कितनी आमदनी है ? कितने भवन ऐसे हैं जो सरकार ने किराये पर ले रखें हैं और किराये के पेटे सरकार कितना किराया प्रतिमाह देती है ?

(16)

श्री कौशलकिशोर जैन : मेरा भी एक प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जितनी दुकानें उन्होंने बताई हैं, उनमें से कितनी दुकानें बून्दी जिले में ऐसी हैं जो जिनको दी गई थीं उन्होंने पगड़ी लेकर कर दूसरों को किराये पर दी हुई हैं ? ऐसे लोगों की संख्या बताने की कृपा करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : और जिनके नाम किराये पर हैं उनको अलाटमेंट कर दें।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : एक आपके नाम भी कर दें।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि ऐसी कितनी दुकानें हैं जो किसी ने पगड़ी पर दूसरे आदमी को दे दी हैं, मेरे सामने ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो पगड़ी पर दी हुई हैं और न इस प्रश्न में पूछा ही है इसलिए इसके लिए तो अलग से पूछा जा सकता है।

दूसरा इन किरायेदारों से मकानों को खाली करवा के सरकारी कार्यालयों के लिए काम में लेने का जहां तक प्रश्न है, ये कुल 12 भवन हैं जो प्राइवेट किरायेदारों के पास हैं। उनके अन्दर पीढ़ियों से वे लोग रहते आ रहे हैं। यह नजूल सम्पत्ति है। सरकारी भवनों को जहां तक कार्यालयों में काम लेने का प्रश्न है, वहां की लोकेलिटी को देखते हुए और उनकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखते हुए, उनकी उपयोगिता को देखते हुए ये कार्यालयों के लिए उपयोगी नहीं हैं इसलिए उनको लेना फायदेमन्द चीज नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरा प्रश्न यह था कि जो सरकार ने दूसरे व्यक्तियों से मकान किराये पर ले रखे हैं, सरकार उनको कितना किराया देती है और सरकारी मकानों पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनसे कितना किराया लेती हैं ? यदि नहीं लेती, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० 597।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन) : क्या सरकार इन मकानों को बेचने की कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष : ये अनुपयुक्त पर हैं, मंत्री महोदय ने कह दिया है।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इन मकानों और दुकानों को बेचने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष : श्री माणकलाल ठाकोर।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) :

(श्री माणकलाल ठाकोर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट आई है कि जो भवन किराये पर दिये गये हैं मकान वगैरह किराये पर हैं, वे सरकारी कार्यालयों के काबिल नहीं है, यह बिल्कुल निराधार है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज वहां पर कितने ही सरकारी अधिकारी और कितने ही सरकारी कार्यालय इधर उधर पड़े हुए हैं। कोई रेस्ट हाउस में है, कोई सर्किट हाउस और कोई डाक बंगले में है। जो स्कूल भवन हैं, दूसरे कार्यालय हैं वे अनुपयुक्त और पुराने गन्दे मकानों में हैं। जो मकान किराये पर सरकार के द्वारा लिये गये हैं उनसे ये लाख दर्जे अच्छे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करवा कर उपयुक्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, बात वही है। जहां पर ये प्राइवेट भवन हैं ये 12 भवन हैं। इसके बाद वेचने के बारे में पूछा गया था, इसके अन्दर जो आदमी रहते हैं, सैकड़ों आदमी इनमें रहते हैं और भरे हुए हैं जैसे कूड़ा कचरा भरा हो ऐसे भवनों को ले करके उनकी मरम्मत करवा कर उपयोगी बनाए बिना जिस प्रयोजन के लिए चाहते हैं, उसमें काम में नहीं ले सकते हैं। जो सरकारी कार्यालय....

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह छोड़ेंगे भी नहीं।

श्री जयनारायण पूनिया : इन भवनों के लिए, धड़ियों के लिए, अध्यक्ष महोदय, सन् 69 में कार्यवाही करने के लिए कदम उठाया गया था कि ऐसे मकान नीलाम कर दिये जावें, वेच दिये जावें और उनका उपयोग नहीं हो सकता, किराया भी बढ़ाने में अनेबल हैं। जो कार्यवाही चालू की, 73 तक जाकर लास्ट में यह तय हुआ कि नीलामी की जावे। तब उन किरायेदारों ने, जो बहुत गरीब लोग थे,....

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : ऐसे भवनों में रहने वाले बरसात में मर सकते हैं तो फिर उनको क्यों रहने दिया जा रहा है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : ऐसे मकान गरीबों को आवंटित कर दें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन किरायेदारों, जिनके नाम वास्तव में किराये पर थे, न पगड़ी ले करके दुकानें दूसरों को दे रखी हैं, क्या उनकी मंत्री महोदय जांच करवायेंगे ?

श्री जयनारायण पूनिया : तथ्यों पर बताइये।

श्री एच. एन. शर्मा (वेगू) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि जो मानव वहां रहते हैं वे कूड़े कचरे हैं, यह मानव समाज के लिए कलंक हैं। यह मानव समाज का निरादर है।

(श्री एच. एन. शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जनता के लोग बाग जो वहां रह रहे हैं उनको कूड़ा करकट बताना कभी भी उचित नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनको भी नहीं रहने देना चाहते। उनको भी बाहर निकालने की बात कर रहे हैं।

श्री अयूब खां (तिजारा) : इस सौदेबाजी से बहुत भला होने वाला नहीं है। जनता को और हानि से बचाइये।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जो भवन सरकारी काम में नहीं आ रहे हैं उनके लिए राज्य सरकार का इस प्रकार का आदेश है कि तीन आदमियों की एक कमेटी बैठाई जाती है जिसमें जी. ए. डी. के डिप्टी सैक्रेटरी, फाइनेंस और कंसनिग डिपार्टमेंट के डिप्टी सैक्रेटरी हैं, उन्होंने जो नीलामी का आधार रखा उस नीलामी के आधार के बाद में उन्होंने एतराज किया। इस पर यह निर्णय हुआ था कि इन भवनों को बेचने के लिए उनकी रिजर्व प्राइस फिक्स की जाती है जिसके आधार पर उनको ये भवन आवंटित किये जावें। क्या इस बारे में आपका कोई निर्णय है?

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, सन् 77 के अन्दर इन आदमियों को, क्योंकि यह बूंदी जिले का प्रश्न है, उसी सन्दर्भ में कह रहा हूं, उनको खाली करने के लिए, नीलामी करने के लिए कहा था। ज्यों ही नोटिस पहुंचे तो सरकार के सामने, उनका रिप्रेजेण्टेशन आया। जो इसकी निर्धारित कीमत है उसके आधार पर हमने इन मकानों की रेट निश्चित कर दी। उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है। किसी भी प्रकार से हमारी हालत ऐसी नहीं है कि इस रेट पर भी ले सकें। इस पर सरकार द्वारा विचार हो रहा है कि या तो नीलाम करवाया जाय या उचित निर्धारित कीमत पर दिया जावे।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सूचना दी है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो नोटिस भेजे हैं वह किराया बढ़ाने के भेजे थे या नीलामी के?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप क्या चाहते हो? उन्होंने आपको वोट नहीं दिए इसलिए उनको उजाड़ना चाहते हो या बसाना चाहते हो?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

ग्राम लेसरदा (केशोरायपाटन) के अन्त्योदयी परिवारों को भू-आवंटन

597. **श्री गोपाल पंचरवाल** (पाटन) : क्या अन्त्योदय योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 4-10-77 को श्री मांगीलाल आत्मज श्री घासी बैरवा, श्रीरामा पिता श्री छोटिया मेघवाल श्री हरनाथ आत्मज श्री गोरू बैरवा, श्री लाल्या आत्मज श्री देवा बैरवा साकिन लेसरदा तहसील केशोरायपाटन का अन्त्योदय परिवार में चयन किया गया है ? यदि हां, तो इनको क्या सुविधायें दी गई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अन्त्योदय में चयनित व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई है ? यदि हां, तो कितनी और वर्तमान में इस भूमि पर इनका कब्जा है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा आवंटित भूमि में चावल की फसल बोई गई थी और उस फसल को आवंटन से पूर्व के भूमिधारी ने काट लिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या आवंटियों ने इस सम्बन्ध में उप जिलाधीश बूंदी को आवेदन पत्र पेश किया ? यदि हां, तो उप जिलाधीश द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खनिज मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। इन परिवारों को दी गई सुविधाओं का विवरण निम्न है :—

	नाम	भू-आवंटन	ऋण स्वीकृत एवं भुगतान	
1.	श्री मांगीलाल	8 बीघा	3000)	बैल हेतु
2.	श्री रामा	9 बीघा	3500)	,,
3.	श्री हरनाथ	8 बीघा	3000)	,,
4.	श्री लाल्या	8 बीघा 12 बीस्वा	3500)	,,

(2) जी हां, जितनी आवंटित की गई है उसका विवरण खण्ड (1) के उत्तर में दे दिया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटियों का वर्तमान में कब्जा नहीं है।

(3) जी हां, चावल की फसल बोई थी। इस फसल को मांगीलाल, रामा व लाल्या आवंटी ने पुलिस की मदद से काटा है न कि पूर्व के भूमिधारी ने। आवंटियों में

(श्री कैलाश मेघवाल)

से एक ग्रावंटी श्री मांगीलाल ने उप जिला मजिस्ट्रेट बूंदी के न्यायालय में पूर्व के भूमिधारी श्री भैरूलाल के विरुद्ध धारा 107/151 जा०फौ० के ग्रन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जो ग्रभी विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : 107 में कैसे विचाराधीन है ?

श्री गोपाल पचेरवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने ग्रभी कहा कि इतने परिवारों को इतनी भूमि एवं बैंक ऋण दिया गया। मेरा निवेदन है कि इस भूमि पर पूर्व के भूमिधारी ग्राज की तारीख काबिज हैं। जिलाधीश महोदय के यहां कार्यवाही करने में छः छः महीने लग जाते हैं। कलेक्टर से एस.डी.ग्रो. ग्रौर एस.डी.ग्रो. से तहसीलदार के यहां चक्कर लगाने में ग्रन्त्योदयी परिवार जिनको ग्राप पीछे की लाइन से ग्रागे चाहते हैं, ग्रौर भी पीछे ग्रा गए हैं। मैं स्वयं बूंदी गया था ग्रौर मैंने इस बारे में जानकारी की तो ऐसे लोग जो समाज की सबसे पीछे की पंक्ति में में खड़े हैं उन लोगों की पैरवी करने के लिए, जमीन का कब्जा दिलाने के लिए पुलिस की मदद देनी चाहिए या सरकार को ऐसे लोगों की पैरवी के लिए किसी को नियुक्त करना चाहिए ग्रौर उसका सारा हर्जा खर्चा सरकार को वहन करना चाहिए। जो उनकी फसल काटी गई है क्या उनको मुग्रावजा दिलाया जावेगा ?

दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को ग्रापने जमीनें दीं ग्रौर ग्राज की तारीख में जिन पर बैंक का लोन है, वह बैंक का लोन माफ करवायेंगे जब तक उनको जमीन पर वापस कब्जा नहीं मिले ग्रौर जमीन पर पैदावार नहीं कर लें ?

श्री सुखलाल सेंणचा (रामपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ग्रन्त्योदय परिवारों को ग्रावासीय भू-खण्ड देने के लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? जिनके पास ग्रावासीय भू-खण्ड नहीं है क्या राज्य सरकार उनको ग्रावासीय भू-खण्ड दिलाने का कष्ट करेगी ?

श्री गोपाल पचेरवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (2) का उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है कि कब्जा नहीं है। इसके साथ यह भी कहा कि कब्जा नहीं करवाया जा सका। तो क्यों कब्जा नहीं करवाया जा सका ? इसका उत्तर नहीं दिया गया है। नम्बर दो, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह भूमि ग्रावंटित कब की गई ग्रौर कितने दिन से हम कब्जा देने में

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

असफल रहे हैं ? इसका भी उत्तर मंत्री महोदय देने का कष्ट करें ।

श्री कौशल किशोर जैन : ये अन्त्योदय मंत्री कब से बन गये ? ये तो सहकारिता मंत्री है । क्या मंत्रिमण्डल में कोई अन्त्योदय मंत्री की पोस्ट है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह सारा मंत्री मंडल ही अन्त्योदयी है ?

श्री अध्यक्ष : अन्त्योदय मंत्री महोदय ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जमीन 4–10–77 को अलाट की गई थी और आवंटियों को कब्जा 15–10–77 को दे दिया गया था । इस कब्जे के बाद जो पूर्व भूमिधारी था, उसने जबर्दस्ती इनको बेदखल करने का प्रयत्न किया । इस बात की शिकायत पुलिस में होने पर, शांति भंग होने का खतरा था उसकी रिपोर्ट आने पर, शांति भंग की आशंका होने पर मुचलेके और जमानत पर पाबंद करने के लिए एस.डी.एम. कोर्ट में कार्यवाही विचाराधीन है । इन लोगों के खिलाफ, पूर्व भूमि धारी और उसके सहयोगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 447 के अन्तर्गत मुकदमे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल कर दिये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, इसमें ये तथ्य आये हैं । दिनांक 23–1–79 को एक रिपोर्ट आई है जिसमें आवंटियों द्वारा यह कहा गया है कि मुझे बेदखल करने का धोखा है और मुझे बेदखल किया जा सकता है । यह प्रार्थना पत्र मेरे पास है । इस पर कार्यवाही चालू है । निवेदन करना यह है कि 23–1–79 तक इनका कब्जा रहा है । इस बीच में वर्तमान में क्या स्थिति है, मैं इस बारे में आज ही जिलाधीश को तुरन्त आदेश दे रहा हूं कि 15 दिन में स्थिति स्पष्ट करें और आवंटियों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही पूरी करें । इस तरह से कानून को हाथ में लेने वाले के विरुद्ध किसी तरह की रियायत न हो ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है ।

माननीय सदस्य । स्थान ग्रहण करें ।

स्थगित प्रश्न ।

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्री महोदय अधिकारियों को यह आदेश देंगे कि अन्त्योदय परिवारों को तब तक भूमि का अलाटमेंट नहीं किया जाए जब तक कि उस भूमि पर सरकार का कब्जा न होजाए ? जब दूसरे के कब्जे में जमीन होगी तो उस पर न्यायालय में मुकदमे होंगे और वह जमीन अलाट की जाएगी तो यही हालत रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ।

स्थगित प्रश्न ।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 599 अत्यन्त महत्वपूर्ण है ? इसको स्थगित किया जाए।

श्री सुखलाल सेंणचा : जिन अन्त्योदय परिवार वालों के पास आवासीय भू-खण्ड नहीं है, उनको देने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

स्थगित प्रश्न ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15–3–79)

मकराना संगमरमर उद्योग हेतु विदेशी मशीनें

280. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना संगमरमर उद्योग में कितनी विदेशी चिराई की मशीनें लगी हैं तथा कितनी और मशीनों की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा आगे कितनी मशीनें चिराई के लिए विदेशों से आने वाली हैं ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) विदेशी मशीनों के मालिकों को अब तक कितनी सब्सिडी दी जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) संगमरमर के लघु उद्योग की कितनी इकाइयां मकराना में है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उद्योग मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): (1) वर्तमान में मकराना में संगमरमर उद्योग में विदेशी चिराई की 3 मशीनें लगी हुई हैं । एक इकाई की संगमरमर की मशीन आयात करने की स्वीकृति प्रदान की गई है । 9 मामले भारत सरकार के विचाराधीन हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(2) संगमरमर की चिराई की विदेशी मशीनों के मालिकों को दिये गये अनुदान की सूची 'ख' सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) संगमरमर के लघु उद्योगों की 220 इकाइयां विभाग में पंजीकृत हैं जिनकी सूची 'ग' सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड (1) में मैंने यह पूछा है कि कितनी मशीनें चिराई की विदेशों से और आने वाली हैं ? इस प्रश्न का माननीय मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया है। यह पालिसी मैटर है। मंत्री महोदय कृपया इसका उत्तर दें।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो प्रार्थना पत्र आते हैं उनको राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को फार्वर्ड कर दिया जाता है। यह भारत सरकार के ऊपर निर्भर है कि वह कितनी मशीनों के आयात के लिए लाइसेन्स दे। हम किसी के प्रार्थना पत्र को, अगर आवश्यक जो कसौटियां हैं, वे पूरी हो जाती है तो रोकते नहीं हैं। फार्वर्ड कर देते हैं।

श्री अब्दुल अजीज : यह जो आप सब्सिडी देते हैं यह कितने पर्सेन्टेज देते हैं ? किसी गरीब को दें या सोसाइटी को दें तो ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि विदेशों से ये जो मशीनें मंगाई गई हैं उसमें इन लोगों को 4 लाख 57 हजार की सब्सिडी दी गई है। मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्ष महोदय, जो लोग इन मशीनों से रोजाना पांच-पांच हजार रुपया कमा रहे हैं उनको ऐसी मशीनों पर सैन्ट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे यह यह उचित नहीं है। वे लोग इन मशीनों से लाभान्वित हो रहे हैं तो इनको सब्सिडी देने की आवश्कता नहीं है। सरकार को मेरा यह सुझाव है।....

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आपके सुझाव पर गौर कर लिया जाएगा।

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या मंत्री महोदय जिनको सब्सिडी दी गई है उनके नाम बताने की कृपा करेंगे।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जिनके प्रार्थना पत्र थे, मशीनों के लिए उनको ही सब्सिडी दी गई है। उनके नाम इस प्रकार से हैं :

(1) मारवाड़ा माइन्स मकराना, श्री अब्दुल रहमान चौधरी, ये अब्दुल अजीज हैं।

(2) मैसर्स राजस्थान माईनिंग एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज, श्री एच. सी. मिश्रा,

(3) मैसर्स मिनरल प्रोसेसिंग सर्विसेज, मकराना,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आधा मिनट ठहरने को कृपा करें।

श्री टीकम चन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे....

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मशीनें मंगाने के लिये प्रोसेसिंग मकराना की पार्ट-

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

नर शिप फर्म है जिसमें तीन पार्टनर्स है : एच. एस. मिश्रा, एम. एस. मिश्रा और आर. के. मिश्रा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दूसरी में भी मिश्रा।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : दूसरी में भी मिश्रा हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : ये वही आर. के. मिश्रा हैं जो राज्य सभा के सदस्य हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्यों नहीं है, आपको जानकारी रखनी चाहिये।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जितनी आवश्यकता थी उतनी जानकारी मैंने कर ली है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : वह वहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है

(व्यवधान)

अगर आपने इसको नहीं देखा तो मैं निवेदन करूंगी कि इसे देख लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, क्रम के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि तीन से ज्यादा सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। लेकिन तीन के बजाज 10–10, 20–20 सप्लीमेंट्री पूछे जाते हैं। मैं निवेदन करूंगी....

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था है कि सदन....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप व्यवस्था दें, हमें मौका दिया जाय बोलने का।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है। श्री टीकम चन्द कांत।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, विदेशी मशीनों की बात आई है तो मैं जानना चाहूंगा कि जालौर के ग्रेनाइट के लिये भी विदेशी मशीनों के आदेश दे दिये हैं क्या ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दे दिये हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, श्री आर. के. मिश्रा, अगर यह आदमी वही हैं जो राज्य सभा के सदस्य थे, तो क्या आप कुछ कार्यवाही करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ये जनसंघ के कार्यकर्ता हैं।

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस थाना मानपुर जिला जयपुर में दर्ज रिपोर्ट

697. श्री रामेश्वरदयाल यादव(चौमूं): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के पुलिस स्टेशन मानपुर में दिनांक 25 अगस्त 1978 के अनुसार आई. पी. सी. की धारा 448, 380 के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 84 गोपीलाल गोयल ग्राम उदयपुरा की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था ?

(2) क्या उक्त मुकदमे का पुलिस ने चालान पेश कर दिया ? यदि हां, तो किस अदालत में ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या पुलिस ने इस मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया ? यदि हां, तो किस तारीख व समय पर ? अभियुक्त कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री गोपीलाल गोयल की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 84 दिनांक 27-8-78 (न कि 25-8-78) को थाना मानपुर में धारा 484/380 के अन्तर्गत रजिस्टर किया गया।

(2) अभियोग अभी अनुसंधानाधीन है।

(3) जी नहीं। अभी अनुसन्धान जारी है।

जिला बांसवाड़ा के क्षेत्र कुशलगढ़ में हुई चोरियां

699. श्री जिथिंग भाई (कुशलगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला बांसवाड़ा कुशलगढ़ क्षेत्र में जनवरी, 1977 से अब तक कितनी चोरियां हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितनी चोरी का माल बरामद हुआ है तथा कितने प्रकरण विचाराधीन हैं तथा इस सम्बन्ध में कितने अपराधी दण्डित हुए हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र की चोरियों का पता लगाने के लिए कोई विशेष अधिकारी नियुक्त करने का इरादा रखती है व इस क्षेत्र के अकर्मण्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा कुशलगढ़ क्षेत्र में जनवरी, 1977 से फरवरी, 1979 तक 51 अपराध चोरी के दर्ज हुए हैं।

(2) 18 अपराधों का माल बरामद हुआ है। कोई भी अपराध विचाराधीन

(श्री जिथिंग भाई)

नहीं है। इन 18 चालानों मे से 17 अपराध न्यायालय में विचाराधीन हैं। एक से राजीनामा हो चुका है। कोई अपराधी दण्डित नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं।

थाना पादू कला जिला नागौर में नियुक्त थानेदार

700. **श्री रामदेव चौधरी** (मूण्डवा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या पादू कला पुलिस थाना जिला नागौर में थानेदार कौन लगे हुए हैं एवं कब से कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन थानेदार का ससुराल इस थाने के हल्के में आता है ? क्या यह भी सही हैं कि इनके ससुराल वाले इलाके पर थानेदार की वजह से हावी हैं एवं लोगों को परेशान करते हैं।

(3) क्या राज्य सरकार इसे अनुचित नहीं समझती कि इस प्रकार के पुलिस अधिकारी को घर एवं ससुराल से दूर रखा जावे ताकि थानेदार ईमानदारी से कार्य का अंजाम दे सके ?

(4) क्या राज्य सरकार इस प्रकार के थानाधिकारियों को बदलने का विचार रखती है ? क्या इन थानेदार को वहां से अन्य जगह बदलना न्यायोचित नहीं होगा ?

उत्तर

(1) श्री उम्मेद सिंह, उप-निरीक्षक, एस.एच.ओ. के पद पर दिनांक 13-10-77 से कार्यरत हैं।

(2) यह सही है कि ससुराल इसी थाने के अन्तर्गत आता है। परन्तु इनके ससुराल वालों का इलाके पर हावी होने आदि की कोई शिकायत प्राप्त नहीं।

(4) ससुराल के स्थान से दूर रखने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं।

कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पर्क कृषि चयन का आधार

701. **श्री बजरंग लाल शर्मा** (बनीपार्क) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पर्क कृषक चयन करने का आधार क्या है ?

(2) अब तक चयनित सम्पर्क कृषक जिलेवार राज्य भर में कितने कितने हैं ?

(3) अब तक चयनित सम्पर्क कृषकों में अनुसूचित जाति, जन जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के कितने कितने किसान हैं ?

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

(4) उक्त सम्पर्क कृषकों को राज्य द्वारा क्या तकनीकी व आर्थिक सहायता दी जायेगी और उनसे क्या अपेक्षाएं हैं ?

उत्तर

(1) सम्पर्क काश्तकार ऐसे वर्ग के कृषकों में से ही होता है जो सीमित साधनों द्वारा उपलब्ध ज्ञान के माध्यम से अधिक उत्पादन ले सकें। वह ऐसा काश्तकार हो जिसमें अपने पड़ोसी काश्तकार को समझाने की क्षमता हो व उसमें दूसरे पड़ोसी काश्तकारों की आस्था हो।

(2) जिलेवार चयनित काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अनुमानित 50 प्रतिशत सम्पर्क काश्तकार कमजोर वर्ग के हैं जिसमें अनुसूचित जाति, जन जाति भी सम्मिलित है। प्रत्येक वर्ग के काश्तकारों की संख्या अलग से उपलब्ध नहीं है।

(4) ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता द्वारा पखवाड़े में नियमित दिन के नियमित समय पर इनके खेतों पर सम्पर्क किया जाता है व इन्हें आगामी 15 रोज में क्या कार्य किया जाना है, जानकारी दी जाती है। नवीन विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत भी आर्थिक सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जिलों में लागू नवीन कृषि विस्तार पद्धति

702. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) वर्तमान में राज्य के किन किन जिलों में नवीन कृषि विस्तार पद्धति (क्लस्टर योजना) विश्व बैंक से सहयोग से लागू है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में राज्य सरकार ने बावजूद नई कृषि विस्तार पद्धति के लागू किए जाने के ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिससे सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले किसानों को समय पर आसानी से रासायनिक खाद, उन्नत बीज एवं पौध संरक्षण औषधियां उपलब्ध हो सकें ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों के किसानों को आसानी से यह कृषि सम्बन्धी वस्तुएं (रासायनिक खाद उन्नत बीज, कीटनाशक औषधियां आदि) समय पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कृपया बताने का कष्ट करें कि निकट भविष्य में किसानों को कृषि सम्बन्धी वस्तुएं उपलब्ध कराने बाबत राज्य

(श्री करतार सिंह)

सरकार के पास कौन सी योजना है तथा उसकी क्रियान्विति कब तक सम्भव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के निम्न जिलों में नवीन कृषि विस्तार पद्धति विश्व बैंक के सहयोग से लागू है। जिलों के नाम निम्न प्रकार हैं—

जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टौंक, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कांकरोली।

(2) कृषि विस्तार पद्धति के अन्तर्गत ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता 700–800 कृषक परिवारों से सम्पर्क करते हैं व सम्पर्क के दौरान उनसे सम्भावित खाद, बीज व पौध संरक्षण रसायन की मांग एकत्रित करते हैं जो मांग एकत्रित की जाती है उसको प्राक्षिक प्रशिक्षण में प्रस्तुत करते हैं। पाक्षिक प्रशिक्षण में सहकारी संस्था व राज्य कृषि उद्योग निगम के प्रतिनिधि को आमन्त्रित किया जाता है। इस बैठक में जो मांग प्रेषित होती है उसको उपरोक्त संस्थाओं की व्यवस्था के लिए दी जाती है। इस संस्थाओं के अभिलिखित निजी क्षेत्र से भी रासायनिक उर्वरक व पौध संरक्षण रसायन की व्यवस्था होती है। मूलतः इस पद्धति द्वारा तकनीकी ज्ञान काश्तकारों तक पहुंचाया जाता है। कृषि साधनों की व्यवस्था अब विभाग नहीं कर सहकारी व निजी संस्थाओं द्वारा की जाती है।

(3) ग्रामीण अंचलों में किसानों को आसानी से कृषि इनपुट मिल सकें इसके लिए राज्य सरकार बराबर चिन्तित है। कृषि इनपुट की व्यवस्था अब विभाग नहीं कर सहकारी व निजी संस्थानों के क्षेत्र में की जाती है। राज्य व जिला स्तर पर कृषि इनपुटों की व्यवस्था के लिए समन्वय समितियां गठित की हैं व समय-समय पर बैठकों में विचार किया जाता है व कमी वाले क्षेत्रों में तुरन्त व्यवस्था की जाती है। इस सम्बन्ध में सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में ये संस्थायें सुदृढ़ नहीं हो जाती तब तक निजी क्षेत्र व कृषि आश्रित काश्तकारों तक पहुंचाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

बड़ी सादड़ी मुख्यालय मंगलवाड़ चौराहे पर कृषि उपज मण्डियां

703. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बड़ी सादड़ी): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) विधान सभा क्षेत्र में बड़ी

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

सादड़ी तहसील क्षेत्र के लिए बड़ी सादड़ी मुख्यालय पर तथा डूंगला तहसील क्षेत्र के लिए मंगलवाड़ चौराहे पर अलग-अलग दो कृषि उपज मंडियों की स्थापना के लिए जन हित में जिला विकास अधिकरण तथा जिलाधीश चित्तौड़गढ़ ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवा दी है ? यदि हां, तो अब कब तक उक्त दोनों जगह कृषि उपज मंडियां कायम की जायेंगी तथा अब तक इस क्षेत्र को इस दृष्टि से क्योंकर उपेक्षित रखा गया है ?

उत्तर

जी नहीं। बड़ी सादड़ी में कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने हेतु मनोनीत सदस्यों की सूची राज्य सरकार के विचाराधीन है। डूंगला पंचायत समिति को उपरोक्त बड़ी सादड़ी मण्डी समिति के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। डूंगला क्षेत्र में मंगलवाड़ चौराहे पर अलग से मण्डी समिति स्थापित करने के सम्बन्ध में विभागीय सर्वेक्षण कराया गया है। उससे विदित हुआ है कि मंगलवाड़ चौराहे पर कृषि उपज की बहुत ही कम आवक है और 3-4 व्यापारी ही कार्यरत हैं। अतः वहीं अलग से मण्डी समिति स्थापित करना उपयुक्त नहीं समझा गया है।

राज्य में चल रहे विकास केन्द्र

704. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किन किन स्थानों पर विकास केन्द्र चल रहे हैं और एक विकास केन्द्र का ढांचा और वार्षिक बजट क्या है ?

(2) किन किन विकास खंडों में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत समन्वित ग्रामीण विकास का कार्यक्रम लागू किया गया है और उस कार्यक्रम का ढांचा तथा एक विकास खंड हेतु बजट क्या है ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 100 ग्रामीण विकास केन्द्रों की प्रशासनिक स्वीकृति इसी वर्ष (वर्ष 1978-79) प्रसारित की गयी है। सूची संलग्न है। स्थापित विकास केन्द्रों में निम्नलिखित में से कम से कम आधी सुविधायें उपलब्ध होंगी जिससे कि ये विकास केन्द्र अपने आस-पास के ग्रामों को मूलभूत सेवाएं देकर उनकी उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें :—

1. पैट्रोल/डीजल पम्प, 2. फर्टीलाइजर डिपो, 3. मोटर, ट्रैक्टर मशीनों को ठीक करने के लिए वर्कशाप तथा कल पुर्जों की दुकान, 4. खाद्य डिपो, 5. प्राइमरी क्रेडिट सोसायटी का मुख्यालय, 6. बिजली, 7. पीने के पानी की व्यवस्था, 8. रोडवेज बस स्टेण्ड या रेलवे स्टेशन, 9. प्राथमिक स्वा-

(पंचयात मन्त्री)

स्थ्य केन्द्र/डिस्पेन्सरी/एडपोस्ट, 10. कपड़े व परचून आदि की दुकान, 11. साप्ताहिक हाट का केन्द्र/स्थानीय साधनों के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक संग्रह, विपरण, ऋण संचार, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, छोटे स्तर की व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा सामाजिक सेवाऐं उपलब्ध कराना इन विकास केन्द्रों का अंग होगा। संस्थापित विकास केन्द्रों का स्वरूप (ढांचा) स्पष्ट करने हेतु निर्धारित प्रपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

इस योजना को जिला स्तर पर लागू करने का उत्तरदायित्व जिला विकास अभिकरणों का होगा। विकास खण्ड स्तर पर विकास अधिकारी उत्तरदायी होगा जिसकी सहायतार्थ एक प्रसार अधिकारी की नियुक्ति भी की जावेगी।

प्रत्येक विकास केन्द्र को वित्तीय वर्ष 1979-80 में लगभग 50,000 रु० प्राप्त होंगे। राज्य के वित्तीय संसाधनों की परिधि में रहते हुये छठी पंचवर्षीय योजना काल के शेष वर्षो में भी इसी प्रकार धन राशि उपलब्ध करायी जाती रहेगी।

(2) भारत सरकार ने राज्य के 112 विकास खण्डों में एकीकृत ग्रामीण विकास (समन्वित) का कार्यक्रम लागू किया है। विकास खण्डों की सूची संलग्न है। इस कार्यक्रम हेतु विस्तृत योजना बनानी आवश्यक होगी जिससे कि चयनित विकास खंडों में उपलब्ध साधनों का पता लगाया जा सके उस क्षेत्र की समस्याओं तथा आवश्यकताओं को निश्चित किया जा सके तथा आवश्यक वित्तिय एवं भौतिक विनियोजन की मात्रा निर्धारित की जा सके। कार्यक्रम का स्वरूप (ढांचा) स्पष्ट करने हेतु निर्धारित सर्वेक्षण प्रपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। इस कार्यक्रम को जिला स्तर जिला अधिकारियों द्वारा तथा खंड स्तर पर विकास खंड अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लागू किया जावेगा जिन्हें आवश्यक सुविधाऐं राज्य सरकार द्वारा दी जावेगी।

इन विकास खण्डों में से 103 विकास खण्डो को 5 लाख रुपये प्रति विकास खण्ड की दर से तथा 9 विकास खण्डों को दो लाख रुपये प्रति विकास खण्ड की दर से घनराशि छठी पंच वर्षीय योजना काल में उपलब्ध करायी जाने का प्रावधान है। संलग्न सूची में 103 एवं 9 विकास खंडों को स्पष्ट किया गया है।

(सूची व परिपत्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत हरसोर पंचायत समिति डेगाना का आडिट

705. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

(1) ग्राम पंचायत हरसोर पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर का आडिट कितने व किस वर्ष का होना बाकी है ? इस अवधि में कौन सरपंच रहे थे ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 21-1-72 को हस्ताक्षर सहायक परीक्षक बीकानेर ने एक आडिट रिपोर्ट पंचायत समिति डेगाना व जिलाधीश, नागौर को भेजी है ? अगर हां, तो यह रिपोर्ट किस वर्ष के आडिट की है ?

(3) उपरोक्त आडिट रिपोर्ट में तब के सरपंच का नाम बताते हुए बताएं कि परीक्षक महोदय ने सरपंच के विरुद्ध कितने रुपये की वसूली के लिए लिखा है ? वसूली का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सन् 1972 की यह वसूली कर ली गयी है ? अगर हां, तो कब व कितनी ? अगर नहीं, तो कृपया बताएं कि अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यह वसूली कब तक करली जावेगी एवं जिन मामलों में गबन बताया गया है उसमें राज्य सरकार क्या कार्यवाही करना उचित समझती है ?

(5) इसके पूर्व के आडिट में इस सरपंच के खिलाफ कितनी बकाया निकाली गई है ?

(6) इस आडिट के बाद के वर्षों यानि 1970 के बाद, कितने वर्षों का आडिट नहीं किया गया और किस किस वर्ष का किन किन कारणों से ? अब राज्य सरकार आडिट नहीं किये गये वर्षों के सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

(7) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान में कई सरपंचों को इसलिए निलम्बित कर दिया था कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के हिसाब का आडिट नहीं कराया था ? अगर हां, तो किस किस सरपंच को ?

(8) क्या यह सही है कि सरपंच हरसोर जो सस्पेंड थे और जिन्हें आडिट नहीं कराने के कारण राज्य सरकार ने प्रसन्न होकर अक्टूबर, 1977 में बहाल कर दिया है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत हरसोर का आडिट वर्ष 1971-72 से 1977-78 तक होना शेष है। इस अवधि में सरपंच पद पर श्री रामबल्लभ तापड़िया कार्यरत थे।

(2) जी हां। आडिट रिपोर्ट वर्ष 1967-68 से 1970-71 तक की थी।

(3) आडिट रिपोर्ट के अनुरूप सरपंच श्री रामबल्लभ तापड़िया थे। वर्ष 1967-68 से 1970-71 तक के पैरा 9, 10, 11 में क्रमशः रु० 705) गबन विभागीय जांच,

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

रु० 1000) संभावित गबन, 1000 मन चूने की कीमत का अपहरण अंकित किया गया है। आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। गबन के मामलों की जांच जिलाधीश द्वारा करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(5) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) वर्ष 1971-72 से 1977-78 तक की आडिट नहीं करवायी गयी आडिट करवाने की कार्यवाही जारी है।

(7) पंचायतों के आम निर्वाचन के पश्चात् आडिट नहीं करवाने के आरोपों में किसी भी सरपंच को निलम्बित नहीं किया गया है।

(8) श्री रामबल्लभ तापड़िया सरपंच पंचायत हरसोर को पंचायत की राशि का गबन करने, अनियमित कार्य कर पद का दुरुपयोग कर कर्त्तव्य पालन में उपेक्षा करने के आरोपों में निलम्बित किया गया था परन्तु विभागीय आरोप पत्र में जो तथ्य वर्णित थे उनके आधार पर पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही होकर फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इस तथ्य को ध्यान में रख उसे बहाल किया गया।

(आडिट रिपोर्ट व सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

ग्राम पंचायत दांतारामगढ़ के सरपंच के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार के मामले

706. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दांतारामगढ़ (जि. सीकर) के सरपंच श्री रामेश्वर विद्यार्थी के विरुद्ध मंत्री महोदय द्वारा, उन्हें पद के दुरुपयोग, पंचायत कोष के धन के गबन, भ्रष्टाचार आदि का आरोप पत्र दिया गया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

जी हां। नियमानुसार अग्रिम जांच की कार्यवाही जारी है। इस मामले में जांच करने हेतु विभागीय निदेशक महोदय को निर्देश दिये गये है तथा वे जाँच करेंगे।

तहसील श्री माधोपुर के गांवों का विद्युतिकरण

709. **श्री गोपाल सिंह** (खण्डेलवाल) : क्या विद्युतमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील श्रीमाधोपुर (जिला सीकर) के कोटडी (लुहारवास), केरपुरा, कारोई, अठवीघा, बासडी, नीमकी, छाजना, प्रतापपुरा, सालबाड़ी, ढानी गुमानसिंह

(श्री गोपालसिंह)

बामरडा गांवों के एक क्षेत्र तथा रोयल, बामनवास, गोकल का वास, दूधवालों का वास, अगलोई, सोला, हमीरपुरा कलां; चक खटून्दरा, सूरपुरा गांवों के दूसरे क्षेत्र में अभी तक बिजली स्वीकृत नहीं हुई है ?

(2) क्या इन गांवों के चारों तरफ के सभी गांवों में बिजली स्वीकृत होकर विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो इन गांवों को छोड़ने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार का इन गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाकर विद्युतीकरण करने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। प्रत्येक गांव के चारों तरफ के गांव विद्युतीकरण नहीं है।

(3) अभी कोई स्वीकृत योजना नहीं है। अतः निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

गंगानगर जिले के सम्पूर्ण गांवों के विद्युतीकरण की योजना

710. **श्री हरचन्द सिंह** (पीलीबंगा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री गंगानगर जिले का पूर्ण विद्युतीकरण कब तक हो जावेगा ? क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) श्री गंगानगर जिले के तहसील वार विद्युतीकृत गांव की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजस्थान के सभी जिलों के विद्युतीकृत गांवों के प्रतिशत सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि गंगानगर के गांवों का राजस्थान के अन्य जिलों के ग्रामों की तुलना में विद्युतीकरण कम हुआ है ?

(5) क्या सरकार इस विद्युतीकरण के असंतुलन को मिटाने हेतु इस वर्ष गंगानगर के गांवों में अधिक बिजली देने की सोच रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) पूर्ण विद्युतीकरण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है अतः इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

(2) जिले के विद्युतीकृत गांवों की तहसीलवार सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां।

(विद्युत मन्त्री)

(5) इस वर्ष गंगानगर जिले के 135 नये ग्रामों को वर्ष 1978–80 में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत के खंबे लगाने का आधार

711. **श्री नूरा** (मसूदा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विद्युत के कनेक्शन देते समय विद्युत हेतु खम्बे कहां कहां पर लगाने की नीति है ? क्या यह सही है कि परसराम नगर, ढेहर का बालाजी, जयपुर-12में बहुत से विद्युत खम्बे सड़क पर नहीं लगाये जाकर निवासियों के प्लाटों के अन्दर गाड़े गये हैं ? जिससे वहां के निवासियों में असंतोष व्याप्त है तथा लोगों को विद्युत करन्ट लगने का भय लगा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि प्लाट संख्या 1,2 एवं 3 परसराम नगर, ढेहर का बालाजी, जयपुर को विद्युत का कनेक्शन प्लाट के पिछले भाग से दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि पीछे की ओर जो विद्युत का खम्बा खड़ा कर रखा है वह किसी व्यक्ति के प्लाट के अन्दर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने सहायक अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जयपुर को कई बार प्रार्थना पत्र भेजकर उस खम्बे को उखाड़ने के लिये निवेदन किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या विद्युत बोर्ड उस खम्बे को उखाड़ कर प्लाट संख्या 1,2 व 3 के मालिकों को उनके सामने जो सड़क है, उसकी ओर खम्बा गाड़ कर कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विद्युत कनेक्शन देते समय आवश्यकतानुसार आर्थिक एवं तकनीकी सहायता के आधार पर बिजली के खम्बे लगाने की नीति है। परसराम नगर कृषि भूमि क्षेत्र है जिसके अनुमोदित नक्शे आदि नगर विकास न्यास द्वारा मण्डल को प्रेषित नहीं किये गये हैं। कृषि भूमि में सड़क पर खम्बे लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां।

(3) जी हां। कृषि भूमि क्षेत्र होने के कारण।

(4) जी हां। क्षेत्र के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) यदि खम्बे हटाने का खर्चा कोई देने को तैयार होगा तो मण्डल के नियमानुसार इन खम्बों को हटाकर तकनीक दृष्टि

(विद्युत मन्त्री)

से अन्य उपयुक्त स्थान पर लगा दिया जावेगा।

जयपुर जिले के तालाबों में चादर चलने से बेकार गया पानी

712. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में किन किन बांधों, तालाबों से चादर चलने के कारण कितना कितना पानी बेकार चला गया और इससे कितने जन धन की क्षति हुई ?

(2) क्या राज्य सरकार रामगढ़ बांध के पानी का सदुपयोग करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में जिन बांधों की चादर चलने के कारण पानी नदियों में बेकार चला गया सूची "क" संलग्न है। इस पानी के बहने के कारण सिंचाई विभाग को कोई क्षति नहीं हुई। जहां तक जन धन की क्षति का विषय है तहसील बस्सी के ग्राम बोराई पाईपुरा में 27 परिवार व तहसील दौसा के ग्राम रुगली में 2 परिवार, रायपुर में 17 परिवार, मौदा में 3 परिवार, हरिपुर में 13 परिवार व जसौदा में 7 परिवार बाढ़ से पीड़ित हुए।

(2) जी हां। रामगढ़ बांध की भराव क्षमता को 5 फुट ऊंचा करने की योजना विचाराधीन है। जिससे इसकी भराव क्षमता 20800 लाख घन फुट से बढ़कर 26500 लाख घन फुट हो जायेगी व 4560 एकड़ की अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

नोखा क्षेत्र के ग्रामों में विद्युतीकरण

713. श्री उदाराम हटीला (नोखा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नोखा सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र में जनता सरकार के आगमन के बाद विद्युत किन किन ग्रामों में पहुंचाई गयी तथा निकट भविष्य में किन किन गांवों को विद्युत मिलने की व्यवस्था है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

नोखा सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र में जनता सरकार के आगमन के बाद 7 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया तथा 9 ग्राम निकट भविष्य में विद्युतीकृत करने के लिये स्वीकृत हैं।

विद्युतीकृत ग्राम :

(1) पिथरासर

(2) जयसिंह देसर

(विद्युत मन्त्री)

(3) सीरणीवाला

(4) साधासर

(5) रासीसर बास पंचायती

(6) रासीसर बास वड़ा

(7) रासीसर बास तालड़िया

निकट भविष्य में विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत ग्राम :

(1) देससर पुरोहितान

(2) भामटसर

(3) जांगलू

(4) नोखा ग्राम

(5) किशनासर

(6) मोरखाना अगुना

(7) मोरखाना आथुना

(8) सिन्धु

(9) कोलासर पूर्वी

राज्य में लिपट सिंचाई योजनाएं

714. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कौन कौन सी लिपट सिंचाई योजनाएं कब कब से चालू हैं तथा उन पर कितना कितना धन कब कब खर्च हुआ और कितनी कितनी सिंचाई हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कौन कौन सी लिपट सिंचाई योजनाएं कितनी कितनी राशि की कब कब से विचाराधीन पड़ी हैं तथा उनकी स्वीकृति कब तक करदी जावेगी ?

(3) लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को अमल में लाने के लिए राज्य सरकार ने क्या नीति अपना रखी है ?

उत्तर

(1) सूची "क" संलग्न है।

(2) कोई भी नई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) राज्य में जहां जहां नदी, नालों अथवा देशों में पर्याप्त पानी उपलब्ध रखना और जिसका प्रयादिय सिंचन में उपयोग नहीं हो सकता उसको लिफ्ट योजनाओं द्वारा उपयोग में लिए जाने की राज्य सरकार की नीति है, किन्तु ये निकट योजनाओं में "लाभ व हानि" के आधार पर बनाई जा सकती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

लसारियां बांध की नहर की एलाइनमेंट एवं डिजाइन

715. श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर, पूर्व): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि लसारियां बांध की नहर का एलाइनमेंट एवं डिजाइन बार-बार

(श्री कल्याण सिंह सांखला)

बदल गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्तर

जी नहीं। लसारियां बांध की नहर का स्वीकृत एलाइनमेंट एवं डिजाइन नहीं बदला गया।

तहसील कुशलगढ़ में सिचाई के तालाब

716. श्री जिथिंग भाई (कुशलगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ में कितने सिंचाई के तालाब अभी विद्यमान हैं तथा उनसे कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है ?

(2) इस क्षेत्र में कितने तालाबों का सर्वे अभी तक किया जा चुका है और कितनों का और करना है ?

(3) इन तालाबों का निमाण कार्य कब तक चालू किया जा रहा है।

(4) कुशलगढ़ क्षेत्र के तालाबों के सर्वे हेतु कोई सर्वे सब डिवीजन कायम किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा तहसील कुशलगढ़ में 13 तालाब विद्यमान हैं जिसमें 5076 एकड़ भूमि में सिंचाई होती है।

(2) इस क्षेत्र में 9 तालाबों का सर्वे पूरा किया जा चुका है व 1 का करना बाकी है। सूची "क" संलग्न है।

(3) 6 तालाबों का वर्ष 1979–80 में चालू करने का प्रावधान लिया गया हैं।

(4) कार्यालय बांसवाड़ा जिले में 2 सर्वे उपखण्ड कार्यरत हैं अतः नये उप खण्ड खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

ग्राम सुरेरा की नदी पर बांध

717. श्री मदन सिंह दांता (दांतारामगढ़) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सुरेरा की नदी पर बांध बनाने की स्वीकृति हो चुकी है तथा कार्य भी शुरू हुआ था ? यदि हां, तो कितना कार्य हो चुका है और कितना बाकी है तथा यह कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में कई बांध बनाने हेतु मेरे द्वारा भूतपूर्व मन्त्री, वर्तमान मन्त्री जी को निवेदन किया गया था। अगर हां, तो किन किन बांधों को कब कब बनवाने हेतु

(श्री मदन सिंह दांता)

निर्णय लिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, कार्य दिनांक 5/12/1978 को शुरू हो चुका, अब तक 29,000/– रुपये व्यय हुए हैं। 1,33,739.00 रुपये का कार्य बकाया है। उक्त कार्य दिनांक 30/6/1979 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(2) बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के तहत निम्नलिखित कार्यों (जो दांतारामगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं) की स्वीकृति इस वर्ष 1978-79 में प्राप्त हुई है, एवं कार्य उसके सामने अंकित दिनांक को चालू करा दिये गये हैं :—

1. रानोली, त्रिलोकपुरा, व मेरपुरा कला प्रोटकान का कार्य रानोली रिवर 5/2/1979 से।

2. कोल कोछोर अन्य व गाईड अन्य का कार्य 8/2/1979 से।

3. दांतारामगढ़ गाईड बान्ध का कार्य 13/2/1979 से।

4. सुरेरा गाईड बान्ध का कार्य 5/12/1979 से।

उपरोक्त सभी कार्य 30/6/1979 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना हैं।

ग्राम पंचायत मण्डेसरा के तहत सिंचाई विभाग द्वारा फुटपाल नामक तालाब से निकाली गई नहर

718. श्री एच.एन.शर्मा (बेगूं) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत मण्डेसरा के तहत सिंचाई विभाग द्वारा फुटपाल नामक तालाब से सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं ? अगर हां, तो कुल कितनी लम्बी नहर निकाली गई है तथा इस नहर से कुल कितनी सिंचाई हो सकेगी ? तालिका मय गांव के नामों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या नहर कच्ची है ? अगर हां, तो इसे पक्की बनाने के बारे में राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

(3) उक्त तालाब की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है ?

(4) क्या उक्त तालाब से निकाली गई नहर को ग्राम रतनपुरा तक बढ़ाया जाये तो कितनी सिंचाई क्षेत्र में बढ़ौतरी होती है ? क्या ग्राम रतनपुरा तक उक्त नहर को बढ़ाने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। नहरों की लम्बाई 137 व चेन है। इन नहरों से मण्डेसरा एवं खालगांव की भूमि को ही सिंचित किया जा रहा हैं।

(सिचाई मंत्री)

इन नहरों से कुल 281 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी, जो निम्न प्रकार से है :–

1. ग्राम मण्डेसरा	152 एकड़
2. ग्राम खान	129 एकड़
	281 एकड़

(2) जी हां।

नहरे कच्ची है रिसाब को रोकने हेतु नहरों को पक्का करवाने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) उक्त तालाब की कुल सिंचाई क्षमता 339 एकड़ हैं।

(4) बांई नहर को रतनपुरा गांव तक बढ़ाने से लगभग 58 एकड़ सिंचित भूमि की बढ़ौतरी होगी। इसके लिये प्राक्कलन बनाया जा रहा है।

तहसील कुम्भलगढ़ का तलादरी बांध

719. श्री गोविंद सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कुम्भलगढ़ में बने तलादरी बांध पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) इस पर अकाल राहत की कितनी राशि व्यय हुई ?

(3) तलादरी बांध कब बन कर पूर्ण हुआ ?

(4) बांध के पूर्ण होने पर दो वर्ष बाद तक कितनी सिंचाई हुई तथा उसका कितना रुपया वसूल किया गया ?

(5) तलादरी बांध में कितनी जमीन डूब में आई ?

(6) तलादरी बांध से कुल सिंचाई किनने हैक्टर में हुई है ?

उत्तर

तलादरी बांध पर कुल 15.432 लाख रुपये व्यय किये गये।

(2) उपरोक्त 15.432 लाख में से अकाल राहत मद से 6.362 लाख रुपये यय किये गये।

(3) तलादरी बांध वर्ष 76–77 में बनकर पूर्ण हुआ।

(4) निम्न प्रकार सिंचाई एवं राशि वसूल हुई :—

वर्ष	सिंचाइ एकड़ में	राशि वसूल हुई
76–77	46–20 एकड़	480–56
77–78	12–76 एकड़	148–00
	58–96 एकड़	624–36

(5) तलादरी बांध से कुल 26 एकड़ जमीन डूब में आई।

(6) वर्ष 76–77 में कुल 18–48 हेक्टर सिंचाई हुई।

जैसलमेर जिले के रणों के मीठे बरसाती पानी के उपयोग की योजना

720. **श्री किशन सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जैसलमेर जिले को काणोत, लाणेला, बुज, बरमसन, रूपसीं, कांकनदी (नैय) आदि रणों के मीठे बरसाती पानी की विपुल राशि का उपयोग करने हेतु क्या राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां।

पानी की विद्युत राशि के उपयोग हेतु इन क्षेत्रों में बना तथा नई प्रस्तावित योजनाओं की कार्यवार सूचि सलंग्न हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

गोगून्दा क्षेत्र में राहत कार्यों के तहत तालाबों का निर्माण

721. **श्री भूरालाल** (गोगुन्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में राहत कार्यों के अन्तर्गत 20 तालाबों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था किन्तु वे सभी अधूरे पड़े हुए हैं ? क्या यह सही है कि आदिवासी सम्मेलन में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि दादिया बुझ, बगडून्दा, भादवीगुड़ा, मन्दार, ओबरा, सामल, ढीकोड़ा, गणावल, फुटिया का नाका, मोड़वा तालाब तथा और अन्य तालाबों को जो अधूरे हैं पूरा करा दिया जावेगा ? यदि हां, तो ये तालाब कब तक पूरे करा दिये जावेंगे ?

उत्तर

गोगुन्दा तहसील में सिंचाई खन्ड उदयपुर द्वारा कृषि अनुसार 20 तालाबों पर अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य कराया गया, इन तालाबों में भारोही, नान्देशना, चलवा, बुस शोभावास, बटेरी एवं सायरा तालाब पूर्ण हैं और सिंचाई हो रही है। रामेराव का तालाब पुराना बना हुआ है। बाकी सभी तालाब राहत कार्य बन्द हो जाने से अपूर्ण हैं।

अपूर्ण तालाबों के प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं व उनका सब लागत अनुपात ठीक होने के बाद ही कार्य पूर्ण कराये जा सकेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

ग्राम खासरवी तहसील सांचौर की हरिजनों के कब्जे में जमीन

723. **श्री नूरा** (मसूदा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खासरवी तहसील सांचौर जिला जालौर की खसरा नं० 362 तथा 367 तक की भूमि कई अनुसूचित जाति के लोगों के कब्जे संवत् 2013 से है ?

(श्री नूरा)

(2) क्या यह सही है कि वहां पर गोचर भूमि का रकबा 174 बीघा है जो कि मवेशियों की संख्या एवं गोचर भूमि की भूमि आवंटन से कई गुना ज्यादा है ?

(3) ग्राम पंचायत सूंथड़ी जिसमें खासरवी गांव आता है कि पंचायत ने अपनी बैठक दि० 6–10–77 में सर्व सम्मति से पास निर्णय नं० 10 में खसरा नं० 362 से 367 तक की भूमि की किस्म को बदल कर भूमिहीनों के बंटवारे करने का जिलाधीश द्वारा विरोध करने एवं मना करने का क्या औचित्य है ?

(4) ग्राम भूतेल तहसील सांचौर व ग्राम जैरल तहसील भीनमाल की भूमि कृषि योग्य बनाकर शरणार्थियों को भूमि बांटने का क्या कारण है ? जबकि ग्राम खासरवी की गौचर भूमि मवेशी की जरूरत से कई गुना ज्यादा है तथा ग्राम पंचायत को एतराज नहीं तो उसे क्यों नहीं बदली जा रही है और कृषि योग्य बनाकर भूमिहीनों को जिलाधीश, जालौर द्वारा न दिया जाने का क्या कारण है ?

(5) अब सरकार इस बारे में आगे कार्यवाही चलाने पर क्या विचार रखती है और कार्यवाही के कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

उत्तर

(1) ग्राम खासरवी के खसरा नं० 362 व 367 में संवत् 2013 से 2015 तक किसी भी अनुसूचित जाति का कब्जा बाबत नहीं रहा है संवत् 2016 में 2 व्यक्ति, संवत् 2019, 2020, 2322, तथा 2023 में एक, एक कोली जाति के व्यक्तियों का कब्जा काश्त रहा है। संवत् 2027 से कुल 28 व्यक्तियों का कब्जा काश्त है जिनमें से 26 नये अतिक्रमणी तथा 2 पुराने अतिक्रमणी हैं।

(2) ग्राम खासरवी में गौचर भूमि का रकबा 174 बीघा के बजाय 1747 बीघा है। वर्ष 77 की पशुगणना के अनुसार इस ग्राम में पशुओं की संख्या 831 व भेड़ व बकरी 1024 है। इस प्रकार मवेशियों की संख्या के मुकाबले गोचर अधिक उपलब्ध है।

(3) ग्राम खासरवी के खसरा नं० 362 से 367 तक की भूमि पर कुछ लोगों ने नाजायज अतिक्रमण किया था जिस पर तहसीलदार सांचौर ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत उक्त अतिक्रमण को हटा दिया था। जिसकी अपील जिलाधीश जालौर के कोर्ट में की गई जिसमें उक्त अपीलांट को अतिक्रमणी मानते हुए जुर्माना व भू-राजस्व का एक वर्ष के लगान का पांच गुना वसूल करने के आदेश पारित किये गये।

(4) ग्राम भूतेल तहसील सांचौर व ग्राम जैरल तहसील भीनमाल में 1971 में भारत-पाक संघर्ष में भारत में आए शरणार्थियों को राज्य सरकार को नीति के

(राजस्व मन्त्री)

अनुसार बसाया गया है। ग्राम खासरवी में गौचर भूमि यद्यपि ज्यादा है किन्तु वह भूमि नाकाबिले काश्त व बंजर है जिसमें घास का तिनका भी नहीं उगता है यह भूमि काबिले काश्त नहीं होने से आवंटन करना उचित नहीं है।

(5) उपरोक्त को देखते हुए अन्य कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

राजस्व अभियानों में आवंटित भूमि

724. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनता सरकार द्वारा संचालित राजस्व अभियानों में अब तक कुल कितनी भूमि का आवंटन हुआ ?

(2) उक्त भूमि में से कितनी भूमि अनुसूचित जाति के सदस्यों को और कितनी जन जाति के सदस्यों को तथा कितनी भूमि अल्पसंख्यकों को आवंटित की गई ?

(3) उक्त अभियानों में कितनी भूमि का नियमन किया गया और उसमें से खण्ड 2 में निर्दिष्ट वर्गों को कितनी-कितनी भूमि थी ?

(4) उक्त अभियानों में कुल कितने लोगों को खातेदारी के अधिकार दिये गये और उनमें खण्ड 2 में निर्दिष्ट वर्ग के कितने कितने लोग थे।

(5) उक्त अभियानों में अब तक कितने मामलों का खुली अदालतों में निर्णय किया गया तथा उनमें से कितने मामलों में ऊपर की अदालतों में मामले अपील निगरानी आदि में गये तथा कितने मामले नजर सानी हेतु आये ?

उत्तर

(1) जनता सरकार द्वारा संचालित राजस्व अभियानों में जो भूमि आवंटित की की गई है उसका विवरण निम्न प्रकार है:–

	वर्ष, 1977		वर्ष, 1978		योग	
	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा
नॉन कमाण्ड	61184	122883	37655	124110	98819	246993
कमाण्ड	12863	27627	5997	7734	17860	35671

(राजस्व मन्त्री)

(2) उक्त भूमि में से दोनों अभियानों में 42285 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति के सदस्यों को तथा 69281 एकड़ भूमि अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को आवंटित की गई अल्प संख्यकों को आवंटित की गई भूमि के आंकड़े अलग से संकलित नहीं किये गये।

(3) उक्त अभियानों में 123309 एकड़ भूमि का नियमन किया गया। परन्तु इसका वर्गवार विवरण संकलित नहीं किया जाता है।

(4) उक्त अभियानों में कुल 225426 मामलों में खातेदारी अधिकार दिये गये। इसमें भी वर्गवार सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(5) उक्त अभियानों में कुल 2398608 मामलों का खुली अदालतों में निर्गम किया गया। मामलों की विस्तृत सूचना संलग्न है। इसकी सूचना संकलित नहीं की जाती है कि राजस्व अभियान में जो लगभग 23 लाख मामले तय हुए हैं उनमें से कितने मामलों में ऊपर की अदालतों में मामले अपील निगरानी आदि में गये तथा कितने मामले नजरसानी हेतु आये।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

भूतपूर्व जागीरदार को अलाटेड जमीन पर कब्जा दिलाने बाबत कार्यवाही

726. **श्री राम नारायण चौधरी** (मण्डवा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदार ठा. दौलतसिंह को जयपुर जिले की तहसील जमवा रामगढ़ में सरकार की ठीक तथा पूर्ण जांच के बाद ही सूरजपुरा के भूतपूर्व जागीरदार के नाते 230 बीघा भूमि गांव कालवाड़ तहसील जमवा रामगढ़ में आवंटित सन् 66 में की गई और उस गरीब व्यक्ति को नियमानुसार पत्थर गढ़ी करा कर दखल भी दे दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस व्यक्ति दौलतसिंह (सूरजपुरा ठाकुर) को अभी तक भी सरकार ने स्टे देकर काबिज हुये भी इस अन्त्योदय में भी नामांतरण करण तथा खातेदारी नहीं दी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जागीरदार के सम्बन्ध में कलैक्टर जयपुर स्वयं 19 वी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट राजस्थान के तहत जांच कर रहे हैं जिसकी तारीख 19–2–79 है ? 3 वर्षों में भी जांच क्यों नहीं की गई ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ मन्त्री तथा उनके रिश्तेदार इस जांच को पूरा

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं होने देते क्योंकि वे भूमि को हड़पना चाहते हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार गरीब और मुहताज ठाकुर दौलतसिंह की इस आवंटित भूमि को स्वयं कलेक्टर तथा पुलिस के माध्यम से कानून के अनुरूप उसे सुपुर्द कराने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह सही है कि कुछ प्रभावशाली तथा गुण्डे लोग वहां पर कब्जा कर बैठे हैं ? क्या सरकार उनसे उक्त कब्जा खाली करा कर, सरकार उस ठाकुरके जीवन यापन का प्रश्न हल करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) श्री दौलतसिंह भूतपूर्व जागीरदार सूरजपुरा तहसील सांगानेर को ग्राम कालबाड़ा तहसील जमवा रामगढ़ में तत्कालीन उप-जिलाधीश (जागीर) जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 20-6-66 से 230 बीघा भूमि खुदकाश्त में आवंटन की थी। उक्त भूमि का कब्जा पत्थर गढ़ी करवा कर नहीं दिया गया था। उप-जिलाधीश जागीर के उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को उसी वक्त शिकायत प्रस्तुत हो गई थी। इसलिये राज्य सरकार ने यथा स्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश दि. 10-8-67 को जारी किया गया था।

(2) उक्त आवंटन के विरुद्ध अभी भी स्थगन आदेश प्रभावशाली हैं क्योंकि जांच रिपोर्ट जिलाधीश, जयपुर से प्राप्त नहीं हुई है।

(3) यह सही है, कि जिलाधीश, जयपुर उक्त जांच कर रहे हैं जिसमें आगामी तारीख पेशी सुनवाई 16-4-79 नियत है।

(4) यह सही नहीं है। इस भूमि पर किसी मन्त्री या उसके रिश्तेदार का कोई कब्जा नहीं बल्कि स्थानीय काश्तकारों का कब्जा बताया जाता है। जिसकी जांच चल रही है। रिपोर्ट आने पर ही सही स्थिति का पता चलेगा।

(5) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही राज्य सरकार उचित निर्णय लेने की स्थिति में होगी।

(6) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही राज्य सरकार उचित निर्णय लेने की स्थिति में होगी।

बीकानेर जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चुने गये परिवार

727 **श्री रामकृष्णदास गुप्ता** (कोलायत) : क्या अन्त्योदय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

बीकानेर जिले में सन् 1977-78 व 1978-79 में क्रमशः कितने कितने परिवार अन्त्योदय में चुने गए हैं ? उनको क्या क्या साधन दिए गए हैं और कब कब दिए गए हैं ? कृपया इसकी विस्तृत सूची तह-

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

सील वाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

बीकानेर जिले में प्रथम चरण में 2666 एवं द्वितीय चरण में 1900 परिवारों का चयन किया गया। प्रथम चरण में दिनांक 28-2-79 तक 274 व्यक्तियों को पेन्शन, 528 व्यक्तियों को भू-आवंटन, 33 व्यक्तियों को रोजगार, 889 व्यक्तियों को ऋण की सुविधाएँ एवं 694 व्यक्तियों को अन्य सुविधाएँ प्रदान कर लाभान्वित किया गया। द्वितीय चरण में दिनांक 28-2-79 तक 311 व्यक्तियों को पेन्शन, 576 व्यक्तियों को भू-आवंटन, 3 व्यक्तियों को रोजगार, 101 व्यक्तियों को ऋण की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं तहसील वाइज सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला डूंगरपुर के पटवारियों के आपातकाल में अनिवार्य सेवा निवृत्ति का मामला

728. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आपातकालीन समय में जिला डूंगरपुर में पटवारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया गया ? यदि हां, तो इनमें कितने व्यक्ति तथा उनके क्या क्या नाम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इन सभी पटवारियों को वापिस राजकीय सेवा में ले लिया गया ? जिनको राजकीय सेवाओं में लिया है उनके नाम क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला डूंगरपुर में केवल 11 पटवारियों को अनिवार्य सेवा निवृत किया गया था। सूची व परिशिष्ट (अ) संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। उक्त पटवारियों में से केवल 8 पटवारियों को पुनः राज्य सेवा में लिया गया है। सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

सांचोर में अनुसूचित जाति की धर्मशाला के लिये जमीन

729. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचोर में अनुसूचित जाति की एक सार्वजनिक धर्मशाला के लिए डाक बंगले के पास उनकी पुरानी कब्जा शुदा जमीन थी? अगर हां, तो कितनी एवं कब से कब्जा शुदा थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अनुसूचित जाति की धर्मशाला की कब्जा शुदा जमीन का कब्जा हटाने के आदेश

(ᓚᘏ)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तहसीलदार सांचौर ने दे दिये हैं? अगर हां, तो कब एवं क्यों ?

(3) क्या विभाग द्वारा कानूनी सहायता दिलाई जाकर उक्त धर्मशाला की जमीन वापस अनुसूचित जाति वालों को सरकार दिलाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त धर्मशाला का कब्जा हटाने के आदेश तहसीलदार सांचौर द्वारा दिये जाने के बाद अनुसूचित जाति वालों ने कलेक्टर जालौर के पास अपील की है? अगर हां, तो कब ?

(5) क्या सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये सार्वजनिक धर्मशाला के लिये मुफ्त इमारती पट्टा दे सकती है? अगर हां, तो उक्त मामले में विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही करवा कर अनुसूचित जाति धर्मशाला का मुफ्त पट्टा दिलवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सांचौर में अनुसूचित जाति की एक सार्वजनिक धर्मशाला के लिये डाक बंगले के पास आधा बीघा एक बिस्वा जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था।

(2) उक्त कब्जा नियमानुसार न होने से तहसीलदार द्वारा दिनांक 6-12-77 को कब्जे बेदखल से किया गया।

(3) यह कब्जा नाजायज था अतः इस मामले में अतिक्रमियों को कोई कानूनी सहायता देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(4) अनुसूचित जाति के लोगों ने दिनांक 20-1-78 को जिलाधीश सांचौर के न्यायालय में अपील की थी परन्तु वह अपील दिनांक 9-5-78 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज हो गयी।

(5) इस मामले में भूमि का आवंटन वास्ते सम्बन्धित व्यक्तियों का आवेदन पत्र मौजूदा में जिलाधीश को प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कोई आवेदन पत्र आया तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार करती है।

बूंदी जिले में सड़कों एवं भवनों के लिये प्रस्तावित धनराशि

730. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले में वर्तमान में 1978-79 में सड़कों एवं भवनों के लिये राज्य सरकार ने कितनी राशि प्रदान की और अब तक कितनी राशि खर्च हुई ?

(2) क्या यह सही है कि बरड़ क्षेत्र में जो सड़कें बनाई गई हैं वह नाम मात्र की हैं तथा उनमें पूरी तरह से सामान नहीं

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

लगा जिससे एक बारिश में ही सड़कें खराब हो जायेंगी ?

(3) क्या बून्दी जिले में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य किये जाते हैं वे उनकी (अधिकारियों) लापरवाही के कारण पूरे नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष 78–79 में बून्दी जिले में सड़कों व भवनों के लिये कुल राशि 95.09 लाख रुपये फाइनल रिव्यू के अनुसार रखी गई है। जिसमें से 68.25 की राशि लाख रुपये फरवरी के अन्त तक खर्च हो चुकी हैं।

(2) यह सही नहीं है।

(3) जी नहीं। विभिन्न पदों में कार्य प्रगति पर है।

विभिन्न जिलों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु धन राशि

731. **श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़): क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में इस वर्ष बाढ़ से हुए क्षतिग्रस्त भवनों की सुरक्षा एवं मरम्मत हेतु विभिन्न जिलों व संस्थाओं को राहत विभाग द्वारा कितनी धन राशि आवंटित की गई ? जिलेवार व संस्थावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के सभी संस्कृत कालेजों के भवनों को धनराशि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो क्या चिराना जिला झुंझुनूं की संस्कृत कालेज व सैकण्डरी स्कूल के भवन को कोई धन राशि आवंटित नहीं की गई जब कि यह इलाका सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है ?

(3) उक्त धन राशि में से कितनी धनराशि अब तक खर्च की जा चुकी है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार ने इस वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की सुरक्षा एवं मरम्मत हेतु लगभग 60·00 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। जयपुर जिले के सभी संस्कृत कालेजों के भवनों की धनराशि आवंटित नहीं की गई है। इसी प्रकार अन्य जिलों में कुज भवन रह गये हैं।

(3) आवंटित धनराशि का उपयोग किया जा रहा है और खर्च शुदा राशि का विभिन्न अभिकरणों से पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

बाढ़ से बचाने हेतु स्वीकृत धन राशि

732 **श्री आर. डी. यादव** (चौमूं) : क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री आर. डी. यादव)

(1) राज्य के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव एवं निर्माण कार्यों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जयपुर जिलान्तर्गत आवंटित धनराशि में किस किस विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ करवाये गये हैं तथा किस किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या जयपुर जिला अन्तर्गत चौमूं क्षेत्र के उदयपुरियां नला एवं मेंढा नदी पर हस्तेडा ग्राम की पाल का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है? क्या उसका प्रस्ताव सिंचाई विभाग एवं जिलाधीश ने भेज दिया है? अगर हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव एवं निर्माण कार्यों के लिए आवंटित धनराशि की जिलेवार सूची सदन की पटल पर रख दी है। कुल 6 करोड़ 60 लाख के लगभग राशि आवंटित की गई है।

(2) अभिकरणवार जिला जयपुर में आवंटित राशि का विवरण इस प्रकार है :—

नाम विभाग	कार्यों की संख्या	आवंटित-राशि (लाखों में)
सार्वजनिक निर्माण विभाग		
(अ) सड़क निर्माण	27	73.00
(ब) भवन निर्माण कार्य	41	9.66
सिंचाई विभाग के कार्य	16	22 00
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के कार्य	4	20.50
पंचायत एवं विकास विभाग के कार्य	24	3.40
योग	112	128.56

प्राप्त सूचना के आधार पर लगभग सारे कार्य चालू हो गये हैं।

(3) चौमूं क्षेत्र के उदयपुरिया नाला एवं मेढा नदी पर हस्तेड़ा ग्राम को पाल के बाढ़ नियन्त्रण कार्य राहत विभाग से स्वीकृत नहीं किये गये हैं उक्त दोनों कार्यों के लिये जिलाधीश जयपुर ने नवम्बर, 78 के अन्तिम पक्ष में मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग को प्रस्ताव भेजे थे। उक्त प्रस्ताव माह मार्च, 79 में सिंचाई विभाग द्वारा राहत विभाग को भेजे गये प्रस्ताव देरीना होने के कारण अब स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

ग्राम उम्मेदपुर से हरजी तक डामर रोड

733. श्री गोपाल सिंह (आहोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उम्मेदपुर ग्राम से ग्राम हरजी तक पक्की (डामर) सड़क बनाने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ किया जावेगा ? कितनी धन राशि इस कार्य हेतु मंजूर की जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) इसी ग्राम उम्मेदपुर से ग्राम हरजी सड़क (कच्ची) पर जवाई नदी पड़ती है ? क्या वहां राज्य सरकार किसी तरह की पुलिया बनाने की भी योजना रखती है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक शुरू करवाया जायेगा ? राज्य सरकार इस कार्य हेतु कितनी धन राशि मंजूर करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उम्मेदपुर से हरजी पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है इसकी अनुमानित लागत 11.00 लाख रु. है।

(2) इसी सड़क पर गांव हरजी के पास जवाई नदी पर पुल का कार्य भी छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

राज्य स्तरीय उच्च मार्ग के सम्भाग धौलपुर-सरमथुरा को चौड़ा करने का मामला

734. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य स्तरीय उच्च मार्ग के सम्भाग धौलपुर-सरमथुरा पर ट्रक और बसों के चलने का औसत प्रति 5 मिनट में 3 है ?

(2) क्या इस मार्ग पर प्रतिदिन चलने वाली वाहनों के अधिक चलने के कारण राज्य सरकार इसको चौड़ा करना चाहती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस मार्ग की पुलिया नाले और पुलों को बनाने के टेंडर हो जाने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं और एक चिलाचोद की पुलिया का निर्माण कार्य 6 साल में भी पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो कार्य क्यों नहीं चल रहा है और अब कब तक प्रारम्भ होगा तथा कार्य न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

(4) क्या यह सही है कि धौलपुर क्षेत्र में सड़कें अधूरी पड़ी हैं और धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है ? सड़कों की सूची तथा स्वीकृत धन की सूची सड़क वार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) धौलपुर उपखण्ड में बन रहे चम्बल नदी के पुल को कब तक बन जाना चाहिये था और उसके विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या विलम्ब के लिये उत्तरदायी

(श्री जगदीशसिंह)

अधिकारी वर्ग को दण्डित करने का राज्य सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) धौलपुर खण्ड को वर्ष 1978-79 में कितना धन निर्माण तथा वार्षिक अनुदान पर मरम्मत के लिये स्वीकार हुआ तथा कहां कहां कितना धन व्यय हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या यह सही है कि उप खण्ड की शाखाओं की मरम्मत वर्षों से नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों, और अब कब तक पूरी मरम्मत हो जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। इस सड़क पर औसतन 24 घंटे में 150–180 भारी वाहन चलते हैं।

(2) इस सड़क को चौड़ा करने के प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन हेतु प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

(3) उचित कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) यह सही नहीं है। क्योंकि ज्यादातर सड़कों पर बजट प्रावधान के अनुसार कार्य प्रगति में लेकर पूर्ण कराये जा रहे हैं और धन का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है।

(5) इस नदी के पुल का काम बहुत बड़ा है और नवीनतम आधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके डिजाइन इत्यादि की स्वीकृति केन्द्र सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। समय लगना स्वाभाविक है। इसके अलावा सीमेंट व लोहे की उपलब्धि के अभाव के कारण कुछ बाधा पड़ती है। कार्य प्रगति पर है और शीघ्र कराया जा रहा है।

(6) धौलपुर खण्ड को वर्ष 1978-79 में 101000 – की राशि निर्माण हेतु एवं 38 19 लाख की राशि सालाना मरम्मत एवं आवश्यक मरम्मत हेतु स्वीकृत हुई है। सूची संलग्न है।

(7) यह सही नहीं है क्योंकि उप खण्ड की शाखाओं की मरम्मत बजट प्रावधान के अनुसार हर साल की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राजस्थान में सेवारत आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस. एवं आर. पी. एस. अधिकारी

735. **श्री करतारसिंह** (किशनगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्तमान में राजस्थान राज्य में सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी कौन कौन हैं तथा कहां कहां, किस किस पद पर कार्यरत हैं ? कृपया पृथक पृथक सेवा की, पृथक पृथक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्ताकालय में रखी गई)

विभिन्न विभागों में कार्यरत केजुअल लेबर

736. **श्री गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में विभिन्न विभागों में करीब कितने केजुअल लेबर इस समय कार्यरत हैं ?

(2) ऐसे कितने विभाग हैं जिनमें पिछले 5 वर्षों से अब तक केजुअल लेबर लगाए हुए रखने पड़े हैं ?

(3) कम से कम कितने केजुअल लेबर को लगाए रखना पड़ता ही है क्या राज्य सरकार इनकी सर्विस में 240 दिनों के बाद ब्रेक देना बंद कर स्थाई करेगी ?

उत्तर

(1) इस समय अभियांत्रिक विभागों में लगभग कुल 22,370 केजुअल लेबर कार्यरत हैं।

(2) केजुअल लेबर सामान्यतः सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग एवं सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं। पिछले वर्षों में इस प्रकार कोई निश्चित संख्या नहीं रखी गई।

(3) ऐसी कोई संख्या निश्चित नहीं है। वर्कचार्ज कर्मचारी नियमों के अनुसार 2 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर केजुअल श्रमिकों को अस्थाई बना दिया जाता है।

पर्यटन विभाग या निगम द्वारा संचालित होटल, बंगले आदि

737. **श्री बजरंग लाल शर्मा** (वनी पार्क) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पर्यटन विभाग या निगम द्वारा संचालित होटल, बंगले आदि पिछले 5 वर्षों से राज्य में घाटे में चले हैं या मुनाफे में ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पिछले दो वर्षों में राज्य में कितने पर्यटन स्थल निर्माण किये गये ? वो कौन कौन से हैं और उन पर कितना कितना व्यय हुआ ?

(3) पिछले पांच वर्षों में वर्षवार विदेशी ट्यूरिस्टों का क्या ट्रैफिक रहा। अनुमानतः राज्य को उससे कितनी कितनी आय हुई ?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा चलाये गये बंगलों के लेखा, व्यापारिक पद्धति से नहीं

(पर्यटन मन्त्री)

रखे जाते। सिर्फ आय एवं व्यय के लेखे ही रखे जाते हैं अतः घाटे में चल रहे हैं या मुनाफे में, यह नहीं बताया जा सकता है। पिछले पांच वर्षों में हुई आय एवं व्यय के निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	आय	व्यय रुपया
73–74	2,95,913	2,42,091
74–75	4,53,623	4,32,444
75–76	7,80,018	6,68,645
76–77	12,43,198	9,72,013
77–78	22,39,715	21,51,527

(2) पिछले दो वर्षों में जिन पर्यटक स्थलों एवं पर्यटक आवास गृहों पर निर्माण कार्य कराया गया उनकी सूची संलग्न है :

(3) पिछले पांच वर्षों में राज्य में आये विदेशी पर्यटकों की संख्या एवं उनसे राज्य की हुई अनुमानित आय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या	अनुमानित आय (रुपये लाखों में)
1974	55,781	111.00 लाख
1975	66,207	132.00 लाख
1976	92,275	185.00 लाख
1977	125,112	626.00 लाख
1978	1,60,000	800.00 लाख

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

राजस्थान में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आवासीय व्यवस्था

738. **श्री नरपतराम बरवड़** (सूर सागर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि दिनांक 8–6–78 को राजभवन गैस्ट हाउस में मुख्य न्यायधीश राजस्थान हाईकोर्ट व मुख्य मंत्री के बीच वार्ता के दौरान यह तय किया गया था कि राजस्थान में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्वार्टर्स ईयर मार्कड दिए जायेंगे? अगर हां, तो किन किन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को ईयर मार्कड क्वार्टर्स दिये गये हैं? व किन किन को नहीं दिए गए हैं व जिन्हें नहीं दिए गए हैं उन्हें कब तक दे दिये जायेंगे?

उत्तर

जी हां। दिनांक 22–7–78 को आयोजित बैठक में राजस्थान के समस्त जिलों में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के लिये आवास गृह ईयर मार्कड दिये जाने का निर्णय लिया गया था जिसकी अनुपस्थिति में निम्न जिलों में आवास गृह आरक्षित किये जा चुके हैं तथा अन्य जिलों में भी आरक्षित किये जाने की कार्यवाही जिलाधीशों के स्तर पर की जा रही है :—

1. झुन्झुनू।
2. चित्तौड़गढ़।
3. बूंदी।

(मुख्य मन्त्री)

4. जालौर।
5. उदयपुर।
6. कोटा।
7. झालावाड़।
8. जैसलमेर।
9. सीकर।
10. बांसवाड़ा।
11. सिरोही।
12. अजमेर।
13. नागौर।
14. डूंगरपुर।
15. जोधपुर।
16. पाली।
17. अलवर।
18. टौंक।

समाज कल्याण विभाग में राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा ग्रुप में कार्यरत व्यक्ति

739. **श्री गुलाब सिंह कटारिया** (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग में राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा ग्रुप में कौन कौन व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ? उनके नाम योग्यता एवं कार्य करने की तिथि अंकित करते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) समाज कल्याण विभाग में राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा ग्रुप में. जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनकी वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इन सेवाओं में जो कार्य कर रहे हैं उनमें पदोन्नति देने में गम्भीर अनियमितता हुई है ? यदि हां तो राज्य सरकार उनमें सुधार करके, जो व्यक्ति इन अधिकारों से वंचित रह गये हैं उनकी पदोन्नति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या दिनांक 1-1-79 को शम्भुपुरी गोस्वामी की पदोन्नति की गई थी ? वह गलत थी जबकि उनकी जगह श्री समरेश चटर्जी की नियुक्ति की जानी चाहिये थी ? श्री गोस्वामी की नियुक्ति किस आधार पर की गई ? नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि एवं नियम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या कुछ व्यक्तियों की सेवायें दो वर्ष बाद नियमित की गई उसमें शम्भुपुरी गोस्वामी भी था और उसको 2 जुलाई, 76 की सूची में जोड़कर पदोन्नति की गई है ? इनकी नियमित की गई सूची एवं जो कमेटी द्वारा कार्यवाही की गई उसकी प्रतिलिपि एवं 2 जुलाई, 76 की कमेटी द्वारा नियमित की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि एवं नियमित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या राज्य सरकार श्री शम्भुपुरी गोस्वामी को हटाकर अन्य व्यक्ति का पदोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग में राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा ग्रुप में कार्यरत अधिकारियों की सूची, योग्यता एवं कार्य करने की तिथि अंकित करते हुए संलग्न है।

समाज कल्याण विभाग में राज्य सेवा में कार्यरत अधिकारियों की कोई वरिष्ठता सूची अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है। अधीनस्थ सेवा ग्रुप ए ए-2ग्रुप बी,डी, एवं जी में कार्यरत छात्रावास अधीक्षको की अन्तिम वरीयता सूची संलग्न है। शेष ग्रुपों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वरीयता सूची को अन्तिम रूप दिया जाना विचाराधीन है।

(3) समाज कल्याण विभाग में राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवाओं में पदोन्नति देने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है तदुपरान्त भी किसी व्यक्ति विशेष का कोई प्रतिवेदन आया तो उस पर नियमानुसार विचार किया जावेगा।

(4) जी नहीं। श्री शम्भूपुरी गोस्वामी को पदोन्नत करने के आदेश दिनांक 1-1-79 को नहीं किये गये बल्कि यह आदेश 1-12-78 को किये गये हैं। यह आदेश गलत नहीं है। चयनित समिति द्वारा चयनित व्यक्तियों को योग्यता सूची में श्री शम्भूपुरी गोस्वामी श्री समरेश चटर्जी से वरीय स्थान पर थे। श्री गोस्वामी को अधिनस्थ सेवाओं के ग्रुप "बी" के पद हेतु नियम 6 (4) के तहत गठित स्क्रीनिंग कमेटी के की शिफारिश को दिनांक 2-7-76 से नियमित रूप से नियुक्ति किया गया। तदुपरान्त अस्थाई रूप से चयन हेतु बनाई गई योग्यता क्रम सूची के अनुसार इन्हें नियुक्ति दी गई। नियुक्ति आदेश को प्रतिलिपि संलग्न है।

(5) जी हां। आदेश क्रमांक एफ 1(6) सक 16।127 दिनांक 2-7-76 एवं आज्ञा क्रमांक एफ 1(1) (6) सक 78। 1531 दिनांक 30-8-78 संलग्न है। जहां तक स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही विवरण का प्रश्न है वह गोपनीय दस्तावेज है अतः उसकी प्रतिलिपि संलग्न किया जाना उचित नहीं है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमित किये गये व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(6) श्री शम्भूपुरी गोस्वामी को प्रचलित नियमों के अनुसार पदोन्नति दी गई है। अतः उन्हें हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को पदोन्नति कर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य के नमक उत्पादन क्षेत्र

741. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कौन कौन से स्थानों पर कहां कहां पर कितने कितने क्षेत्रफल के नमक क्षेत्र हैं ? इन क्षेत्रों को घोषित करने

(श्री हरीराम बु ड़ क)

की तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त नमक क्षेत्रों में इस समय किस किस को कितने कितने क्षेत्रफल के प्लाट कब कब से एलाट किये हुए हैं तथा उन्होंने कब कब कितने कितने क्षेत्रों पर कार्य शुरू किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कौन कौन से क्षेत्रों में कितने कितने क्षेत्रफल के कितने कितने प्लाट एलाट किये बिना पड़े हैं तथा पड़े रहने के कारण क्या हैं ?

(4) इस समय एलोटमेंट के सम्बन्ध में क्या नियम बने हुए हैं ? नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) नमक क्षेत्र में प्लाटों का आवंटन तथा उनके हस्तांतरण के सम्बन्ध में तथा किसी प्रकार की अन्य कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब कब क्या क्या और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? नमक क्षेत्र वाइज सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) राज्य सरकार द्वारा एलाटमेंट के समय लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किन-किन ने कब कब किया और उस पर कब कब क्या क्या कार्यवाही की गई ? नमक क्षेत्र वाइज सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान में स्थित नमक क्षेत्रों का ब्योरा क्षेत्रफल, घोषित करने की तिथी सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में क्षेत्रवार आवंटित इकाइयों की सूची, भूखंड की संख्या, भूखंड का क्षेत्रफल आवंटन की तिथि सूची 'ख' सदन के पटल पर रख दी गई है। किस किस लवण निर्माता द्वारा कब कब कार्य प्रारम्भ किया गया, के विषय में पूर्ण सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(3) वर्तमान में किस किस क्षेत्र कितने कितने भूखण्ड रिक्त हैं, सम्बन्धी सूचना रिक्त होने के कारण आदि की सूची 'ग' सदन की पटल पर रख दी गई है।

(4) राजस्थान भूराजस्व (लवण क्षेत्र) आवंटन नियम, 197) के अन्तर्गत आवंटन होता है। नियमों की प्रतियां 'सूची'घ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) आवंटन हस्तांतरण/भागीदारी के सम्बन्ध में की गई शिकायतें प्राप्त हुईं, उनका विवरण तथा उनमें की गई कार्यवाही सूची 'च' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6) शर्तों के उल्लंघन में फलस्वरूप भूखण्डों का निरधीकरण किया गया, जिनके विषय में सूचि 'छ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

56

नमक क्षेत्रों में नमक बनाने हेतु दी गई भूमि का एलोटीज द्वारा नाजायज उपयोग

742. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नमक क्षेत्रों में नमक बनाने के लिए दी गई भूमि का एलोटीज ने शर्तों का उल्लंघन करके उसको बेचा है या अन्य व्यक्तियों को स्थानान्तरित किया है ? यदि हां, तो कब कब, किन किन ने किस प्रकार से ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस प्रकार से शर्तों के उल्लंघन करने के कारण सरकार ने कोई एलाटमेंट शुदा भूमि को स्थगित भी किया है ? यदि हां, तो कब कब, कौन कौन सी ? सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार ने इस बात की जांच की है कि नमक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व स्वर्णकारों को सहकारी समितियों आदि की जो भूमि प्राथमिकता के आधार पर दी थी वो उनके पास है और किन्हीं दूसरों को नहीं दी है और नहीं तो अब कब करायेंगे और उनके पास वक्त भूमि न होने की सूरत में क्या क्या कार्यवाही करेंगे ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) शर्तों का उल्लंघन कर, 30 एकड़ भूमि रिण-गोकरण में श्री कानूराम कन्हैया लाल ने बिना राज्य सरकार की सहमति प्राप्त किये श्री प्रेमचन्द जैन के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी थी। राजस्थान भूराजस्व लवण क्षेत्र आवंटन नियम, 1962 बनने से पूर्व के भपार व आपरिण तहसील फलौदी के भूखंडों को कब्जेदारी के पक्ष में नियमित करने की राज्य सरकार की नीति है। राज्य सरकार से उक्त हस्तान्तरण की सहमति श्री प्रेमचन्द के पक्ष में दिनांक 29-1-79 को दे दी है।

(2) राज्य सरकार द्वारा किसी भी अलाटमेंटशुदा भूमि को स्थगित नहीं किया गया है।

(3) अनुसूचित जाति के आवंटितियों में से केवल लालछापर में श्री रामचन्द्र बेरवा एवं एक भागीदार श्री सौलामल ने भागीदारी से मुक्त होने का प्रार्थना पत्र दिया था और जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृत किया। मगर रिण में श्री यमनाराम की मृत्यु पश्चात् यह भूखंड उनके शेष भागीदारों के पास हस्तान्तरित किया गया है। भलार व आधारिण में पूर्व के मामलों को नियमित किया जा रहा है और उनमें से कौन मूल कब्जेदारी अनुसूचित जाति का हैं, के विषय से सूचना सम्मिलित नहीं की गई है।

स्वर्णकारों की दो सहकारी समितियों को भूमि लालछापर जिला चूरू में दी गई थीं उनमें से समिति नागौर राजस्थान

(उद्योग मन्त्री)

नमक उत्पादक सहकारी समिति कार्यरत है। दूसरी छापर स्वर्णकार न० प० समिति के सदस्यों के त्यागपत्र दिये जाने के कारण तथा सहायक पंजीयक सहकारी समिति चूरू की अभिलाषा के अनुसार तथा समिति के प्रस्तावनुसार यह भूमि शेष सदस्य श्री बंगालाल डालभवन के नाम हस्तान्तरित कर दी गई। दोनों सहकारी समितियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो सहकारी विभाग को जांच हेतु भेजी गई है।

पहाड़ी क्षेत्रों में भू-कटान की विभत्स समस्या

743. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में भू-कटान की विभत्स समस्या के समाधान तथा वनों के विकास के लिये राज्य सरकार के क्या-क्या कार्यक्रम हैं? इस सम्बन्ध में प्रस्तावित भनोत कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस सम्बन्ध में आयुक्त जन जाति विकास विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी के निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भू-कटान को रोकने और वन विकास सम्बन्धी निम्न कार्यक्रम प्रगति से हैं।

1. पहाड़ी क्षेत्र में भूसंरक्षण
2. परिभाषित वनों का सुधार
3. परिभाषित श्री का पुर्नीरपण
4. परिभाषित वनों का संलगन
5. नदी घाटी योजना क्षेत्र मे भू-सरंक्षण।

भनोत कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचारधीन है।

(2) संगोष्ठी की सिफारिशों के विवरण की प्रति संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

जालौर जिले में भेड़ों की अधिक संख्या

744. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या भेड़ एवं ऊन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में भेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होते हुए भी भेड़ सुधार एवं विकास हेतु अब तक कोई विशेष योजना लागू कर कोई कार्य नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों, अगर नहीं, तो जिले में कहां पर क्या 2 कार्य किये गए हैं? जिला जालौर में

(श्री रघुनाथ विनोई)

कौनसी भेड़ों की नस्ल पाई जाती है एवं जिले में कुल भेड़ों की संख्या क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला जालौर में भेड़ चरने के लिए कोई चरागाह नहीं है ? अलर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कहाँ 2 पर कितने कितने बीधा की चरागाह भेड़ों के लिए सुरक्षित की गई हैं एवं किस किस भेड़ चरागाह में कितनी कितनी भेड़ चराई जाती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जिला जालौर की भेड़ों के लिये सारे देश में भेड़ पालक भेड़ चराने की तलाश में मारे मारे फिरते हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार भेड़ों को चराने के लिए कोई विशेष चरागाह सुरक्षित कर वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था कर भेड़ पालकों के लिए कोई विशेष योजना हाथ में लेना चाहेगी ? अगर हां, तो ऐसी क्या योजना कहां पर मजूंर की जाकर लागू की जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि भेड़ों के उपचार हेतु भी जिला जालौर में विभाग द्वारा अब तक कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) जिला जालौर की भेड़ों की ऊन सरकार द्वारा अच्छे भावों पर खरीद करने के लिए भेड़ पालकों को विभाग द्वारा अभी तक कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कहां पर क्या क्या सुविधाएं भेड़ पालकों को ऊन खरीदने की दी गई हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला जालौर में भेड़ों की संख्या को मद्दे नजर रखते हुए वहां पर एक जिला भेड़ ऊन कार्यालय स्थापित किया हुआ है। इस जिले में भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र जालौर, आहोर, भीनमाल, सांचौर एवं सांयला में स्थापित किए हैं।

वर्ष 78–79 में जनवरी, 79 तक प्रसार केन्द्रों के अन्तर्गत निम्न कार्य किया गया है :—

भेड़ों का बधियाकरण	4410
ई. टी. वी. के टीके लगाना	3544
भेड़ों का इलाज करना	18790
भेड़ों को दवा पिलाना	109046
भेड़ पालकों की बैठक	143

डी.पी.ए.पी. योजना के अन्तर्गत 100 हेक्टर के 22 भूखण्डों पर चरागाह विकास किया जा रहा है।

जालौर जिले में भेड़ों की संख्या 4,97,935 है और इस क्षेत्र में मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं।

(2) पर्याप्त चरागाह नहीं हैं।

100 हैक्टर के 22 भूखण्डों पर भेड़ चरागाह विकास का कार्य किया जा रहा है।

(भेड़ एवं ऊन मंत्री)

13 भूखण्डों पर 682 भेड़ें भेड़पालक सहकारी समिति की सदस्यों की रखी हुई हैं। (सूची संलग्न है)

(3) जी हां। यह सही है कि इस क्षेत्र की अधिकांश भेड़ें चरने हेतु निष्क्रमण पर जाती हैं। राज्य सरकार ने एक निष्क्रमण प्रकोष्ठ भेड़ व ऊन विभाग में स्थापित किया है। यह प्रकोष्ठ इस सयम भेड़ों के निष्क्रमण के संबंध में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार करेगा जिससे की यह निर्धारित किया जा सके कि निष्क्रमण पर जाने वाली भेड़ों की संख्या कहां तक सीमित की जा सकती है उन्हें किन-किन क्षेत्र में चरागाह उपलब्ध कराया जाये। प्रकोष्ठ की रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी नहीं।

भेड़ों का उपचार जालौर जिले में स्थापित प्रसार केन्द्रों एवं पशु चिकित्सालयों द्वारा किया जाता है इनके मार्फत भेड़ों को दवा पिलाना, इ, टी. वी. एवं माता के और अन्य बीमारी के टीके लगाना, भेड़ों का इलाज करना और अनुपयोगी भेड़ों का वधियाकरण शामिज है। इस कार्य का विवरण प्रश्न खंड एक में दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत 78-79 में जनवरी, 79 तक 31, 970 भेड़ों को टीके लगवाये, 1,67,819 भेड़ों को कृमिनाशक दवाई पिलाई एवं 39,087 भेड़ों का सामान्य उपचार किया गया।

(5) जिला जालौर की भेड़ पालकों की सहकारी समितियों से ऊन खरीदने की, फ्लरेशन द्वारा व्यवस्था है।

जिला जालौर में भेड़ पालकों की ऊन विभाग द्वारा प्रति वर्ष ऊन क्रय योजना के अन्तर्गत क्रय की जाती रही थी। अब राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व उन विपणन फेडरेशन की स्थापना के पश्चात् यह कार्य इसके माध्यम से किया जा रहा है। जालौर जिले में अगस्त–सिदम्बर, 1978 कल्पन में निम्न प्रकार से उन क्रय की गई :—

1.	जालौर	772–600
2.	सायला	1195–000
3.	भीनमाल	1135–000
4.	सांचौर	411–000
5.	आहौर	104–000

फेडरेशन द्वारा भेड़ पालक सहकारी समितियों से ऊन खरीदी जाती है। सहकारी समितियों द्वारा ऊन फेडरेशन को बेचाने पर 20 पैसा प्रति कि. ग्राम फेडरेशन कमीशन के रूप में भुगतान किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

(60)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10-3-79)

भूतपूर्व मारवाड़ राज्य की सरदार समन्द एस्टेट में राजस्व की बकाया

6. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में भूतपूर्व मारवाड़ राज्य के राजस्थान में विलय के समय भूतपूर्व महाराजा ने अपनी निजी सम्पत्ति में सरदार समन्द एस्टेट को रखा था ? यदि हां, तो उक्त सम्पत्ति की सीमा बताई जावे ?

(2) क्या उक्त सम्पत्ति की राजस्व की वसूली भी राज्य सरकार ही भूतपूर्व महाराजा की तरफ से करती रही है ?

(3) क्या सरदार समन्द एस्टेट का दी राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन ग्राफ लैण्ड ग्रोनर्स एस्टेट एक्ट, 1963 के प्रावधानान्तर्गत एक्वीजीशन किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस तारीख से ?

(4) क्या राज्य सरकार के उक्त एक्वीजीशन के ग्रादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट पेश की गई ? यदि हां, तो उसका एक्वीजीशन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

(5) क्या राजस्व अधिकारियों को सरदार समन्द एस्टेट में धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही करने का कोई कानूनी ग्रौचित्य एक्वीजीशन के पूर्व नहीं था ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में किन-किन में कितनी-कितनी राशि 91 ग्रार. एल. ग्रार. एक्ट के तहत किये गये जुर्माने की कायम की गई व कितनी वसूल की गई ? सरकार इस तहत की गैर कानूनी मांग को रद्द करने के बारे में क्या विचार रखती है ? नाजायज वसूल की गई राशि को कब तक पुनः गरीब कृषकों को लौटा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सरदार समन्द एस्टेट का क्षेत्र 50735-11 बीघा था।

(2) जी नहीं। भू-राजस्व की वसूली राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व महाराजा की ग्रोर से नहीं की गई है।

(3) सरदार समन्द एस्टेट का राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन ग्राफ लैण्ड ग्रोनर्स एस्टेट, एक्ट, 1962 तथा (संशोधित 1975) के प्रावधानों के ग्रन्तर्गत जिलाधीश जोधपुर के ग्रादेश क्रमांक राजस्व 75/280 दिनांक 14-1-76, दिनांक 25-2-76 एवं ग्रादेश दिनांक 5-3-76 की पालना में दिनांक 21-1-76 व 9-3-76 को कुल 17114-11 बीघा भूमि का कब्जा राज्य सरकार के हित में प्राप्त किया गया। शेष भूमि का कब्जा माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन ग्रादेश के कारण ग्रब तक नहीं लिया जा सका।

(4) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थगत ग्रादेश के कारण भूतपूर्व महाराजा जोधपुर के व्यक्तिगत काश्त

(राजस्व मंत्री)

(पर्सनल कल्टीवेटर) के अन्तर्गत आई हुई भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सका।

(5) सरदामन्द एस्टेट के एक्वीजीशन के पूर्व राजस्व अधिकारियों को उक्त एस्टेट से संबंधित भूमि में राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं था पर 70 मामलों में जिसमें कार्यवाही की गई। इन मामलों में कुल 17655·99 पैसे की मांग कायम की गई व रुपये 881·41 की वसूली की गई व मांग को कम करने एवं वसूल शुदा राशि को लौटाने वायद बांध कराकर कार्यवाही की जायेगी।

स्यगत प्रश्न

(दिनांक 10-3-79)

रेलवे फाटकों पर तैनात कर्मचारियों का वेतन

13. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रेल्वे लाइनों पर स्थित रेल फाटक को चौबीसों घन्टे खुला रखने हेतु जो विशेष व्यक्ति तैनात होता है उसका पूर्ण अथवा आंशिक वेतन व्यय राज्य सरकार को भी देना पड़ता है ? यदि हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया है ?

(2) गत पांच वर्ष में राज्य सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था पर कितनी धन राशि खर्च की ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि रेल्वे लाइनों पर स्थित फाटकों पर विशेष व्यक्ति तैनात करने पर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से व्यय राज्य सरकार को करना पड़ता है। व्यय की राशि रेल्वे एवं राज्य सरकार के बीच समझौते पर आधारित है।

(2) इस व्यवस्था पर गत पांच वर्षों में 51,675 58 रुपये खर्च हुई है। कुल राशि की सूचना अभी आंशिक रूप में ही एकत्र हो पाई है। पूर्ण कर सदन को सूचित कर दिया जावेगा। इस विषय पर जन प्रतिनिधियों से समय समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं जिन्हें राज्य सरकार आवश्यकतानुसार अपनी राय देकर रेल्वे को भेजती है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-79)

भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र में स्वामी जी द्वारा लगाई गई समाधि

72. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र में एक स्वामीजी की समाधि कुछ समय पहिले लगवाई गई थी ?

62

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अगर हां, तो कब एवं नगरपालिका क्षेत्र की भूमि में समाधि स्थल बनाने की इजाजत किसने एवं कब दी थी ? नगरपालिका क्षेत्र में उक्त स्वामीजी की समाधि लगवाने के क्या-क्या विशेष कारण थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वामीजी ने पहिले भी कई बार समाधि लगाई थी एवं उसके उनके पास प्रमाण भी मौजूद हैं ? अगर हां, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कुल कितने दिन तक समाधि जमीन में लगाई थी एवं कितने दिन समाधि लगाकर जिन्दे निकाले गए थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वामी जी को पहले समाधि लगाने के लिए अभ्यास के मुकाबले कम समय तक नगरपालिका क्षेत्र भीनमाल में समाधि लगाने की इजाजत दी थी ? अगर हां, तो उक्त स्वामी जी को कुल कितने घण्टों तक समाधि लगाने की इजाजत दी गई थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वामीजी की समाधि लगाने के समय समाधि स्थल पर हजारों की संख्या में भीनमाल नगर के नागरिक मौजूद थे ? क्या यह भी सही है कि उस वक्त समाधी पर परगना अधिकारी, भीनमाल एवं उप अधीक्षक आरक्षी, भीनमाल एवं अन्य कई सरकारी कर्मचारी भी मौके पर थे ? अगर हां, तो कुल कितने कर्मचारी मौके पर मौजूद थे ? समाधि किस प्रकार लगवाई गई ? वास्तविक विवरण देने की कृपा करें। समाधि लगाने का समय क्या था एवं स्वामीजी को जमीन के खड्डे में कब बन्द किया ?

(5) क्या यह भी सही है कि जब उक्त स्वामीजी की समाधि, हजारों लोगों के समक्ष एवं परगना अधिकारी, भीनमाल एवं सर्कल पुलिस ऑफिसर, भीनमाल एवं अन्य कई सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में खोली गई तो उक्त स्वामीजी मरे हुए पाये गये ? अगर हां, तो उनकी समाधि कब एवं किस समय खोली गई एवं स्वामीजी की लाश की क्या हालत पाई गई ? उक्त स्वामी जी को मरी हुई हालत में पाए जाने के क्या कारण हैं, जबकि समाधि उनके अभ्यास के अनुसार कम समय तक लगवाने की इजाजत दी गई थी ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वामीजी की लाश जब समाधी के खड्डे में से निकाली गई तो सड़ी हालत में पाई गई ? क्या यह भी सही है कि लोगों के एतराज करने के कारण स्वामीजी की लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो किसके द्वारा एवं कब करवाया गया ? फिर स्वामी जी का अंतिम क्रिया कर्म किसके द्वारा करवाया गया ?

(7) उपरोक्त विषय में उक्त स्वामी जी की समाधी लगवाने एवं उनकी लाश निकालने के बारे में राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कानूनी कार्यवाही की गई है ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भविष्य में किसके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। समाधि दिनांक 30-6-78 को लगाई गई थी। समाधि की स्वीकृति प्रशासक नगरपालिका भीनमाल ने दिनांक 28-6-78 को दी थी। स्वामी जी ने समाधि स्वेच्छा से ली थी।

(2) जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री माननाथ ने पूर्व में 72 घंटे की समाधि दिनांक 19-3-78 से 22-3-78 तक पाली में लगाई थी। जहां वह समाधि खोलने पर जिन्दा निकले थे।

(3) श्री मान नाथ ने 72 घंटे की समाधि लगाने की स्वीकृति मांगी थी जो दी गई थी।

(4) जी हां। समाधि लगाने के समय करीब 150–200 व्यक्ति मौजूद थे। जिनमें एस.डी.एम. व डी.वाई.एस.पी. भीनमाल सहित कई सरकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। जिनकी कुल संख्या बताना अब संभव नहीं है। समाधि जमीन में खड्डे को ढक कर लगवाई गई थी। जिस समय उन्हें समाधि में बंद किया गया उस समय 9·00 बजे प्रातः काल का समय था।

(5) जी हां। उनको समाधि दिनांक 3-7-78 को 72 घंटे का समय समाप्त होने पर खोली गई तो श्री माननाथ मृत अवस्था में पाये गये। मृत्यु का कारण प्राणायाम की क्रिया ठीक ढंग से न होना पाया गया।

(6) जी हां। कस्बा भीनमाल के संभ्रान्त नागरिकों, माननीय विधायक श्री सूरजपाल सिंह व कई वकीलों द्वारा एस. डी. एम. भीनमाल को पोस्टमार्टम कराने के लिये लिखित रूप में मना करने व मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पोस्टमार्टम कराना आवश्य नहीं समझा गया। श्री माननाथ का अन्तिम संस्कार उन्हीं के समुदाय द्वारा किया गया।

(7) इस मामले में जांच की जा रही है।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 8–3–1979

ग्राम सुरायता की सीलिंग की भूमि

127. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से राज्य सरकार की अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण नीति जिला पाली, तहसील सोजत के ग्राम सुरायता असफल रही है।

(2) क्या ग्राम सुरायता की जमाबन्दी संख्या 2021 से 2024 में खाता सं. 21, 207, 215, 250, 312, 2 व. 187 में

(श्री खंगारसिंह चोधरी)

3230) । भूमि है ? यदि हां, तो कौन कौन से खाते में किस किस व्यक्ति के नाम कितनी कितनी भूमि है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खातों में ऐसे भी व्यक्तियों के नाम के खाते हैं तो संसार में उस समय नहीं थे ? यदि हां, तो उनका स्वर्गवास कब हुआ व उनकी खातेदारी भूमि का सीलिंग प्रोसीडिंग में उत्तराधिकार कानून के तहत समावेश कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) प्रश्न के भाग (2) में बताये गये खाता सं. 21, 207, 215, 2, 187, व 250 सीलिंग प्रभावित है व 1-4-66 को सीलिंग अधिनियम, 1960 के प्रावधानान्तर्गत कितने कुटुम्ब जीवित व वास्तविक रहते हैं व उक्त भूमि की सीलिंग कार्यवाही में क्या क्या क्षेत्र प्रति कुटुम्ब बताया गया व माना गया है ?

(5) प्रश्न के भाग (2) में बताई गई आराजी सं. 2029 से 2032 में किन के नाम दर्ज है और कैसे व सीलिंग प्रोसीडिंग्स में उन्हें क्या मान्यता दी गई ? यदि हां, तो कैसे ?

(6) प्रश्न के भाग (5) में बताये गये खाते अधिकांश बेनामी हैं जो केवल मात्र सीलिंग से बचने हेतु किये गये हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम सुरायता की जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 में निम्न भूमि खाते में निम्न व्यक्तियों के नाम है। उक्त खाते की भूमि 3238) 1 बीघा न होकर कुल 679 1/4) 3 बीघा है।

खाता संख्या	नाम व्यक्ति मय सकूनत	रकबा
21.	उदिया, पनियारू, रामला पि० राजी कौम मेघवाल सा० देह सुरायता।	17½) 4
187.	मगना पुत्र गंगा 1/4 रूगा पुत्र नवला 1/4 पुरखा पुत्र रूपा 1/4 कालीया पुत्र जीता कुम्हार 1/4 सा० देह	186 1/4) 2
207.	मोहन सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/2	51 1/2) 4

(राजस्व मन्त्री)

1	2	3
	रावराजा उदयसिंह पुत्र रामसिंह 1/2 राजपूत खातेदार	
215,	भाजीसा भटियाणीजी राजकंवर बेवा रामसिंह राजपूत सा० देह	150 1/2) 3
250.	शिवराज पुत्र प्यारचन्द महाजन सा० देह खातेदार	3 1/2) 2
312.	तीर्थराज लक्ष्मी धर्मपत्नि श्री करणसिंह कौम राजपूत सा० देह	234 1/2)
2	उमा पुत्र ओगड़ सीरवी सा० देह	34 3/4) 3
		670 1/4) 3

(3) उपलब्ध सूचना के आधार पर यह सही है कि उन खातों में से केवल निम्न व्यक्ति उस समय संसार में नहीं थे। खाता संख्या 207 में अंकित रावराजा उदय सिंह पुत्र रामसिंह राजपूत निवासी सुरायता का स्वर्गवास दिनांक 14–4–55 को व खाता संख्या 258 में अंकित श्री शिवराज पुत्र प्यारचन्द महाजन साकिन सुरायता का स्वर्गवास संवत् 2015 में हुआ था। खाता संख्या 207 में आधा हिस्से की खातेदारी रावराजा उदयसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत सा० सुरायता के नाम पर दर्ज थी जो उनके स्वर्गवास हो जाने से उनके उत्तराधिकारी जाहिन्दे पुत्र श्री करणसिंह व लक्ष्मणसिंह के नाम नामान्तरकरण संख्या 278 के जरिये जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 में समावेश की गई। श्री करणसिंह व लक्ष्मण सिंह ने इसी भूमि को 99) रु० में श्री मोहन सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह राजपूत नि० सुरायता को जरिये नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 5–11–68 के द्वारा बेचान करना बताया परन्तु सीलिंग प्रोसीडिंग में इसको अमान्य करार दिया गया और भूमि अधिग्रहण की गई।

द्वितीय मृतक श्री शिवराज पुत्र प्यार चन्द महाजन सुरायता है जिसके पास खाता संख्या 258 में 3–12 बीघा भूमि थी जो अब उनके जाहिन्दा पुत्र श्री बंसीलाल के कब्जे काश्त में है मगर खाते में नाम शिव राज का ही दर्ज है।

(4) भाग दो में बताये गये खाता संख्या 207 को छोड़ कर खाता संख्या 215, 2 187 व 258 में से कोई भी खाता सीलिंग

(राजस्व मन्त्री)

प्रभावित नहीं है। लेकिन प्रश्न के भाग (4) में अंकित खाता संख्या 250 सीलिंग प्रभावित है और दिनांक 1–4–66 को इसके खातेदार लक्ष्मण सिंह थे। श्री लक्ष्मण सिंह अब भी जीवित हैं और उनके परिवार को एक यूनिट (कुटुम्ब) ही माना जाकर 30 स्टे० एकड़ भूमि उनके खाते में रखी गई। खाता नं० 250 में 1310–3 बीघा भूमि थी व खातेदार के पिता ने विरासत में आई भूमि को शामिल करते हुए व वैद्य बेचानी को ध्यान में रखते हुए 190–58 स्टे० एकड़ के बराबर मानी गई है। उसमें से 30 स्टे० एकड़ सीलिंग नियमों के अनुसार छोड़ी जाकर शेष 160–58 स्टे० एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई। खाता संख्या 207 का विवरण पैरा संख्या 3 में आ चुका है। श्री लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत मुकदमा सं. 217/73 का चला जिसमें 83–13 बीघा भूमि अधिग्रहण की गई।

(5) प्रश्न के भाग 2 में बताई गई आराजी संवत् 2029 से 2032 में निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम निम्न रूप से अंकित हैं—

पूर्व खाता नम्बर	जमाबन्दी सं. 2029 से 2032 के अनुसार खाता नं.	नाम खातेदार	कुल भूमि	नाम कैसे दर्ज है	सीलिंग में किस प्रकार मान्यता दी
1	2	3	4	5	6
21.	25	उदीया, पनीया, रामला पि० राजी मेघवाल	17–14 बीघा	पूर्ववत ही है	सीलिंग प्रभावित नहीं है।
187.	34	करण सिंह पुत्र उदयसिंह 3/4 रतनसिंह पुत्र आनन्द सिंह 1/4 राजपूत	186–7 बीघा	नामान्तर करण सं. 215 व 216 दि. 11-2-65	श्री करण सिंह पुत्र उदयसिंह का खाता सीलिंग प्रभावित होने से नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत 114–6 बीघा भूमि अधिग्रहण की गई।

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

1	2	3	4	5	6
					श्री करण सिंह के विरुद्ध पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत मुकदमा सं. 124/71 व 227/71 दर्ज हुए थे। जिसके अन्तर्गत 93–65 स्टे० एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई। पूर्व खाता नं 187 की भूमि 186–7 बीघा का 3/4 हिस्सा वक्त निर्णय पुराने व नये एक्ट के मुकदमें के श्री करण सिंह के खाते में नहीं जोड़ा जाना प्रकट होता है।
207.	310	मोहनसिंह पुत्र रणजीत सिंह राजपूत सं० देह	112–14 बीघा	पूर्ववत	यह खाता सीलिंग प्रभावित नहीं है। इसकी खातेदारी भूमि पूर्व में 25–17 बीघा थी और भूमि इस खाते में सम्मिलित होने से अब 112–14 बीघा हो गई है।

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

1	2	3
125–18	पूर्ववत	सीलिंग प्रभावित नहीं है। नामान्तकरण संख्या 244 दिनांक 30–4–65 के द्वारा माजी 24–16 बीघा भूमि का हस्तान्तरण श्री रूपसिंह को किया जिससे रकवे में कमी हुई माजी भटियाणीजी के विरुद्ध नये अथवा पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कोई मुकदमा नहीं चला।
3–12 बीघा	पूर्ववत	सीलिंग प्रभावित नहीं है।
200–10	पूर्ववत	पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्रभावित नहीं थी नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत इनके विरुद्ध मुकदमा सं. 219/73 चला लेकिन कोई भूमि अधिग्रहण करना प्रकट नहीं है श्रीमती तीर्थ राज लक्ष्मी द्वारा पूर्व में 34 बीघा भूमि जरिये म्युटेशन संख्या 488 दिनांक 10–12–68 के द्वारा श्रीमती कमल देवी पुत्री धनसुख लाल भारती को हस्तान्तरित की गई है।
34–00	पूर्ववत	सीलिंग प्रभावित नहीं है।
34–18	पूर्ववत	सीलिंग प्रभावित नहीं है।

(6) उपलब्ध सूचना के अनुसार भाग (5) में बताये गये खाते में बेनामी नहीं हैं फिर भी इनकी जांच कर ली जाएगी एवं आवश्यक होने पर केस रिओपन करने पर विचार किया जाएगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8–3–1979)

फलासिया तहसील के तालाब

135. श्री लालू दास (फलासिया) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

फलासिया तहसील में कितने तालावों का निर्माण एवं सुधार पिछले 30 वर्षों में किया गया और तालावों का निर्माणाधीन कार्य अब कब किया जा रहा है ?

उत्तर

फलासिया तहसील में निम्नलिखित तालावों का निर्माण किया गया है—

1. काड़ोल
2. मानस तालाब
3. कन्थारिया तालाब

(सिंचाई मन्त्री)

मानस तथा कन्यारिया तालाब की नहरों को क्रमशः 1978-79 व 1979-80 में पूर्ण कर दिया जावेगा।

इसके अतिरिक्त अकाल राहत के अन्तर्गत निम्नांकित विद्यमान तालाबों पर काम किया गया—

1. नागमाला तालाब
2. मोहम्मद फलासिया
3. सोम तालाब
4. सरना का नाका
5. नानका बोर

निम्नांकित नई योजनाओं पर भी अकाल राहत के अन्तर्गत काम किया गया था जो अपूर्ण हैं।

1. कुण्डाल
2. जाड़ा पीपला
3. घोड़ा मारी
4. उमरेटा
5. कोलियारी

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16–3–79)

ग्राम रोहुआ में किसानों की वर्षा के पानी में डूबी हुई जमीन

234. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रोहुआ ग्राम जिला सिरोही में पिछले तीन सालों से अत्यधिक वर्षा के कारण ग्राम में वर्षालु पानी भरा पड़ा है और वहां के किसान उनकी काश्त की जमीन पानी में डूबी हुई होने के कारण इस अर्से में कोई काश्त नहीं कर पा रहे हैं? अगर हां, तो इतने सालों तक राज्य सरकार ने रोहुआ ग्राम में भरा हुआ पानी बाहर क्यों नहीं निकाला?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम रोहुआ पानी में डूबा हुआ होने के कारण कई काश्तकारों के सिंचाई कुए भी पानी में डूबे रहे? अगर हां, तो कितने काश्तकारों की काश्त की भूमि एवं कितने सिंचाई कुए कितके समय से वर्षालु पानी में डूबे हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिन काश्तकारों की भूमि आदि पानी की डूब में आए हैं उनको सरकार ने अब तक क्या क्या मुआवजा दिया है? अगर अब तक उपयुक्त मुआवजा काश्तकारों को नहीं दिया गया है, तो क्या सरकार अब उनको मुआवजा देना उपयुक्त समझेगी? अगर हां, तो कब तक क्या मुआवजा दिया जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार अब पम्पिंग सैट्स से रोहुआ ग्राम में भरा हुआ वर्षालु पानी बाहर निकाल रही है? अगर हां, तो पानी बाहर निकालना कब शुरू किया गया? सारा पानी गांव में से कब तक खाली करवा दिया जावेगा?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गांव में भरा पानी खाली करके काश्तकारों की काश्त की भूमि काश्त योग्य कब तक बनवा दी जावेगी एवं उक्त भूमि में काश्त कब तक होने लगेगी ?

(5) इस प्रकार गांव रोहुआ में से पानी बाहर निकालने में अब तक सरकार के सामने क्या कठिनाई थी ? अगर कोई कठिनाई नहीं थी, तो अब तक पानी बाहर क्यों नहीं निकाला गया ?

(6) ग्राम रोहुआ में पानी वर्षा ऋतु में ज्यादा वर्षा से आइन्दा नहीं भरे, इसके बारे में सरकार ने अब तक क्या योजना बनाई है ? उक्त योजना की क्रियान्विति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि रोहुआ ग्राम में अत्यधिक वर्षा के कारण काश्तकारों की कृषि भूमि व कुए डूब में आ गये। रोहुआ ग्राम के तीनों तरफ पहाड़ है व एक तरफ ढालू भू-भाग है जिसके कारण यह ग्राम पानी की डूब में आ गया था लेकिन दिसम्बर, 78 से पम्पों द्वारा लगातार पानी निकाला जा रहा है और आशा है कि इस माह के अन्त तक काश्तकारों की जमीन पानी की डूब से निकाल दी जावेगी। जैसे जैसे पानी निकलता जा रहा है कृपक अपनी जमीन पर काश्त करते जा रहे है।

(2) काश्तकार व उनके कुए तथा काश्त की भूमि जो वर्षाती पानी के कारण डूब में आई उनकी वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी है। वर्तमान में केवल 13.928 हैक्टेयर रकबे में पानी है जो इस माह के अन्त तक निकाल दिया जाने की आशा है। इस रकबे में 39 काश्तकारों की भूमि व 3 सिंचाई के कुए डूब में हैं।

(3) इस ग्राम में जिन काश्तकारों की भूमि तथा कुए डूब में आये हैं उनको राहत देने के लिये सरकार पानी निकासी की व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(4) दिनांक 2–12–78 से पानी निकासी का कार्य शुरू किया गया है और इस माह के अन्त तक आशा है कि सारा पानी निकाल दिया जावेगा। पानी भर जाने के कारण ही काश्तकारों की फसल बोई नहीं जा सकी थी। ज्यों ज्यों पानी से भूमि खाली होती जा रही है उसमें काश्त शुरू कर दी है।

(5) ग्राम रोहुआ में भरे पानी को पम्पों द्वारा निकाला गया है जिसके कारण अब तक का समय जरूर लगा लेकिन अब कोई कठिनाई नहीं है।

(6) अगर भारी वर्षा के कारण रोहुआ ग्राम में फिर पानी भर गया तो पम्पों द्वारा फिर निकाल दिया जावेगा इसके अलावा कोई योजना सार्थक नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16–3–79)

काम के बदले अनाज योजना के विभिन्न मापदण्ड

252. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) काम के बदले अनाज योजना में अब तक केन्द्र से कुल कितना अनाज, गेहूं तथा चावल आदि राज्य को मिला ?

(2) केन्द्र से प्राप्त अनाज का विभिन्न जिलों को कितना कितना आवंटन किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि काम के बदले अनाज योजना में मजदूरी आदि तय करने में अलग अलग जिला अधिकारियों ने अपने अलग अलग नियम निर्धारित किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया जिलेवार प्रक्रिया का विवरण व नियम की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि अलग अलग नियम, प्रक्रिया व मापदण्ड रखने से इस योजना में बाधा उत्पन्न हुई ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके निराकरण के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से वर्ष 1977–78 में 6,000 मैट्रिक टन एवं वर्ष 1978–79 में अब तक 2.61 लाख मेट्रिक टन गेहूं राज्य सरकार को प्राप्त हुआ।

(2) विभिन्न जिलों को अब तक वर्ष 1978–79 के लिये 1,99,950 मैट्रिक टन गेहूं आवंटित किया जा चुका है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 92–ए के अनुसार किया जा रहा है (प्रति संलग्न है)।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय।

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों (1979-80) के निर्वाचन के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था उसके अनुसार इन समितियों से माननीय सदस्यों द्वारा मनोनयन वापस लेने का समय आज मध्याह्नोत्तर 4 बजे तक निश्चित किया गया है। चूंकि कई माननीय सदस्य,

(श्री नवनीत पालीवाल)

जिन्होंने इन समितियों के लिए अपने मनोनयन प्रस्तुत किये हैं और जो अब अपना नाम इन समितियों से वापस लेना चाहते हैं, आज उपस्थित नहीं हैं। अतः मेरा प्रस्ताव है कि वित्तीय समितियों से मनोनयन वापस लेने का समय 29 मार्च, 1979 को अपराह्न 4 वजे तक बढ़ा दिया जाय।

मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, दिनांक 30 मार्च, 79 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इच्छा है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय।

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों से मनोनयन वापस लेने का समय बढ़ाया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

व्यवस्था का प्रश्न
दो तारांकित प्रश्नों की एक प्रश्न रूप में स्वीकृति

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं 611 आज की तारीख में था ....

श्री अध्यक्ष : वह तो डूब गया।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : उस प्रश्न को बदल दिया गया, अध्यक्ष महोदय, उस प्रश्न में परिवर्तन कर दिया गया है। जो दो प्रश्न अलग अलग पूछे थे, अलग अलग भाषा थी और अलग अलग पाइन्ट्स रेज किये गये थे उनको बदल करके दोनों का एक ही प्रश्न बना दिया गया। इस संबंध में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस संबंध में आप मेरे कक्ष में मिल कर जानकारी दीजिये कि आपके असली प्रश्न की क्या इबारत थी, क्या शब्दावली थी और परिवर्तन करने के पश्चात् क्या शब्दावली हो गई। मैं देख लूंगा, क्योंकि देखे बिना, इसको देख लेंगे, आप मिल लें।

श्री रघुनन्दन व्यास : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास।

कार्य सलाहकार समिति द्वारा प्रति दिन एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा जाना

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है कि कार्य सलाहकार समिति के द्वारा कम से कम एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रोज के क्रम से रखना चाहिये। वह बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। विधान सभा शुरू होने के बाद अभी तक मुश्किल से 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिये गये हैं....

श्री मूलचन्द डागा : यह कोई नियम नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : जो महत्व के

(श्री रघुनन्दन व्यास)

मुद्दे हैं, जिनको जनता पार्टी के सदस्य उठाना चाहते हैं, करीब 100 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमारे विधान सभा सचिवालय में पेंडिंग पड़े हैं और हमारे सामने नहीं आ रहे हैं जिनको उठाना आवश्यक है। जैसे ग्रामदानी गांवों का मसला बहुत उपयोगी प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य का आन्दोलन सम्बन्धी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : This is not point of order.

श्री रघुनन्दन व्यास : इसका जवाब हमें दिलायें, यह मेरा निवेदन है।

श्री मूलचन्द डागा : नियम 131 में यह प्रावधान नहीं है। यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

लोक सेवा आयोग के प्रश्न-पत्र सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य

श्री रघुनाथ विश्नोई : राजस्थान लोक सेवा आयोग के पर्चे आउट होने का घोटाला, भ्रष्टाचार का मामला यहां आया था जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आज इसे न उठा कर 4-5 दिन के बाद उठाना ताकि सरकार सही जानकारी दे सके। आज 15 रोज हो गये हैं। बहुत महत्व का प्रश्न है। पी. एस. सी. के आर. जे. एस. परीक्षा के हजारों पर्चे आउट होने की एवं पैसे ऐंठने की चर्चा सदन में हुई थी। वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शंकरलाल जी का, मेरा था।

जयपुर में पीने के पानी में कीड़े सम्बन्धित तारांकित प्रश्न पर आधे घन्टे की चर्चा

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था जिसका समुचित उत्तर नहीं दिया था आपने कहा था कि आधे घंटे की चर्चा में उत्तर दिलवा देंगे। जलदाय योजना में बात होने वाली थी वह मांग डिस्कस नहीं हुई—

(व्यवधान)

पानी में कीड़े, पीने के पानी के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, इसका जवाब दिलावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास ने जिस समस्या के संबंध में मेरा ध्यानाकर्षण किया है वह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है। श्री रघुनाथ विश्नोई ने भी दो शब्द कहे। मैं यह समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं स्वयं चाहता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बिला नागा रोज आयें सदन में।

मैंने कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजे हैं। उत्तर अभी तक बहुत से ध्यानाकर्षण

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्तावों का प्राप्त नहीं हुआ। मैने यह निर्णय लिया है कि चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर सरकार की ओर से आये या न आये एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैं जब तक सदन सैशन में है बरावर प्रति दिन अजेण्डा में रखूंगा।

माननीय सदस्या, श्रीमती उजला अरोड़ाजी ने जो आपत्ति उठाई है वह भी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्या मुझ से मिल सकती हैं, और आप सब सदस्य महानुभाव भी नियमों के अन्तर्गत ध्यान रखते हुए इस सदन में कोई महत्वपूर्ण विषय रखना चाहें तो नियमों के अनुसार लायें तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा।

स्थान प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से डूंगर कालेज बीकानेर के प्रिन्सीपल की कुछ छात्रों द्वारा....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा The chair is on its legs.

श्री अध्यक्ष : ....मारपीट तथा कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कराने देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(2) श्री समरथलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राजगढ़ (अलवर) क्षेत्र के गांवों में गत 15 मार्च से बिजली नहीं आने के कारण फसल की हो रही क्षति के विषय में।

(3) श्री दुलाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले के पैट्रोल पम्पों पर से सप्लाई किये जाने वाले हाई स्पीड डीजल आयल की क्वालिटी ठीक न होने के विषय में।

(4) सर्व श्री नूरा व शिवचरणसिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित सन्तोकवा दुर्लभजी अस्पताल के लिए घमार्थ संस्थान को सरकार द्वारा कम कीमत पर मंहगी भूमि देने के बावजूद भी गरीबों का इलाज मुफ्त नहीं किये जाने के विषय में।

(5) सर्वश्री रामकृष्ण दास व श्योपत सिंह मकासर, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के बाजारों में दुकानों के आगे बने बरामदों को किराये पर देने के निर्णय के वषय में।

(6) श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका बालोतरा की सीमावर्ती कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा जबरन कब्जा करने के प्रयास के विषय में।

(7) श्री अब्दुल अजीज, सदस्य विधान सभा की ओर से आर. आई. एम. डी. सी. द्वारा मकराना उद्योग क्षेत्र में विकास शुल्क लगाये जाने के विषय में।

(8) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में दहेज के अभाव में विवाहित युवतियों पर अत्याचार और उनकी हत्या के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन के नेता की सदन में उपस्थिति

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस सदन में यह परम्परा रही है कि सदन का नेता सदन में रहता है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सैशन में लगातार माननीय मुख्य मंत्री, सदन के नेता ने सदन की अवहेलना की है ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में व्यस्त हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने पहले भी आपसे कहा था ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह उनका सदन में नहीं आना सदन की गरिमा का हनन करने वाला व्यवहार है। विधान सभा से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

सदन का महत्व कम नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : जब विधान सभा चल रही है तो विधान सभा से अधिक कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इससे महत्वपूर्ण विषय और नहीं हो सकता है। लगातार मैं देख रहा हूं कि मुख्य मंत्री उपस्थित नही रहते हैं। 30 साल के इतिहास में सदन के नेता हमेशा सदन में रहते रहे हैं, मगर यह पहला मौका है कि सदन के नेता सदन की अवहेलना कर रहे हैं ....

एक माननीय सदस्य : वह बाहर गये हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बाहर का सवाल नहीं है। माननीय अध्यक्ष, शहर में रहते हुए भी वह नहीं आते हैं। यह तो समझ में आता है कि जयप्रकाशजी की हालत खराब थी तो वहां जाने की बात समझ में आ सकती है मगर मुझे अफसोस है तो इस बात का है, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री शहर में हैं। इसके बाद भी वह

76

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

सदन में नहीं आते हैं तो इसका मतलब क्या है ? बिना कप्तान के टीम, यह उनकी जो फौज है वह दिन भर सदन में अव्यवस्था पैदा करती है और सदन की कोई कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं हो सकती है। इसका नतीजा क्या होगा ?

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सारा अधिकार आपने ले लिया है चेयर का ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप मुझे पहले अपनी बात खतम कर लेने दें। फिर आप बोलें। मैं बोल रहा हूं और आप बीच में खड़े हो गये। यह संसदीय कार्य मंत्री है जिनको यह पता नहीं है कि कब खड़ा होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष, इसका नतीजा क्या है कि जब सदन के नेता सदन में ही नहीं रहते हैं तो उनकी फौज, जो पहले ही पंचमुखी फौज है, आपस में ही झगड़ती है तो इसका असर यह होता है कि वह आज पत्रों में आ रही है। सारे अखबार राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही किस तरह से चल रही है, लिख रहे हैं। मैंने वह राजस्थान पत्रिका का आर्टीकल पढ़ा है। वह इस बात को इंगित करता है कि हमारी जो विधान सभा है वह सबसे अनियंत्रित विधान सभा है और इसकी पिक्चर खराब है तो स्वभावतः इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। आप व्यवस्था करें और हमारी बात सदन से नेता तक पहुंचाये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (साचौर) : अध्यक्ष महोदय, शुरू में ही जब यह बजट सैशन शुरू हुआ था तो शराबबन्दी के मामले के अन्दर बहस शुरू हुई थी तो उस वक्त भी मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता यहां नहीं है और इम्पार्टेन्ट मसला यहां चल रहा है और वह सदन की अवहेलना करके उपस्थित न रहें। आज तक ऐसा सदन में कभी नहीं हुआ है। आप शुरू से ही देख रहे हैं। आप इस सदन में वर्षों से विराजमान हैं। आज जो वहां उस तरफ बैठे हुए है वह यहां बैठा करते थे अपोजिशन के नेता के रूप में सतीश जी और भैरोंसिंह जी तो वही आब्जेक्शन उठाया करते थे कि मुख्य मंत्री हैं नहीं तो बजट की बहस कैसे चलेगी ? आपको शायद याद होगा कि यादव साहब, जो मिनिस्टर थे, का प्रश्न था। वह कुछ देरी से आए, नाम पर बोले नहीं और वह अनुपस्थित थे। दो मिनट के बाद आये तो उनके सारे पोर्टफोलियो उसी दिन ले लिये गये। इस हाउस के अन्दर यह परम्परा रही है। एक तारीख को गोकुल भाई भट्ट आमरण अनशन पर पर बैठने जा रहे है और सर्वोदयी मिनिस्टर केबिनेट के काफी चिन्तित हैं। 28 तारीख को राजस्थान में विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है और मुख्य मंत्री बम्बई में बैठे हैं। इतना इम्पार्टेन्ट बिजनेस विधान सभा कैसे

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

क्या है ? सदन में ऐसे मामले रोज उठते हैं जिनमें माननीय मुख्य मंत्री जी से उनके मंत्रियों द्वारा कान्टेक्ट नहीं होता है तो वे ठीक जवाब दे नहीं पाते हैं। ऐसी हालत में माननीय अध्यक्ष, हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करेंगे कि सदन की परम्पराएं एवं कार्य संचालन नियम हैं उनका प्रयोग करके माननीय मुख्य मंत्री को सदन में उपस्थित रहने को कहा जाय। यह हमारा हक है और हमारे हकों का संरक्षण करना आपका काम है। सदन की गरिमा रखने का आपका काम है। यह हमारे हकों की अवहेलना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस सम्बन्ध में चर्चा समाप्त करें। आपकी भावनाओं को मुख्य मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा, नशाबन्दी के सम्बन्ध में सन्तोषजनक हल निकालने का जहां तक सम्बन्ध है।

एक माननीय सदस्य : क्या मुख्य मंत्री जी बाहर गये हैं वह आपसे अनुमति लेकर गये है ? अगर वह आपसे अनुमति लेकर गये है तो हमें आपत्ति नहीं करनी है।

श्री अध्यक्ष : मुझे सूचित करके वह गये हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह नहीं चलेगा।

हम यहां पर केवल 51 रुपये ही लेने नही आते हैं। हम राजस्थान के अहम सवालों को हल करने के लिए यहां आते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं को पहुंचा दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् मैंने, इस बारे में मोशन भी दिया था और यह अर्ज किया था कि सदन के नेता की जिम्मेदारी है सदन की गरिमा को और प्रतिष्ठा को बढ़ायें। इसके साथ में अपोजीशन के प्रति भी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट का जो बिजनेस होता है उसके बारे में सतर्कता रखें। यह उनकी जिम्मेवारी है।

अगर हाउस में सदन के नेता उपस्थित नहीं रहने हैं तो इसका यह मतलब है कि सदन में जो काम चलते हैं, वह ठीक नहीं चल पाते हैं। एक महीने में सदन के नेता मुश्किल से 12 घण्टे रहे होंगे। 30 दिन में केवल 12 घण्टे। श्रीमान्, कई बार कहा है, सदन के नेता सारे मामलों में उपस्थित रहें। यह काम ज्यादा जरूरी है। जब सदन चलता है तो सदन का काम जरूरी है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी बम्बई गये थे। मारवाड़ी सम्मेलन में भाग लेने के लिए गये थे। वहां वह बम्बई में बैठ कर गोकुल भाई भट्ट से शराबबन्दी के मामले को तय करते हैं। सदन में कोई चर्चा नहीं हो। मैं मानता हूं, वहां से उन्होंने आपको सूचना दी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री रामनारायण चौधरी)

उन्होंने यह नहीं कहा होगा कि मैं मारवाड़ियों से चन्दा लेने के लिए गया हूं। यह नहीं कहा होगा। वह सदन को महरूम रख कर सौदेबाजी करके कोई बात करें, यह सदन का अपमान है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चौधरी जी भी गये थे। वह आ गये हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : गोकुल भाई भट्ट की जिन्दगी बच जाये तो इसमें आप को क्या परेशानी है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह विधान सभा में होना चाहिए। बम्बई में सेठों के पास में बैठ कर यह तय नहीं होना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही हो सकती है कि मुख्य मन्त्री जी किसी कार्य में व्यस्त हों। लेकिन जैसा कि सदन महसूस करता है। भारत के प्रधान मन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू थे, एक्सटर्नल अफेयर्स का इतना काम होते हुए भी स्वयं उन्होंने कम से कम दो दो घन्टे रोज बैठने की दिनचर्या बना रखी थी। मुख्य मन्त्री जी किसी मतलब के काम से गये होंगे लेकिन सदन में उपस्थित होना सदन की गरिमा है। एक निश्चित अभिप्राय से असेम्बली बुलाई है। इसमें अगर मुख्य मन्त्री जी नहीं रहते हैं तो निश्चित रुप से जो राजस्थान की जनता की समस्याएं हैं, जिन पर कि निर्णय लेना पड़ता है, उससे राजस्थान की जनता का हित होने वाला है। इसलिए मिनिस्टर फार पार्लियामेण्ट्री अफेयर्स से मैं निवेदन करूंगा, खास कर मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उसने परामर्श करें। वह यहां सदन में रहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री केदारनाथ : शिक्षा मंत्री जी का नाम कैसे लिया है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : श्योपतसिंह जी ने प्रश्न उठाया है। सदन की गरिमा बाहर गिर रही है। वह अनियमित प्रश्न उठाया करते हैं। सदन की गरिमा गिरती है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कौन से नियम के अन्तर्गत प्रश्न उठाया है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह हाउस का प्रश्न है। रेलेवेण्ट प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : यह जो जनतान्त्रिक परम्पराएं हैं, डेमोक्रेटिक नार्म्स हैं, यह जो कन्डक्ट आफ लीडर आफ दी हाउस है ....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : He should be ashamed of his conduct as well as of his leader's conduct.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इतना निवेदन कर दूं कि वह बम्बई से रवाना होकर दिल्ली आ गये हैं। और दिल्ली होते हुए ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम आप से तफतीश नहीं करा रहे हैं। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : श्योपतसिंह जी, कम से कम ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप इस प्रकार से सदन की गरिमा गिराते हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो अधिकार आपका है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सदन के नेता को सदन में रहना चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस अधिकार से हम वंचित नहीं रह सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से कहा है। हमें एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है।

(व्यवधान)

हमें मालूम है कि वह कहां गये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमें अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है। हम जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह सदन की गरिमा बढ़ा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री रामनारायण चौधरी अध्यक्ष महोदय, हमें यह पता है, हमने जो प्रश्न यहां उठाया है यह ऐसा प्रश्न है, जिसमें सरकार की तरफ से एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। सदन की परम्परा ऐसी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे दीजिए। मिनिस्टर फार पार्लियामेण्ट्री अफेयर्स तो यह कहेंगे कि वह बम्बई से विलायत होकर आ रहे हैं। यह जो कण्डक्ट लीडर आफ दी हाउस का है, इस पर आप व्यवस्था फर्मा दीजिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या निवेदन करना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

जो मुख्य मंत्री एक महीने में 12 घण्टे भी नहीं रहें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बात तो सुन लें।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : क्या कहेंगे आप ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो कहना हो वह अध्यक्ष महोदय को एड्रेस करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय विपक्ष के सदस्य।

विरोधी दल के नेता महोदय ने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया है। आपकी भावना मैं मुख्य मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा। अब कृपया इस बारे में चर्चा समाप्त करें। बहुत डेलीकेट मैटर है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह बीच में तीन पांच कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। हम जब भी आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, उस समय सदन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित होता है। यह निश्चित है कि इससे राजस्थान के लोगों का ध्यान भी आकर्षित होता है। कल राजस्थान पत्रिका में एक भाई ने एक लेख लिख कर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन में सदन की गरिमा रखें। आप सबसे बड़े अधिकारी हैं। आप सबसे उच्च आसन पर विराजमान हैं। जब मैंने वह लेख पढ़ा तो शर्म से मेरा सिर झुक गया। आपने उस लेख को पढ़ा होगा। अन्य माननीय सदस्यों ने भी पढ़ा होगा। आप सदन के नेता को यह कहें कि वह सदन में मौजूद रहें क्योंकि उनके सदन में नहीं आने के बारे में यह जो बात है, यह उनका दायित्व है कि वह सदन में आयें। यह उनकी ड्यूटी है। आप लोग जितनी भी पार्टियों के हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं हमको तनख्वाह मिलती है। यह हमारा पहला फर्ज है। वह मारवाड़ी सम्मेलन में भाषण करने जायें, उसमें सम्मिलित होने जायें, मगर सदन में हम रिपीटेडली कह रहे हैं, तुरन्त सदन के नेता उनकी पार्टी के और हमारे यहां के लोगों की एक मीटिंग बुलायें और इसके बारे में निर्णय लें। सदन की गरिमा में हम शामिल हैं। हमारा मखौल नहीं बनायें। लोग यह नहीं समझें कि हम भत्ता कमाने के लिए आते हैं। सदन की गरिमा गिरने से कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पूरा चिन्तन करके, मीटिंग बुला कर आगे सदन की कार्यवाही ठीक प्रकार से और सुचारु रूप से चले, ऐसा काम करें जिससे हम समाज को और सरकार को कुछ दे सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मथुरा दास जी माथुर ने जो महत्वपूर्ण शब्द सदन के समक्ष रखे हैं उनके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। जिस लेख के सम्बन्ध में

(श्री अध्यक्ष)

उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया उसको मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा था। सदन की गरिमा और सदन की महिमा बनाए रखने के लिए मैं भी इस निश्चित अभिमत का हूं कि सदन के माननीय नेता, विरोधी दल के माननीय नेता तथा अध्यक्ष तीनों मिल करके सुचारु ढंग से कार्यवाही चला सकें। मैं माननीय सदस्यों की भावना मुख्य मंत्री महोदय तक पहुंचाऊंगा। माननीय श्री माथुर साहब ने जिस सम्बन्ध में मेरा ध्यान आकर्षिक किया है बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग मैं आज 3 बजे बुला रहा हूं, उस समय हम सब बैठ कर उस विषय पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये, स्थगन प्रस्ताव रख कर माननीय गृह मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसके साथ ही साथ माननीय शिक्षा मन्त्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर डूंगर कॉलेज के इलेक्शन तीन-चार माह पहले हुए थे और चार उम्मीदवार उसमें खड़े हुए थे—रामचन्द्र चौधरी, अविनाश माथुर, राजपालसिंह राठौड़ और हरिसिंह चौधरी। इन चारों केण्डीडेट्स में कण्टेस्ट हुआ। रामचन्द्र चौधरी प्रेसिडेन्ट बना और ये दूसरे तीन छात्र हार गए। उस इलेक्शन के रोज से कालेज के अन्दर भारी अव्यवस्था, गुण्डागर्दी और लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए। उस मसले को लेकर प्रिन्सिपल ने समय समय पर डी. ओ. लैटर डाइरेक्टर आफ एजूकेशन को, एजूकेशन कमिश्नर को, आई. जी., डी. आई. जी को एवं जिला प्रशासन को, भिन्न-भिन्न विभागों को और शिक्षा विभाग को भेजे कि डूंगर कालेज में लड़कों में हार-जीत के मामले को लेकर कभी भी झगड़ा हो सकता है इसलिए इसका ध्यान रखा जाय परन्तु डी. ओ. लैटर के बावजूद भी वहां पर सरकार ने कोई तवज्जोह नहीं दी और थोड़े अर्से के बाद वहां पर झगड़े बढ़ने लगे। अध्यक्ष महोदय, बाकी के इलेक्शन भी प्रिंसिपल महोदय ने सब्जेक्टवाइज कराने की कोशिश की। उसमें भी लड़ाई-झगड़े हुए और उनको विवश होकर चुनाव पोस्टपोन कराने पड़े। तो, अध्यक्ष महोदय, इस तरह के मामले को लेकर कई बार छिटपुट ढंग से घटनाएं होती रहीं। बाद में एक दिन लड़कों का एक गिरोह दूसरी पार्टी, जो जीत गई थी, पर अटेक करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से रात्रि को निकला और एक लड़के, जिसका नाम ओमप्रकाश था, घर में पढ़ रहा था और जिसने जीतने वाली पार्टी को वोट दिया था, पर अटेक किया। उसके बीस-तीस संगीन चोटें आईं। उसके एक मेहमान उसके पास ठहरे हुए थे उनको भी मारा पीटा, उनके भी संगीन चोटें आईं, उनका नाम कासीराम था। इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कराई गई और मुकदमा दर्ज किया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया है। जो अनडिजायरेबल एलिमेन्ट्स हैं, जो पीसफुली लड़कों को पढ़ने नहीं देना चाहते, जो दंगा करना चाहते हैं, प्रिन्सिपल ने उनकी सरकार को रिपोर्ट भी की और जिला प्रशासन को भी की लेकिन सरकार की तरफ से कोई तवज्जोह नहीं दिए जाने के कारण दूसरे लड़कों, जो शान्तिपूर्वक पढ़ना चाहते हैं, में आतंक छा गया है। आज के दैनिक नवज्योति में हमने पढ़ा है कि बीकानेर डूंगर कालेज और अन्य पांच कालेजों में लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स प्रदर्शन पर हैं एवं कालेज में हड़ताल है। उनकी जान की सुरक्षा नहीं है, प्रिन्सिपल को जान से मारने की धमकी दी गई है एवं उनको बुरी तरह पीटा गया है। दूसरे कालेजों में भी असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। उस हालत में उन्होने प्रदर्शन किया है। पूरे बीकानेर डिवीजन के कालेजों में प्रदर्शन हो रहा है। इस मामले में अनडिजायरेबल एलिमेन्ट्स हैं, जो लॉ एण्ड आर्डर खराब करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, पीसफुल सिटीजन्स की शान्ति को भंग करते हैं, डिस्टर्बेन्स क्रिएट करते हैं और जो जनता के शान्तिप्रिय जीवन में दखलंदाजी करते हैं। कुछ लड़के हैं उनके साथ सख्ती से कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। हालांकि मामला इतना पुराना हो चुका है एवं संगीन मुकदमों में उनको गिरफ्तार नहीं किया जिसके फलस्वरूप आज पांच कालेज टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं उससे भी आपकी आंखें नहीं खुली। पहले नवरंगसिंहजी, मदनसिंह जी दांता और श्योपतसिंह जी ने भी चिड़ावा कालेज के सम्बन्ध में कॉल अटेन्शन मोशन दिये थे, हम भी, अध्यक्ष जी, आपसे चार बार मिले हैं, इसके बारे में फैक्ट्स आने चाहिए। जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में जब चर्चा हुई थी उस वक्त मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि जातिवाद का मामला मत उठाइये। हम जातिवाद का मामला नहीं बनाना चाहते परन्तु कोई भी मुल्जिम हो, कोई भी हो, अगर बदमाशी करे, एग्जामिनेशन नहीं होने दे, पढ़ाई नहीं होने दे, इससे लेक्चरार स्ट्राइक पर आ गए हैं अपने आपको अनसेफ मानकर, उन्होंने कानून को हाथ में लिया है, प्रिंसिपल को पीटते हैं वे लोग अरेस्ट नहीं हों। कभी फाइल सी. आई. डी. के पास जाती है और कभी वापस चली आती है। यह एक क्लियरकट पक्षपात का केस है अब वहीं झगड़ा खतम हो सकता है अगर मुल्जिम को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया जावे। सरकार ने इस पर अभी तक क्या विचार किया है? सारे कालेजों में पूरी हड़ताल है, किसी को आपने पकड़ा नहीं, पुलिस लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने में असमर्थ है, कोई एक्शन लिया जाता नहीं है। ऐसी हालत में मैं माननीय गृह मंत्रीजी और शिक्षा मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपको डी. ओ. लैटर्स

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भेजे या नहीं प्रिन्सिपल ने ? प्रिन्सिपल के साथ जो हरकत हुई उसके बारे में भी ग्रौर ग्रौर पहली मारपीट के बारे में भी लिखा। इसलिए मैं गृह मन्त्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित करता हूं ग्रौर शिक्षा मन्त्रीजी का भी, ग्राज नहीं बता सकें तो ग्राप पूछिये कि कितने लैटर ग्राये, प्रिन्सिपल ने समय समय पर जिला प्रशासन को ग्रागाह किया या नहीं ? शिक्षा विभाग ने क्या एक्शन लिया ? क्या ग्रापने कोई गृह विभाग को लैटर भेजा इस बाबत ? प्रिन्सिपल ग्रौर लेक्चरार की जान खतरे में है, उन पर ग्रटेक किया गया, उस बारे में ग्रापने क्या किया ? धीरे-धीरे दूसरी लड़ाई-झगड़े की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, लॉ एण्ड ग्रार्डर खराब होता जा रहा है। इतनी मारने–पीटने की कार्यवाही हुई, जो मुल्जिम हैं वे लाठी लिये घूमते हैं कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रापने क्या एक्शन लिया, एक्शन लेकर ग्रदालत में उनका चालान क्यों नहीं किया गया ? इतने प्रदर्शन हुए, गंगानगर में भी कई मामले हो चुके हैं, ग्रापका सदन में बार-बार ध्यान ग्राकर्षित किया जा चुका है, कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी ग्राए हैं। ग्रौर ग्रगर ग्राप समय पर कार्यवाही करते तो ग्राज यह नौबत नहीं ग्राती। ऐसा होता रहा तो हम किसी भी प्रकार बदाश्त नहीं करेंगे।

ग्रगर हमें बता देते तो यह सदन का समय हम नहीं लेते। जगह जगह ग्रव्यवस्था फैल रही है, हमारा फर्ज है कि हम ग्रापके हाथ मजबूत करें, ग्रापको सहयोग दें ग्रौर ग्राप शान्ति व व्यवस्था कायम करें। हम समझते थे कि बीकानेर शान्तिप्रिय क्षेत्र है किन्तु वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। गृह मंत्रीजी, कृपया बतायें कि ग्राज तक क्या क्या कार्यवाही ग्रापने इस विषय में की है ? कब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चालान पेश करेंगे ? वहां के जो शिक्षक, लेक्चारर्स ग्रौर प्रिन्सीपल हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था ग्राप कैसे करेंगे ताकि ग्राराम से वे कालेज जायं ? ग्राप पूर्ण रूप से उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करें ग्रौर जो कानून को हाथ में लेते हैं उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करके उन एलीमेंट्स को दबाने का कदम ग्रापने नहीं उठाया तो शान्ति व व्यवस्था खराब हो जाएगी। ग्राज जो पांचों कालेजों में प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी वस्तुस्थिति से शिक्षा विभाग सतर्क नहीं है। गृह विभाग का दायित्व है कि जो केसेज दर्ज हो जाते हैं ऐसे मामले में उन पर जल्दी से जल्दी सख्त कानूनी कार्यवाही करे। इस मामले को ग्रार्डिनरी न समझें ग्रौर ग्राप स्पष्ट बतायें कि इतने दिनों में यह कार्यवाही हो जाएगी।

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : इस मामले से मैं सम्बन्धित हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक विद्यार्थी को बीकानेर में पीटा गया है। ग्रोम प्रकाश नामक विद्यार्थी एम. ए. में पढ़ता है....

श्री ग्रध्यक्ष : क्या ग्रापका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ?

श्री गुरुशरण छाबड़ा : नहीं। लेकिन मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया नियमों का ध्यान रखें।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर नियमों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो यह 11 की लिस्ट कैसे समाप्त होगी ?

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : यह सुरक्षा का सवाल है। आज विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके आदेशों का पालन करते हैं लेकिन हमारी और हमारे लड़कों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए....

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : मुझे सरकार से यही कहना है कि जो विद्यार्थी को गम्भीर चोटे आई हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों के अन्तर्गत बोलें। जो कल हुआ वह आज होने जा रहा है। फिर सदन की कार्यवाही बन्द करनी पड़ेगी। इस सदन की गरिमा और महिम का दुरुपयोग अगर इस तरह से होगा तो फिर जो मुझसे हो सकता है मैं अवश्य करूंगा। मेरे पास केवल मात्र एक शस्त्र है। माननीय सदस्य, मेरी व्यवस्था की अवहेलना बार बार करेंगे, खास तौर से शासन पक्ष के माननीय सदस्य तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूं! अगर यह आगे बढ़ता है तो समाचार पत्रों से जनता जनार्दन को क्या आभास होगा इस सदन के बारे में ? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विपक्ष ही बोल सकता है। आप राज कर रहे है, बोलने का अधिकार आपको बहुत कम है लेकिन विपक्ष को बोलने का अधिकार है to expose the ruling party. Democracy placates opposition.

इस सिद्धांत के अनुसार आपको अनुशासन कायम रखना चाहिए।

व्यवस्था का प्रश्न
अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के सदस्यों का बोलने का अधिकार

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप कहां विराजमान् हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : अपनी जगह से ही बोलें। कोई मानीनय सदस्य यदि सदन में दौड़ें तो यह अव्यवस्था है।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हम लोग, जो सत्ता पक्ष में हैं, को जो अभी आपने निर्णय दिया है, वह तो शिरोधार्य है लेकिन अगर उसी प्रश्न पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है तो एक दो मिनट देने चाहिए। जैसे माननीय गुरुशरण छाबड़ा ने इसी प्रश्न पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। स्थगन प्रस्ताव देने से by itself they get a right of speaking.

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कोई अजेंडा में नहीं है । 131 नियम के तहत कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देता है तो वह अजेंडा में आता है ।

श्री राम नारायण चौधरी : सत्ता पक्ष गवर्नमेंट को सेन्सर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता ।

श्री रघुनन्दन व्यास : We can caution the Government though not censure it.

श्री रामनारायण चौधरी : You can caution, but you cannot censure.

श्री ईश्वरचन्द्र : अगर बहस करेंगे तो दो मिनट भी नहीं आपको मिल सकते जब तक स्थगन प्रस्ताव एडमिट नहीं हो जाता । अगर आपको अधिकार है, तो हमको भी अधिकार है ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपके हाथ में नहीं है ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री परसराम मदेरणा : अभी सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस विषय पर स्थगन प्रस्ताव इस सदन में रखा है, हालांकि सूरतगड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उस पर काल अन्टेंन्स मोशन तो नहीं रखा लेकिन जिस लड़के ओम प्रकाश के साथ मारपीट हुई वह उसके निर्वाचन क्षेत्र का है इसलिए वह कुछ जानकारी देना चाहते थे । वह एज ए राइट तो नहीं मांग रहे थे । बीकानेर के अन्दर आज हड़ताल है । वहां के प्रोफेसर्स, रीडर्स, लैक्चरर्स और दूसरे शिक्षक अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं । इस मामले को लेकर जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया, झूठे काउण्टर केसेज भी रजिस्टर किए हैं, उन काउण्टर केसेज को रजिस्टर करने में कुर्सियां टूटी हैं । वह झूठा केस रजिस्टर करके साबित करना चाहते हैं कि वे निर्दोष हैं, जो दोषी हैं निर्दोष लोगों को डीमोरेलाइज करना चाहते हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो असुरक्षा का वातावरण आज बीकानेर में हैं, प्रिन्सिपल के साथ में मारपीट हुई है, शिक्षा मंत्री को उन्होंने क्या बात कही क्या नहीं कही, वह गौण है लेकिन वहां प्रदर्शन हुए हैं, ये जो अनडिजायरेबल एलीमेंट्स हैं ये कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, ऐसी हालत में, गृह मन्त्री, आपको कुछ कारगर कदम उठाने हैं । कानून की मर्यादा होती है, निष्पक्षता से बिना भेदभाव के कार्यवाही करें ।

व्यवस्था का प्रश्न

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्तवा पर सत्ता पक्ष के सदस्यों का बोलने का अधिकार

श्री अध्यक्ष : मुझे स्पष्टीकरण के रूप में दो शब्द कहने दीजिए । माननीय ईश्वर चन्द्र जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया उस सम्बन्ध में मेरी एक हद तक सहानुभूति है । सिद्धान्ततः स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार होते हैं, उन पर विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए । सदन की परम्परा यह रही है । ऐसा होने के उपरान्त भी

(श्री अध्यक्ष)

विपक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। श्री गुरुशरण छावड़ा ने जो प्रश्न उठाया और विरोधी दल के नेता ने भी मेरा ध्यान आकर्षित किया, मैंने जानकारी प्राप्त की, मुझे यह सूचना मिली कि माननीय सदस्य की ओर से कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है। अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो तो मैं उत्सुक हूं इस बात को कि शासन पक्ष को दो दो मिनट का समय दूं और अगर विरोधी पक्ष के नेता महोदय यह भी कहते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की समस्या है तो मैं श्री गुरुशरण को दो मिनट का समय देने से इन्कार नहीं करूंगा लेकिन अनुशासित रूप में आसन को सहयोग मिले। कल क्या हुआ ? दो माननीय सदस्यों को मैंने अनुमति दी और 20 बोले। इसके ऊपर भी ध्यान आकर्षित किया तो इस तरफ नहीं देख कर गैलरी की तरफ देख कर भर भर अपना भाषण जारी रखा। यह तो सदन की महिमा और गरिमा को बढ़ाने वाला नहीं है। आपत्तिजनक लेख भी इस तरह का आचरण प्रकट करता है।

माननीय गुरुशरण छावड़ा को कहना है तो दो शब्द कहें लेकिन मेरी दुर्गति करके सदन की गरिमा बढ़ायेंगे या आप प्लेइंग दी गैलरी के ऊपर सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी विचारधारा नहीं है। कृपया अनुशासित रूप से आसन का ध्यान रखते हुए, सदन की गरिमा को निभाते हुए आप अपने विचार रख सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गुरुशरण छावड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपके प्रति आभार प्रकट करूंगा कि आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मेरा नहीं होने पर भी मुझे बोलने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि यह झगड़ा सामान्यतः एक इसी प्रकार का झगड़ा था जैसे अक्सर कालेज के अन्दर विद्यार्थियों के अन्दर चुनावों के दौरान होता है लेकिन इस बात को इतना तूल दिया गया कि अर्द्धरात्रि को उस कालेज के एक ग्रुप ने मेरे क्षेत्र के एक युवक विद्यार्थी श्री ओम प्रकाश के होस्टल में जाकर जिस प्रकार उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया और जब यह देखा कि यह मर चुका है तो उसको छोड़ कर वह वहां से फरार हुए। जब कुछ विद्यार्थियों को पता लगा तो उसको हास्पिटल में एडमिट कराया। उसके बाद वह विद्यार्थी, जो कि प्रभावशील लोगों के बेटे हैं, जयपुर आये और यहां से जो दबाव पड़ा तो उसको बिना उपचार किये ही हास्पिटल से छुट्टी दी गयी। यह भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुखद है लेकिन चाहे वह किसी भी विधायक के या मन्त्री के या सरकारी आफिसरों के बच्चे क्यों न हों, चाहे वह सत्ता पार्टी से हों या विरोधी पक्ष से क्यों न हों, यदि हमारी

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

कानून ग्रौर व्यवस्था की यही स्थिति बनती है तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वह सख्ती से कार्यवाही करे। ग्रगर सख्ती से कार्यवाही नहीं होगी तो हम शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ कर रख देंगे। चाहे इसके ऊपर किसी का भी दबाव क्यों न हो ग्राप निष्पक्ष जांच करके दोषी विद्यार्थी को कानून के मुताबिक दण्ड दिलावें। मुझे इतना ही कहना है।

धन्यवाद !

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने ग्रभी बीकानेर के सम्बन्ध में ग्रापके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्राकर्षित किया। यह सही बात है, ग्रध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों पहले रात के करीब सवा दो बजे कुछ लोगों ने एक गिरोह बनाकर ग्रोमप्रकाश ग्रौर उनके एक मेहमान श्री काशी राम जी जब ग्रपने कमरे में सो रहे थे उस समय हमला किया ग्रौर काफी चोटें पहुंचाईं। उनसे पुलिस ने भी जाकर बयान लिए तो उन्होंने एक ग्रादमी का नाम लिया। बाकी यह कहा कि 15 लड़के उनके साथ थे ग्रौर उन्होंने ग्राकर मारपीट की है। इसकी जो सूचना मेरे पास प्राप्त हुई है उससे जाहिर होता है कि गोविन्द सिंह नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया है ,ग्रौर 6 ग्रौर लड़कों का ग्राइडेन्टीफिकेशन किया है ग्रौर उनके खिलाफ वारण्ट हांसिल कर लिए हैं। यह मुझे स्वीकार करने में सन्तोष नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार के मामले नहीं होने चाहिए। यह मैं चाहता हूं ग्रौर जरूरी भी है कि स्थानीय पुलिस ज्यादा से ज्यादा ऐसे मामलों में कार्यवाही करे। कानून ग्रौर व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है उसमें सी. ग्राई. डी. को ज्यादा हमें नहीं डालना चाहिए। कोई इम्पोर्टेन्ट केसेज हों जिनमें काफी समय लगता हो उनमें सी. ग्राई. डी. को शक्ति लगानी चाहिए। मैंने ग्रादेश दिया है कि यह मामला तुरन्त स्थानीय पुलिस को दे दिया जाये ग्रौर जांच करवाई जाये। स्थानीय पुलिस इसकी जांच करेगी। मैंने इस सम्बन्ध में डी. ग्राई. जी. से भी बात की है ग्रौर इस पर कार्यवाही निकट भविष्य में ही होगी।

प्रिन्सिपल को मारने में जो लड़के शामिल हैं उनके नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इनवेस्टीगेशन चल रहा है। इसलिए उनको बताना उचित नहीं होगा। उसका इनवेस्टीगेशन हो रहा है ग्रौर मैं समझता हूं कि दोषी व्यक्ति जल्दी ही ग्ररेस्ट होंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। मैंने डी. ग्राई. जी. से बात की है ग्रौर मैंने इन्सट्रक्शन्स भी दिये हैं। मुझे उम्मीद है कि वह ऐसे तत्वों को पकड़ने में कामयाब होंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सर्किल डी. ग्राई. जी. की बिना इत्तला के यहां इम्पोर्टेन्ट फाइल ग्रा जाती है। इसका मतलब यह है कि ग्राप केसेज में दिलचस्पी रखते हैं ?

श्री दूलाराम (रायसिंह नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना है, जमानत जब हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गयी तो उससे पहले यह फाइल एडीशनल आई. जी. के पास थी। जब हाई कोर्ट का निर्णय हुआ और वहां असन्तोष पैदा हुआ तो उसके बाद होम कमिश्नर ने एक्शन लिया। तो उन्होंने चुपके से वह फाइल भिजवा दी और इसके ऊपर एक्शन हुआ। घटना तो 20-21 जनवरी, 1979 की रात की है। उस व्यक्ति को छड़ों से पीटा गया है और शरीर पर उसके चोटें हैं, उसका नाम ओमप्रकाश है। दूसरे काशीराम उसके पास ठहरा हुआ था, उसको इस चुनाव का ही पता नहीं और उसका छात्रों से कोई लेना देना नहीं उसको सिर्फ इसलिए पीटा गया कि वह ओमप्रकाश के ऊपर जाकर पड़ गया। उसके भी शरीर पर चोटें मारी गयीं। उसका हाथ टूट गया। 16 चोटें आई हैं हाई कोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की उसके बाद हमीर सिंह जी ने हथियार डाले, उसके पहले नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह विश्नोई : प्रिन्सिपल ने लड़कों के खिलाफ लिखा कि उनकी पढ़ाई खराब हो रही है उस रंजिश की वजह से प्रिन्सिपल को पीटा। प्रिन्सिपल की पिटाई हो जाय यह मामूली बात है क्या?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं क्योंकि उस शहर का रहने वाला हूं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से गृह मन्त्री जी को कहना चाहूंगा और अन्य माननीय मैम्बर्स से भी कहना चाहूंगा कि डूंगर कालेज स्टूडेन्ट्स के चुनावों के दौरान कुछ ऐसी घटना हुई कि एक स्टूडेन्ट गिनती के सभी वोटों के बण्डल को लेकर भाग गया। उस घटना के बाद एक के बाद एक घटना का क्रम चालू हो गया। मैंने स्वयं ने उन विभिन्न छात्रों में शांति पैदा करने के लिए अथक प्रयास किये। मुझे यह कहने में संकोच नहीं होगा कि आज जो वहां वारदात हुई है यह 3 महीने पहले होने की सम्भावना थी लेकिन यह उस समय नहीं हो पाई। मैं यहां यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज जातियों के जहर ने हमारे सामाजिक जीवन को दूषित कर दिया। यह जाट और राजपूत लाबी का सारा असर स्टूडेन्ट्स समस्या पर है। आज जोधपुर में घटना हुई उसका एक मिनी शो बीकानेर में हुआ है। मेरी सरकार से यह मांग है कि मैंने गृह मन्त्री जी का ध्यान अनेकों बार ओमप्रकाश की घटना की ओर दिलाया, गृह मन्त्री जी ने मेरी बात को मान कर उस फाइल को दुबारा बीकानेर भिजवाया, मैं इसके लिए गृह मंत्री जी का आभारी हूं। गृह मंत्री जी ने किसी दबाव में न आकर मेरे कहते ही उस फाइल को तुरन्त बीकानेर भिजवा दिया लेकिन हमें इस मसले को राजनीति में नहीं लाकर चाहे जो भी दोषी व्यक्ति

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

हो और किसी भी ग्रुप का हो सत्तापक्ष का हो या विरोध पक्ष का हो law takes its owncourse। प्रिन्सीपल के साथ घटना हुई वह निन्दनीय है। प्रिन्सिपल का उसमें कोई दोष नहीं है। वह किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं है। यह अच्छा प्रिन्सिपल है अगर हमारे प्रिन्सिपल की प्रतिष्ठा को हमने सेव नहीं किया तो कोई भी प्रिन्सिपल अपनी ड्यूटी का अन्जाम नहीं दे पायेगा। यह सारा दायित्व गृह मन्त्री जी पर है और मैं चाहूंगा कि वहां से जब तक स्थानीय पुलिस अधिकारियों के ट्रान्सफर नहीं होंगे इस मसले को वह हल करने में कम सफल होंगे। गृह मन्त्री जी समझ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी और अविलम्ब आप कदम उठावेंगे वह सभी के लिए ठीक होगा।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अलवर जिले के अन्दर जो बिजली विभाग की धांधली चल रही है उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। इस बिजली विभाग की धांधली से राजस्थान के पूरे किसान परेशान हैं। अलवर जिले के अन्दर और पूरे राजस्थान के अन्दर किसानों को, अध्यक्ष महोदय, समय पर बीज नहीं मिल सका। बीज भी किसी प्रकार बोया. उनको खाद नहीं मिली पर्याप्त मात्रा में। उसके बाद डीजल नहीं मिला डीजल नहीं मिलने के बाद भी किसान अपनी फसल को जब पकाने जा रहा है तो इस मार्च के महीने में बिजली आँख मिचौनी कर रही है। पूरे मार्च के अन्दर कभी दो घंटे आई और कभी तीन घंटे बिजली आई। अध्यक्ष महोदय, 15 मार्च से आज तक, कल तक तो मेरे पास सूचना है, अलवर जिले के अन्दर कुछ तहसीलों के अन्दर बिजली बिल्कुल बंद है। अध्यक्ष महोदय, इस समय फसलें पक रही हैं। गेहूं की फसल जो कि पकने जा रही है उसको बिजली की अत्यंत आवश्यकता थी। बिजली उन किसानों को मिलती, वे समय पर पानी देते और पानी देने के बाद उस फसल को काटते लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर और अलवर जिले के अन्दर किसानों का यह दुर्भाग्य है कि समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है। ईश्वर की कृपा है अलवर जिले में फसल बहुत अच्छी है लेकिन अच्छी फसल बिजली नहीं मिलने की वजह से अधपकी कटेगी इस बिजली विभाग की धांधली की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। मैंने जिलाधीश से बात की। वहां के बिजली के अधिकारियों से 10 बार टेलीफोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई नहीं मिला। मेरे एरिया के अन्दर मैं गया था। चार सौ कुएं ठप्प पड़े हैं। कोई 32 हजार मन अनाज होने की संभावना थी। अनाज की फसल को इतनी क्षति हुई है कि उसके अन्दर आधा अनाज भी पैदा नहीं होगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी..........

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अलवर के अन्दर जो धांधली चल रही है, उस धांधली को शीघ्र ही दूर करें नहीं तो फसल काफी हद तक बर्बाद हो जायेगी।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था....

श्री समरथ लाल : यह इतना सीरियस मैटर है और बिजली मंत्री जी चुपचाप बैठे हुए हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अणुशक्ति परियोजना के यूनिट के दिनांक 17 मार्च की शाम को बन्द होने के फलस्वरूप पावर स्टेगरिग एवं शिड्यूलिग करना आवश्यक हो गया था तथापि उस अवधि में भी प्रयत्न यह रहा कि जहां तक सम्भव हो सके, कृषि के लिये बिजली में कटौती न की जाये।

दिनांक 23 मार्च की रात को राजस्थान अणुशक्ति परियोजना का यूनिट तो चालू हो गया किन्तु दिनांक 24 मार्च को अलवर, कोटपूतली 132 के० वी० लाइन के तार खींचते समय 11 बजे प्रातः से सायं 7 बजे तक शट डाउन किया जाना आवश्यक हो गया।

एक दिन लाइन में फाल्ट हो जाने के कारण पावर सप्लाई ठीक प्रकार से नहीं दी जा सकी।

कल दिनांक 26 मार्च से पोंग में मशीनें खराब होने के कारण राजस्थान के भाग में बिजली की कमी हुई है। तथापि बिजली के प्रदाय की व्यवस्था लोड शैडिंग एवं शिड्यूलिंग करके की जा रही है और कृषि के लिये सामान्यतः 18 से 20 घंटे तक विद्युत प्रदाय की जा रही है। अधिक मांग की पूर्ति के लिये यह बात सच है कि अलवर में 25 एम० वी० का ट्रांसफार्मर लगा है और 100 एम० वी० का एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हो रही है। हम यह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की मांग जो है वह पूरी हो जाये। जैसा मैंने कहा कि कहीं भी कोई परेशानी हो, आप सूचित करें, उसको ठीक करने की पूरी कार्यवाही की जायेगी।

श्री दुलाराम : मेरा स्थगन प्रस्ताव है। गंगानगर जिले में हाई स्पीड डीजल जो भारत सरकार ने भेजा है, हो सकता है सारे राजस्थान में भेजा हो जो तेल गंगानगर को भेजा है उसका एक सैम्पल मैं शीशी में लाया हूं वह मैं सदन के पटल पर रखता हूं। मान्यवर, करीब 5 हजार ट्रैक्टर, 1 हजार ट्रक हजारों बसें हैं और रोडवेज की सरकारी बसें हैं। करीब 10, 15 दिन से यह कच्चा तेल सप्लाई किया गया। इस तेल की सप्लाई की वजह से गंगानगर जिले के ट्रैक्टर, ट्रक, बसें और और डीजल से चलने वाली जितनी मशीनरी है, उनका करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। मैं यहां तक निवेदन करूंगा कि राजस्थान बोर्डर से गंगानगर जिले की मिलिट्री ने यह रिपोर्ट भेजी है भारत सरकार को। पता नहीं राजस्थान सरकार को भेजी है या नहीं कि से. उधर पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी दिये जाने के संबंध में बोर्डर पर खतरा है, इस तेल की वजह हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे क्योंकि इस तेल के डालने के बाद सिर्फ एक फर्लांग चलने के बाद ट्रक, बस, ट्रैक्टर सब बंद हो जाते हैं। उसके बाद उस ट्रैक्टर का पम्प खोला जाये और उसकी सारी मशीनरी खोलने के बाद साफ की जाये, तेल को गर्म किया जाये और फिर डाला जाये। यह जनता सरकार ने

(श्री दुलाराम)

कोई खुद का तेल भेजा है, समझ में नहीं आया। गंगानगर के बोर्डर पर रहने वाला है पहले वह तेल गर्म कर फिर उसमें डाले और फिर आगे चले। लोकसभा में, राज्य सभा में यह प्रश्न उठाया जाना चाहिये था लेकिन वहां के एम० पीज निकम्मे है, अनपढ़ हैं, आटे की बोरी हैं ......

श्री मूलचन्द डागा : This is undesirable.

श्री श्योपतसिंह मकासर : अनपढ़ हैं, तो आपके बाप।

श्री माधोसिंह कच्छवाह : अनपढ़, निकम्मा शब्द कार्यवाही से निकाले जायें।

श्री दुलाराम : असंसदीय हैं तो आप देख लें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय सदस्य, आप ये शब्द वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी जैसा आप समझें। अध्यक्ष महोदय, एम० पीज हमारे सम्मानित प्रतिनिधि हैं। हम सब की शान हैं। यदि अनयास ये शब्द निकल गये तो शब्द वापस ले लें।

श्री दुलाराम : मेरा निकम्मा कहने का मतलब किसी प्रकार का कोई काम न करने से है। आपको निकम्मा खराब लगता है। जैसे आप बैठे हैं, आप निकम्मे बैठे हैं. आपके पास कोई काम नहीं है। अगर दूसरा अर्थ लेते हैं ......

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह सारी गन्दगी है, जितना छेड़ोगे, गन्दगी निकलेगी।

श्री दुलाराम : गंगानगर जिले के काश्तकार, बोर्डर पर लड़ने वाले सिपाही को इस बात की चिन्ता है कि यह तेल कमजोर है और इससे लड़ा नहीं जा सकता।.

माननीय मंत्रीजी टाल रहे हैं। ये भी गंगानगर के ही रहने वाले हैं लेकिन इनका घर दूर है। इसलिये हमें ज्यादा चिंता है। जो भारत सरकार के अधिकारियों ने यह तेल सप्लाई किया है, मैं तो कहता हूं उनको भी भुट्टो की तरह फांसी पर लटका दिया जाय, क्योंकि वे भी देशद्रोही हैं। भुट्टो देशद्रोही और हत्यारा होने के कारण फांसी पर चढ़ रहा है तो ये अधिकारी उससे कम देश द्रोही नहीं हैं। यह तेल भेज दें और मेहरबानी करके आप उन्हें कहें कि हमारे सैनिक जो पाक सीमा पर बैठें हैं उन पर तरस खायें करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति पर तरस खाये, देश पर तरस खाये और इस प्रकार का कच्चा तेल न भेजें।

मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तेल मुझे तो ऐसा लग रहा हैं कि पाकिस्तान के साथ साजिश करके भेजा है कि पाकिस्तान वाले लड़ाई करते हैं. इसलिए भेज दो। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा यह शीशी सदन के पटल पर रख रहा हूं, इस तेल की आप जांच करवाये दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय और बहुगुणा साहब से त्याग पत्र मांगा जाय।

श्री बिरदमल सिंघवी (खाद्य एवं आपूर्ति

(श्री बिरदमल सिंघवी)

मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तेल के विषय में जैसा अभी बताया है यह अगर राष्ट्रीय निगम द्वारा प्राप्त है। स्वयं विधायक महोदय ने कहा है भारत सरकार से आता है। तो जो वहां से तेल प्राप्त होता है उसको हम एजेन्सी द्वारा वितरित करते हैं.......

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मंत्री महोदय किसी ने एडल्ट्रेशन तो नहीं किया है ?

श्री बिरदमल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, कुछ कारण तो यह भी हो सकता है कि इण्डियन स्टैण्डर्ड की सूचना अनुसार इसमें वैक्स मिलाना पड़ता है। वैक्स सर्दी में जम जाता है और उसमें कुछ खराबी आती है। फिर भी माननीय सदस्य ने जैसा बताया है, हम जांच करेंगे और निश्चित रूप से का कोई अधिकारी दोषी होगा तो सजा दी जायेगी। यदि वहां की कोई गलती है तो उनको लिखा जायगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि उन पैट्रोल पम्पों पर जहां डीजल मिलता है, माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है वहां पर फौरन एक स्क्वैड भेजना चाहिये जो जांच करे कि यह किस प्रकार का तेल सप्लाई किया गया है। सवाल यह नहीं है इसमें कुछ मिला देते हैं एडल्ट्रेशन कर देते हैं यह तो यहां के लोकल व्यापारी भी कर सकते हैं। मेरा निवेदन है आपको तुरन्त वायरलैस से सूचना भेजनी चाहिये और इसकी जांच करानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : इस प्रकार की गद्दारी करने वाले व्यापारियों को किसी भी प्रकार नहीं बचाया जाना चाहिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : हमारे जो सैनिक हैं वहां पर वे भी डीजल को काम में लेते हैं। करोड़ों रुपयों की मशीनरी ट्रक, ट्रैक्टर आदि में काम में लेते हैं। अगर एडल्ट्रेशन किसी पैट्रोल पम्प वाले ने किया है तो उसको फौरन पकड़ना चाहिये, डिपो वाले ने एडल्ट्रेशन किया है तो उसको पकड़ना चाहिये। अतः आप फौरन जांच की व्यवस्था करें।

श्री बिरद मल सिंघवी : मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी को नहीं छोड़ा जायगा।

श्री दुला राम : अध्यक्ष महोदय, इसकी शिकायत वहां के अधिकारियों ने की है, वहां के किसानों ने की है, ट्रक मालिकों ने की है तो क्या उन सब शिकायतों पर हमारा कलेक्टर आंख बंद किये बैठा है। फौरन भारत सरकार को इन्फार्म करें कि ऐसा कच्चा तेल नहीं भेजें। मैं इस तेल के नमूने को दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय यह खिलवाड़ गंगानगर जिले के लोगों के साथ ही नहीं है पाकिस्तान सीमा के साथ बैठे हुए लाखों हजारों सैनिक भाइयों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप फौरन इसकी जांच की व्यवस्था करें।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा तेल में

(श्री माधोसिंह कछवाह)

मिलावट की बहुत जगह शिकायत आती है स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले ही जहां से इस प्रकार की शिकायत है, वहां छापा मार कर जांच करानी चाहिये ताकि वे लोग पकड़ में आ सके।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है दुलर्भ जी हास्पिटल ने धर्म के नाम पर और दान के नाम पर लूटने का तरीका इस्तेमाल करके सरकार से सस्ती दर पर जमीन, सस्ती दर पर बिजली और सस्ती दर पर पानी की सुविधायें प्राप्त की हैं जबकि यहां पर किसी भी गरीब आदमी का इलाज नहीं हो सकता है। इस संस्था के लोगों ने सरकार को मुगालते में रख कर सस्ता पानी, सस्ती बिजली और सस्ती जमीन ले ली आज यह गरीबों के लिए एक शोषण का घर बना हुआ है। आज गरीबों को इलाज के लिये वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज वे ही लोग वहां इलाज को जायेंगे, जिनके पास पैसा है। लोगों ने वहां गरीबों के नाम से मकान बनाये हैं लेकिन वे वास्तविक गरीबों के काम में नहीं आते हैं। मैं उन गरीब लोगों की फोटो रखूंगा जो इलाज के लिये वहां आते हैं और सड़कों पर पड़े रहते हैं। जो वहां धर्मशाला है वह केवल अमीरों के लिये काम में आती है। गरीबों के नाम सरकार ने जो जमीन अलाट की है वह गरीबों के काम न आकर धनाढ्य लोगों के काम में आ रही है पूंजीपति और सेठों के काम में आ रही है। गरीबों के नाम पर जो वहां भर्ती होती है उनके नाम, अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊंगा। अभी वहां एक लेडी भर्ती हुई है वह रामसिंहजी की पत्नी है। क्या वह गरीब है जो उसको वहां भर्ती करने की जरूरत थी, एक प्रोविडेन्ट फन्ड कमिश्नर है उनको भर्ती कराया गया है, जो क्या बहुत गरीब है? इसी तरह दूसरे इन्कम टैक्स आफिसर हैं जो सुविधा उठाने के लिये गरीब के नाम पर भर्ती हुए हैं. क्या अध्यक्ष महोदय वे बहुत गरीब हैं जो भर्ती हुए हैं। बड़े शर्म और दुःख की बात है कि ये लोग गरीबों के नाम पर लाभ उठा रहे हैं और सुविधायें भोग रहे हैं। असली गरीब को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। उनको 20-20 रुपये के कूपन दिये गये हैं, मैं सदन की मेज पर जिनको रख रहा हूं। मुफ्त इलाज और काटे गये कूपन जो दिये गये हैं, उनको भी मैं सदन की मेज पर रखूंगा। इस तरह गरीबों के नाम से धोखा देने का यह जयपुर के जौहरियों का एक नाटक है इस नाटक को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये।

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैंने कुछ दिन पहले सीकर का एक मामला रखा था और व्यक्तिगत तौर पर भी कहा था कि गरीब मजदूरों को पानी बन्द करने का इल्जाम लगाया है, उसकी आपके पास रिपोर्ट आई होगी, क्या ऐसा हुआ है? मैं निवेदन करूंगा कि आपको गरीबों के लिये सोचना पड़ेगा। ऐसी संस्थायें जो गरीबों के नाम पर सरकार से सुविधायें लेकर चलती हैं उन पर इस प्रकार की पाबंदी लगा देनी चाहिये। गरीब लोगों को प्राथमिकता दे ताकि गरीबों को लाभ मिल सके

(श्री तूरा)

उनके नाम पर दूसरे लोग लाभ उठाये, यह कहां तक उचित है ? ग्रस्पताल में मिलने ग्राने वालों से एक रुपया फीस ली जाती है कोई गरीब ग्रादमी से या किसी मरीज से मिलने ग्रायेगा तो एक रुपया फीस देगा ? उसका भी कूपन है वह भी मैं सदन की मेज पर रखूंगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबों के नाम से कोई मिलने के लिए ग्रायेगा ग्रौर टेलीफोन करेगा तो 50 पैसा उसको देना पड़ेगा । इस तरह से सारे के सारे जौहरियों ने गरीब लोगों के धर्मार्थ के नाम पर कारखाना खोल रखा है जिसमें पैसे लूटे जाते हैं । उसको प्राइवेट के हिसाब से चला रखा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर हमारी राजधानी है उसमें बसने वाले जौहरी लोग इस तरह से गरीबों से पैसा ऐंठ रहे हैं ग्रौर गरीबों को कोई राहत नहीं मिल रही है । जो बड़े-बड़े ग्रधिकारी हैं वह उससे लाभ उठाते हैं । मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐसा हो रहा है । मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करे सस्ती बिजली ग्रौर पानी उसको मिलता है ग्रौर गरीबों को उसका लाभ नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

वहां हास्पटल के जो छोटे कर्मचारी हैं उनका 5 ग्रक्टुबर, 197. को श्रम विभाग के साथ बैठकर समझौता हुग्रा था उसको ग्रभी तक लागू नहीं किया । जो कर्मचारी हैं । उनके साथ बैठकर तय करके जो शर्तें रखी हैं उनको मान लेना चाहिए था । ग्रक्टुबर, 78 में उनका समझौता हुग्रा उसको ग्रभी तक लागू नहीं करना, जौहरियों का जो धर्मार्थ के नाम पर बना हुग्रा हास्पटल है उस पर धब्बा है । मैं स्वयं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मुझे वहां से कागज मिले हैं ग्रौर जो हकीकत है वह मैं सदन की मेज पर रखूंगा कर्मचारियों के समझौते को लागू करवाने के लिए ग्राप दबाव डालें । गरीब वर्ग के नाम पर जो बड़े लोग लाभ उठाते हैं उनको तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए । मैं तो यह चाहूंगा कि इसको सरकार ग्रपने कब्जे में ले ले । यही मेरी मुख्य मांग है, ग्रौर जो लूट मचा रखी है उसको रोका जाये । मैं सरकार से मांग करता हूं कि कुछ कागजों को मैं सदन के पटल पर रखता हूं जिन्हें देखकर वह स्वयं निर्णय कर ले ।

श्री त्रिलोक चन्द जैन (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जो हास्पटल चैरीटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलते हैं उनके ग्रपने कुछ नियम हैं । उन नियमों के प्रतिकूल जैसा माननीय सदस्य ने बताया है यदि कोई वहां किसी प्रकार की ग्रव्यवस्था है तो जांच कर ली जायेगी । जो ग्रापने जानकारी दी है उसकी जांच करके ग्रापको बता देंगे ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : हम ग्रापके सामने रखना चाहते हैं कि वह एक ट्रस्ट है जिसको हमारी सरकार ने सस्ती कीमत पर जमीन दी है ग्रौर मौके की भी जमीन दी है शहर के बीच में इस नीयत से जगह दी है कि वहां गरीब लोगों को भी दवाइयां मिलेंगी । दुलर्भ जी हास्पटल कोई छिपी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

हुई संस्था नहीं है। बहुत बड़ा और मशहूर हास्पटल है बड़े-बड़े लोग उसमें जाते हैं उनसे अच्छा पैसा वहां लेते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता, वह मरता है। पिछली साल बहुत से अखबारों में आया, ब्लिट्ज में आया कि कैसे लोग मरते हैं और बड़ी ही बेरहमी के साथ जो मरीज मर जाता है उसके परिवार से पैसा वसूल करते हैं। उसको उठाने नहीं देते। यदि वहां मानवीय दृष्टि-कोण नहीं है तो फिर यह ढोंग है? एक फायदे की इन्सटीट्यूशन है जो कि कारखाने की तरह काम कर रही है। वह एक बूचड़खाना है और कसाईखाना है। गरीबों का वहां पर घुसना भी गुनाह है।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, एक आदमी के 20 रुपये जमा नहीं कराने पर उसकी लाश पड़ी रही जिसकी सूचना अखबारों में आई है। उसकी लाश नहीं ले जाने दी। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे लोग सरकार से सुविधायें ले जाते हैं तो ऐसा धोखा देने वाले जौहरियों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। यह कागज भी मैं सदन की मेज पर रखता हूं जो कि पेपर में सूचना आई है कि 20 रुपये लेने पर भी लाश नहीं ले जानी दी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या आप इसको ऐड भी देते हैं?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : नहीं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव जयपुर शहर की जो ब्यूटी है, शिल्पकला है, स्थापत्य कला है, जिसके कारण से इसकी 250 वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया और देश के प्रधान मंत्री को यहां इन्वाइट किया गया, जो सारी दुनियां में पिंकसिटी के नाम से फेमस है, जहां लाखों टूरिस्ट्स प्रति वर्ष आकर राज्य को फौरेन एक्सचेन्ज का लाभ दिलाते हैं आज राजस्थान के अग्रणी शहर और भारत के फेमस सिटी जयपुर शहर में किस प्रकार से जनता सरकार के एक विशेष घटक के मंत्री व्यापारी लाबी को लाभ देने के लिए हजारों राहगीरों और पैडस्ट्रियन के हितों की बली देने पर उतारू हो गये हैं। हमारे स्वायत्त शासन के मंत्री आर०.एस० एस० से हैं और जयपुर शहर के जितने भी सिविल ट्रेड के दुकानदार हैं वह आर० एस० एस० लाबी से प्रभावित हैं। जनसंघ लाबी से प्रभावित हैं। कांग्रेस सरकार ने कितने भी गलत काम किये होंगे लेकिन जयपुर शहर की सुन्दरता, स्थापत्यकला और शिल्पकला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 तारीख के राजस्थान पत्रिका में राजस्थान मंत्रीमण्डल का फैसला छपा है कि जयपुर शहर के प्रमुख बाजारों मेंदुकानों के आगे जो बरामदे बने हुए हैं उनकी जगह दुकानदारों को दे दी जाये। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी जयपुर से परिचित हैं, आपने भी 25 साल जयपुर में व्यतीत किये हैं और आज भी आप सिविल लाइन्स तक जाने के लिए जयपुर के मुख्य मार्गों से गुजरते हैं। आप देखें कि भारत में जयपुर शहर ही ऐसा शहर है जहां दुकानों के आगे राज्य

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

की जमीन पर बरामदे बनाये गये हैं ताकि बरसात में और धूप में जो राहगीर हैं वह बरामदे में शरण ले सकें। यहां की यही तो शिल्पकला है, यही वास्तुकला है और यहां का यही आर्कीटेक्चर है। परन्तु आज हमारी जनता सरकार के यह आर० एस० एस० के मंत्री श्री भंवरलाल जी शर्मा जिनकी यह ड्यूटी थी इस शहर के होने के कारण और जयपुर शहर के विधायक होने के कारण कि जयपुर शहर की सुन्दरता में चार चांद लगाते लेकिन उसके बजाय जो यहां की सुन्दरता है उसको नष्ट कर रहे हैं। आज उनको कोई हक नहीं है कि जौहरी बाजार या चांदपोल बाजार या एम० आई० रोड के बरामदे को इस तरह से दुकानदारों को दे दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वह आधारभूत सवाल उठा रहा हूं कि राजनैतिक पार्टी के मंत्री सत्ता में आने के बाद वोट प्राप्ति के लिए जनहित के खिलाफ कोई कार्य न करे। यह कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर सारे बरामदे उन दुकानदारों को किराये पर दे दिये गये तो वह अपनी दुकानों के शटर रोड़ तक ले आयेंगे और दुकानें रोड़ तक आ जायेंगी। वह बरामदा जिसकी कीमत आज एक हजार रुपया प्रति वर्ग गज है, के ऊपर वह अधिकार कर लेंगे और जो राहगीर हैं, पेडस्ट्रियन हैं वह जो उनके धूप और बरसात में शरण लेने की जगह है, जो चलने की जगह है उस अधिकार से वंचित हो जायेंगे। जयपुर शहर में पैदल चलने की समस्या पैदा कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि आपके कोमल हृदय को राजस्थान मंत्रिमंडल के इस फैसले से चोट पहुंची होगी। एक तरफ तो हम प्रधानमंत्री के हाथों से राजा जयसिंह की मूर्ति को माला पहनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह याद है, राजमाता गायत्री देवी के एक लैटर पर पंडित नेहरू ने जो गेट तोड़ने की कार्यवाही शुरू हो गई थी, उसको रोक देने के लिए आदेश दिया था। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के जमाने में अजमेरी गेट, चांदपोल गेट, सांगानेरी गेट को रास्ता चौड़ा करने के उद्देश्य से तोड़ने का फैसला लिया गया था। परन्तु उस समय राजमाता गायत्री देवी ने पंडित नेहरू को पत्र लिखा और इस कार्यवाही को रुकवाया था। यह कह कर रुकवाया था कि आज अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैन्ड का जो टूरिस्ट इंडिया आता है वह इन पत्थरों की बिल्डिंग्स को नहीं देखना चाहता है। वह देखने आता है भारत वर्ष की 250 वर्ष पुरानी स्थापत्य कला, शिल्पकला को, उसकी सुन्दरता को देखने आता है। उसके इन छज्जों को देखने आता है। यह जो आपकी नई बिल्डिंग्स हैं उनको देखने को नहीं आता है। तब फिर, मंत्री महोदय, आपको क्या हक है कि राजस्थान के इस शहर को उसका सुन्दरता से महरूम करने का ? मुझे मालूम है आपने अपने आर. एस. एस. से सम्बन्धित संस्थाओं को हजारों वर्ग गज जमीन, आठ हजार वर्ग गज जमीन आदर्शनगर में दी है। मुझे मालूम है आपने दीनदयाल स्मारक निधि को जमीन दी है। मैं मानता हूं कि

(श्री राम कृष्ण दास गुप्ता)

श्री दीनदयाल उपाध्याय एक राष्ट्रीय नेता थे परन्तु उनके नाम से आप अपनी संस्थाओं को जमीन दे रहे हैं। आपने सत्ता में आने के बाद राजस्थान के अन्दर सभी शहरों में एक न एक जो आर. एस. एस. से सम्बद्ध संस्था है, उनको आपने जमीनें दी हैं। आपके सत्ता में आने के बाद यह सारी कार्यवाही हो रही है। आपके सत्ता से हटने के बाद शाह कमीशन बैठेगा और आपके कृत्यों की जांच होगी तब पता चलेगा। हमारे मंत्री महोदय श्री भंवरलाल जी हंस रहे हैं। परन्तु मेरी आत्मा नहीं मानती है। आज इस जयपुर शहर की जो आवश्यकता है, वह यह है कि जयपुर की सड़कों को चौड़ा किया जाए। इसके साथ ही जो बरामदे हैं उनमें राहगीर के पैदल चलने के लिए अलग से रास्ता बने। आज सचिवालय के सामने राहगीरों के लिए पांच फीट की एक पट्टी अलग से बनायी जा रही है दूसरी तरफ जो व्यवस्था है, उसको हटाया जा रहा है। इससे जयपुर के भूतपूर्व राजा महाराजाओं को चोट पहुंचेगी। आर. एस. एस. के लोगों को, आर एस एस से सम्बन्धित दुकानदारों को यह सरकार हजारों रुपयों का लाभ दे रही है। जयपुर में हमारे नागरिकों के हितों की बलि देकर यह सरकार आर. एस. एस. के लोगों के सामने घुटने टेक रही है। मैं समझता था कि राजस्थान में जनता सरकार के आने के बाद, जिन दुकानदारों ने बरामदों पर कब्जा कर लिया है, उनसे ये बरामदे खाली करवाये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि जयपुर शहर में ऐसा न करके, उसकी खूबसूरती को मिटाया जा रहा है। यह, अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के विधायक, मन्त्री महोदय के नापाक हाथों से नापाक इरादों के कारण हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्य की एक बात पसन्द आई है जयपुर के सौन्दर्य के सम्बन्ध में। Jaipur city is the apple of the eyc of the tourists world.

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है आपका हृदय इससे दुखी है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव देकर इस सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है वरना आने वाली पीढ़ी हम को और आपको कोसेगी। यह जो हमारे विधायक है, मंत्री गण हैं, ये क्या कर रहे थे उस समय? उन राजा महाराजाओं की आत्माएं जहां भी होंगी, हमको इसके लिये कोसेगी।

अध्यक्ष महोदय मैं जानता हूं कि श्री भंवरलाल जी के चेहरे पर क्यों मुस्कराहट है? मुझे मालूम है हमारे यू. आई. टी. के चेयरमैन साहब ने इन सेठों के सामने घुटने टेके, इनको अनुचित लाभ देकर वे आज जयपुर की सड़कों पर मरकरी लाइट लगवा रहे हैं। एक तरफ तो हमारे भार्गव साहब मरकरी लाइट लगवाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, प्रेम प्रकाश सिनेमा के मालिकों को हजारों का फायदा देकर कुछ हजार रुपया वे मरकरी लाइट पर खर्च करवा रहे हैं परन्तु यह कहना पड़ेगा कि श्री भार्गव साहब किसी भी तरह से हो, जयपुर की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए मरकरी लाईट्स लगवा रहे है और दूसरी तरफ

(98)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता

हमारे मन्त्री महोदय, जो इसी शहर से आए हैं श्री भंवरलाल शर्मा, मैं समझता था कि श्री भंवरलाल शर्मा जयपुर शहर के निर्वाचित विधायक हैं इसलिए वे स्वयं यह समस्या सदन में लेकर आयेंगे परन्तु ऐसा न होकर पश्चिमी राजस्थान के एक तुच्छ विधायक, जो स्वयं अपनी समस्याओं से पीड़ित हैं, जयपुर शहर की समस्या इसलिए उठा रहा है, क्यो गत दो साल से वह जयपुर शहर में रह रहा है। यदि माननीय मन्त्री महोदय चाहेंगे तो उसे तीन साल और रहना पड़ेगा वरना इनके काम काज तो ऐसे हैं कि आज मिड टर्म पोल की सम्भावना दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही है। आपको यह शराब बन्दी खा जायेगी। आपको आपकी यह आपसी फूट खा जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के विरोधी दल के नेता महोदय से, अन्य पार्टी के नेतागण से और जनता पार्टी के उन सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं जिनकी आत्मा नहीं मरी है, जिनकी आत्मा अभी जिन्दा है, वे अब भी इस पीड़ा को देखें और इन नौ सीखये मन्त्रियों को ऐसा अत्याचार करने से रोकें। इस सदन से भी मेरी प्रार्थना है, अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर की प्राचीन सौन्दर्य को, स्थापत्य सौन्दर्य को नष्ट न होने दे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है। जयपुर शहर की दुकानों के आगे जो बरामदे हैं उनको दुकानदारों को देने का जो फैसला मन्त्रिमण्डल ने किया है उसकी सूचना अखबारों में प्रकाशित हुई है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी यह तय करेगी कि किस तरह, किस रेट से इन बरामदों को किराये पर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह खबर है समाचार पत्र में और दूसरी तरफ इस अखबार में यह भी खबर है कि यू. आई. टी. द्वारा जयपुर में आधुनिक प्रकाश की व्यवस्था के लिए सर्वे हो रहा है। यू. आई. टी. के चैयरमैन हैं वे हमारे सदन के माननीय सदस्य भी हैं, श्री गिरधारी लाल रजनीश, वह इस कोशिश में लगे हुए हैं हमारे तो सदन के रजनीश भगवान ही हैं, तो हमारे गिरधारीलाल जी रजनीश इस कोशिश में हैं कि इसे सुन्दर बनाया जाय। इस शहर में मरकरी लाइट लगाई जाय। उन्हें एक मिनिया हो गया है मरकरी लाइटों का। उनको दूसरी समस्यायें नहीं दिखाई देतीं। हमारी सैकड़ों बस्तियां गन्दगी के ढेर पर बसी हुई हैं। हमारे रजनीश को उन आदमियों की फिक्र नहीं है। जिन बस्तियों में कूड़े के ढेर रहते हैं उनकी फिक्र नहीं। बस स्टेशन से लेकर सिसोदिया गार्डन तक मरकरी लाइट लगा दी जाय। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? हिन्दुस्तान का एक शानदार शहर, जिसको देखने के लिये दुनियां का कोई हिस्सा नहीं जहां से टुरिस्ट न आते हों का बिल्कुल सत्यानाश किया जा रहा है। यह पहली दफा नहीं है। आज से 75 साल पहले जो दुकानों के आगे बरामदे बने, वह दुकानदारों को दे दिये गये थे यह दूसरी दफा आप दे रहे हैं। आज से करीब 75 साल पहले जो बरामदे दिये गये स वक्त की बात तो समझ सकते हैं

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

ग्राहकों और राहगीरों के दुकानों के सामने धूप में खड़े होने, बरसात में न भीगने के लिये बरामदे बनाने का फैसला हुआ। तो इस पर्पज से बनाये गये बरामदे थे उन को आप अपने स्वार्थों के लिये किराये पर दे रहे हैं। जो इमर्जेंसी में कर रहे थे सड़क चौड़ी करवा दी उसे ही आज हमारे संजय गांधी तंग करवा रहे हैं क्या फर्क रहा फिर? यह कोई फैसला है? जो कांग्रेस ने सब किया उसके पीछे पर्पज क्या था? नये नये मार्केट बनाये, जो शहर कंजस्टेड बन गया था, हमने खोखों, थड़ियों के लिये दूसरे बाजार आबाद किये और अब आप उन्हें फिर इन्वाइट कर रहे हैं। जब दुकान बरामदे में आ जावेगी तो आगे तम्बू लगा देंगे। आप देखें आपके जितने बेहतरीन बाजार हैं, जौहरी बाजार की क्या शक्ल हो गई है. स्कूटर मोटरें खड़ी हुई हैं। भीड़ को आप जाकर देखें, क्या हालत होती है? क्या तारीफ करेंगे आने वाले लोग आपकी? आप की तारीफ नहीं की जायेगी। हुकूमत आना बहुत बड़ी बात नहीं। हुकूमत तो बहुत से लोगों के पास आ जाती है। हुकूमत कांग्रेस के लोगों ने की। चंगेज खान ने भी की हुकूमत की लेकिन किसने कैसे काम किये, लोग इस बात को याद रखते हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो लोग आपको याद करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो आप मेहरबानी करके उस कदम पर मत जाइये। यह शानदार शहर जो आपकी बहुत बड़ी रेवेन्यू प्राप्ति का साधन है। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो ऐसा गलत फैसला मत लीजिये। और जबाब दीजिये इसके पीछे मन्शा क्या है आपकी? क्या नीयत है? आखिर आपका प्रपोजीशन क्या है? क्यों दिये आपने ये बराण्डे सिर्फ इस बात के लिये कि आपको फाइनेंस करें। एक यही मतलब है आपका—

(व्यवधान)

आपको फिक्र है अपने स्वार्थों की, आपको वोट देने वाले लोग तैयार हो जांय, आप उनको फायदा देना चाहते हैं। इसलिये अगर मंत्रिमण्डल में इस बात का विचार कर लिया हो, फैसला ले लिया हो तो मेहरबानी करके फैसले को बदल दीजिये। वरना लोग लड़ेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जी तशरीफ ले आये हैं। यह बड़ा गंभीर प्रश्न है यह मैं बहुत कहना नहीं चाहता। सरकार जनता की समस्याओं का हल करती है और आपकी सरकार, मुख्यमन्त्री जी, अपने लिये समस्यायें पैदा कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जयपुर में तीन मुख्य स्थल–एम. आई. रोड, जौहरी बाजार, चांदपोल गेट और किशनपोल बाजार। चारों जगह पर ट्रैफिक की डेंसिटी मेग्जीमम है। यहां पर बरामदों, जहां पर लोग बरसात में खड़े हो जाते थे और परचेजिंग करते थे उनको दूकानदारों को किराये पर दे कर आप ट्रैफिक के लिये समस्या पैदा कर रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं। शहर में चर्चा है, मुख्यमन्त्री जी, इन दुकानों को किन कारणों से दिया गया। माननीय सदस्य ने जवाब

(श्री मथुरादास माथुर)

दे दिया परन्तु यह चर्चा की बात है कि उनसे चन्दे लेकर नियान लाइट, मरकरी लाइट आप लगा रहे हैं और उनकी दूकानों के बरामदे किराये पर दिये जा रहे हैं यह आम चर्चा शहर में चल रही है। आप कृपया सोचें। यह आपके सोचने की बात है। इससे सरकार की नामवरी नहीं हो रही है, इससे बदनामी हो रही है। इन दूकानों के आगे जो बरामदे हैं उनको जहां हम यह सोच कर चलते थे कि इमरजैंसी के टाइम में इन बराण्डों को जबरदस्ती खाली कराया गया, वह एक कहानी थी। अब जो बराण्डे खाली पड़े हुए हैं उनकों खाली रहने दीजिये ताकि लोग वहां चल सकें और फुटपाथ पर नहीं आयें, नहीं तो लोगों को सड़क पर आना पड़ता है और फिर एक्सीडेन्ट होते हैं। एक्सीडेन्ट से एक आदमी की जिन्दगी चले जाना बहुत बडी बात है। इसलिये ट्रेफिक के दृष्टिकोण से बदनामी सरकार की हो रही है। इस दृष्टिकोण से या फारेनर पर्चेजर, टूरिस्ट बहुत आते हैं इस दृष्टिकोण से भी अगर इनको किराये पर दे दिया जाता है तो एम आई. रोड़ या दूसरे बाजार हैं जहां लोगों ने इन्क्रोचमेंट कर लिया उनको खाली कराने का प्रयत्न करें। आप ट्रेफिक, खूबसूरती और कन्विनियेंस के पाइन्ट आफ व्यू से, यह आम अवाम के हित में होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा, जयपुर में टूरिस्ट बढ़ेंगे, हर साल बढ़ते जा रहे हैं। जयपुर के बारे में बहुत कुछ कहा गया इतिहास में। आप ऐसी गलती न करें इन बराण्डों को किराये पर न दें। इसमें पब्लिक इन्ट्रस्ट इन्वाल्व्ड है।

दुकानदारों का स्वार्थ मैं समझ सकता हूं। आप उनको किराये पर देंगे तो वह दुकान उससे भी आगे निकाल देंगे। फिर आगे दो-चार पट्टियां रखेंगे और धूप से बचने के लिए कपड़ा लगा देंगे। तो दुकानदारों का तो स्वार्थ मैं समझता हूं, लेकिन उससे ट्रेफिक की प्रोब्लम होगी तो आप आम-अवाम के साथ खिलवाड़ न करें, और मेहरबानी करके जो निर्णय लिया है उसको रद्द करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर के बरामदों के सम्बन्ध में निवेदन है कि जौहरी बाजार और असेम्बली के सामने, और चौड़े रास्ते पर थड़ी होल्डर्स थे तो उनके लिये आलटरनेटिव बनाकर यहां से रास्ते खाली करवाये हैं। यह स्थिति पूर्व में रही है। दुकानदारों के एन्क्रोचमेंट के जितने भी मामले सामने आये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की है। 72-73 में मेरे पास डिपार्टमेंट था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का उस वक्त उनके एन्क्रोचमेंट हटाये थे।

जैसा कि आपने स्वयं ने आब्जेवेशन किया कि विश्व विख्यात हमारा यह शहर रहा है शिल्पकला के सम्बन्ध में, और जिस तरह से दूर के देशों में फ्रान्स के पेरिस की चर्चा है उसी तरह से पूर्व एशिया के जयपुर शहर की चर्चा है। जयपुर टूरिस्ट पेरेडाइजस के संसार के नक्शे पर है। इस शहर की सुन्दरता बढ़े इसलिए आवश्यक है कि इन

(श्री परसराम मदेरणा)

बरामदों को खाली कराया जाय। बढ़ती हुई आबादी के साथ में जैसा कि माथुर साहब ने कहा कि ट्रेफिक की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायगी और जो पेडेस्ट्रियन्स और पर्चेजर्स हैं उनको असुविधा होगी। जयपुर की सुन्दरता को तोड़ा जायगा तो उसके साथ-साथ बाजार भी सकड़े हो जायेंगे और लोगों का निकलना मुश्किल हो जायगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे आइलेण्ड्स नहीं हैं जहां पर स्कूटर और गाड़ी खड़ी कर सकें। आप यहां से जौहरी बाजार से, चौड़े रास्ते से जाइये, तो 15 मिनट का समय लगेगा क्योंकि वहां पर स्कूटर और गाड़ियां रोड्स पर खड़ी रहती हैं। जिस सरकार ने निर्णय लिया है उनके मुख्यमन्त्री जी आ गये हैं। जयपुर शहर की ढाई सौवीं शताब्दी मनाने के बाद, संसार भर में जयपुर की सुन्दरता की पब्लिसिटी करने के बाद, संसार भर के टूरिस्टों का जयपुर शहर में आह्वान करने के बाद यह निर्णय लिया है तो यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय जयपुर शहर के लिए है। हिन्दुस्तान के अन्दर जयपुर सुन्दरता पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो केवल पिंक कलर असेम्बली की बाहर की दीवारों पर या मकानों के बाहर कराने से ही जयपुर की सुन्दरता कायम नहीं रहने वाली है। पूर्व में जहां भी एन्क्रोचमेंट हुए हैं उनको रोका गया है और जयपुर में ट्रेफिक के अवरोध को बातों को देखते हुए दूसरे मार्केट बनाये गये बापू बाजार, नेहरू बाजार, इन्दिरा बाजार बनाये गये और उनको एकोमोडेट किया गया है। इससे जयपुर की सुन्दरता को खतरा है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने रखा है। माननीय मुख्यमन्त्रीजी पधार गये हैं। तो उनको इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। बरामदों को किराये पर देने से जयपुर की सुन्दरता जायेगी और ट्रेफिक की बड़ी प्राब्लम खड़ी हो जायेगी। बढ़ती हुई आबादी के साथ प्राब्लम बढ़ती जा रही है। यह सरकार जो भी निर्णय लेती है वह फीजेबल चीजों को ध्यान में रखते हुए नहीं लेती है। मुख्य-मन्त्री जी इस स्थिति में कीतिमान स्थापित करना चाहते हैं। वह नकारात्मक स्थिति में रहे हैं। अब गरीबों के हक में खजाने खोल दिये हैं। कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे राजस्थान को बेहबूदी हो, तो जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है और खूबसूरत शहर है तो इसकी खूबसूरती को बनाये रखें। इसलिए इन बरामदों को खाली करायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय जयपुर के बरामदों की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। जब तक इन समस्याओं का जयपुर के चहुंमुखी विकास की दृष्टि से समाधान नहीं होगा तब तक मैं ऐसा समझता हूं कि यह समस्या कई प्रकार की अन्य बातों को और जन्म देगी। जहां तक मेरी जानकारी का प्रश्न है मैं यह कह सकता हूं कि जब से मैं विधायक बना उस समय से इन बरामदों की स्थिति न्यूनाधिक इसी प्रकार से चलती आ रही है। जिन लोगों ने एन्क्रोचमेंट कर लिया, शटर्स लगा दिये वह भी किराया नहीं देते हैं। जिन लोगों ने नहीं लगाये हैं वह तमाम दिन भर अपनी व्यवस्था में उनका उपयोग

102

(मुख्यमन्त्री)

करते हैं वह भी किराया नही देते हैं। जहां बरामदों का अभी तक उपयोग नहीं किया वहां दूसरे लोग आकर बरामदों पर कब्जा कर के बैठ गये वह भी किसी प्रकार का किराया नहीं देते हैं।

अभी माननीय सदस्य इमर्जेंसी के दिनों में थड़ी होल्डर्स के रिहेबिलिटेशन के प्रश्न पर यहां चर्चा कर रहे थे। यह समस्या जिस प्रकार की है उस समस्या का समाधान इमर्जेन्सी के दिनों में भी सरकार नहीं कर पाई।

श्री परसराम मदेरणा : इमर्जेन्सी का मैंने कब कहा? थड़ी होल्डर्स का बहुत पहले किया था। नेहरू बाजार बना था तो उस समय मैं रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर था, यह बात 68-69 की होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोल रहा हूं।

इमर्जेन्सी के पहले आपको याद होगा कि जयपुर में बहुत थड़ियां बाजारों में लगी हुई थी। सरकार उन थड़ियों को उठा नहीं पा रही थी तो इमर्जेंसी के दिनों का आपने उपयोग किया और वह सारी थड़ियां जयपुर के बाजारों से हटाई। बरामदों की समस्या के मामले में मुझे याद है समाचार पत्रों में पढ़ा था, सही कहां तक है मैं नहीं कह सकता, की सरकार ने इस प्रश्न पर भी इमर्जेन्सी के दिनों में विचार किया और इमर्जेंसी के अधिकारों का प्रयोग करने की चेष्टा की। अब किस कारण से वह अपने इस काम में सफल नहीं हुए मैं नहीं कह सकता। इतना ही कह सकता हूं कि इमर्जेंसी के दिनों में बरामदों का निर्णय सरकार नहीं कर सकी। इस बात से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि समस्याए कितनी बड़ी हैं। अगर इनको हटाने का ही प्रश्न होता तो सरकार हटा देती, लेकिन समस्या इतनी काम्पलीकेटेड है कि इसका समाधान शायद सरकार को उस समय नहीं मिल पाया। मैं भी यह समझता हूं कि यह समस्या बहुत काम्पलीकेटेड है।

अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बरामदों के बन्द होने के कारण जयपुर में यातायात की समस्याए गम्भीर होती जा रही हैं तो यातायात से इसका कितना संबध है यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आज तक बरामदों में साइकलें चलती हुई नहीं देखी हैं और न बरामदों में आदमियों को चलते हुए देखा है। बरामदों का उपयोग केवल मेलों के समय में अवश्य होता था। तीज और गणगौर के मेले में बाहर के यात्री यहां आते थे वह सब लोग बरामदों में ठहरा करते थे। यह मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, यह बात 41-42 से लेकर अब तक की बता रहा हूं उसमें इन बरामदों का उपयोग होते हुए देखा है। उसके बाद बरसात के दिनों में बाजार के लोगों को इन बरामदों का बरसात से बचने के लिए उपयोग करते हुए हमने देखा है बाकी बरामदों में बैठ जायं या चलते फिरते रहे इस प्रकार की व्यापक रूप से स्थिति आज तक देखने में नहीं आई है।

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : खूबसूरती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है कि बरामदों से शहर की खूबसूरती बढ़ती है। मैं उस समय की हालत जानता हूं जब कि बरामदे नहीं थे ग्रौर इनमें टिन शेड लगे हुए थे। मैं कह सकता हूं कि टिन शेडस पर लगभग व्यापारियों का कब्जा रहता था ग्रौर उनमें न कोई ग्राता था ग्रौर न जाता था। मिर्जा इस्माइल जब जयपुर के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय टिन शेड को हटा कर यह बरामदे बनाये गये। उनका लक्ष्य केवल एक ही था कि बाजारों में ग्राने-जाने वाले बैठ जायं ग्रौर बरसात ग्राजाय तो ग्रपने को भीगने से बचा लें या गर्मी के दिनों में बच जांय। परपज केवल एक था कि जयपुर शहर की खूबसूरती बढ़े, ग्रौर बाजार में ग्राने-जाने वाले लोगों को ग्राराम हो। इस गरज से बरामदे बनाये थे, लेकिन क्योंकि बरामदों का उपयोग दूसरे प्रकार से होने लगा ग्रौर स्थिति यह ग्रा गई कि ग्रधिकांश बरामदे ग्राज लोगों के ग्रधिकार में चले गये। ग्रब उस स्थिति में 1945 से पहले, ग्राज का ग्रतिक्रमण नहीं है पहले ही एन्क्रोचमेंट शुरू हो गया था ग्रौर 1917 बरामदों में ग्रब तक एन्क्रोचमेंट हो चुका है। बाजार वाइज स्थिति यदि ग्राप चाहें तो बता दूं ··

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : खाली कितने है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाकी खाली हैं।

इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार व से करना पड़ेगा। जिन लोगों ने बरामदों पर एन्क्रोचमेंट किया है, उनको हटायें या सदा के लिए खाली करायें। यह प्रश्न ग्राता है कि उनको किराये पर दें। यह दूसरा प्रश्न है कि बरामदों की जमीन की कीमत लेकर राइट ग्राफ करें। यह तीन ही प्रश्न हैं। यातायात की समस्या का प्रश्न जहां ग्राता है मैं स्वयं यह मानता हूं कि बरामदे खाली होने चाहिये। जिनके सामने हैं ग्रौर जिनका कब्जा है, वह हटाया जाये। लेकिन कई मालिकों ने ग्रदालतों में दावे कर रखें हैं। यदि मैं नहीं जानता था कि यह प्रश्न ग्रायेगा तो मैं पहले से जानकारी मालूम कर लेता। कई ग्रादमियों ने स्थगन ग्रादेश प्राप्त कर लिये हैं। ग्रगर एक से खाली करायेंगे तो वह भी जाएगा। मुझे सदन से सलाह लेकर निर्णय लेने में कोई ग्रापत्ति नहीं होगी। यह ऐसा मामला है कि इसके लिए किसी न्यायिक ग्रायोग को दे सकते हैं। उससे राय ले ली जाये। क्या किराया लिया जाये या उनसे खाली कराये जाये या जमीन की कीमत ली जाये। तो उसको इम्प्लीमेंण्ट करने में ग्रौर लोगों को मनवाने में सुविधा होगी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : You give it to a good artitecture.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कोई ग्रापत्ति नहीं है। ग्रापके सामने जो प्राब्लम है हमारे सामने भी है। सदन की राय लेकर कोई जुडिशियल कमीशन ग्रपाइन्ट करके उसकी राय ले ली जाये।

श्री मथुरादास माथुर : ग्राप जुडिशियल कमीशन नियुक्त कर दें। उसमें ग्राकि-टेक्चर भी चला जायेगा। दुकानदार भी चले जायेंगे। हम भी चले जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन बातों की न्यायिक जांच कराकर उनकी राय ले ली जाये। उसमें नागरिक भी चले जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : जुडिशियल ग्रायोग बना रहे हैं तो एक ग्रार्किटैक्ट को भी ले लें। कमीशन एक का ही नहीं हो। दो का ग्रौर तीन का भी बना सकते हैं। ग्रार्किटैक्ट को लेकर भी बना सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कोई लीगल क्वेश्चन नहीं है। हो भी तो लीगल ग्रोपीनियन ली जा सकती है। इस प्रकार का कमीशन नियुक्त किया जा सकता है। इसमें ग्रार्किटैक्ट की दृष्टि से क्या सिगनी-फिकेंस है। यातायात की दृष्टि से, नागरिकों की दृष्टि से, जिन्होंने ग्रधिकार कर रखा है उनकी दृष्टि से क्या है। सारे लोगों की राय लेकर ऐसा कर लिया जाये। इसमें कोई कानूनी बात नहीं है। ग्रगर कोई कानूनी बात होगी तो वह भी देख लेंगे। इस प्राब्लम न्यायिक ग्रायोग को दे दी जाये तो सरकार को कोई ग्रापत्ति नहीं होगी। वह राज्य सरकार को सलाह दें ताकि उस सलाह के ग्रनुसार राज्य सरकार रिपोर्ट कर सके।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जब तक न्यायिक कमीशन की रिपोर्ट नहीं ग्राये तब तक यथास्थिति रखी जाये।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो रहेगी।

श्री बालकृष्ण थानवी : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज से चौदह साल पहले, जौहरी बाजार में छोटे जौहरियों के लिए दो मन्जिला एक मार्केट बनाया गया था ग्रौर उसके लिए जौहरी बाजार स्थित एक मन्दिर की भूमि को ग्रवाप्त किया गया था। मगर लाखों रुपयों की लागत से बनाया गया वह मार्केट ग्राज भी गैर ग्राबाद पड़ा है। इसी तरह जिस मन्दिर को मुग्रावजा दे दिया गया था उसके भूभाग में बनी ग्रन्य दूकानों का भी किराया ग्राज तक नहीं मिल रहा है ग्रतः इसका भी फैसला बरामदों के साथ-साथ होना चाहिए ताकि इससे सरकार को जो भारी नुकसान पिछले 14 सालों से हो रहा है, वह नहीं हो एवं छोटे जौहरियों को भी एक स्थान पर बैठने का स्थान मिल जाय। इससे सरकार को दोहरा लाभ मिलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : सदन के नेता के हाजिर होने से यह फायदा होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह माथुर साहब की कृपा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : Without captin there is no team.

श्री बालकृष्ण थानवी : ग्रध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार में एक मन्दिर है।

श्री ग्रध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्री बालकृष्ण थानवी : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मुख्य-मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जौहरी बाजार में कई छोटे जौहरियों के लिए जो दो मन्जिला मार्केट बनाया गया है उससे सम्बन्धित कुछ लोग कोर्ट गये हैं और एक होटल वाले के द्वारा कोर्ट की शरण में जाने से इस मार्केट का मुख्य द्वार नहीं खुल पाया है। मगर इस मार्केट के लिए मन्दिर को मुआवजा देकर इस मार्केट से सटी भूमि पर बनी हुई जो दूकानें हैं उनका किराया भी नहीं मिल रहा है। अतः मुआवजा देकर प्राप्त की गई मन्दिर की भीतरी भूमि से सटे मार्केट की दीवार में से बनाए गए दो मन्जिला मार्केट का मुख्य द्वार निकाला जाकर इस लघु जौहरी मार्केट को शुरू किया जाय ताकि एक ओर मार्केट का सही उपयोग ले सके और दूसरी ओर अवाप्त की गई भूमि पर बनी पहले की दुकानों का किराया भी प्राप्त हो सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कौन से नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का विषय एक अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है जिसकी खातेदारी की भूमि पर न उसको काश्त करने दी जाती है और न ही नगरपालिका उसे आवंटित करती है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय राजस्वमन्त्री जी और माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। बालोतरा में खसरा नं० 215, 216, 295 299, 300 और 305 में बीजाराम पुत्र मूलाराम की खातेदारी की जमीन है। पीढ़ियों से उसके पास यह जमीन है। वह कई पीढ़ियों से इस जमीन के द्वारा अपना पालन पोषण करता आ रहा है। पिछले दो साल से, जनता पार्टी का शासन आने के बाद, जो लोगों को भय मुक्त और भय विहीन होने का नारा दिया, उस नारे से शान्तिप्रिय और कानून को मानने वालों पर तो प्रभाव हुआ नहीं लेकिन जो असामाजिक लोग थे, प्रभावशाली लोग थे उन्होंने अवश्य ही भयमुक्त होकर अच्छा लाभ उठाया। इस प्रकार बालोतरा में जो असामाजिक प्रभावशाली लोग थे उन लोगों ने इस गरीब की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। आज भी उसकी जमीन पर अतिक्रमण हो रहे हैं। बाड़े बन रहे हैं। लोगों ने कच्चे मकान बना रखे हैं। उसको खेती करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, स्थानीय सरकारी मुलाजिमों पटवारी से लेकर तहसीलदार तक, एस. डी. ओ से लेकर कलेक्टर तक, समय समय पर प्रार्थना पत्र दिये, लेकिन किसी स्तर से इस बीजाराम की कोई मदद नहीं हुई है। अध्यक्ष जी, वह गरीब दुखी है संकट में है। इस भूमि का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। वह यह कि यह जमीन नगर पालिका बालोतरा की आबादी के क्षेत्र के एडजोइनिंग है। बालोतरा में आवास की भयंकर समस्या है। उसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन नगरपालिका के सदस्य श्री नारायण ने नगरपालिका के द्वारा उसे अवाप्त करने का प्रस्ताव रखा।

(श्रीमति मदन कौर)

जो प्रस्ताव [illegible] नगरपालिका बोर्ड में पारित किया गया, वह पारित हुआ प्रस्ताव नगरपालिका के पास पड़ा हुआ है, उस प्रस्ताव पर नगरपालिका का मौजूदा प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। सही बात यह है कि इस भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए मौजूदा नगरपालिका प्रशासन अतिक्रमणकारियों को प्रेरित कर रहा है और उनको संरक्षण दे रहा है। क्यों नहीं नगरपालिका उस गरीब के हित में उस भूमि को अवाप्त करती और उसका मुआवजा देती ? उसने अपनी सहमति दे दी है कि नगरपालिका इसको अवाप्त कर ले। अभी कुछ ही दिन पहले बालोतरा के साधन सम्पन्न और प्रभावशाली श्री चन्दनमलजी की जमीन को अवाप्त किया गया है और उसको 900 रु. प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजे का चुकारा किया है। मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि उस गरीब की भूमि को अवाप्त क्यों नहीं किया और क्यों नहीं अवाप्त करके उसको मुआवजा दिया गया ताकि वह गरीब अपना जीवन-यापन का इस धन से साधन जुटा सके ? अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि अतिक्रमणकारी किसी भी सूरत में वहां से नहीं हटते और आधे से अधिक जमीन को उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। बीजाराम मेघवाल की वह जमीन है उसको आप अवाप्त करके उसका मुआवजा दिलावें ताकि गरीब आदमी किसी और रोजगार में पैसा लगावे या कहीं और जमीन खरीदकर अपना भरण पोषण करे। मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन चाहूंगी।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच की जायेगी और जो भी आवश्यक कार्यवाही हो सकती है वह की जायेगी।

श्रीमति मदन कौर: अध्यक्ष महोदय, यह राजस्व मन्त्रीजी का कोई प्रश्न नहीं है, वहां से अतिक्रमणकारी नहीं हट रहे हैं, आवास की समस्या है, इस बारे में स्वायत्त शासन मन्त्रीजी आश्वासन देने की कृपा करें।

श्री भंवर लाल शर्मा: (स्वायत्त शासन मन्त्री): कब से है ?

श्रीमति मदन कौर: जनवरी, 77 से प्रस्ताव पारित किया हुआ है, दो साल हो गए हैं, जब से आपका शासन आया है, तब से यह अतिक्रमण हुआ है, वहां पर जो नगरपालिका सदस्य हैं वे इसमें सक्रिय भी हैं और उन्होंने प्रस्ताव भी रखा है कि इसको अवाप्त की जाय।

श्री भंवर लाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस समय तो सारे तथ्य मेरे पास नहीं हैं, जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा, कि राज्य सरकार को आदेश देना चाहिए, और भूमि को अवाप्त कर लिया जाय। माननीय सदस्या इस बात को जानती होंगी कि बिना किसी पब्लिक पर्पज के किसी भूमि को अवाप्त नहीं किया जा सकता, नगरपालिका की यदि कोई स्कीम हो और जनहित के लिए आवश्यक हो तब ही भूमि को अवाप्त किया जा सकता है। किसी आदमी की जमीन पर कोई कब्जा कर रहा हो और वह आदमी कहता है कि इसको अवाप्त कर ली

(श्री भंवर लाल शर्मा) जाय, उसके कहने से ही उस भूमि को अवाप्त नहीं किया जा सकता।

श्रीमति मदन कौर : नगरपालिका में इस बारे में प्रस्ताव पारित किया हुआ है। आप सारी स्थिति को मांगाकर देख लें. मेरे स्थगन प्रस्ताव का मतलब है कि आदमी बहुत दुखी है। राजस्व अधिकारी उसको मदद करने में असफल रहे। वह जमीन आबादी के लायक है, उस व्यक्ति में क्षमता नहीं है कि उन अतिक्रमणकारियों को हटा सके और वहां खेती करे। कृषि भूमि है, उसकी खातेदारी की जमीन है। वहां पर खेती नहीं कर सकता। उस जमीन को आबादी भूमि में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव है। अभी 8-9 दिन पहले ही चन्दन मल की भूमि को जो उसी भूमि के पास है अवाप्त किया गया है और 900 रु. प्रति बीघा के हिसाब से उसको मुआवजा दिया गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें क्या दिक्कत है, वह हरिजन की जमीन है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : समरी प्रोसीजर से खाली करवा सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्या ने दूसरा प्रश्न रखा है। उनका कहना है कि अवाप्त करने के लिए नगरपालिका बालोतरा ने प्रस्ताव किया है, उसके हिसाब से कार्यवाही की जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो मजबूरी में कहा है माननीय सदस्या ने। हरिजन है वह उनको डिसपजेज नहीं कर सकता, उसमें ताकत नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जो यहां बैठे हैं हरिजन की जमीन है, खातेदारी की जमीन है, आपका कानून स्पष्ट है, दूसरों ने कब्जा कर रखा है, क्यों नहीं समरी प्रोसीजर से उनको डिसपजेस किया जाता है। उसकी जमीन भी कार्यवाही की जा सकती है। कानूनी कार्यवाही करके उनको डिसपजेस कीजिये और हरिजन को आप कब्जा दिलवाइये। यह तो माननीय सदस्या ने मजबूरी में कहा कि वह गरीब उनको नहीं हटा सकता इसलिए नगरपालिका इसको ले ले। और इसका उपयोग करे जिससे अतिक्रमणकारियों को इसका लाभ नहीं मिले। बहुत कीमती जमीन है, कैसे वह इसको देना चाहेगा ? यह तो सैकिण्ड आल्टरनेटिव है, जहां तक मैं समझ पाया हूं माननीय सदस्या की बात को।

श्रीमती मदन कौर : वह तो विकल्प बताया है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप यह आश्वासन दीजिये कि इसको खाली करवाया जायगा।

श्रीमति मदन कौर : आप दोनों में से कोई भी आश्वासन दीजिये कि इसको खाली करवाया जायगा और हरिजन को कब्जा दिलवाया जायगा।

श्री अध्यक्ष : सरकार उचित कार्यवाही करेगी। माननीय श्री अब्दुल अजीज

(व्यवधान)

दो मन्त्रियों ने कह दिया है माननीय सदस्य, वर्तमान स्थिति में इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैंने निवेदन किया है कि नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, कोई नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है, उसकी जमीन को लोगों ने कब्जे में कर रखा है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव मकराणा के संगमरमर—

श्री डूंगरराम (टी बी.) : अध्यक्ष महोदय 99 बीघा और कुछ बिस्वा जमीन हकीकतराय की, 64 बीघा और एक बिस्वा जमीन काश्त की है और कुछ लोगों ने कब्जा करके उसको ले ली और जो मालिक वह घबरा कर बैठ गया वह कहता है कि

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आदेश दिया है....

श्री डूंगरराम पंवार : हकीकत राय की जमीन पर कब्जा किया हुआ है जो जमीन रिकार्ड में उसके नाम से बताई गई है ...

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव

2.20 म. प.

(श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष, पदासीन)

संगमरमर औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में जो आर. आई. एम. डी. सी. के तहत है, दिया है। संगमरमर की कोई 245 इकाइयां मकराना के पास औद्योगिक क्षेत्र में लगने जा रही हैं जो लगभग 3–4 करोड़ रुपये की लागत की हैं और ये प्लाट्स आर. आई.एम. डी. सी. ने काटकर एक हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से काश्तकारों को दिए और 8 हजार रुपये एक प्लाट्स के आर. एम. डी. सी. ने लिए। प्रश्न इस बात का है और चिंता इस बात की है कि जो कार्य इस निगम के माध्यम से सरकार ने हाथ में लिया, औद्योगिक क्षेत्र मकराना से 7 किलोमीटर्स स्थापित किया, उसकी दयनीय स्थिति है। उन इकाइयों की ऐसी खस्ता हालत है कि न तो वहां पर कोई सड़क बनाई छोटी-छोटी सड़कें बनाई तो उनके बीच में जो पुल है उनको मिलाया नहीं तो गाड़ियां व छकड़े जो माल लाते हैं और ले जाते हैं उनमें अव्यवस्था हो रही है। बिजली एक दिन में 15 बार जाती है। एक तरफ तो बिजली नहीं आती, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, पानी की सप्लाई उन इकाइयों को नहीं दी जाती। टंकी जो बनी हुई है, अभी तक काम नहीं कर रही है। न वहां आर. एफ. सी. का ब्रांच है न बैंक है न चिकित्सा सुविधायें हैं। मकराना में जो उस उद्योग की मंडी है, उस माल को लाने व ले जाने के लिए जो ट्रक्स जाते हैं उनके लिए सड़क ही नहीं है 7 किलोमीटर्स में। व्यापारी माल लेने के लिए आते हैं, सोचते हैं कि खरीद लिया तो खड़बड़ाहट में माल ही टूट जाएगा। क्योंकि संगमरमर को दो तीन जगह लिफ्ट करते हैं तो टूटने की आशंका रहती है। तो वह जो

(श्री अब्दुल अजीज)

औद्योगिक क्षेत्र है, आर०आई०एम०डी०सी० इस में 5½ प्रतिशत डवलपमेंट चार्जेज लेती है और वह राज्य सरकार के कोष में आता है। 9½ प्रतिशत ब्याज भी पूरे प्लाट की कीमत पर देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर यदि एक प्लाट 4 हजार मीटर का है तो उसकी कीमत लगभग 22½ हजार होती है। हर वर्ष 5 हजार रुपए डवलपमेंट चार्जेज का होता है और 5 हजार पर 9½ प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। कुल राशि पर इस प्रकार एक वर्ष के अन्दर उसके डेवलपमेंट चार्जेज लगभग 10-10 हजार रुपए देने पड़ते हैं। उसके उपरांत उसकी बड़ी दयनीय हालत है क्योंकि जो आर०आई०एम०डी०सी० को विकास कार्य करने चाहिए थे, वे नहीं किए।

आज मुझे उस क्षेत्र से कई तार मिले हैं। उनमें राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन अधिकारी वहां नहीं बैठता। जिन यूनिट्स ने उत्पादन शुरू किया उनको आपने सब्सिडी नहीं दिलाई। वह अधिकारी मेहता साहब नागौर में बैठे रहते हैं। इस प्रकार जिन्होंने यूनिट्स लगाए उनको तो सब्सिडी दिलायें, आर०एफ०सी० का आफिस वहां खुलवायें और जो डेवलपमेंट वहां रुका हुआ है, वह बराबर 31 मार्च 1979 तक पैसा जमा कराने के जो आपने नोटिसज भेजे हैं, उनका समय बढ़ायें। आप डेवलपमेंट चार्जिज बढ़ते जा रहे हैं, 80 लाख रुपए का घाटा आर०आई०एम०डी०सी० को हो रहा है, वह उन लोगों से वसूल करना चाहता है। एक तरफ तो इम्पोर्टेड मशीन वालों को लाखों रुपए सब्सिडी दे रहे हैं और दूसरी तरफ इन लोगों की बुरी हालत हो रही है।

तो सबसे पहले तो आप मकराना पधारें ताकि आपको सही नक्शा मिले। राजस्थान में संगमरमर का यूनिट कहीं नहीं मिलेगा। वहां कम से कम 500 उद्योग हैं। आप तो अफसरों के कहने पर बोलते हैं, मैंने जो स्थिति बताई है, अधिकारी आपको उसके विपरीत ही बतायेंगे। तो 31 मार्च तक जो आपने पैसा जमा कराने के नोटिस जारी किए हैं उनकी अवधि बढ़ाइए, उनकी माली हालत खस्ता है। तार आपके पास में भी आये होंगे। आप अवधि बढ़ायें और मकराना पधार कर सही स्थिति का अवलोकन करें और आर०आई०एम०डी०सी० के माध्यम से सड़कों की व्यवस्था करें या अपने विवेक से काम लेकर कार्यवाही करें।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव बहुत ही सीमित था। इसमें माननीय सदस्य ने काफी बातें जोड़ दी हैं अपने भाषण के दौरान। 1976 में यह एरिया कायम किया गया और लोगों को प्लाट्स एलाट किए गए थे उनके साथ एक लीज डीड उस समय सम्पादित हुआ था। उस लीस के अन्तर्गत कुछ शर्तें हैं। उसमें जो ड्यू डेट है उसके अनुसार उनके पास नोटिस गए हैं।

आपने दूसरा प्रश्न उठाया कि विकास सही नहीं हो रहा है, सड़क नहीं बनी हुई है, टंकी काम नहीं कर रही है, आर०एफ० सी० का आफिस नहीं है, जिला उद्योग

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

अधिकारी नहीं है, मैं इस सम्बन्ध में आज ही हिदायतें दे देता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बात का भरसक प्रयत्न किया जाएगा कि जिन सुविधाओं का लीज डीड में जिक्र है, वे आपको उपलब्ध कराई जायं। बाकी जो अनुबंध है हम इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि इस अवधि को बढ़ायें इसलिए उसमें मेरी असमर्थता है।

जहां तक चार्जेज का प्रश्न है आपने एक हजार से 8 हजार रुपया बताया है। कुछ जमीन तो सड़कों में चली जाती है, कुछ दूसरे एरियाज में छोड़नी पड़ती है, फिर सड़क बनती है, उसका खर्चा, पानी व बिजली का सारा विकास करना पड़ता है। जो डवलपमेंट चार्जेज आता हैं उसके अन्दर 25 प्रतिशत सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देती है और उन डवलपमेंट चार्जेज को फैलाकर जो एक्चुअल रेट होती है उसके आधार पर पैसा लिया जाता है। आप स्वयं इसको देख सकते हैं। इसमें कहीं भी गलत चीज नजर आए तो आप निश्चित ही मेरा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मैं बैठकर अधिकारियों को बुलाकर तसल्ली करवा सकता हूं। लेकिन किसी एरिया का डवलपमेंट होता तो उसका पैसा जो लेसीज हैं उनसे लिया ही जाएगा। बाकी जो भी प्रश्न आपने उठाए हैं, अनाव अभियोग, उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आवश्यक निर्देश अभी आज की तारीख में जारी कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान दहेज प्रथा की शिकार युवतियों की तरफ आकर्षित किया है। राजस्थान पत्रिका, इन्डियन एक्सप्रेस और नवज्योति में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से तीन-चार दिन पहले अजमेर के नजदीक नारोली गांव में पति द्वारा जलाई गयी 17 वर्षीय निर्मला ने कई सप्ताह तक मौत से संघर्ष करने के बाद दम तोड़ दिया। मृत्यु से पूर्व निर्मला ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उनका विवाह 24 जून को बिना दहेज लिये सामूहिक विवाह के समारोह में हुआ था। उसके बावजूद उसके पिता ने ससुराल वालों को प्रसन्न करने के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था। मान्यवर, यही खबर इन्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई। आये दिन मान्यवर, इस प्रकार की घटनायें राजस्थान के अन्दर हो रही हैं इस घटना का दुखद पहलू यह भी है कि आज दिन तक राजस्थान की पुलिस ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन हुआ है उसके अन्तर्गत जो उसकी मृत्यु के दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मान्यवर उस संबंध में कार्यवाही हो या नहीं हो यह तो गृह मन्त्री जी के देखने का काम है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कार्यवाही होगी लेकिन मैं राजस्थान सरकार का और गृह मन्त्री का जिस किसी का भी संबंध है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज वैभवशाली शादियों में जिस प्रकार से राजस्थान के अन्दर धन व्यय हो रहा है उन वैभवशाली शादियों में सरकार स्वयं भागीदार बनती जा रही है। सरकार के प्रतिनिधि उनमें

(श्री रामनारायण चौधरी)

शामिल होते हैं और शामिल होकर दहेज की प्रथा को बढ़ावा देते हैं यह सोचने का विषय है ...

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार ने क्या किया था यह तो बता दें।

श्री रामनारायण चौधरी : एक महन्त के पुत्र की शादी नाथद्वारा में होती है और 2 करोड़ रुपये शादी में खर्च होते है। 5 करोड़ का दहेज आता है। इस प्रकार की शादियां जब प्रदेश के अन्दर होती हैं और सरकार चुपचाप बैठी देखती ही नहीं रहे बल्कि सरकारी मन्त्री शामिल होकर इस प्रकार के आयोजनों में सरकार की तरफ से योगदान दें यह न केवल खेदजनक विषय है बल्कि राजस्थान प्रदेश का दुर्भाग्य है।

माननीय सदस्यों को उत्सुकता है कि आपकी सरकार ने इस संबंध में क्या किया था। मान्यवर, इमर्जेंसी के अन्दर दहेज के विरोध में न केवल सरकार ने कार्यक्रम निर्धारित किये थे बल्कि राजस्थान सरकार ने तमाम कलेक्टर्स को लिखित में हिदायतें दी थी दहेज प्रथा को रोकने के लिए। राजस्थान में युवकों के मानस को तैयार करने के लिए सरकारी स्तर के ऊपर सेमिनार आयोजित किये थे, गोष्ठियां आयोजित की थी और युवकों को इस बात के लिए तैयार किया था कि वह अपनी शादियों में अथवा अपने परिवार में दहेज का न केवल प्रतिकार करें बल्कि इसका विरोध करें। यह लिखित आदेश दिये थे और प्रतिमाह जिले का कलेक्टर सरकार को रिपोर्ट भेजता था।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मान्यवर, युवकों के चार प्रोग्राम थे: वृक्षारोपण, दहेज का विरोध, साक्षरता और जाति प्रथा की समाप्ति। इस संबन्ध में निश्चित रूप से प्रति माह कलेक्टर की रिपोर्ट आती थी ...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : संजय गांधी ने चलाया था।

श्री रामनारायण चौधरी : हां और राजस्थान ने उसको चलाया था। इसके परिणाम सामने आये थे। युवकों ने इस बात को समझा था कि दहेज प्रथा का न केवल विरोध किया था बल्कि उन्होंने मानस तैयार किया था। कॉलेजों और स्कूलों के अन्दर कान्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और गोष्ठियां हुई थी और उनके अच्छे परिणाम आये थे। दुर्भाग्य है कि आपकी सरकार राजस्थान में आने के बाद इन सारी बुराइयों का विरोध करना तो दूर रहा लेकिन राजस्थान सरकार के मन्त्री वैभवशाली शादियों के अन्दर शामिल होते हैं, करोड़ों रुपयों का जहां लेन-देन हो उसमें मन्त्री महोदय शामिल होते हैं और इस प्रथा को वह न केवल बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि समाज को नष्ट करने पर तुले हुए हैं जिसका उदाहरण यह है कि आये दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं कि अमुक जगह पर उसको जला दिया गया, सास नाराज हो गयी क्योंकि दहेज नहीं लाई

(श्री रामनारायण चौधरी)

थी इस कारण स्वयं पर तेल छिड़क लिया और आग लगा ली या फिर यह पढ़ने को मिलता है कि गला घोंटकर मार दिया गया। अभी हमने उदयपुर के बारे में पढ़ा, फिर अजमेर के बारे में पढ़ा, थोड़े दिन पहले झुंझुनू के बारे पढ़ा था और फिर भरतपुर के बारे में पढ़ा था। तो फिगर्स का कम्पाइलेशन तो गृह मन्त्री जी के पास हो सकता है दहेज के मामलों को लेकर कितनी हत्यायें राजस्थान में हुई हैं। उसके लिए राजस्थान सरकार ने क्या काम किया? राजस्थान सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि यदि आप समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो दूसरे प्रोग्रामों का कोई महत्व नहीं है। आज इस देश के युवक और युवतियां जब तक इस दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक किसी भी सूरत में राजस्थान को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अजमेर का जो किस्सा बताया इस संबंध में आपकी पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है? हो सकता है यह आपके ध्यान में नहीं आया हो। मैंने आपके ध्यान में ला दिया है। जो उस मर्डर से संबन्धित हैं उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्यवाही करें। आप से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर आप इस कार्यक्रम को हाथ में लें कि किस प्रकार से दहेज की प्रथा को समाप्त किया जा सकता है और युवकों को किस प्रकार से प्रेरित करके और विरोध करके जनमानस बनाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आपको कार्यक्रम तैयार करके राजस्थान को बचाना चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने ......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी विराज जायें।

श्री रतनलाल वर्मा : शंका का निवारण तो होना चाहिए। 2 करोड़ का शादी में खर्चा बताया और 5 करोड़ का दहेज बता दिया। तो आप यह बतायें कि उसकी हैसियत क्या होगी?

श्री मूल चन्द डागा : उसकी हैसियत करोड़ों की होगी। हम तो कहते हैं दहेज एक अभिशाप है इसको खतम करो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : नाथद्वारा के महन्त ने अपने बेटे का सम्बन्ध किया उसमें 2 करोड़ रुपया ज्योंनार पर खर्च किया और 56 तरह के व्यंजन बनाये गये ..

श्री रतनलाल वर्मा : लेकिन आदमी खायेगा तो पाव डेढ़ पाव ही।

श्री मूलचन्द डागा : आपका पेट डेढ़ पाव में नहीं भरता हमें मालूम है।

श्री रतनलाल वर्मा : कभी निमंत्रण तो देकर देखो।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : नाथद्वारा के बारे में रामनारायण जी समझे ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं है कि छप्पन भोग

(श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी)
क्या है। छप्पन भोग एक उत्सव है जो प्रतिवर्ष होता है। जो चौधरी जी बोल रहे हैं वह गलत बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : करोड़ों रुपयों का खर्च किया। कांकरोली और नाथद्वारा के बच्चों का सम्बन्ध हुआ। इस बात के लिए हम तैयार हैं कि जांच करा लो····

श्री रतनलाल वर्मा : 56 भोग कौन कौन से होते हैं यह आपको मालुम ही नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : यहां सदन के अन्दर जो चीफ व्हिप हैं जनता पार्टी के और जिनका मन्त्रीस्तर का पद है वह उसमें शामिल हुए थे··

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज रामनारायण जी मोहनलाल जी सुखाड़िया की जाच करा लें मालुम हो जायगा कि वह नाथद्वारा को लूटने वाले हैं। छप्पन भोग में 2 करोड़ खर्च हुआ यह झूठ है। उत्सव नियमानुसार होता है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह कहते हैं कि 56 भोग थे तो यह तो एक उत्सव है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त करें। कृपया विराजें।

श्री पदमसिंह राठौड : यह धार्मिक भावनाओं का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री पदमसिंह राठौड : पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था। हमेशा प्रसाद चढ़ता है उसका नाम है 56 भोग। महन्त के यहां जो शादी हुई है न तो 5 करोड़ का दहेज दिया गया है न 2 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। आपको मालूम है, राजस्थान के ही नहीं हिन्दुस्तान के सब लोग वहां आते हैं। अपना बना हुआ खाते हैं। श्रीनाथ जी के मन्दिर की तरफ से कोई भोज नहीं होता। इसलिये इस बात को उछाल कर हमारी धार्मिक भावनाओं को कुठाराघात करने का अवसर न दिया जाये

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

माननीय सदस्य : चर्चा समाप्त करें। माननीय श्री शिवचरण जी, कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : जब सोना खाया गया था उस वक्त आप भी मन्त्री-

(114)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मण्डल में थे।

उपाध्यक्ष : माननीय दाऊदयाल जी, कृपया विराजें। इस प्रश्न पर चर्चा समाप्त हुई। माननीय यातायात मन्त्री।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री हरिसिंह यातायात मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी....

श्री मूलचन्द डागा : नियमों के विरुद्ध रख रहें हैं यह। न तो रीजन्स दे रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : डागा जी, विराजें आप।

श्री हरिसिंह : ... कराधान अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत गृह (ग्रुप–7) विभाग की अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(निम्न अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखी गई—

1) अधिसूचना संख्या प० 5 (74) गृह–7/78, दिनांक 8 नवम्बर, 1978।

2) अधिसूचना संख्या प० 5 (74) गृह–7/78, दिनांक 8 नवम्बर, 1978।

3) अधिसूचना संख्या प० 5 (74) गृह–7/78, दिनांक 8 नवम्बर, 1978।

4) अधिसूचना संख्या प० 5 (74) गृह–7/78, दिनांक 8 नवम्बर, 1978।

5) अधिसूचना संख्या प० 5 (5) गृह–7/79, दिनांक 24 फरवरी, 1979।

6) अधिसूचना संख्या प० 5 (83) गृह–7/78, दिनांक 19 दिसम्बर, 1978।

7) अधिसूचना संख्या प० 5 (82) गृह–7/78, दिनांक 19 दिसम्बर, 1978।

8) अधिसूचना संख्या प० 5 (64) गृह–7/78, दिनांक 23 अक्टूबर 1978।)

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मन्त्री महोदय, आप अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री मूलचन्द डागा : हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले है। श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द सामरिया : मूल चन्द सामरिया का है, मूलचन्द डागा का नहीं है। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें आप

(श्री उपाध्यक्ष)

आज की कार्य सूची है। सर्वश्री मूलचन्द डागा और रामनारायण चौधरी का है।

माननीय सदस्य, विराजें आप। कार्य सूची देख लें पहले आप।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1978 के अगस्त माह में ली गई पी. एम. टी. परीक्षा

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 1978 में लिये गये मेडिकल टैस्ट के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें प्रोसीजर है। मैंने आते ही पूछा था। अभी करीब 2।। बज गये हैं। काल अटेन्शन एक महीने पहले देने पर भी आज उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं आये। आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं, पहले जवाब दे दें फिर हम इससे सम्बन्धित बातें पूछें। यह पढ़ नहीं रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था आज से तीन दिन पहले। डागा जी ने उस समय प्रश्न उठाया था। उनके प्रश्न को कोई स्पैसिफिक उत्तर नहीं दिया गया। डागा जी ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और दिया आज की कार्य सूची में मेरा और डागा जी के नाम से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ज है। माननीय मंत्री जी का निम्न बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जैसा नियमों में प्रावधान है, आप मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर दीजिये, उस पर चर्चा मत कीजिये। मन्त्री महोदय, इसका उत्तर दे दें।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान के मेडिकल कालेजों में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी. एम. टी. परीक्षा अगस्त, 1978 में ली गई थी जिसका परिणाम 23-9-78 को निकाला गया।

23–9–78 की योग्यता सूची के आधार पर विद्यार्थियों का साक्षात्कार दिनांक 7–10–78 से 10–10–78 तक हुआ और उस समय हर एक विद्यार्थी को मौखिक बता दिया गया कि अमुक अमुक मेडिकल कालेजों में प्रवेश दिया जावेगा, और इसका इन्द्राज कालेज के रजिस्टर में भी किया इस कारण इन विद्यार्थियों ने आगे की कक्षा में बी. एस. सी. में प्रवेश नहीं लिया।

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश, स्टे, के कारण इन सबका प्रवेश रोक दिया गया। न्यायालय के फैसले के आधार पर दूसरी योग्यता सूची दिनांक 18–12 78 को निकाली गयी।

उक्त योग्यता सूची की वजह से करीबन 20 विद्यार्थी जिनका साक्षात्कार 7–10–78

(श्री रामनारायण चौधरी)

से 10–10–78 तक हो चुका था, प्रवेश से वंचित रह गये और शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से वे बी. एस. सी. में भी प्रवेश नहीं पा सके। इस प्रकार उनके जीवन का एक अमूल्य वर्ष बेकार गया।

जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र के प्राणी शास्त्र अनुभाग में एक प्रश्न 16 अंक का गलत था और इस कारण प्रधान परीक्षक, जो अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होता है, ने 5 निर्देश दिये कि सभी छात्रों को दूसरे प्रश्नों के आधार पर अनुपातिक अंक दिये जावे परन्तु कुछ छात्र इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में गये।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में केवल गलत प्रश्न करने वालों को अनुपातिक अंक दिलाये और इस कारण दूसरी योग्यता सूची दिनांक 18–12–78 को बनाई गई।

इस प्रश्न पत्र के प्राणी शास्त्र अनुभाग में 4 प्रश्न थे जिनमें प्रश्न नं. 1 अनिवार्य था और बाकी तीन प्रश्न नं. 2, 3, 4 ऐच्छिक थे। जिनमें से केवल 2 प्रश्न करने थे, प्रश्न नं. 4 गलत था। जिन छात्रों ने गलती से 2 के बजाय 3 ऐच्छिक प्रश्न किये उनको भी अनुपातिक अंक उच्च न्यायालय ने दिलाये इसके विरुद्ध सरकार ने डबल बैंच में अपील नहीं की जो कि अवश्य ही करनी चाहिये थी क्योंकि प्रधान निरीक्षक के प्रथम निर्देश को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर 5 को वैध माना है।

जिस परीक्षा में एक-एक अंक पर 15, 20 छात्रों के भविष्य का फैसला होता है उसमें 16 अंक का गलत प्रश्न देना न्याय संगत नहीं है और अनुपातिक अंक देकर बिल्कुल सही योग्यता सूची बनाना असम्भव है।

दिनांक 18–12–78 के बाद किसी भी कालेज में बी. एस. सी. में प्रवेश नहीं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मिलता और अब छात्र कहां जावें। गलती विश्वविद्यालय की और सजा छात्रों को।

हर वर्ष सीटें सरकार निश्चित करती है उस पर कोई रोक नहीं है। हर वर्ष सीटें घटती बढ़ती रहती हैं और सरकार चाहे तो इस वर्ष भी बढ़ा सकती है। अभी तक भी मेडिकल कालेजों में प्रवेश चालू है।

मन्त्रिमण्डल ने 2–2–79 को निर्णय लिया कि इन छात्रों को बी. एस सी. में विशेष आदेश निकाल कर प्रवेश दिया जावे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कोई भी छात्र फरवरी के महीने में बी. एस सी. में प्रवेश लेकर मई में परीक्षा कैसे दे सकता है? इसलिये किसी भी छात्र ने बी. एस सी. में प्रवेश नहीं लिया।

यह जो स्थिति उत्पन्न हुई, जो मुद्दे उठाये हैं इनकी ओर माननीय चिकित्सा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। इन विषयों में कटेइरिया के आधार पर और हाई कोर्ट के डिसीजन के आधार पर····

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : आधे मिनिट में। यूनिवर्सिटी में दो फार्मूला एडाप्ट करके जो सूची बनाई है उन दोनों के आधार पर जो लड़के एलीजिबल है पी. एम. टी. पास किया है मेडिकल कालेज में उन सभी को प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री त्रिलोक चन्द जैन (चिकित्सा मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1978-79 के सत्र में एम. बी. बी. एस. अध्ययन की भर्ती हेतु प्रतिवर्ष की भांति राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान विश्व विद्यालय ने माह अगस्त 1978 में पी. एम. टी. लिया जिसका परिणाम 23 सितम्बर, 78 को घोषित किया गया। इस योग्यता सूची के अनुसार विद्यार्थियों का साक्षात्कार एडमिशन बोर्ड द्वारा माह अक्टूबर 1978 में किया गया। इस बोर्ड में पांचों मेडिकल कालेजेज के प्रिंसिपल सदस्य होते हैं तथा मेडिकल कालेज, जयपुर के प्रिंसिपल इस बोर्ड के संयोजक हुआ करते हैं। एडमिशन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार 7-10-78 से प्रारम्भ हुए तथा अनौपचारिक रूप से साक्षात्कार के दौरान प्रत्येक छात्र को मौलिक रूप से परम्परा के अनुसार यह बता दिया गया था कि उसे किस कालेज में भर्ती किया जावेगा। इसी बीच 12 विद्यार्थियों ने उपरोक्त पी. एम. टी. के परिणाम के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत कर दी। फलतः हाईकोर्ट द्वारा उपरोक्त भर्ती की कार्यवाही पर रोक भी लगा दी गई। राजस्थान उच्च न्यायालय में इस रिट की सुनवाई के पश्चात् राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 1-12-78 को.... अपना निर्णय दिया जिसके द्वारा पी. एम. टी. के पूर्व घोषित दिनांक 23-9-78 तक के परिणाम को पुनः वापस लेने के निर्देश दिये गये तथा यह कहा गया कि योग्यता के आधार पर जो छात्र पूर्व में पी. एम. टी. में बैठे थे और जिन्होंने बायोलोजी पेपर के भाग-ए (जूलोजी) के प्रश्न सं० 1, 2 व 3 का उत्तर दिया था और जिनको जितने अंक मिले थे उसी के आधार पर प्राप्तांक माने जावें तथा इन प्रश्नों के बारे में जो हैड एग्जामिनर ने निर्देश संख्या एक दिया था उसको अमान्य घोषित कर उसके अनुसार जो अंक दिये गये, उन्हें गलत घोषित किया गया।

राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट दिनांक 1-12-78 के फैसले के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय ने पुनः दूसरे परीक्षा परिणाम निकाले और तदनुसार पुनः नई योग्यता सूची तैयार की गई जो दिनांक 15-12-78 को जारी हुई।

उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने बायोलोजी पेपर के भाग-ए (जूलोजी) के प्रश्न सं० 1, 2 व 3 का उत्तर दिया था और जिन्हें हैड एग्जामिनर के विशेष निर्देश के अनुसार अधिक अंक दिये गए थे उन अंकों को पुनः कम कर देने की वजह से 22 छात्रों के परिणाम पर अन्तर पड़ा। इन 22 छात्रों को उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में जितने अंक वास्तव में मिले थे, उतने ही अंक इनके परिणाम में जोड़े गए। हैड एग्जामिनर द्वारा जो विशेष अंक इन विद्यार्थियों को

(118)

(श्री रामनारायण चौधरी)

पूर्व में दिए गये थे वे अंक इस वार के परिणाम में घटा दिए गए थे।

उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने कोई अपील नहीं की क्योंकि प्रथम तो भर्ती के समय में वैसे ही बहुत देरी हो चुकी थी तथा दूसरे उच्च न्यायालय का निर्णय केवल आंशिक रूप से परिणामों पर असर डालता था। यही नहीं उच्च न्यायालय के निर्णय ने केवल हैड एग्जामिनर के विशेष निर्देश को ही गलत माना था चूंकि उसने इन प्रश्नों के ऊपर अनावश्यक जोर देकर विशेष अंक देने का निर्णय लिया था जिससे केवल कुछ ही छात्रों को लाभ मिल रहा था।

इस वर्ष 1978-79 में पांचों मेडिकल कालेजों में 550 विद्यार्थी एम. बी. बी. एस. के अध्ययन हेतु भर्ती किये गए जो इन कालेजों की अपनी भर्ती की क्षमता से एक प्रकार से अधिक ही है। फिर भी गत वर्षो की परम्परा को निभाने की दृष्टि से ही सरकार ने कुछ स्थानों की कमी करने का विचार रखते हुए उतनी ही सीटें इस वर्ष भी रखीं। अतः यह किसी प्रकार भी सम्भव नहीं था कि मेडिकल कालेजों में और अधिक सीटें बढ़ाई जाकर इन विद्यार्थियों को भी भर्ती कर लिया जाता।

पी. एम. टी की योग्यता सूची के अनुसार जिन छात्रों ने 167 अंक प्राप्त किए उनमें से अधिकांश को प्रवेश दिया जा चुका है अथवा जम्मू एण्ड काश्मीर के मेडिकल कालेज में भर्ती करा दिया गया है। अब केवल 12 छात्र ऐसे रहे हैं जिन्हें प्रवेश नहीं दिया सका है लेकिन इनमें से अन्तिम छात्र को 164 अंक प्राप्त हुए हैं। ऐसी दशा में अगर इन 14 छात्रों में से अन्तिम छात्र तक प्रवेश दिया जाता है तो कुल 116 बीच के छात्रों को भी प्रवेश देना होगा अर्थात् मेडिकल कालेजों के अन्दर 550 सीटों से बढ़ा कर 766 सीटें सत्र 78-79 में करनी पड़ेगी तभी यह पूर्ति हो सकती है जो स्थिति इस प्रकार से पूर्ण रूप से असम्भव होगी।

जहां तक अगली पंच वर्षीय योजना में राजस्थान राज्य में डाक्टरों की पूर्ति का प्रश्न है उनकी स्थिति निम्न प्रकार है:—

अगले पांच वर्षों में हमारे मेडिकल कालेजों में 2750 डाक्टर उपलब्ध होंगे जब कि हमारी आवश्यकता कुल 2600 डाक्टरों की होगी। इस दृष्टि से भी डाक्टरों के लिए भर्ती की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक इन 12 विद्यार्थियों को अन्य कालेजों में बी. एस सी. कोर्स में भर्ती का प्रश्न है, यह प्रश्न शिक्षा मंत्री जी को मंत्रि मण्डल की आज्ञा सं 17 79 द्वारा सौंपा गया था कि वे इन विद्यार्थियों को अन्य बी. एस सी. कोर्स के अन्दर भर्ती में सहायता करायें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न माननीय चिकित्सा मंत्री से करना चाहता हूं मान्यवर, प्रश्न यह इसलिए उत्पन्न हुआ कि परीक्षा के पेपर में एक प्रश्न गलत था और जिन लड़कों ने गलत प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश की उन लड़कों को तो बैनीफिट हुआ जबकि हैड एग्जामिनर ने इसके विपरीत माना है

(रामनारायण चौधरी)

कि जिन लडकों ने गलत प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इन्टेलिजेन्ट लड़के समझते थे कि यह प्रश्न गलत है यह कैसे हो सकता है और उसको छोड़ दिया। इन्टेलिजेन्ट लड़कों ने प्रश्न छोड़ा और जो कमजोर लड़के थे वे उसे गलत प्रश्न को समझ नहीं सकते थे इसलिए अटेम्प्ट किया। प्रश्न यहां उत्पन्न हुआ हैड एग्जामिनर ने उन लड़कों को तरजहि दी जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया और हाई कोर्ट ने जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको तरजहि दी और उनको बैनीफिट हुआ जिन्होंने गलत प्रश्न अटेम्प्ट किया था, तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डिवीजन बैंच में जाना चाहिए था लेकिन वे गए नहीं। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन मैं यह चाहता हूं, मान्यवर, जिन लड़कों ने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया आज वे बी. एस सी. में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मई में वे पास नहीं हो सकते हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो इन्टेलिजेन्ट लड़के रह गये, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जैसा आपने कहा 115 लड़कों का प्रश्न है तो इससे बेहतर तो यह होगा कि आने वाले साल में आप पी. एम. टी. का एग्जामिनेशन नहीं ले और एडमिशन एक साल के लिये नहीं करें, यह बात तो समझ में आती है लेकिन 115 लड़के आते हैं हाई कोर्ट के फार्मूले से तो आपको 115 लड़कों को भी एडजस्ट करना चाहिए। एक डेढ़ लाख से सरकार का कुछ होने वाला नहीं है। वे सब बोनाफाइड राजस्थानी हैं दूसरे बाहर के नहीं हैं। जो बोनाफाइड लड़के हैं उनकी जिन्दगी को बचायेंगे और प्रयत्न करें कि 115 का एडमिशन हो जाए। लेकिन इस वर्ष में 115 सीटें बढ़ायेंगे तब ही यह सम्भव होगा। अभी आपने यह कहा भी है कि असम्भव सा है कठिन सा है तो ठीक है कठिनाई आपने जाहिर की है तो इस सदन के अनुरोध पर आप पुनः विचार कीजिये और 115 लड़कों को एडमिशन देकर उनके भविष्य को बचाइये।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5–7 सवाल चिकित्सा मंत्री जी से कर रहा हूं, कृपया इनका उत्तर दिलवा दें। सवाल यह है कि हैड एग्जामिनर ने परीक्षा के लिये जो निर्णय लिया और जब हाई कोर्ट में रिट हो गई तो स्टेट आफ राजस्थान और यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान दोनों को पार्टी बनाया है दोनों ने एक जवाब दिया दोनों ने मिलकर यह जवाब दिया ...

"According to them a method was evolved by head-examiner for rectifying the mistake committed in setting out question No. 4 of section A of the paper of Biology, and the method devised was bonafied, just and proper and not discriminatory."

राजस्थान की सरकार ने और यूनिवर्सिटी ने मिल कर यह जवाब दिया कि जो हमने कदम उठाया है, सही है, वांछित है है और न्यायपूर्वक है यह कदम इन्होंने उठाया और हैड एग्जामिनर ने यह कहा—पिटीशनर कह रहा है और साफ कह रहा है..

श्री मूलचन्द डागा

The question was bogus. इनका खुद का बयान है, इन्होंने खुद ने कहा है यह प्रश्न वेग था, बोगस था और किसी काम का नहीं था इसलिए लड़के नहीं कर सकते थे। यह बात इन्होंने खुद ने कही है। हैड एग्जामिनर ने अपनी अक्ल से यह कह कि Question No. 1 was compulsory, क्वेश्चन नम्बर वन, टू, थ्री मान्यवर, जो अनुपात से एक, दो और तीन क्वेश्चन कर दें उनको नम्बर दे दिया जाय। अभी माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया, हमने 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक साक्षात्कार के लिये बुलाया है। रजिस्टर में नाम लिख लिये हैं और उनको कह दिया है कि तुमको उदयपुर में एडमिशन दे दिया गया है और तुमको जोधपुर में जाना है। अब, श्रीमान्, मैं न्यायपूर्वक बात कहूं उन्होंने शिक्षा मंत्री जी के द्वार खटखटाये, मुख्य मंत्री जी के द्वार खटखटाये। सबने कहा, हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और छात्रों का भविष्य खराब नहीं करेंगे। एक दिसम्बर को जजमेंट होता है और दो फरवरी को निर्णय देते हैं कि तुम बी एस सी. कालेज में चले जाओ वहां तुम्हारा एडमिशन हो जायेगा।

क्या यह सम्भव है कि जिसका अप्रेल में एडमिशन हो आप उनको कहें कि तुम चले जाओ बी. एस सी. में। 2 फरवरी को जजमेंट दिया और 9 महीने इन्तजार करने के बाद आपने निर्णय दिया, आपने माना, हाई कोर्ट ने सही माना, हैड एग्जामिनर को सही माना, बच्चों की कोई गलती नहीं थी, बच्चों ने सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था परन्तु क्या उनको निश्चित रूप से कह दिया गया कि और कोई रास्ता नहीं है। क्या आप उनको हर्जाना देंगे? कौन देगा उनको हर्जाना। इन लड़कों को, जो लड़के पास हो गये, जिन लड़कों को आपने पास घोषित कर दिया, जिनको आपने एडमिशन दे दिया। फिर आपको क्वेश्चन पूछा था, आपने एक बात बड़े कमाल की की। सदैव राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत सीटों के अनुसार एडमिशन दिए जाते हैं और पांच लड़के दूसरे राज्यों को भी भेजे जाते हैं। आपने दो कश्मीर के छात्रों को अगले वर्ष के प्रावधान में प्रवेश दे दिया है। अगले वर्ष के कोटे में एडमिशन दे दिया। वे लड़के कौन थे? क्या किसी मंत्री के भाई थे, भतीजे थे या सुपुत्र थे, कौन थे? कौन थे वे छात्र। आप मंत्री जी बातें कर रहे हैं आप पंचायत मंत्री जी बातें कर रहे हैं। सदन के नियम है कि इस तरह से बातें नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सबसे ज्यादा बातें तो आप करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : तो, श्रीमान्, जब आपने दो छात्रों को अगले साल के कोटे में एडमिशन दे दिया, नियमों को ताक पर रख कर एडमिशन दे दिया और बाकी छात्रों के लिए आपने निर्णय दे दिया 2 फरवरी को कि तुम्हारा बी. एस सी. में कालेज में एडमिशन कर दिया जायेगा। बताइये, यह कौनसा तरीका है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री मूलचन्द डागा)

आप घण्टी बजायें लेकिन यह आसान सवाल नहीं है। ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव है। अगर आप चाहें तो घण्टी बजा दें लेकिन मंत्री जवाब दें। अब आप कहते हैं कि संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, मैं चाहता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं आपने हर साल संख्या बढ़ाई है। जब आन्दोलन करते हैं लड़के, सीधी भाषा को सरकार नहीं मानती है, यह सरकार आन्दोलन, उत्पात, हड़ताल, इनका घेराव हो तो मानती है। इन्होंने 69-70 में छः सौ छात्र लिये। कोटा था 525, लिए छः सौ। इसी तरह से 71 में छः सौ लिए 72 में 512 लिए और 74 में 570 ले लिए जब कि 520 का कोटा था। अब कोटा बढ़ा दिया, 50 सीटों का कोटा बढ़ा दिया। 75 में 520 लिये और 76 से 78 में 550 लिये। श्रीमान्, तो इनका भी कोई यह तर्क नहीं है कि अपना कोटा नहीं बढ़ा सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि इन्होंने खुद ने हैड एग्जामिनर की कार्यवाही को सही माना है। जो सरकार हैड एग्जामिनर की कार्यवाही को सही मानती है वही सरकार यहां आकर दूसरा जवाब देती है तो साहब यह जो बीस लड़कों के साथ खिलवाड़ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो फरवरी को आपने निर्णय किया तो उसके लिये लड़कों को हर्जाना देंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री मूलचन्द डागा : This is not the way.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी आपको उत्तर दे देंगे मंत्री महोदय। रामकृष्णदास गुप्ता भी इस चर्चा में भाग लेने वाले हैं।

श्री मूलचन्द डागा : But all the questions should specifically be answered by the Hon'ble Minister.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, Mr. Gupta can also raise these questions.

श्री मूलचन्द डागा : मैं दो क्वेश्चन्स पर फिर याद दिला दूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया दोहराइये मत।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन नं० 4 को क्या मानते हैं? आप मानते हैं कि वह बोगस था, यह वेग था, आप यह बता दें? यह आपने माना है कि क्वश्चन नं० 4 वेग था और बोगस था। सभी ने माना है। तो उसमें इन छात्रों की गलती क्या थी? इन छात्रों को जिन्होंने इस साल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर लिया, को कालेज में एडमिशन क्यों नहीं दिया? क्या उनको हर्जाना दिया जायेगा या अगले साल एडमिशन दिया जायेगा जब कि छटी पंचवर्षीय योजना में आपने 11,400 डाक्टरों की मांग रखी है। इनका टार्गेट है कि हम छटी पंचवर्षीय योजना में 11,400 डाक्टर लेंगे जब कि इस

(श्री मूलचन्द डागा)

समय में जितने छात्र निकलेंगे वह 11,400 नहीं निकलेंगे। कारण यह है कि जितने डाक्टर निकलते हैं उनमें से आधे डाक्टर ही सर्विस में आते हैं क्योंकि तनख्वाह अच्छी नहीं है। जहां लड़किया पढ़ाई करके पास हो गई, आज आठ महीने के बाद भी सरकार की निष्क्रियता, सरकार की कमजोरी, सरकार की सतर्कता नहीं होने के कारण, यह लड़कियों की गल्ती नहीं है, लड़कों की गलती नहीं है, सरकार अपने आप रैक्टीफाई करेगी। बाकी एडमिशन का जहां तक सवाल है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी कृपया विराज जावें। जितना कहना था आप कहे चुके हैं। श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, जैसा उन्होंने स्वयं माना है कि 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक स्टूडेन्ट्स के इन्टरव्यू हुये और उनके इन्टरव्यू के बाद में उनको बतला दिया गया कि कौन सा कालेज असाइन किया है..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, पोइन्ट पूर्व वक्ता उठा चुके हैंउनको दोहराइये मत। और कोई अपनी बात कहना चाहें तो कह दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उसके बाद में मैरिट लिस्ट को कालेजों में भेज दिया। जब हाई कोर्ट में रिट हुई, 1 दिसम्बर को रिट तय हुई और 16 दिसम्बर को आपने नया रिजल्ट आउट कर दिया। 18 दिसम्बर की नई मैरिट लिस्ट राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार बनाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइये कि 4 अक्टूबर से 18 दिसम्बर तक आपने पहले वाली मैरिट लिस्ट को कैंसिल किया था या नहीं? जिस स्टूडेन्ट का नाम पहली वाली मैरिट लिस्ट में था उसको आपने कैंसिल नहीं किया, उस मैरिट लिस्ट में नाम वाले स्टूडेन्टस को आपने इत्तला नहीं की कि अगर राजस्थान हाई कोर्ट से पहले वाली लिस्ट कैंसिल हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आप किसी अन्य कालेज में एडमिशन ले लीजिए। आपने प्रथम मैरिट लिस्ट को हाई कोर्ट में डिफेंड किया तो जिस लड़के ने 8 महीने तक, 4 महीने तक अपना नाम प्रथम मैरिट लिस्ट में होने के कारण इन्तजार किया, यह आपकी ड्यूटी थी, यह राज्य सरकार की ड्यूटी थी, यह मेडिकल प्रिंसीपल की ड्यूटी थी, यह यूनिवर्सिटी की ड्यूटी थी, प्रथम मैरिट लिस्ट में नाम वाले स्टूडेंट्स को आगाह करने की कि अगर राजस्थान हाई कोर्ट से मैरिट लिस्ट कैंसिल हो गई तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। आप भी राजस्थान हाई कोर्ट में अपने आपको डिफेंड करें, अन्यत्र एडमिशन ले लें। आप स्वयं जानते थे कि प्रथम मैरिट लिस्ट सही है, बोनाफाइड है, रीजनेबल है, कोई गलती आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपके विभाग के द्वारा नहीं की गई है। तो आप इन 22 लड़कों को किस प्रकार से पेनेलाइज कर सकते हैं, पहली बात।

दूसरी बात, आपने 1974 में आपके कालेजों में 520 को एडमिशन देने के

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

बाद में चार महीने बाद में इन्क्रीज करके 570 की। एम. बी. बी. एस. के कोर्स में चार महीने के बाद में आपने 50 सीट्स इसलिए बढ़ाई थीं क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट से यह तय हो गया था कि चूंकि एक को आपने एडमिशन गलत दिया है और एक लड़के का एडमिशन कायम रखने के लिए आपने पचास सीटें इन्क्रीज की थीं। यहां 22 स्टूडेंट्स के भाग्य को देखते हुए आप 16 सीटें क्यों नहीं बढ़ा सकते ? आपकी बात में कोई औचित्य नहीं है।

तीसरी बात, अभी आपकी सीटें 550 थी, जो 5 लड़के आपने राजस्थान राज्य के कोटे में काश्मीर भेजे थे। इन 5 स्टूडेंट्स को काश्मीर मेडिकल कालेज में एडमिशन नहीं मिल सका क्योंकि वे छः महीने लेट हो गये थे। वे लड़के वापस आए तो आपने इन पांच स्टूडेंट्स में से भी 2 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए आपने अगले वर्ष के कोटा में एकामाडेट किया। इन पांच को भी नहीं किया.... ...

यह इस बात का प्रतीक है कि आप का डिपार्टमेंट बोनाफाइड नहीं है, मेलाफाइड है। जब राज्य सरकार ने पांच स्टूडेंटस् को काश्मीर भेजा तो दो पोस्ट और क्रियेट कर सकती थी, उसमें दो स्टूडेन्टस् को अकामाडेट किया, पांच को नहीं किया। इसमें से एक स्टूडेन्ट राजस्थान के एक मंत्री का नियर रिलेटिव है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस स्टूडेन्ट से कोई आपत्ति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : नाम बताओ ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह कोई चार्ज नहीं है। मेरा चार्ज तो यह है कि 550 सीट थीं उनको 552 कर दी, आपने उसको 555 क्यों नहीं किया ? पांच स्टूडेन्टस् को यहां पर अकामाडेट किया, यह इस बात का प्रतीक है कि जिसकी गवर्नमेंट में चलती है, जिसकी गवर्नमेंट में पहुंच है, राजनैतिक सोर्स जिसके पीछे हो, उसका काम होता है। जिस स्टूडेन्ट के पास पोलिटिकल पावर नहीं है, जिसकी पहुंच नहीं है, एप्रोच नहीं है, जो प्रेसराइज नहीं कर सकता, उस लड़के को आप नहीं सुनेंगे। यह 22 लड़के हैं। इसलिए, शिक्षा मंत्री जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए जो आपके विशेषाधिकार है, उनका यूज कर के इनको बी. एस सी. में एडमिशन दिला दीजिये। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या कोई भी विद्यार्थी डेढ़ महीने के अन्दर बी. एस सी. पार्ट सैकिन्ड का कोर्स पूरा कर सकता है, पूरी तैयारी कर सकता है ? क्या यूनिवर्सिटी उसको पूरा टीच कर सकती है ? आप इन 22 लड़कों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। दिक्कत तो इस बात की है कि जब इन 22 लड़कों के गार्जियन माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले तो माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रथम प्रतिक्रिया यह थी कि यह अन्याय है। इन लड़कों को एडमिशन मिलना चाहिये। उन्होंने फोन किया और कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि इन लड़कों को भी एडमिशन मिले। ये फोन पर बातें हुई हैं। इसके बाद क्या हुआ। क्या, स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने इन 22 स्टूडेंटस् का केस मंत्रिमंडल में ठीक ढंग से प्लीड नहीं किया ? जिस मंत्री मंडल में प्रोफेसर केदार जैसे मंत्रि हों, श्री ललित जी जैसे शिक्षाविद् हों, जो छात्रों के समर्थक हैं, उनके

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

हितों के रक्षक हैं, तो मैं समझता हूं यह नहीं होता ....

समय समाप्ति-सूचक-घंटी

आपने मंत्रिमंडल में कभी भी इस बात के लिए प्रयास नहीं किया कि इनके लिये ये सीटें इन्क्रीज की जायें। You have been mislead by your Health Commissioner. He has ignored your orders and did not comply with. He was adanant not to give admission to these students this year.

आपकी और उनकी नहीं बनती है, यह मालूम है। माननीय सदस्य भी जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य आयुक्त के आपस में नहीं बनती है। वे आपके आदेशों का पालन नहीं करते हैं। आपकी रीति नीति को वह एक्जीक्यूट नहीं करते। यही कारण है कि आपके कहने के बावजूद भी हैल्थ कमिश्नर ने केबिनेट मिमो इस प्रकार का नहीं बना कर भेजा जिससे की सीटें इन्क्रीज हो सकें। इसलिये, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मैं यह चाहूंगा कि अगले वर्ष दो सीटें दी जा सकती थीं, 116 सीटें इस साल, अगले साल एडजस्ट की जा सकती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मानवीय प्रश्न है।

समय समाप्ति-सूचक-घंटी

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। कृपया बिराजिये।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : जहां तक सवाल है सीट इन्क्रीज करने से खर्चा होने का, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी माननीय गोकुलभाई के आदेश से शराबबन्दी करके 28 करोड़ की रेवेन्यू का नुकसान सहन करने को तैयार हैं। मैं स्वयं शराबबन्दी के हक में हूं, एक आदमी के जीवन रक्षा के लिये कि गोकुल भाई आत्मदाह न कर, हंगर स्ट्राइक न करें, एक आदमी का बलिदान न हो.......

श्री रतन लाल वर्मा : आत्मदाह, भूख हड़ताल, यह क्या कह रहे हैं। आत्म दाह की आप नई बात कह रहे हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपके मतलब का सवाल नहीं है।

श्री रतन लाल वर्मा : आप आत्म दाह की बात कह रहे हैं। क्यों उस बूढ़े बाबा को कलंकित कर रहे हैं।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मेरा एक सवाल है। जब गोकुल भाई के जीवन की रक्षा के लिए, उनकी रीति नीति को सफल बनाने के लिए, वित्त मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री महोदय अगर दृढ़तापूर्वक निश्चय करते हैं, मंत्रिमंडल छोड़ने की तैयारी कर सकते हैं, 28 करोड़ रुपये का नुकसान करने को तत्पर हैं, जो कि एक उचित कदम है, तो उस 28 करोड़ के सामने तो यह लाख रुपये के खर्च का मामला है, क्या आप एक लाख रुपया बढ़ा कर इन बच्चों का भला नहीं कर सकते ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा

(श्री उपाध्यक्ष)

समाप्त करें। आप अपनी चर्चा का अनावश्यक रूप से विस्तार कर रहे हैं।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हर नागरिक के जीवन की कीमत है। गोकुलभाई और यह 22 स्टूडेन्टस् बराबर हैं।

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा है कि हमें छठी पंचवर्षीय योजना में 2500 डाक्टरों की आवश्यकता होगी। मैं यह कह सकता हूं कि ये 22 स्टूडेन्ट आपको बाण्ड भर कर देने को तैयार हैं कि वे राजस्थान सरकार से नौकरी की मांग नहीं करेंगे। वे नौकरी के लिए आवेदन नहीं करेंगे। आज आप मेडिकल कालेज से निकल रहे डाक्टर, ग्रेजुएट को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर निकल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। 78 में 500 डाक्टर पास होकर के निकल रहे हैं और आपने बजट में 128 पोस्ट क्रिएटकी हैं। बाकी 320 डाक्टरों को आप अकामाडेट नहीं कर पायेगें तो इन 22 डाक्टरों के लिए आप नौकरी की चिन्ता क्यों कर रहे हैं? 20,000 डाक्टरों के पीछे एक डाक्टर है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : एक सैकंड।

(व्यवधान)

अब श्री राजनारायण जी ने एक योजना बनायी है और हर गांव में एक बेयर फुट डाक्टर होगा। आपके बजट में प्रावधान है For exery village you require these well qualified doctors You should not ignore them. You are Sarvoayee. Therefore, you please increase the seats and do justice to these students.

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न को जिस तरह से रखा गया है, उस तरह से नहीं है। पी० एम० टी० के इम्तिहान हुए। यूनिवर्सिटी उस परीक्षा को लेती है। जब सितम्बर में उन्होंने इम्तिहान लेकर रिजल्ट निकाला, सूची बनाई, उसके आधार पर एडमिशन की वरिष्ठता की सूची तैयार की।

550 लोगों को एडमीशन दिया लेकिन हाई कोर्ट में रिट हुई और तय कर दिया गया तो एडमिशन रुक गये। एडमिशन रुक जाने पहले से निश्चय नहीं किया जा सकता था कि हाई कोर्ट का क्या निर्णय होगा। यह एनविसेज नहीं हो सकता था ताकि उनको पहले से ही सूचना दे दी जाय जब जजमेंट आया तो एडमिशन बोर्ड का यह काम नहीं है, उसका तो काम है किस प्रकार के पेपर्स हों। यूनिवर्सिटी परीक्षायें लेती है और वह जो सूची तैयार करती

(श्री त्रिलोक चंद जैन)

है उसके आधार पर प्रवेश होता है। दूसरे सूची हाई कोर्ट के निर्णयानुसार बनती है, उसके अनुसार सूची से 550 लोग ले लिये। इसलिये हाई कोर्ट के निर्णयानुसार नई सूची बनी और उसके अनुसार 550 लोग ले लिये गये। अन्य दो के मामले दूसरी तरह के हैं। जम्मू-कश्मीर से रेसीप्रोकल बेसिस पर 5 सीटें हैं जिनमें पिछली साल 7 जाने के कारण 2 सीटें राजस्थान की चली गईं। वरिष्ठता के आधार पर सूची के अनुसार जिन 5 लोगों को कश्मीर भेजा था उनका नहीं हुआ और वे यहां आये तो यूनिवर्सिटी से आई सूची के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर ताकि राजस्थान के लोगों को नुकसान न हो इसलिये दो लोगों को एडजस्ट किया गया। इसलिये 550 सीटें राजस्थान की पूरी कर दी गई हैं इसमें कोई राज्य सरकार का नहीं है, न एडमिशन बोर्ड का है, जो हाई कोर्ट के निर्णयानुसार यूनिवर्सिटी ने सूची भेजी उसके अनुसार छात्रों को ले लिया गया।

श्री मूलचन्द डागा : अगले वर्ष का कोटा था, इन विद्यार्थियों को इस वर्ष में लिया गया।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अगले वर्ष की 5 से जो 7 सीटें थी कश्मीर की उन पर रेसीप्रोकल बेसिस पर लिया गया है। उनको अगले वर्ष 3 सीटें दी जायेंगी। जम्मू कश्मीर की पांच सीटों पर........

श्री मूलचन्द डागा : अगले वर्ष के कोटे में जो लड़के लेने हैं उनकी जगह दो अब भी ले लिये।

श्री एच. एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, प्रश्न के उत्तर में लिखा है वह कितना घुमा कर लिखा गया है। इस वर्ष 550 सीटें निश्चित होंगी और 550 छात्रों को प्रवेश दिया गया है इसके अलावा दो कश्मीर के छात्रों को। कश्मीर के छात्रों को, उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत में कश्मीर के नहीं हैं, राजस्थान के हैं। लेकिन लिखा गया है–इसके अलावा दो कश्मीर के छात्रों को अगले वर्ष के प्रावधान के प्रति प्रवेश दिया गया है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : 5 सीटें कश्मीर की हमारे यहां रिजर्व हैं उनकी जगह 7 को प्रवेश दिया गया तो कश्मीर की दो सीटें कम हुईं। उसके आधार पर दो लोगों को जिनको भेजा था उसमें दो लोगों को वरिष्ठता के आधार पर लिया गया।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह नहीं था........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, कृपया विराजें।

श्री मूलचन्द डागा : We couldn't get the answer.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप राजस्थान यूनिवर्सिटी को अपने से अलग मत

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

मानिये। राजस्थान यूनिवर्सिटी की गलती के लिये भी सरकार जिम्मेदार है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या नियमों में इस प्रकार का प्रावधान है? आपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर लिया, चर्चा में भाग ले लिया। क्या आप नियमों के तहत चर्चा कर रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय मेम्बर का यह अधिकार होता है कि वह प्रश्न करे और उसका स्पेसिफिक जवाब आये। मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी कहें कि स्पेसिफिक जवाब आये। कृपया नियम देख लीजिये। आपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया, ध्यान आकर्षित करने के बाद मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से पैदा हो गया?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा, व्यवस्था का प्रश्न।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय. 3 बज कर 25 मिनट हो चुके हैं और जीरो हावर का समय दो बजे तक का निश्चित है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह जीरो हावर नहीं है, ।××××

श्री रतनलाल वर्मा : आज सिंचाई की मांगें रखी हैं जिन पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। पूरा का पूरा समय विरोधी पक्ष वाले ले गये। 3.25 हो गये। 4.30 पर मुख बन्द हो जायेगा फिर हां, हां करा कर बेड़ा गर्क कर देंगे। इसलिये महरबानी करके इनको बन्द करिये।

श्री मूलचंद डागा : सवाल यह था कि 2 सीटें 1979 की हैं, आपने यह निर्णय दिया कि इन को बी. एस सी. में ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, इन प्रश्नों को दोहराइये मत जब माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। क्या नियमों में यह प्रावधान है कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया।

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछूंगा। मान्यवर, मेरा प्रश्न इस प्रकार है कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात को मानते हैं कि यूनिवर्सिटी अधिकारियों का निर्णय था उसके खिलाफ लड़के हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी के फैसले को वाजिब मानते हुए अपना पक्ष रखा कि हमारा निर्णय ठीक है, वाजिब है उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला दिया।

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अवलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

तो गलती तो यह हुई कि सरकार जानती थी लेकिन उसने नहीं कहा ! अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बात को आपकी सरकार ने सही माना और आप की यूनिवर्सिटी ने सही माना तो क्या आपका निर्णय हाई कोर्ट के फैसले के बाद रातों-रात बदल गया ? मैं आपसे चाहूंगा, मंत्री महोदय, आप तो स्वयं विद्वान हैं। गलती तो यह हुई कि जो अच्छे लड़के थे, इंटेलिजेंट लड़के थे उन्होंने ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, कृपा करके बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : याने हाई कोर्ट जाकर जो गलत आदमी थे वे तो लाभ में रहे और जिन्होंने कुछ नहीं किया वे घाटे में रहे। तो क्या सरकार इस सारी स्थिति पर पुर्नविचार करेगी ? क्या उनके साथ इन्साफ करने की सोच रही है ?।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्त कर दें, लेकिन छात्रों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा ? इस सरकार का कौन विश्वास करेगा ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार उनको अगले साल एडमिशन देगी ? यह मन्त्रिमण्डल बुद्धिहीन है।

(व्यवधान)

आपने अपने निर्णय को सही माना है, क्या सरकार उस पर पुर्नविचार के लिये सोचेगी ? मैं मंत्रिमण्डल से पूछना चाहता हूं आप लोगों की बुद्धि कहां गई ?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मैंने कह दिया, चर्चा समाप्त हुई।

श्री मूलचंद डागा : आपने सही माना है और ....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हाई कोर्ट का निर्णय --

(व्यवधान)

इसी प्रकार जयपुर के बरामदों के बारे में आपके मुख्य मन्त्री महोदय ने जुडिशियल इन्क्वायरी की बात मानी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप कहें कि हम पुर्नविचार करेंगे, You say it here.

श्री मूलचन्द डागा : विचार तो करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम कृष्णदास जी गुप्ता, आप बिराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी आप उनसे कहें कि पुनर्विचार करने की हां भरें। पुनर्विचार करने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट का है तो क्या आपने किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदास जी, आप बिराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने, जयपुर वालों के किया है ....

श्री दाऊदयाल जोशी : वह सुन नहीं सकते। वह अपनी ही बात कहे जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, आप विराजें। मैं आपको आदेश देता हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप मुझे सदन से बाहर निकाल दें। मुझे इस सरकार को कहना पड़ेगा। इस सरकार में दिमाग या बुद्धि भी है या नहीं। आप सही बात मानने को तैयार क्यों नहीं होते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता, कृपया विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपकी यह सरकार मैंने जो अपने विचार रखे हैं उनका उत्तर नहीं दे रही है, इसलिए उसके प्रोटेस्ट में सदन से वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46–सिंचाई की प्रस्तुति

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मन्त्री) : माननी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,46,05,396 की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाय,

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री **बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर)

श्रीमती **उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण)

श्री **गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री **ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी)

श्रीमती **श्यामा कुमारी सेंगर** (कपासन)

श्रीमती **नारंगी देवी** (किशनगंज)

1. राजस्थान नहर का समुचित विकास करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

2. जयपुर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनास योजना लागू किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली)

3. सरदार समंद का पानी का बंटवारा समाजवादी ढंग से नहीं किये जाने तथा बांध की नालियां पक्की नहीं होने कारण जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

4. हेमावास बांध का पानी कच्ची मिट्टी की नालियों में बहुत दूर नहरी जमीन न होते हुए भी पास के नहरी क्षेत्र को छोड़ कर सिंचाई की जाती है जिसके कारण पानी का खरावा होता है इस पर चर्चा के लिये।

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली)

5. वणियावास बांध का कमाण्ड एरिया बढ़ाने की मांग पर दो साल से कुछ भी कार्यवाही न करने के कारणों पर चर्चा के लिये।

6. पाली तहसील के बड़े काश्तकारों में सिंचाई विभाग के लाखों रुपयों की बकाया की वसूली न होने पर चर्चा के लिये।

श्री **माधव सिंह दीवाना** (सोजत)

7. तहसील खारची में कंटालिया के पास नदी पर बांध निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री **हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं)

8. बाढ़ के पानी को नियंत्रित करके सिंचाई के कार्य लेने में हो रही विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री **बहादुर सिंह** (नोहर)

श्री **शिवकरण बुहाड़िया** (फागी)

श्री **विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहर-थाना)

श्री **राम प्रसाद लड्ढा** (माण्डल)

श्री **उमराव सिंह गुजर** (महुवा)

श्री **डूंगर राम पंवार** (टीबी)

9. बड़ी नहरों को पक्का कराने व बड़ी नदियों पर बांध बनवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री **बहादुरसिंह** (नोहर)

श्री **शिवकरण बुहाड़िया** (फागी)

श्री **बालचंद आर्य** (डग)

श्री **उमरावसिंह गूजर** (महुवा)

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल)

श्री **विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहर थाना)

श्री **डूंगरराम पंवार** (टीबी)

10 सिंचाई सुविधा के सुधार तथा विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुरसिंह)

11. बमल, भाब, घुम्बड़िया, बाटेरा आदि बांध का निर्माण कार्य पुनः चालू किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री **राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना)

श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूनी)

श्रीमती **मदन कौर** (पचपदरा)

श्री **रामदेव सिंह चौधरी** (मूण्डवा)

श्री **नूरा** (मसूदा)

12. जिला नागौर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री **वृद्धिचंद जैन** (बाड़मेर)

13. राजस्थान नहर को राष्ट्रीय नहर घोषित कराने के लिये राज्य के प्रयत्नों की ढिलाई के कारण जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री **रामनारायण चौधरी** (मण्डावा)

14, राजस्थान नहर की लिफ्ट सिंचाई योजना तथा आगे की नहर की खुदाई तथा निर्माण में अवरोध पैदा हो जाने पर चर्चा के लिये।

श्री **ईश्वरचंद्र** (पिड़ावा)

15, पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में गागरेनी बांध न बन पाने की चर्चा के लिये।

16. सिंचाई योजनाएं पूरी नहीं करने के बाबत चर्चा के लिये।

श्री **परसराम मदेरणा** (भोपालगढ़)

17. सिंचाई दरों में वृद्धि की जाने से उत्पन्न समस्या के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री **नवरंग सिंह** (नवलगढ़)

18. सिंचाई सुविधा के सुधार तथा विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री **अजीतसिंह** (टौंक)

19. टौंक में बनास नदी से लिफ्ट योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री **हरचंदसिंह** (पीली बंगा)

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल)

श्री **बालचंद आर्य** (डग)

श्री **बालकृष्ण थानवी** (फलौदी)

श्री **आलम अली खां** (फतेहपुरा)

श्री **नरेंद्रपालसिंह चौधरी** (मावली)

20. सिंचाई विभाग में फैले भ्रष्टाचार की समाप्ति हेतु कारगर कदम उठाए जाने पर चर्चा के लिए।

श्री **हरचंद सिंह** (पीली बंगा)

श्री **नरेन्द्रपालसिंह चौधरी** (मावली)

श्री **बालकृष्ण थानवी** (फलौदी)

21. भाखरागंग, राजस्थान नहर योजनाओं में सिचाई हेतु सामंजस्य कायम किया जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री **भंवरलाल ऐरन** (नसीराबाद)

22. नसीराबाद क्षेत्र के बांधों की पूर्ण मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के जिये।

श्री **हजारीमल सारण** (सरदार शहर)

23. सिचाई की दरें अनावश्यक रूप से बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

श्री **गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़)

24. (1) गंग नहर की जीर्ण शीर्ण अवस्था, (2) भाखरा नहर में राजस्थान नहर का पानी देने, (3) घग्घर बाढ़ की समस्या, (4) भाखरा तथा गंग नहर की टेल व उप-शाखाओं को पक्का बनाने (5) सी. ए. डी. द्वारा निर्मित खालों के संबंध में (6) वाटर लोगिंग के संबंध में तथा (7) नहर टूटने वाली फसलों संबंधी चर्चा के लिये।

श्री **अजीतसिंह** (टोंक)

श्री **ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी)

25. सिचाई विभाग द्वारा समय पर वित्तीय स्वीकृति नहीं देने से कार्य में शिथिलता आने पर चर्चा के लिये।

26. सिचाई विभाग द्वारा सिचाई नहरों का मोडिफाई करने में हुई देरी पर चर्चा के लिये।

श्री **करतारसिंह** (किशनगढ़)

27. राज्य सरकार द्वारा सिंचाई के मामले में अजमेर जिले की निरन्तर की जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

28 अजमेर जिले में सिंचित क्षेत्र बहुत ही सीमित होने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा जिले में सिंचित क्षेत्र बढ़ाये जाने में बरती जा रही शिथिलता बाबत चर्चा के लिये।

29. अजमेर जिले में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने बाबत लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत चम्बल नदी की नहर लाने बाबत चर्चा के लिए।

श्री **गुलाबचंद कटारिया** (उदयपुर)

श्री **ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी)

30. कैलाशपुरी (गिर्वा तहसील) के ऊपरी बांध से पक्की नहर निकाल कर अधिक क्षेत्र में सिंचाई किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. माडंक बांध बनाकर मावली क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. देवास योजना द्वारा उदयपुर से चित्तौड़ तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यता पर चर्चा के लिए।

33. कोल्यारी झाड़ा पीपल बांध के निर्माण कराने एवं डाया बांध से होने वाली

(श्री गुलाबचंद भटारिया)

सिचाई के लिए समय पर पानी नहीं देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

34. बून्दी जिले के नैनवा क्षेत्र के सूखाग्रस्त होने से उसमें सिचाई की सुविधा देने पर एवं बून्दी जिले के नहरी क्षेत्र के टेल के खेतों में पानी की व्यवस्था कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत)

35. राजस्थान नहर निर्माण के साथ साथ ही सिंचित क्षेत्र का विकास न किए जाने पर चर्चा के लिए।

36. राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत कोलायत व राजनेर लिफ्ट योजनाओं पर कार्य चालू न करने पर चर्चा के लिए।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना)

37. मकराना में संगमरमर की खानों से पानी निकाल कर पास के खेतों की सिचाई हेतु काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी)

38. सिचाई विभाग द्वारा पिड़ावा क्षेत्र के बांधों व तालाबों की उपेक्षा करने व उन्हें ठीक न करने की नीति पर चर्चा के लिये।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां)

39. राजस्थान नहर परियोजना का जल जोधपुर व जैसलमेर क्षेत्र तक लिफ्ट से ले जाने पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

40. नहरी सिचाई के रेट को कुओं से की जा रही सिचाई की रेट के समानान्तर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवचरणसिंह (ब्याना)

41. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा सिचाई योजनाओं हेतु सामान खरीद में हुई अनियमितताओ पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (नवलगढ़)

42. बहुउद्देशीय नदी योजनाओं का उचित रिटंन नहीं मिलने व अधिक बांध बनाने की योजना के अभाव से होने वाली हानि पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)
श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)
श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन)
श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)
श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ)
श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल)
श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)
श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी)

134

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली)

श्री ईश्वरचंद्र (पिड़ावा)

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद)

43. वर्षा के समय रामगढ़ बांध में आने वाले अधिक पानी को समयानुसार एवं आवश्यकतानुसार काम में लाये जाने के लिये रामगढ़ से आगे एक और बांध का निर्माण हेतु सर्वे कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)

44. जिला जालौर की जेतपुरा बड़गांव नदी सिंचाई योजना की क्रियान्विति के बारे में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये।

45. जिला जालौर में सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये।

श्री टीकमचंद कान्त (जालौर)

46. जालौर क्षेत्र के कोलर व मेटाला बांधों का निर्माण इसी वर्ष करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचंद कान्त (जालौर)

47. जालौर क्षेत्र में नदी के कारण हो रहे नुकसानों को रोकने की तथा इस पर बांध बंधवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)

48. मेजा से भीलवाड़ा को नहर के स्थान पर पाइप लाइन से न जोड़ने के कारण उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनारायण (थानागाजी)

49. किशोरी एवं लौसल में बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़)

50. जेतपुरा बांध की नहर के बार बार टूटने और पानी बांध में भरा रहने तथा इससे होने वाली हानि एवं मरम्मत के नाम पर हुए घोटालों पर चर्चा के लिये।

51. ओराई डेम को दो फीट ऊंचा उठा कर टेल तक पानी पहुंचाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरचंद सिंह (पीलीबंगा)

52. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करवाने तथा राजकोष का नहरों के निर्माण हेतु उचित रूप से व्यय की व्यवस्था कराई जाने हेतु चर्चा के लिये।

53. उपनिवेशन विभाग के भू आवंटन एवं भूमि विक्री नियमों का सरलीकरण कर काश्तकारों को राहत दी जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा)

54. उपनिवेशन नायब तहसीलदार द्वारा इटावा कस्बे में गरीब व्यक्तियों पर भारी जुर्माने करने तथा आवासीय भूमि के नियमन नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. पीपल्दा क्षेत्र में फ्लो ईरिगेशन हेतु नहरों की लम्बाई बढ़ाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

56. बाई मुख्य नहर को नायब तहसील इन्द्रगढ़ में सिंचाई हेतु अविलम्ब बढ़ाये जाने के सबंध में चर्चा के लिये।

57. आाना बांध तथा इटावा बांध कैनाल के बीच तथा गेंता डिस्ट्रीब्यूटरी में लिफ्ट द्वारा सिंचाई कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लालूदास (फलासिया)

58. क्षेत्र फलासिया में बांधों के निर्माण कराने एवं सिंचाई की उचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

59. सूर्यघाटा फीडर के निर्माण की घोषणा के बावजूमद काम शुरू करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं)

60. सिंचाई विभाग के कार्य स्थलों पर आवासीय सुविधा में विभाग द्वारा की गई भेदभाव की नीति को समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिए।

61. बुआखेड़ा, भीवरा, देवपुरा में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स जो अधूरी पड़ी है उनको पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. राणा प्रताप सागर डेम के नीचे 77 फीट गहरा खड्डा हो गया है उसको ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. राणा प्रताप सागर बांध के कारण डूब में आए विस्थापित काश्तकारों को सिंचाई विभाग द्वारा सड़क, स्कूल, चौपाल आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर)

64. अजमेर जिले में अधिक कृषि भूमि सिंचित होने के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत चम्बल नदी की नहर लाने पर चर्चा के लिए।

श्री माधोसिंह (रेवदर)

65. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में सिंचाई के सोर्स उपलब्ध होते हुए भी विभाग द्वारा प्राथमिकता न देने बावत चर्चा के लिए।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)

66. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अव्यवस्था से होने वाली हानि पर चर्चा के लिए।

श्री **सुरेश कुमार** (भरतपुर)

67. सिंचाई योजनाओं की प्रगति में आने वाली रुकावटों के कारणों पर चर्चा के लिए।

श्री **ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी)

68. बूंदी जिले में नहरों से समय पर पानी न देने से नहरों की सफाई के अभाव में सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

डा. गंगा सहाय (कठूमर)

69. नए बांध बनाने, नहरों की मरम्मत कराने, पुरानी नहरों को पुनः चालू कराने एवं व्यर्थ जाने वाले बरसाती पानी के उपयोग के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री **काशीनाथ गुप्त** (कुम्हेर)

70. बाढ़ के पानी से छोटी छोटी सिंचाई योजनायें बनाने तथा कुम्हेर क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त से मुक्त करने हेतु विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाई जाने पर चर्चा के लिए।

श्री माधोसिंह (रेवदर)

71. सिरोही जिले में सिंचाई के योग्य पानी का काफी सोर्स होते हुए भी प्रायमिकता न देने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

72. लिफ्ट सिंचाई की दरें उपयुक्त कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व)

73. विभाग में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कारगर कदम उठाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची)

74. पाली जिले में लूनी नदी व सहायक नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा)

75. बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में सिंचाई के रेट्स कम कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा)

76. तहसील महुआ में बाणगंगा नदी को रोक कर ग्राम दुडियाना के पास बांध बनाये जाने हेतु सरकार की उदासीनता बाबत चर्चा के लिये।

77. तहसील महुआ के बांध जगरामपुरा की नहरों की उचित मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी)

78. नर्मदा नहर का निर्माण कार्य राजस्थान में जल्द आरम्भ करने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)

79. सिंचाई दरों में वृद्धि से किसान को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

(श्री कौशल किशोर जैन)

80. मेजा फीडर जिला भीलवाड़ा के शीघ्र पूर्ण न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

81. भीलवाड़ा तहसील के बड़ा महुआ ओजियाड़ा बांधों को ऊँचा एवं पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)

82. नर्मदा नदी सिंचाई योजना की क्रियान्विति शीघ्र की जाकर राजस्थान में सिंचाई हेतु शीघ्र पानी उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा के लिये।

83. सांचोर केनेपड़ क्षेत्र में लूनी नदी इनन्डेशन योजना की क्रियान्विति शीघ्र करवाने के बारे में चर्चा क लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

84. बांध माधोसागर, कालाखो तथा भण्डारी की नहरों को पक्की कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री कुंजीलाल (बामनवास)

85. सिगरोली (तहसील बामनवास) बांध का अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कराए जाने बाबत चर्चा के लिये।

86. चांदेरा बांध स्कीम को अविलम्ब स्वीकृति देकर पूर्ण कराए जाने पर चर्चा के लिये।

87. विभाग द्वारा छोई नदी के पानी के स्थाई निकास की ओर अब तक ध्यान नहीं दिये जाने से व्याप्त जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

88. सिकराय क्षेत्र के बांधों के पानी की सीवेज की समस्या पर सरकार द्वारा अब तक ध्यान न दिए जाने पर चर्चा के लिये।

89. सहायक अभियन्ता सिंचाई दौसा के विरुद्ध सरकार का बराबर ध्यान आकर्षित करने पर भी अब तक आवश्यक कार्यवाही न किए जाने पर चर्चा के लिये।

वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर)

90. सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई योजनाओं पर उचित ध्यान नहीं दिये जाने से सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

91. बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की क्रियान्विति में हो रही देरी पर चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़)

92. नोहर तथा सिधमुख योजना के शीघ्र शुरू किये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर,ग्रामीण)

93. रामगढ़ बांध पर 6 फीट ऊँची दीवार बना देने से ग्रामीणों की भूमि व कुएं डूब में आ जाने से व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)

94. भीलवाड़ा तहसील के अन्तर्गत आने वाले तालाव सूरसागर, ओज्याडा, बीछड़ा, पंपोला, हराड, करम आंस आदि को सिंचाई विभाग में लेकर ऊंचा, पक्का कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूलाल (घाटोल)

95. घाटोल (बांसवाड़ा) पंचायत समिति पीपल खूंट व छादेल में वानघाटी का बांध बनाने व खेड़ीगावा बक्वोड़. कालीघाटी, सुरजपुरा, छरी पंथोल में नये बांध बनाने व अपूर्ण बांधों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगतारसिंह कंग (करणपुर)

96. गंग नहर की मरम्मत के लिये नई सहायक कैनाल का निर्माण न करने पर चर्चा के लिये।

97. गंग नहर जो पुरानी (ओवरएज) पड़ चुकी है मरम्मत न करने से विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

98. 10–15 साल से अधिक कार्यरत डिप्लोमा व डिग्री होल्डर्स मैकेनिक इंजीनियर्स का प्रमोशन नहीं हो रहा है तथा उनकी वरिष्ठता सूची भी नहीं बनाई जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

99. हरिगढ़ बांध द्वारा तहसील रामगंज मण्डी पर एवं रामगंज मण्डी की अलोद और घायपुरा, अमझार तथा सलावद तालाबों से सिंचाई सुविधा के सुधार एवं विस्तार पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन)

100. लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था मान्य करने तथा झालावाड़ जिले में झालरापाटन विधान सभा क्षेत्रों में नवीन सिंचाई योजनाएं प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीकृष्ण (नदबई)

101. 1) बाणगंगा के मास्टर प्लान
2) बाणगंगा से भरतपुर में निकलने वाली नहरों की सिल हटाने व बढ़ाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

102. केशवराय पाटन के क्षेत्र के टेल के छोटे किसानों को सिंचाई की सुविधा दिलाने में विभाग की शिथिलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. केशवराय पाटन निर्वाचन क्षेत्र के असिंचित क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. सीपेज समाप्त करने के नाम पर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

105. सिचाई व्यवस्था हेतु जल वितरण व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर)

106. पाली जिले में सिचाई हेतु जल वितरण में छोटे काश्तकारों के साथ अन्याय बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. सिंचाई शुल्क (ताइवान) की वसूली में काश्तकारों के समक्ष आने वाली दिक्कतों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर)

109. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को सिचाई के साधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता बाबत चर्चा के लिये।

श्री रावत राम (सुजानगढ़)

110. भूमि विकास निगम द्वारा राजस्थान कैनाल क्षेत्र में काश्तकारों की भूमि पर बनाये गये नालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर)

111. जिला डूंगरपुर में सिचाई योजनाओं को प्राथमिकता न देने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

112. ग्रामीण क्षेत्र में सिचाई के साधनों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जिथिंग (कुशलगढ़)

113. क्षेत्रीय विकास में सिंचाई में बी० सी० रेश्यों समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दिलाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नूरा (मसूदा)

115. चम्बल योजना के पानी की लिफ्ट स्कीम लागू कर अजमेर जिले में सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा)

116. हरीगढ़ (तागली) बांध परियोजना एवं रामगंज मण्डी तहसील के घाईपुरा, अमझार, ब्रह्माजीका छापरा तथा लाड़पुरा तहसील के डोल्या सिचाई योजना की क्रियान्विति की धीमी गति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर)

117. सिंचाई के क्षेत्र में वृहद सिचाई

(१५०)

(श्री गोपालसिंह)

योजनाओं के साथ साथ प्रान्त के विभिन्न भागों को स्थानीय पानी को छोटे छोटे बांधों में रोक कर कुओं का पानी स्तर बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)

118. मोदरां माताजी का बांध माडर्नाइजेशन के अन्तर्गत लेकर सुधारने हेतु चर्चा के लिये।

119. सिरोही के लाखेलाव बांध तथा जालौर के सामेलाव बांध तालाव को मार्डनाइजेशन के अन्तर्गत लेकर सुधारने हेतु चर्चा के लिये।

120. आबू पर्वत पर अलवर कोठी के पास बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. अरणगौर बांध का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. तिवरी चडुआल-धानता बांध की ऊँचाई बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

123. गोडाणा-घुवाणा-काना कोलर पालड़ी कृष्ण सागर बांध की ऊँचाई बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा)

124. माही परियोजना के निर्माण में हो रहे विलम्ब में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

125. कडाना बांध के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर चर्चा के लिये।

126. माही परियोजना में हो रहे अपव्यय व प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राजगढ़)

127. विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार व पक्षपातपूर्ण रवैये के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद जहूर (कामा)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

128. कामां में गुड़गांवा केनाल क्षेत्र के लिये सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

129. सिंचाई विभाग के डिवीजन डीग का कामां के इंजीनियरों द्वारा पनपाये जाने वाले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. कामां क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. कामां क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई आबयाना माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

132. तहसील टोडाभीम एव नादौती सिंचाई के साधनों की कमी के बारे में चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचदं जैन (बाड़मेर)

133. नर्मदा नदी के नवगांव बांध का 500 फीट की ऊँचाई पर निर्माण करने की आवश्यकता के विषय पर चर्चा के लिये ।

श्री गंगाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

134. राष्ट्रीय कृषि प्रयोग की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान नहर (लिफ्ट केनाल योजना) के निर्माण की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार)

135. खण्डार तहसील में बनास पर लिफ्ट इरिगेशन योजना लागू करने तथा बूंदी कैनाल को खण्डार से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

136. सिचाई विभाग में जितने भी अधिकारी हैं उनकी जायदाद की जांच करने तथा विभाग से शराबियों को निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

137. गोवटा के तालाव से सिंचित होने वाली भूमि पर वैटरमेन्ट लेवी की अलग अलग दरें कायम की गई हैं अतः रेट कम करने की चर्चा के लिये ।

138. माण्डलगढ़ क्षेत्र में जहां जहां नदियों को तथा नालों को बांधने की सम्भावना हो उनको बंधवाने की योजना वनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़)

139. नहरों की भारी दुर्दशा से फसल को होने वाले भारी नुकसान के प्रति उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये ।

140. सिचाई विभाग के निर्माण कार्यों में व्याप्त भारी रिश्वत खोरी के प्रति जन आक्रोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये ।

141. सिचाई विभाग बाढ़ आदि को रोकने में असमर्थ रहने से किसानों को भारी नुकसान पर चर्चा के लिये ।

142. सिंचाई विभाग के वर्षों से अधूरे पड़े कार्यों से किसान व सरकार को होने वाले भारी नुकसान पर चर्चा के लिये ।

143. नहर व बांधों का आधुनिकीकरण किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

144. नये बांध व नई नहर निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं)

145 झुन्झुनूं जिले में नहर से सिचाई के साधन जुटाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं)

146. चौमूं क्षेत्र का उदयपुरिया नाला एवं मेढ़ा नदी के वहाव से ग्राम हस्तेड़ा को भारी नुकसान की रोकथाम एवं सिचाई हेतु बांध बंधवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(142)

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

147. चौमूं क्षेत्र में सिंचाई योजना के अभाव से जनता में व्याप्त भारी असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

148. राजस्थान में सिंचाई योजनाओं में किये जा रहे अपव्यय को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अयूब खां (तिजारा)

149. सिंचाई बांध सारे खुर्द की वेस्टवीयर, नहर कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

150. अधूरे पड़े जयरोली बांध को पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

151. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में फूटे हुए सिंचाई बांधों को मुकम्मल कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बजरंग लाल शर्मा (वनीपार्क, जयपुर)

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़)

152. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व सिंचाई के सम्बन्ध में गतिशीलता एवं परिकल्पना के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुडरक (लाडनूं)

153. नागौर जिले को लिफ्ट सिंचाई योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बृपेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द)

154. खारी बांध आसीन्द की नहरों को पक्की बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

155. खारी बांध आसीन्द को बड़ा बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शीशराम ओला (पिलानी)

156. जिला भुन्झुनूं में सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये ।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर)

157. परबतसर तहसील में सिंचाई के अन्तर्गत फेमिन में बनाये गये अधूरे बांधों को तैयार करने की चर्चा के लिये ।

158. परबतसर तहसील में फेमिन तथा डी० पी० ए० पी० द्वारा बनाये गये अधूरे बांधों को तैयार करने की चर्चा के लिये ।

श्री मावजी भाई (सलूम्बर)

159. जयसमन्द की नहरों को जल्दी से जल्दी पक्की करा कर खराब होने वाली जमीन को बचाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री गम्भीर लाल मीणा (सराड़ा)

160. लूड़दा बांध जो खेरवाड़ा में है की नहर सराड़ा तहसील में लाई जाय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (ग्रामेर)

161. सामान खरीद व प्रशासन पर ग्रपव्यय को रोकने में विभागीय ग्रसफलता पर चर्चा के लिये।

162. नहरों की दुर्दशा, नहरों व बांधों का ग्राधुनिकीकरण करने, नये बांध व नहरों का निर्माण कराने नहरों का समुचित विकास व सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं कराने में सरकार की ग्रसफलता पर चर्चा के लिये।

163. सिंचाई विभाग के इन्जीनियर्स व ग्रधिकारियों की जायदाद व बैंक बेलेन्स तथा पद के दुरुपयोग की जांच कराने ग्रौर विभाग से शराबी ग्रधिकारियों व कर्मचारियों को निकालने पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा रामगढ़)

164. क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभाग के कार्यरत कर्मचारियों की ग्रनियमितताग्रों के बारे में मय सबूत (ग्राधार) पर विस्तार से चर्चा के लिये।

165. क्षेत्र जमवा रामगढ़ के जिला स्तर के ग्रधिकारियों (ग्रोवरसियर, ए० ई० एन०) की ग्रनियमितताग्रों एवं घोटालों व पद के दुरुपयोग की जांच कराने की चर्चा के लिये।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना)

166. राजस्थान नहर से निकाली जाने वाली लिफ्ट केनाल योजनाग्रों को हाथ में लेने में राज्य सरकार की ग्रसफलता के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचंद जैन (बाड़मेर)

167. बाघन (चित्तौड़गढ़) सब डिविजन का कार्यालय चित्तौड़गढ़ में स्थापित करने से होने वाली परेशानी तथा ग्राथिक हानि की चर्चा के लिये।

168. चित्तौड़गढ़ जिले के ईडरा, नेगड़िया, नंगावली, मंगलवाड़ में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिये ग्रावश्यक खर्चे की रकम के ग्रावंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (ग्राहोर)

169. जवाई बांध की टेल पर ग्राने वाली नहरों को सिंचाई हेतु पक्का कराने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. बांकली बांध (ग्राहोर) की नहरों को पक्का बनाने हेतु वांछित सीमेन्ट दिलाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू)

171. झुन्झुनू जिले में सिंचाई साधनों के ग्रभाव पर चर्चा करने के लिये।

संग्रह

श्री मनीराम (तारानगर)

172. चूरू जिले की तारानगर राजगढ़, चूरू में सिचाई सुविधा नहर द्वारा किसानों को मिलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालपाल सिंह (भीनमाल)

173. सांचौर तहसील में वमल बांध जो 1973 की बाढ़ से टूट गया था, का निर्माण कार्य पुनः शुरू कराने बाबत चर्चा के लिये।

174. भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा बांध निर्माण कार्यों में उदासीनता बरतने बाबत चर्चा के लिये।

175. भीनमाल तहसील के ग्राम धुम्बड़िया के प्रोटेक्शन बांध का काम शुरू करने बाबत चर्चा के लिये।

176. जालौर तहसील के ग्राम कोमता का प्रोटेक्शन बांध अविलम्ब शुरू करने की चर्चा के लिये

177. भीनमाल तहसील के गांव वाली का प्रोटेक्शन बांध बनाने में उदासीनता बरतने बाबत चर्चा के लिये।

श्री सूर्यप्रकाश (सेरवाड़ा)

178. बरोटी राइट केनाल चालू कराने एवं ढिकवरा नदी पर दो स्थान पर बांध बनाने के लिये चर्चा के लिये।

श्री लालचंद (भादरा)

179. सिधमुख केनाल की उपयोगिता पूरी तौर पर नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री सोहनलाल बंशीवाल (दूदू)

180. पिछड़े क्षेत्रों की सिंचाई की योजनाएं, नये प्रोजेक्ट्स तथा कठिनाइयां एवं उचित राशि की तुरन्त व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम)

181, राव का तालाब गांव (भीम तहसील) और सांगावास बांध (देवगढ़ तहसील) को पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये।

182. मुरह घाटा फीडर (तहसील ब्यावर) को पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये।

183. देवाता फीडर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसा कि आपको मालूम है कि साढ़े चार बजे मुखबन्द करके सभी मांगें पारित करने का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है। शायद कुछ समय और बढ़ाया जाय, मैं नहीं कह सकता, लेकिन विचार सीमित समय में ही होगा।

श्री मूलचन्द डागा : आज तो कम से कम ज्यादा समय रखना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी मांग है । हिन्दुस्तान में दो ही तो मांगें मुख्य हैं, एक तो सिंचाई की और दूसरी बिजली की । इनको ही प्राथमिकता दी जाती है । कम से कम तीन घण्टे इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही सबसे अच्छी पुस्तिका निकाली है, चमकती हुई, लेकिन अन्दर क्या है मालूम नहीं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अन्दर भी चमकीला है क्योंकि कोटा में पहली बार 145 लघु सिंचाई योजनाएं चालू हुई हैं ।

श्री अयूब खां : ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाय आज 11 बजे तक का समय सदन का बढ़ा दिया जाय ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) : सिंचाई मूल आधार है । कृपा करके पूरा मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि माननीय सदस्य 5–7 मिनट से अधिक समय न लें ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : बिल्कुल आप के हुक्म का पालन करेंगे ।

श्री बालचन्द आर्य : सिंचाई का किसानों से सम्बन्ध है इसलिए इस पर टाइम ज्यादा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती श्यामा कुमारी।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कासन) : माननीय उपाध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद है । दो वर्ष के कार्य काल में पहली दफा फर्स्ट आफ आल डिबेट पर बोलने का मुझे अधिकार दिया है ।

मैं इस बात को मान कर चलती हूं कि मैंने पहले भी कई दफा माननीय मन्त्री महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा इस मांग पर हो जाय और सब मांगें पारित हो जायं उसके बाद वित्त मन्त्री वित्त विधेयक का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने सिंचाई की मांग पर मुझे सबसे पहले बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद !

मैं यह विश्वास लेकर चलती हूं कि Well begin is half done. मैंने मन्त्री महोदय को अपने क्षेत्र की समस्याओं के विषय में निवेदन किया था, लेकिन न मालूम किस कारण से अर्थाभाव अथवा न मालूम क्यों मेरी मांगों के विषय में वह विचार न कर सके । लेकिन चूंकि आज पहली दफा डिबेट में बोलने का मेरा पहला अवसर है इसलिए मैं यह मान कर चलती हूं कि माननीय मन्त्री महोदय मेरी मांगों को स्वीकार करेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष, सिंचाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है । अति प्राचीन

(श्रीमती श्यामाकुमारी संगर)

काल से, माननीय उपाध्यक्ष, फसलों की पकाई के लिए हमारे ग्रामीण लोग इन्द्र भगवान की पूजा किया करते थे। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि इन्द्र भगवान जब रूठ जाता है उस वक्त में आपका महकमा काम करता है और फसलें पकती हैं। आपका विभाग महत्वपूर्ण है इसके बावजूद इसकी कृपा दृष्टि चित्तौड़ जिले के कपासन क्षेत्र पर कम है। कृपया इसके लिए थोड़ा विचार करेंगे।

इसके साथ ही, श्रीमान, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि चित्तौड़ जिले में डावर नाम का स्थान है जहां पर किसान चावल और गन्ना बहुत अच्छा पैदा करते हैं। इसी कारण से स्वर्गीय महाराणा भोपाल सिंह जी ने वहां पर एक तालाब बनाया सुन्दर, मजबूत और काफी लागत से वह बना है। बनने के बाद, श्रीमान्, वहां पिलाई होने लगी। पिलाई होने के कारण गन्ने की पैदावार और चावल की पैदावार ज्यादा बढ़ी, तो गांवों के लोगों की मांग आई कि इस तालाब में पानी की आव बढ़ाई जाय ताकि ज्यादा लोग उससे सिंचाई कर सकें। इन्हीं बातों को मद्दे नजर रखते हुए पुरानी सरकार ने बनास नदी से फीडर के जरिये तालाब में पानी लाने की योजना बनाई थी। न मालूम किस कारण, खर्चा भी ज्यादा लग गया, वह योजना पूरी नहीं हो सकी। वह फीडर अधूरी रह गई और बरसों से आज तक अधूरी पड़ी हुई है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि सिंचाई के इस पावन यज्ञ में पहली आहूति महाराणा भोपालसिंह जी ने और दूसरी कांग्रेस सरकार ने दी, आप क्यों नहीं इसकी पूर्णाहूति का यश ले लेते हैं? जब कभी मैंने इसके बारे में पता किया है तो मेरे सुनने में आया है कि पुराने घोटाले हैं। उन घोटालों की जांच हो रही है। तो जांच होने की जो भी प्रक्रिया है वह बहुत लम्बी चौड़ी है। तो मैं कहती हूं कि जांच चलती रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी स्वीकृति प्रदान कर दें और काम शुरू कर दें।

मेरे क्षेत्र में सिंचाई का एक भी काम नहीं हुआ, न छोटा और न बड़ा। बड़ा तो बजट के प्रावधान की वजह से नहीं कर सकते हैं और छोटे काम आपको नजर नहीं आते हैं। हरण्याबोध वहां से एक नहर निकलती है और वह मेरे क्षेत्र के रूपाखेड़ी गांव से होकर निकली है। और रूपाखेड़ी गांव रह जाता है ऊपर और नहर निकलती है नीचे से। उस गांव को बिल्कुल फायदा नहीं है। चित्तौड़ 3-4 महीने पहले गई थी तो वहां पर एक्स. ई एन. से बात की थी और तालाब का सर्वे कराने के लिए और नहर को ऊंचा करने के लिए कहा था जिससे कपासन के गांव को लाभ मिल जाय तो अच्छा हो। नहर हमारे यहां से होकर जा रही है फिर भी हमको उसका लाभ नहीं। आज ही मुझे रिपोर्ट मिली है,

(147)

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

उस नहर के विषय में कि वहां पर कुछ भी नहीं किया गया है । नहर को पक्का करने के आदेश हो गये हैं तो इस रूपाखेड़ी गांव को उसका फायदा नहीं मिलेगा। कृपया इसकी व्यवस्था करें।

साथ ही इस मांग पर पहले भी बोली थी और आज भी बोल रही हूं कि भोपाल सागर फीडर को पूरा कराने के आदेश दें। इसके बारे में जो कुछ थोड़ी बहुत मुझे जानकारी हुई है वह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहती हूं। आपको ध्यान है कि इस तालाब को मैंने आपको दिखाया था। आपको यह भी ध्यान होगा कि वहां के लोगों ने प्रार्थना-पत्रों से आपका बैग भर दिया था और वह सब भोपाल सागर फीडर को पूरा करने के लिए थे। उसकी वजह से तालाब में पानी पूरा नहीं रहता है। यह जो तालाब है भोपालसागर यह बनने के बाद केवल तीन दफा ही पूरा भरा है 1959, 68 और 73 में। इसमें गुन्जायश बहुत है लेकिन पानी आने के साधन नहीं है इसलिए भर नहीं पाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। कि यह भोपाल सागर तालाब है इसमें 650 क्यूबिक फीट का भराव पड़ा है और 350 क्यूबिक फीट पानी भरता है। एक समय ऐसा आयगा कि यह मिट्टी से भर गया तो कम खतम हो जाएगा। एक मिलियन क्यूबिक फीट पानी से 8 हैक्टेयर जमीन पिलाई होगी। इस समय इससे 3 हजार एकड़ भूमि की पिलाई होती है और पूरा होने पर 5400 एकड़ भूमि की पिलाई होने लगेगी। इसमें, श्रीमान्, 52 चैनल में से 140 चेनल के कवर्ड आर्च बनाने होंगे। इसकी लागत होगी वह 23½ लाख रुपये होगी और 23 लाख रुपये मलवा हटाने में लगाने पड़ेंगे। इसको अभी नहीं करेंगे तो साल दो साल बाद और ज्यादा रुपये मलवा हटाने में लग जायेंगे। 7 लाख रुपये इस पर खर्च होंगे जो रेल मगरा में बनेगा। 7 लाख का मुआवजा उनको देना पड़ेगा जिनकी जमीन डूब में आयेगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करती हूं कि इसको कार्यान्वित करवायें। 1974 में इस काम हेतु 56 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था उसमें से 33 लाख रुपया खर्च हुआ और अभी 23 लाख रुपया बाकी पड़ा हुआ है। कृपया इसकी तो स्वीकृति तुरन्त प्रदान करिये। इसके साथ साथ मैं मावली क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। चौधरी साहब तो बोलेंगे नहीं क्योंकि आज उनके बोलने का टर्न नहीं है अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मावली तहसील में बाडोलिया तालाब है। यह 1954 में बना था। उस पर कुछ काम जब आचार्य निरंजन नाथ जी थे तब उन्होंने करवाया था। उसमें नहर डाली जा सकती है। इसकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मन्त्री

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं, कुछ माननीय सदस्यों ने गोपालपुरा फीडर और बनास फीडर के बारे में कहा है कि काम बन्द होने से उसमें वापस मिट्टी भरती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : बोगालिया तालाब के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाने के लिए दरखास्त करता हूं; वह ध्यान कर लें। उसे पानी से भरने को माण्डक बांध बनावें ताकि उसमें पानी भरा जा सके।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो ढांचा बनाया है उसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देती हूं। परन्तु मेरा निवेदन है कि सिंचाई की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। प्लानिंग कमीशन ने भी यह कहा कि खर्चा बढ़ रहा है। मन्त्री महोदय ने जो भूमि का आवण्टन किया है उसमें लोग खेती नहीं कर सकते हैं। इसलिए बीकानेर और लूनकरनसर के लिए जो लिफ्ट योजना है, उसके लिए उचित कदम उठाना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगी कि आपने जो अन्य कार्य लिये हैं, वह प्रगति-विवरण में दर्शाये नहीं गये हैं। उसका कोई भी विवरण नहीं आया है। मैं निवेदन करूंगी कि राजस्थान कैनाल में जो बराबर मिट्टी भर रही है यह ठीक नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि बनास योजना जयपुर और अजमेर के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पुरानी सरकार के सामने भी वर्तमान माननीय मुख्य मंत्रीजी इसको रखते रहे हैं। इन नगरों में जो पेयजल संकट है, उसका बनास योजना से ही समाधान हो सकता है।

पिछले दिनों मैं नोहर गयी थी। वहां एक टंकी बनी हुई है। उसमें से ही पीने का पानी उपलब्ध होता है। लेकिन उसकी ठीक व्यवस्था नहीं होने से छोटे छोटे कुवों और तालाबों से गन्दा पानी लोग छान कर पीते हैं जब कि वहां से 4 मील की दूरी पर नहर हैं। आप वहां से पानी उपलब्ध करा सकते हैं। गंगानगर में भी नहर है। लेकिक पेयजल की वहां भी दिक्कत है। वहां के विधायक बैठे हैं, मन्त्री भी बैठे हैं, वह मेरी बात की पुष्टि करेंगे। आपकी जो योजना है कि पेयजल की व्यवस्था करेंगे तो उसका निश्चित रूप से ध्यान रखें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जैसलमेर और बाड़मेर में कुएं बना रहे हैं। वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह पेयजल का सवाल आज कहां है? इरिगेशन का सवाल है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दोनों हैं। आपको पता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : दोनों हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहा तो यह जाता था कि वहां पर हरियाली हो जाएगी। उसको रेगिस्तान कहना भूल जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आप अपनी भाषा के द्वारा हरियाली का आडम्बर खड़ा कर रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बैठ जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में रामगढ़ का बांध है। उसमें एक तरफ 6 फीट की दीवार बनाने से 15 मील के एरिया में पानी भर जाएगा। इस पर माननीय मन्त्री महोदय पुनः विचार करें। मैंने पहले भी कहा था कि नीचे की साइड में पर्याप्त जगह है। उसमें बांध बना कर नाली बनायें तो वह बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। यह जो बात कही है, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस बार रामगढ़ इलाके में काफी तबाही हुई थी। अचानक बाण-गंगा का पानी भर आया था। बरसात आने वाली है। आशा है, उससे पूर्व ही इसका समाधान सोचेंगे। दूसरे मेरे ही क्षेत्र में जल महल है। उसके लिए यह कहा जाता है कि वह कटोरी नुमा या तश्तरी नुमा हो जाय। गांवों के लोग उसकी मिट्टी खोद कर ले जायं। आपको निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज गांवों के लोग मिट्टी निकालने के लिए आते हैं, वह ऐसा करते हैं तो उनको परेशान किया जाता है। इस पर आप विचार करेंगे। जयपुर का गन्दा पानी सिंचाई के काम में लेते हैं, उसका उपयोग करते है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राष्ट्रीय योजना थी, उस पर भी आप विचार करें। वह कब तक विचाराधीन रहेगी। बरसाती नदियां हैं, उनका पानी बह कर बेकार चला जाता है। उसका कोई उपयोग नहीं होता है जब कि पानी की हमें अत्यन्त आवश्यकता है। जल तो आदमी का जीवन है। जल पर ही हमारा खाना पीना निर्भर है। मुझे आशा है कि इन योजनाओं को आप पूरा करेंगे। आप जब उस क्षेत्र में जायेंगे तो उनको देखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सिंचाई की मांगों के सम्बन्ध में मेरे कटौती प्रस्तावों पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, पिछले दो साल में, जनता पार्टी का शासन होने के बाद न केवल प्रत्येक क्षेत्र में बल्कि सिंचाई के क्षेत्र में भी प्रगति न होकर उल्टा रहा है, प्रगति नहीं हुई है। विकास का काम, राजस्थान कैनाल के आगे बढ़ते हुए चरण न केवल रोके हैं बल्कि ठप्प हुए हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी देश के प्रधान मंत्री जी को लेकर यहां आये। राजस्थान कैनाल पर प्रधान मन्त्री और ईरान के पुराने शाह

150

(श्री रामनारायण चौधरी)

का दौरा कराया। कहा गया कि राजस्थान कैनाल को धन दे रहे हैं। धन तो नहीं आया लेकिन शाह ईरान ईरान से चले गये। अब, मान्यवर, हमने सुना है कि अभी शहजादा बदर जैसलमेर में शिकार के लिए आए थे तो उसके लिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने प्रधान मन्त्री जी को कहा कि सऊदी अरब से राजस्थान कैनाल को पूरा कराने के लिए धन की व्यवस्था कराई जाय लेकिन वह कोशिश भी पूरी नहीं हुई। तीन-चार दिन पहले हमने अखबारों में पढ़ा जो माननीय कृषि मन्त्री जी ने लोक सभा में उत्तर दिया था कि वर्ल्ड बैंक से धन जुटाने की कोशिश की जायगी। मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि आप कहीं से मदद नहीं लें, आप सऊदी अरब से, ईरान से मदद लें, चाहे वर्ल्ड बैंक से मदद लें लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल का काम जो करीब करीब ठप्प हो चुका है, उसको गति देने की कृपा करें। जिस राजस्थान कैनाल के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि राजस्थान कैनाल केवल सिचाई का ही प्रोजेक्ट नहीं बल्कि डिफेन्स के लिहाज से भी भारत की रक्षा का काम करेगी। उसकी दशा जो दो साल में हुई है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से चाहूंगा कि वे आश्वासन दें कि राजस्थान केनाल को कब तक पूरा कर दिया जायगा और इसके लिए कहां से धन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने भी ईरान की तरफ या सऊदी अरब की तरफ आशा लगाई है? या आप वर्ल्ड बैंक से पैसा लायेंगे या कहां से लायेंगे? इस बारे में आपका क्या कार्यक्रम है, इस पर आप प्रकाश डालने की कृपा करें।

मान्यवर, राजस्थान सरकार के मन्त्रिमण्डल ने 1977 में लिफ्ट इरिगेशन का एक कार्यक्रम तैयार किया था। उस लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा राजस्थान के नागौर और चूरू जिलों तथा जोधपुर की फलौदी तहसील वगैरह को सिचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम तैयार किया था। उस कार्यक्रम को भारत सरकार और योजना आयोग को भी भेजा गया था। उस पर मन्त्रिमण्डल ने कार्यवाही करने का आदेश दिया था और लाखों रुपये उस पर खर्च हुए थे। मान्यवर, अब हमको मालूम हुआ है कि राजस्थान सरकार ने उस लिफ्ट योजना के कार्यक्रम को बन्द कर दिया है। वह कार्यक्रम नहीं होगा, ऐसा प्रतीत होता है। वह लिफ्ट इरिगेशन का कार्यक्रम ठप्प पड़ा हुआ है। उसको न तो चालू करने के लिए, न ही रिजेक्ट करने के लिए राजस्थान सरकार कोई निर्णय ले रही है। रिजक्ट तो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि नागौर, चूरू और जोधपुर के जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को मालूम हुआ कि 77 में जो निर्णय किया गया था वह न केवल इन जिलों के लिए ही था बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान के लिए था लेकिन आगे इसलिए

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं बढ़ाना चाहते कि लिफ्ट इरिगेशन की योजना को इम्प्लीमेंट करने में इनकी निष्ठा नहीं है। इसलिए मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी से आश्वासन चाहूंगा अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा, वे कृपया इस बात को स्पष्ट करें कि जिस लिफ्ट इर्रिगेशन का प्रोजेक्ट तत्कालीन सरकार ने 1977 में स्वीकार किया था, जिसका अनुमोदन भारत सरकार और योजना आयोग ने भी किया है, उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने लिफ्ट इर्रिगेशन के कार्यक्रम को क्यों छोड़ दिया ?

मान्यवर, दूसरा मेरा निवेदन, माननीय सिंचाई मन्त्री जी से यह है कि जिन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उनकी तरफ सिंचाई के कार्यक्रम बढ़ाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर झुन्झुनू और सीकर जिला है जहां सिंचाई के नाम पर इर्रिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि जोधपुर जिले की प्रसिद्ध ताप्ती नदी पर बांध बनाया जा सकता है और उसके द्वारा झुन्झुनू जिले के कुछ भाग और दूसरे अनेक क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तत्कालीन जयपुर सरकार ने भी तैयार करवाई थी। मैं समझता हूं कि उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी रिपोर्ट दी है। मैं सिंचाई मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान सरकार ने आज के कई वर्ष पूर्व गंगा और जमुना का पानी भरतपुर, अलवर सीकर और झुन्झुनू तथा चूरू में देने के लिए एक लिफ्ट स्कीम तैयार की थी और उसके लिए एक अलग से इंजीनियर की पोस्टिंग भी की गई थी। उस इंजीनियर ने भी इसकी रिपोर्ट तैयार करके दी थी। उस कैनाल का सर्वे भी हो गया, लाइनिंग हो गया और सीकर से नागौर तक स्कीम तैयार करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी। मालूम नहीं उस सारे काम का क्या हुआ। उसको रोका ही नहीं गया बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह योजना ही छोड़ दी गई है। मैं माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से आश्वासन चाहूंगा कि गंगा और जमुना के पानी की जो स्कीम थी जिसके अन्तर्गत झुन्झुनू, सीकर और चूरू के कुछ हिस्से तथा नागौर को कैनाल जाने वाली थी उस योजना को आप देख लें। मुझे मालूम नहीं वह आपके ध्यान में है या नहीं, लेकिन इस प्रस्ताव के द्वारा मैं यह अनुरोध करूंगा कि आप निश्चित रूप से आश्वासन दीजिये कि राजस्थान सरकार की क्या नीति है ? उस विशेष योजना पर लाखों रुपया खर्च हुआ है, सर्वे कराया गया और रिपोर्ट पर पैसा खर्च हुआ है वह बेकार ही चला जायगा या उसकी कोई सार्थकता भी होगी।

मान्यवर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। गंगा और यमुना का पानी, राजस्थान कैनाल और लिफ्ट इर्रिगेशन के बारे में निश्चित रूप से डिमाण्ड के रिप्लाई के

152

(श्री रामनारायण चौधरी)

समय उत्तर सिंचाई मन्त्री जी देने का कष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुरु शरण छाबड़ा।

श्री गुरु शरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला श्रीगंगानगर में बीकानेर टाइम में महाराजा श्री गंगासिंहजी ने गंग कैनाल का निर्माण किया था वह कैनाल 60 साल में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो चुकी है जिसकी वजह से उस इलाके में पूरा पानी नहीं पहुंच पाता है। परिणामस्वरूप मेरे एरिया में मीलों क्षेत्र में पानी नहीं आने की वजह से अच्छी फसल नहीं हो सकती। इसलिए मेरा निवेदन है इसका पुर्ननिर्माण कराया जावे। इस कैनाल से सिंचाई करने के लिए इसको बना कर पानी की कमी को पूरा किया जावे। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के अन्दर घग्घर फ्लड की भयंकर समस्या है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र की समस्या को सुलझाने के लिए एक योजना भी बनाई। घग्घर फ्लड कण्ट्रोल डिपार्टमेन्ट के द्वारा उस पानी को रेगिस्तानी इलाके में निकाल कर सिंचाई की योजना बनाई गई थी लेकिन जो डिप्रेशन्स बनाये गये उनमें तीस, चालीस फीट पानी भर गया है, वाटर लोगिंग से सारी जमीन बरबाद हो गई है और सूरतगढ़ को भी खतरा पैदा हो गया है। वहां एशिया का सबसे बड़ा फार्म है, भारत का एक हवाई अड्डा भी है, बी. एस. एफ. का हैडक्वार्टर भी वहां पर है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समस्या की ओर ध्यान देकर वाटर लोगिंग की प्रोब्लम रोकने की कृपा करें। डिप्रेशन्स जो रुके पड़े हैं उनको आगे बढ़ाया जाय ताकि सूरतगढ़ को बचाया जा सके। इसके अलावा राजस्थान कैनाल का प्रथम चरण पूरा हो चुका है और द्वितीय चरण का काम चल रहा है। लेकिन यह कैनाल किस तरह से बन रही है? यदि हमें विश्व बैंक से पैसा मिला लेकिन पैसे का, मुझे खेद है कि ईमानदार मंत्री होते हुए भी, ईमानदार चीफ इंजीनियर होते हुए भी उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। उदहारण के लिए एक बार प्रवास के समय मैंने देखा कि पीली टाइलों का उपयोग हो रहा है, गधों पर लाद कर नहर पर जा रही थीं। जब मैंने उस सम्बन्ध में विभाग से शिकायत की तो जवाब मिला कि ये टाइलें नहर पर लगाने के लिए नहीं, पर भुग्गियों के लिए जा रही है। कभी भी भुग्गियों के लिए पीली टइलें नहीं भेजी जातीं। मुझे गलत जवाब दिया गया। मैंने इस सम्बन्ध में राजस्थान कैनाल मंत्री से प्रश्न पूछा, जिसका कल ही जवाब मिला है। मैंने प्रश्न पूछा कि गत वर्ष राजस्थान नहर पर कुल कितनी टाइलें मजदूरों की भुग्गियों के निर्माण के लिए भेजी गई हैं और आपको उसके लिए कितना रुपया वहन करना पड़ा? मन्त्री जी का जवाब आया है कि टाइलें भुग्गियों के निर्माण के लिए नहीं भेजी गई।

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

भुग्गियों के लिए पीली टाइलों का कभी उपयोग नहीं करते इसलिए खर्च का प्रश्न नहीं उठता। आपका चीफ इंजीनियर ईमान दार होते हुए भी, मुझे दुःख है इस प्रकार टाइलें लगाई गई हैं। इस प्रकार नहर कब तक चल पाएगी, यह आपको विचार करना चाहिए।

सिंचाई के साथ साथ हमारे क्षेत्र में कालोनाइजेशन विभाग की विशेष समस्या है। गंगानगर जिले में जब कैनाल आई तो बाहर के लोगों को भी चाहे एक्स जागीरदार हों, चाहे एक्स मिलिटरीमैन हो तमाम लोगों को गंगानगर जिले में जमीन अलाट की गई, हमने स्वागत किया। आज गंगानगर में सरकार के रेकार्ड द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि करीब 25 हजार से भी अधिक एसे भूमिहीन किसान हैं जिनको सरकार ने इस बात के लिए सक्षम करार दिया है कि आप भूमिहीन हैं। उनकी दरख्वास्तें पेंडिग पड़ी हैं क्योंकि भूतपूर्व सरकार ने बेन लगाया था कि गंगानगर के जिले के किसानों को बाहर जमीन नहीं दी जा सकती, यह हमारे साथ सरासर अन्याय है। हमारे जो भूमिहीन किसान हैं जिनको आपने सक्षम करार दिया है, ऐसे किसानों को राजस्थान कैनाल के सैकन्ड फेज या गंगानगर जिले में भूमि अलाट करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त आपने अलाटमेंट के लिए सन् 1956 का सबूत माना है लेकिन एक तरफ ऐसे परिवार हैं जिनके पास 1956 व 1957 से अलाटमेंट है, अन्त्योदयी परिवारों को चुन चुन कर आप बसाना चाहते हैं और जिनके पास 1956 1957 से लेकर जमीनें हैं और जिन्होंने अपनी बंजर जमीनों को सुधारा है, ऐसे लोगों को आप बेदखल करना चाहते हैं, यह अन्याय है। ऐसे लोगों के पास भले ही सबूत नहीं है लेकिन 20–22 साल से लगातार उनका कब्जा है, आपके विभाग ने उनको टी. सी. पर जमीन अलाट की है। इसके अतिरिक्त आपने अन्त्योदयी परिवारों को चुना और उनको जमीन देने की बात कही, स्वागत है। अन्त्योदयी परिवार, जिनके पास 1955 का सबूत नहीं है, को इसके अन्दर छूट दें और उन परिवारों को राजस्थान कैनाल पर जमीन देने की कोशिश करें।

उपनिवेशन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजस्थान कैनाल आई और कैनाल के लिए मंडियों के पास, शहरों के पास जो समतल भूमि थी वह कैनाल की भट्टियां लगाने के लिए अवाप्त की। 13–14 वर्ष हो चुके हैं लेकिन आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, उन लोगों की मौरूसी भूमि है। एक तरफ आप राजस्व अभियान की बात करते हैं। यह सही है कि नीचे के स्तर पर आपने राजस्व अभियान चला कर वास्तव में किसानों व देहाती लोगों

(154)

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

को राहत दी लेकिन सचिवालय में राजस्व अभियान का कोई असर नहीं है। आज 15 साल से लोगों की फाइलें पेंडिग पड़ी हैं। सूरतगढ़ का एक काश्तकार है लालचन्द जो माली जाति का गरीब काश्तकार है। उसके पास मौरूसी जमीन थी। 14 वर्ष पहले भट्टों के लिए राजस्थान कैनाल के लिये ईटें बनी, टाइल्स बना लीं, उस मौरूसी जमीन का 14 साल से भी ट्रांसफर नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त करें।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : 14–14 वर्ष के बाद भी आप तबादला नहीं दे पा रहे हैं। आपने आदेश दिया उसके बावजूद आपका रेवेन्यू कमिश्नर आपके आदेशों की अवहेलना कर रहा है। मैंने लिख कर दिया, उस काश्तकार ने शिकायत की है कि उस जमीन को ट्रांसफर करने के लिए आपका रेवेन्यू कमिश्नर रिश्वत मांग रहा है दस हजार रुपये और एफीडेविट दिया है लेकिन आपकी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार आपके राजस्व अभियान जैसे पवित्र कार्य में रोड़ा अटका रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा, (अनुपस्थित)।

श्री राम प्रसाद लड्ढ़ा (मांडल) : उपाध्यक्ष जी, जिस सरकार से सिंचाई मंत्री ने इस बात को महसूस कर लिया कि बिन पानी सब सून, पानी जीवन का आधार है। जिस काश्तकार के पास, जिस राज्य के पास, जिस देश के पास, जिस अनुपात में पानी होगा, उस अनुपात में वह काश्तकार उस देश को खुशहाल करेगा। हरियाणा व पंजाब में तीन रुपया मंडी टैक्स इसलिये देते हैं कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी है। उससे काश्तकार को मौका मिलता है सही ढंग से खेती करने का। वहां के काश्तकार की जमीन को पानी मिलता है।

दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान पानी के मामले में अभागा है। कितना भी प्रयत्न कर लें उसके बाद भी हम हरियाणा व पंजाब के मुकाबले में नहीं जा सकते। क्या व्यवस्थायें हों जिनके कारण से आज की तारीख में जो पानी है, उसका अधिक से अधिक उपयोग हो इसके लिये मेरे कुछ सुझाव हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज फिर दोहराता हूं कि पानी का राष्ट्रीयकरण हो। एक कुए में अगर 100 बीघा या 50 बीघा जमीन का पानी है और काश्तकार के पास 5 बीघा जमीन है तो 100 बीघे पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो। पानी राष्ट्र का हो जाएगा तो उस कुए पर जो एक आदमी का मालिकाना हक है उस हक में पास पड़ोस वाले भी भागीदार होंगे। खेतों में काम में लाने के लिए उसका अधिक उपयोग होगा। इसके लिये पानी का राष्ट्रीकरण हो जाए क्योंकि कुआं एक निश्चित स्थान पर हो सकता है, हर जगह पर कुआं खोदेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। एक कुए

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

पर अगर 10 बीघा या 5 बीघा जमीन है तो उसकी नालियों को पक्का बनाया जाए। पक्की नालियां बनाने के लिये काश्तकार को समझाना होगा। में तो यहां तक कहूंगा कि नालियों के लिये पैसा अगर काश्तकार ऋण के रूप में नहीं ले तो कुछ अनुदान के रूप में, कुछ और साधन जुटा कर काश्तकार के कुएं की नालियों को ठीक किया जाये जिसके कारण से एक कुए से जहां 5 बीघा जमीन में पानी जा सकता है उसकी जगह सात–आठ बीघा जमीन में पानी जाने की सुविधा रहेगी। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हर खेत को पानी मिले इसमें लघु सिचाई योजनायें हमारे लिए बड़े महत्व की हैं। पहले पंचायत समितियों के जरिये से बहुत से एनीकट्स बनते थे लेकिन अब पंचायतों के पास पैसा नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां एनीकट्स की सुविधा सिचाई हेतु नहीं है और कतई उससे इरिगेशन नहीं हो सकता लेकिन कुओं में जो पानी होगा उससे पिलाई होगी। हमको तो बस पिलाई से मतलब है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एनीकट पर अधिक से अधिक जोर दिया जाये।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय. आपके माध्यम से साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां कुछ समस्यायें हैं। जैसे राजस्थान के अन्दर छोटे तालाब हैं और बड़े तालाब हैं इनकी सिचाई की दरें एक हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था गत सत्र में जब बजट पर सिचाई की डिमाण्ड पेश हुई थी कि छोटे तालाब से दो पिलाई की जाती हैं उस पर पूरी पिलाई लगा देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां अधिक से अधिक छोटे तालाब हैं। पिलाई की दरों में भिन्नता हो जिससे छोटे काश्तकारों को लाभ मिल सके। तालाब से जब एक पिलाई होती है तो भी पूरी पिलाई वसूल होती है। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी दरों को ठीक किया जावे। बड़े बांधों से या मध्यम बांधों से भी उतनी पिलाई ली जाय जितनी बार खेत में पानी गया है। मेजा बांध से अब तक पिलाई की जाती रही जब कि पानी एक ही बार गया है।

अब मेरे क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं जिनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारा मांडल तालाब चार सौ वर्ष पुराना तालाब है। यह तालाब खाली रहा तो मेवाड़ सरकार द्वारा 125 वर्ष पूर्व एक सप्लाई चेनल बनाई गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो इस जिले के रहने वाले हैं इसलिये आपको मालूम है कि कैसी स्थिति उसकी रही है। उस मांडल तालाब को बर्बाद कर दिया गया है, उस पर आश्रित किसानों को भूखा नंगा कर दिया है। तत्कालीन सरकार ने योजना बनाई थी कि मांडल तालाब को मेजा बांध का कोठा बनाया जाय 1957–65 तक मांडल तलाब को थोड़ा बनाया भी गया मांडल तालाब के चपेट एरिया में अनेक निर्माण कार्य भी किये। उसके बाद कोठी बनाने की कार्यवाही की।लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

1965 से 76 तक सरकार से लड़ता रहा कि मांडल तालाब को मेजा बांध का कोठा बनाया जाय लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि माण्डल की जनता उन्हें वोट नहीं देती है। इस कारण कि मांडल चार सौ साल पुराने तालाब को योजनाबद्ध तरीके से माण्डल तालाब के पीछे नहर निकालकर बराबर किया है तथा जिस फसल को पानी मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि काम योजना बद्ध तरीके से हो। मैं जनता सरकार से निवेदन करूंगा कि मांडल तालाब को मेजा बांध का कोठा बनायें। मेजा बांध के पानी को भीलवाड़ा के लिए सुरक्षित रख अन्य पानी माण्डल तालाब को दिया जाय।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत में जो तालाब बने वह अधूरे पड़े हुए हैं। वह कैसे बने, क्यों बने और किस प्रकार बने इसके इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के अन्दर जो अधूरे तालाब बने हुए हैं उनको मामूली पैसा लगाकर पूरा किया जा सकता है। इससे काफी सिंचाई हो सकती है। पूरे किये जाय। मैं जनता सरकार को धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर मेजा फीडर जैसी योजना को जून, 1980 तक पूरा करने की स्कीम बनाई है। चौक बावड़ी स्कीम को पूरा कर रही है जिसके पीछे कांग्रेस सरकार चुनाव जीतती आई है उसे जनता राज पूरा किया है जनता को राहत देने के लिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अकाल के अन्दर अधूरे कामों को सरकार हाथ में ले जिससे भीलवाड़ा जिले के छोटे-छोटे तालाब पूरे हों और सैकड़ों और हजारों बीघा जमीन में सिंचाई हो। अधिक बात नहीं कहते हुए आपने जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में यह निवेदन करूंगा कि मांडल तालाब को मेजा का कोठा बनाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचंद डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथ में बड़ी चिकनी किताब है, कागज अच्छा है और प्रिन्टिग अच्छा है लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 1977 के अन्दर अगर कोई इन्जीनियर किताब पेश करे तो यह बतायें कि आपका 24 लाख 25 हजार घन फीट पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उसका कोई मास्टर प्लान हो तो बतायें। पहला ही सैन्टेन्स है कि जल प्रकृति की अनुपम देन है। इतना पानी जो हमारा जा रहा है बेकार उसकी कोई योजना मुझे नहीं मिली। कब तक इस पानी का उपयोग कर लेंगे, कुछ नहीं मालूम पड़ता। मैंने इसमें यह पाया कि आप अपनी धन-राशि कम खर्च कर रहे हैं। पहले 64 करोड़ रुपया खर्च किया था वहां 60 करोड़

(श्री मूलचन्द डागा)

पर आप आ गये। यह क्या कारण है ? मैं समझता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में यह बात चल रही है कि सिंचाई विभाग में पैसा ज्यादा खर्च किया जायेगा लेकिन मैंने जितने आंकड़ें देखे हैं मुझे इन आंकड़ों से यह मालूम हुआ कि आपकी योजना पहले 1978-79 में 66 करोड़ की थी और इस साल की जो योजना बनाई है वह 64 करोड़ की होगी। मैं समझता था कि इसका कुछ आकार बढ़ेगा। फिर आपने बनास पर कम पैसा कर दिया, माही योजना पर कम कर दिया, सारी योजनाओं में पैसा कम कर दिया। सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग, जो कि बहुत तेजी से बढ़ने चाहिये, में यह कमी कैसे आई ?

तीसरी बात मैंने यह देखी कि 2 करोड़ की स्कीम का क्या आधुनीकरण है। मैंने कोई प्लान नहीं देखा। सबसे ज्यादा इन्जीनियर्स को मैं दोष देना चाहता हूं। आधुनीकरण क्या है ? केवल नहरों को ठीक करना ? 50 पर्सेन्ट money is being wasted। मैंने अनुभव किया है बजट को देखने से और इसको पढ़ने से कि यह सरकार निकम्मी है जिसने 70 प्रतिशत पैसा इन पिछले तीन महीनों में खर्च किया और 30 प्रतिशत पैसा पहले के 9 महीनों में खर्च किया। 70 पर्सेन्ट पैसा जनवरी और फरवरी में खर्च कर रहे हैं और 30 पर्सेन्ट पैसा 9 महीने में खर्च नहीं कर सके। सारा पैसा लैप्स हो जायेगा और इसके लिए चीफ इन्जीनियर ने क्या किया ? बड़ी समझदारी की कि उन्होंने एक आर्डर निकाला। इसको गौर से पढ़ें कि सिंचाई विभाग का क्या काम है।

"In the current year's budget provision for certain works has been sanctioned by the Government but their administrative approval has not so far been accorded by the Government for one reason on the other, and in the absence of administrative approval, technical estimate also might not have been sanctioned. The current financial year is at its fag end and, if these works are not immediately taken up in hand, it will not be possible to utilise the budgeted amount fully."

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आगे भी पढ़ लें।

श्री मूलचन्द डागा : I can speak for an hour, provided I get time. आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आगे पढ़ लेते तो अच्छा होता।

श्री मूलचन्द डागा : "Therefore in order that there may not be any lapse of the buget provision, all the tenders, which are sent to this office for sanction, may be disposed of irrespective of the fact that administrative approval for those works is still awaited from the Government."

So you disposed of them. यह नये मिनिस्टर बने हैं, प्रोफेसर रहे हैं। He is a good lecturer.

मैंने कभी नहीं देखा, राजस्थान में, इतना बड़ा बजट। 1 अरब का बजट दिया जाये। वहां के मुख्य अभियन्ता लगा दो। बिना टैक्निकल एप्रूवल के स्विकृति कर दो! 70 प्रसेंन्ट खर्च किया है। क्या किया है? इन्होंने मशीनरी पर खर्च करना शुरू किया है, 17 ट्रक सवाई माधोपुर के अन्दर सामान खरीद लिया। कच्ची मिट्टी को खरीद लिया। आप पैसा दे दें इन एडवांस ....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कहीं रुपया लैप्स न हो जाये। यह गवर्नमेंट की पालिसी हो, यह आज सक्यूंलर निकल जाये कि धन राशि लैप्स कम होगी। मैं आज कहना चाहता हूं, श्रीमान्, बड़े गर्व के साथ कहते हैं, हिन्दुस्तान के अन्दर मौका मिला था। अभी भी राजस्थान सरकार अपना पानी लेने में सक्षम नहीं है। हमारा पानी आज पंजाब ले रहा है, जो रावी और व्यास से पानी मिलेगा, पंजाब को जायेगा। वह पानी नहीं ले रहे हैं, पंजाब ले रहा है। इस साल भी ले लें ....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

घंटी बज गयी। अभी शुरू ही नहीं हुआ। अब क्या फायदा इसको पढ़ने में ....

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट और बचे हुए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : लीडर को टाइम मिलेगा।

हमने एक किताब पढ़ी। यह किताब निकली है रविवार। उसमें हमारे मंत्री जी का फोटो है। इसमें उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ रहा था गौर से। मुझे समय नहीं रहा। माननीय सिंचाई मंत्री के समय में मुख्य अभियन्ता का नया पद बना दिया है। ललित जी का फोटो है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने पढ़ा नहीं।

श्री मूलचंद डागा : यह फोटो बहुत अच्छा है। मुख्य अभियन्ता का एक नया पद बन गया है। मनोहरलाल पिछले 5 महीने से हैं उक्त पद पर कार्य कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि केवल पांच फाइलों का काम भी नहीं किया और 2½ हजार रुपये की पगार सरकार के खजाने से बिना कार्य के उठा रहे हैं। दूसरा नमूना लीजिये।

(श्री मूलचन्द डागा)

आपने प्रमोशन बोर्ड बनाया। प्रमोशन बोर्ड बनाया तो क्या किया ? 5 का प्रमोशन कर दिया। दो आदमियों का एडहाक कर दिया। इसमें बी. के. मुकर्जी और एम.आर. कालिया हैं। यह बोर्ड है। किस पद पर ले लिया ? प्रमोशन बोर्ड बैठा है उस प्रमोशन बोर्ड में लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। एडीशनल चीफ इन्जीनियर, आपके एस. आई. ने प्रमोशन बोर्ड के खिलाफ दिया है। यह एडहाक लेने का क्या तरीका है। राजस्थान कैनाल एडमिनिस्ट्रेटर, इन्जीनियर नहीं, आई. ए. एस. बैठा हुआ हुआ है। क्या जानते हैं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी पार्टी का मुझे टाइम दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी के दूसरे सदस्य भी हैं।

श्री मूलचंद डागा : मैं उनसे कह दूंगा, कम समय ले लेंगे।

श्री सूरजपाल सिंह : सरकार की लीपापोती करवानी है तो वैसे ही करवा दो।

श्री मूलचंद डागा : We will not get time.

एक माननीय सदस्य : हमारा शोषण क्यों कर रहे हैं ?

श्री मूलचंद डागा : यह अपाइंटमेंट हो रहे हैं। कल एक आर्डर देखा। राजस्थान राज्य सिंचाई विभाग कर्मचारी फैडरेशन की 12 सूत्री मांगों के लिये समिति बनी 16 जून, 1978 को। सिंचाई विभाग, अन्य विभाग की एक सूची बन गई। गवर्नर ने मुकर्रर की 16 जून, 1978 को। किन आदमियों को मुकर्रर किया, मुख्य अभियन्ता सिंचाई, श्रम आयुक्त, उप शासन सचिव, वित्त विभाग। समय बताया 16 जून 1978 और मैं आज बोल रहा हूं 27 मार्च, 1979 को। पी. डब्ल्यू. डी. वाले इस कमेटी में बने हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ भी एक नई बीमारी चली है। उस बीमारी को पनपाने के लिये ....

श्री रघुनन्दन व्यास : आन ए पाइंट आफ इन्फेर्मेशन। पाली में भारतीय मजदूर संघ के डागा जी पैटर्न हैं।

श्री मूलचंद डागा : इन्होंने एक आर्डर निकाल दिया। गवर्नमेंट की एक कमेटी बैठी हुई है। सारी मांगें ठीक हैं। 5 जने बैठे हुए हैं। एक साल तक सिंचाई विभाग इन मांगों पर निर्णय नहीं ले सका, वह क्या कर सकता है ? अभी तो पद सृजन नहीं किया गया, बिना सृजन किये हुए बैठा दिया, यह क्या तरीका है इस गवर्नमेंट का ? सबसे बड़ा चार्ज है। एक बार इन्होंने कहा था कि जांच कर रहे हैं। रामसिंह जी को मुकर्रर किया, जनता पार्टी भ्रष्टाचार को खोलना चाहती है, उन्मूलन करना चाहती है, राजस्थान में रामसिंह जी को मुकर्रर किया ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

160

(श्री मूलचन्द डागा)

तौबा। यह घंटी। अच्छा होता, हमको पहले कह देते आपको चार मिनट बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पहले ही कहा था ....

श्री मूलचंद डागा : जी नहीं। दो घंटे टाइम बढ़ा रहे हैं। 5,7 मिनट तो बढ़ाइये।

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द प्रयोग के समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख वन्द का प्रयोग म. प. 4.30 के बजाय सायं 6.30 वजे करा जाय।

एक माननीय सदस्य : 6.30 बजे तक।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सदन की सहमति लेने दीजिये।

क्या सदन की सहमति है कि मुखबन्द का प्रयोग का समय 4.30 म.प. के बजाय सायं 6.30 वजे कर दिया जाये।

(स्वीकृत)

मुखवन्द के प्रयोग का समय म.प. 4.30 के बजाय सायं 6.30 बजे किया गया।

रिप्लाई 6 बजे शुरू हो जायेगा।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री मूलचन्द डागा : तो इन्होंने क्या किया, जब इनसे कहा था राजस्थान कैनाल का कौन सा चरण चल रहा है तो कहा, राजस्थान कैनाल का दूसरा चरण चल रहा हैं। उसका भी कोई मास्टर प्लान है कि कौन-कौन सा कार्य इस साल हो जायगा, कितना कितना इस साल हो गया, कितने रुपये मंजूर हो गये और कितने बाकी हैं तो मैंने पाया राजस्थान कैनाल का जो इस वर्ष टार्गेट है जो रुपया आपको मिला है वह रुपया खर्च नहीं कर पायेंगे और 31 मार्च के दिन आपका इतना रुपया लेप्स हो जायगा।

अब आपने एक नई स्कीम लगाई है मेरे यहां जवाई बांध में। वहां पर जो इंजीनियर है जब मैंने उससे आधुनीकरण के लिये पूछा तो वह कहने लगा, यह बला क्या है। मैंने कहा बला नहीं हैं। नहरें किस प्रकार ठीक कराई जाती हैं? उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई प्लान ही नहीं है। उसने कहा, पैसा तो आ गया जो चाहें जैसा कर दे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार कहा महरबानी करके आप छोटी छोटी सिचाई योजनाओं को वढ़ाइये। बार बार कहा हेमावास का जो बांध है उसकी नहरें ठीक कराइये लेकिन माडर्नाइजेशन है नहीं इनके पास, करेंगे क्या? अब मैं एक वात और कहता हूं जो कोटा में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी आपने 15 मिनट ले लिये हैं। अब आप

(श्री उपाध्यक्ष)

चर्चा समाप्त करेंगे। फिर मैं आपके दल के सदस्यों को समय नहीं दूंगा।

सदन की कार्यवाही

सदन की कार्यवाही के समय में कार्य सूची में सम्मिलित कार्य पूरा होने तक वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख बन्द करने का समय हो गया इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की मांग पारित होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मुख बन्द का समय साढ़े चार बजे रखा। हम इस उम्मीद में थे कि साढ़े चार बजे मुख बन्द हो जायगा। मुझे कोई समय बढ़ाने में आपत्ति नहीं है लेकिन निश्चित समय सदन का रहना ही चाहिये ताकि माननीय सदस्यों को मालूम रहे कि इतना समय मिलेगा। अब, उपाध्यक्ष महोदय, यह आपा-धापी क्यों है ? पहले ही क्यों रखा साढ़े चार बजे का समय, यह कोई बात हुई क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब मुख बन्द का प्रयोग साढ़े चार बजे हो जायगा तो जो सदन की कार्य सूची है उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा।

क्या सदन की अनुमति है कि सदन की कार्यवाही का समय आज उस समय तक बढ़ाया जाय जब तक कि कार्य सूची में सम्मिलित कार्य पूरा नहीं होता है।

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय कार्य सूची में सम्मिलित कार्य पूरा होने तक बढ़ाया गया।

साढ़े छः बजे मुख बन्द का प्रयोग होगा और उसके बाद माननीय वित्त मंत्री जी एप्रोप्रियेशन बिल प्रस्तुत करेंगे। उसमें मुश्किल से 5–7 मिनट का समय लगेगा।

श्री काशीनाथ गुप्ता।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री काशी नाथ गुप्त (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जयपुर, टौंक, अलवर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर जिले तथा यू. पी. व हरियाणा प्रान्त में अतिवृष्टि होती है तो इन सबका पानी भरतपुर में ही इकट्ठा हो जाता है और भरतपुर में बाढ़ आ जाती है। यह बाढ़ चाहे बाण गंगा से आये, गम्भीरी नदी से आये चाहे रूपारेल नदी से आये सब पानी भरतपुर जिले की बाढ़ का कुम्हेर क्षेत्र के अन्दर होकर जाता है। यह अजीब स्थिति है कि तीन चौथाई हिस्सा इस क्षेत्र का बाढ़ से ग्रसित रहता है और एक-चौथाई हिस्से में सिंचाई के कोई साधन नहीं है एवं खारी पानी है लेकिन इस पानी का राज्य सरकार कोई प्रयोग नहीं करती है और यह सब पानी बह कर यमुना में चला जाता है। उस पानी को सिंचाई के प्रयोग में लाना चाहिये। उसके लिये मैंने राज्य सरकार को

162

(श्री काशीनाथ गुप्त)

समय समय पर योजना दी लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हुआ है।

राज्य सरकार ने पानी के उपयोग के लिये जो योजना बनाई है उसमें एक गुड़गांवा कैनाल है जो अभी बहुत अधूरी है और दूसरी भरतपुर फीडर जो 1960 में बनी थी वह यमुना से 300 क्यूसेक वर्षा के पानी को लाने के लिये बनाई थी यह फीडर उत्तर प्रदेश की सीमा में भी पड़ती है किन्तु सब राजस्थान सरकार ने बनवाई है और प्रति वर्ष राजस्थान सरकार ही इसकी मरम्मत कराती है। उत्तर प्रदेश की नहरें 100 वर्ष पूर्व बनी थी, अब वहां पानी की ज्यादा मांग के कारण पानी फालतू नहीं रहता है और किसी किसी वर्ष तो कतई नहीं मिलता है। मैंने अभी एक योजना दी थी कि राजस्थान की सीमा पर उत्तर प्रदेश में जहां पर फीडर गोवर्धन ड्रेन के ऊपर होकर जाती है, जब गोवर्धन ड्रेन में भीषण बाढ़ आती है यदि उसके पानी को लिफ्ट करके उस समय फीडर में डाल दिया जाये तो बाढ़ में भी कमी आ सकती है और सिंचाई भी हो सकती है। दूसरे गुड़गांवा कैनाल से भरतपुर फीडर में पानी डाल दिया जाता है तो उससे भी सिंचाई हो सकती है। इस गुड़गांवा कैनाल का बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। मैं चाहता हूं इस गोवर्धन ड्रेन के पानी जो बेकार बह कर जाता है, को भी उपयोग में लाना चाहिये ताकि सिंचाई हो सके। साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इनका पानी कुम्हेर और भरतपुर तक बह कर आता है अतः पानी को लेकर इस फीडर में डाला जावे तो भरतपुर की बाढ की समस्या भी खत्म हो और सिंचाई भी बढ़े।

साथ ही साथ मैं एक योजना राज्य सरकार के सामने रखता हूं। अलवर बाढ़ का जो पानी डीग के पास ककडा से आता है यदि इस पानी को फीडर में डाला जाय तो 6 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। इसी प्रकार गोवर्धन ड्रेन से ताखा के पास 6-7 किलोमीटर लम्बी एक चैनल बना दी जावे तो इससे भी 6 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। इसका सर्वे भी हो चुका है। करीब करीब दो लाख रुपया इस पर व्यय होगा जो कि पांच वर्ष की आबयाने की रकम से पूरा हो जावेगा। इसी प्रकार डीग स्केप जो, गोवर्धन ड्रेन के ऊपर से जाती है, में पम्प से पानी डाल दिया जावे तो उसमे 6 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। इन तीनों योजनाओं से हरियाणा उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की बाढ़ का पानी कामा, डीग, कुम्हेर, भरतपुर क्षेत्र को भारी बर्बादी करता हुआ उत्तर प्रदेश में खारी नदी होता हुआ यमुना में चला जाता है। वह भरतपुर क्षेत्र की करीब 40 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकेगा तथा बाढ़ को रोकने में भी बड़ा सहायक होगा।

साथ ही साथ एक योजना मैंने रखी

(श्री काशीनाथ गुर्जर)

की। हलैना कैनाल, जो बाढ़ को बनाकर विनाश करती है, कबई के पास से चोर पिपरी कैनाल पपरेरा, मोरोदा, खेसवाडा, चसोलर आदि गांवों तक बढ़ा दी जावे तो इससे बड़े इलाके की सिंचाई हो सकती है। इस योजना के ऊपर राज्य सरकार ने कार्य भी प्रारम्भ किया परन्तु धनाभाव के कारण अब बन्द कर दिया है। इसी प्रकार मदोरा बांध से बहरामदा तक जो चैनल जाती है उसे दहवा, पचोरा भटपुरा, महरावर, सेवोरा और उसरानी तक बढ़ा दिया जाये तो हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। अभी ये सब अधूरी हैं। मैं चाहता हूं, सिंचाई मन्त्री जी, जिस प्रकार आपने भरतपुर की बाढ़ रोकने में तत्परता दिखाई है और बाढ़ को कुछ सीमा तक रोका है उसी प्रकार इन योजनाओं पर भी विचार करें और इन सारी योजनाओं को चालू करें।

साथ ही साथ मैंने इन सिंचाई योजनाओं की जानकारी सिंचाई मन्त्री महोदय के जरिये से इरिगेशन विभाग को दी थी लेकिन आज तक इन योजनाओं पर अमल शुरू नहीं हुआ है। अगर आप, सिंचाई मंत्री महोदय, कृपा करके इन योजनाओं पर जल्दी काम करवा देंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है।

इसी तरह से होमस कैनाल है, जो बाढ़ बना कर विनाश करती है। यह कैनाल डीग, भरतपुर और कुम्हेर के अन्दर भारी बाढ़ पैदा करती है। अब कैनाल को 25 फुट चौड़ा किया जा रहा है। तीस साल में आज तक उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। अभी भारत सरकार से इस योजना को चौदह लाख रुपया मिला था जिसके अनुसार कार्य करा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने भी इसके लिए आदेश कर दिये थे जिससे इस नहर को आठ फीट चौड़ा और 2-3 फीट गहरा किया जा रहा है लेकिन दुःख इस बात का है कि इस नहर पर बने पुल बहुत पुराने हैं, पचास साल पुराने हैं, वहां है बाबूला तथा बौरई पर पुल जिनकी क्षमता कम होने से बाढ़ का पानी पीछे की ओर है, ऊपर हो जाता है और खेती की भूमि को बर्बाद कर रहा है। इसी तरह से इस नहर के ऊपर जो तीन रेगुलेटर सैट्स, बौरई, मांडोर पर बने हुए हैं, ये रेगुलेटर 75 के बने हुए हैं जो कि पहले ही दो फीट ऊंचे थे, अब वह तीन चार फीट गहरी और की जा रही है। इन रेगुलेटर्स के नीचा नहीं होने के कारण यह पानी वहीं रुक जाता है। अभी गत विधान सभा के अधिवेशन में भी मैंने सुझाव रखा था और मंत्री महोदय ने भी भरतपुर के इंजीनियर्स को बुला कर यह आदेश दिए थे कि इसी वक्त, इसी समय रेगुलेटर्स को नीचा किया जावे। लेकिन दुःख है कि आज तक भी इन रेगुलेटर्स को नीचा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(श्री काशीनाथ गुप्त)

इस प्रकार से जब बाण, गंगा में हर वर्ष बाढ़ आती है तो हेलक रुंध बांध का पानी इस क्षेत्र में बाढ़ बनाता है और बाबूला के पास के पुल से उल्टा इस नहर द्वारा चलता है तो पंघोर और डीग में काफी बाढ़ बनाता है। मैंने सुझाव रखा था कि इन पुलों में बाबूला के पास शटर लगाये जावें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

लेकिन दुःख की बात है कि इन पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय काशीनाथ जी गुप्त, कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री काशीनाथ गुप्त : इसी तरह से बाढ़ के पानी से फसल की भारी जो बर्बादी होती है उसका सरकार आबयाना वसूल करती है जो अन्याय है। इस ओर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इस बात को मैंने आपके सामने रखा और मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष भी रखा था कि इन बाढ़ों से नुकसान होता है तो इन क्षेत्रों में आबयाना की वसूली स्थगित की जावे। मुख्य मंत्री ने स्थगित करने की घोषणा भी की थी। लेकिन दुःख है कि अभी तक भी आबयाना वसूली वैसे ही की जा रही है। जब वहां पर सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि अभी तक राज्य सरकार के इस बारे में आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित करें।

साथ ही साथ ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय काशीनाथ जी, अब चर्चा समाप्त करें।

श्री काशीनाथ गुप्त : मैं अभी एक मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं आपको और समय नहीं दूंगा।

श्री काशीनाथ गुप्त : मेरी यही प्रार्थना है कि जिन पुलों को अभी तक चौड़ा नहीं किया गया है उनको शीघ्र से शीघ्र चौड़ा कराने के लिए कार्य प्रारम्भ किया जावें एवं रेगूलेटरों को नीचा किया जावे। इन कार्यों को जल्दी प्रारम्भ किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंह।

श्री हरचन्द सिंह(पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की जो मांग है और जो उसमें धन मांगा गया है, वास्तव में अगर यह धन सही मायनें में, सही मन से और ईमानदारी से, सच्चाई के साथ सिंचाई के काम को व्यवस्थित करने में लगे तो इस सदन को कोई एतराज नहीं होगा, हम जरूर पारित करेंगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंचाई विभाग में जितना करप्शन है, शायद ही किसी और महकमे में होगा। राजस्थान

(श्री हरचन्द सिंह)

कैनाल प्रोजेक्ट को अगर राजस्थान करप्शन प्रोजेक्ट कह दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मान्यवर, राजस्थान कैनाल में, भाखरा और गंग कैनाल के अन्दर जहां कमाण्ड एरिया का कार्य चल रहा है वहां काश्तकारों को वर्ल्ड बैंक, एक पर्सेंट के हिसाब से, एक पर्सेंट इंट्रेस्ट के हिसाब से लोन देगा लेकिन काश्तकारों को जब यही लोन दिया जाता है तो उसकी रेट 12 पर्सेंट हो जाती है। यह लोक कल्याणकारी सरकार कहलाने वाली सरकार को पता नहीं है कि बीच में यह 11 पर्सेंट का घपला क्यों होता है, कहां पर होता है। आज तक मैंने इस बात की जानकारी करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता कि 11 पर्सेंट कौन खाता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, दूसरा लोन सिंचाई विभाग एजेंसी बैंक से ड्रा कर लेता है तब भी तीन तीन साल तक काम शुरू नहीं होता और जिस दिन से लोन ड्रा कर लिया जाता है उसी दिन से काश्तकार के माथे 12 पर्सेंट मढ़ दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है, मैंने सिचाई आयुक्त को एक नोटिस दिखाया जिसमें यह है कि 66 रुपया मूल रकम और 277) रु० उसका इंट्रेस्ट। मान्यवर दुनियां के इतिहास में कोई कानून इस बात को नहीं मानेगा कि मूल से भी ज्यादा ब्याज वसूल किया जावे। लेकिन राजस्थान का सिंचाई विभाग कर रहा है। मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह इस तरीके की सिंचाई विभाग की लूट को बन्द करवायें तो आप सही मायने में इस देश का उत्पादन बढ़ाने में काश्तकारों को सुविधा दे पायेंगे। अगर इस तरीके से काश्तकारों का शोषण सरकारी एजेंसीज के मार्फत होता रहा तो आपकी यह अर्थव्यवस्था, जिसे ग्रामीणोन्मुखी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसे बिल्कुल फेल हो जाएगी।

श्री मान्; दूसरी बात यह है कि इसी कमाण्ड एरिया में अलाटमेंट कार्य में जब सिंचाई विभाग के अधिकारी काम करते हैं तो सरकार काश्तकारों से 15 पर्सेन्ट सुपरवाइजरी चार्जेज के नाम पर लेती है और करोड़ों रुपया जो लोन का काश्तकारों में पड़ा हुआ है उसी हिसाब से उस सिंचाई विभाग के अधिकारियों को हम से वसूल करने की छूट दी गई है और आज सिंचाई विभाग के उन्हीं अधिकारियों का तनख्वाह, यात्रा भत्ता, पैट्रोल, मेडिकल बिल, उनकी सारी सुविधाओं के लिए सदन में डिमाण्ड की गई है, उसी एरिया में वही सिंचाई अधिकारी सरकार का काम करते हैं, सिंचाई का और कमाण्ड एरिया के डवलपमेंट का काम करते हैं। तो यह डबल तरीके की वसूली खतम की जावे। अगर सुपरवाइजरी चार्जेज काश्तकारों से लिए जाते हैं तो फिर यह एक्स चैकर से पैसा ड्रा नहीं किया जावे। अगर एक्स चैकर से पैसा ड्रा किया जाता है, यह डिमाण्ड पास की जाती है तो फिर 15 पर्सेन्ट जो सुपरवाइजरी

(श्री हरचन्द सिंह)

चार्जेज लिए जाते हैं काश्तकारों से, मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि वह न वसूल किया जावे।

श्रीमान्, यह राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको देश की भागीरथी कहा गया है, का ओरिजिनल एस्टीमेट 186 करोड़ रुपये था और इसको सीमेंट की ब्रिक्स से यह डिजाईन थी लेकिन धीरे धीरे यह एस्टीमेट बदलता गया और करीब छः सौ करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं फर्स्ट फेज पर सैकिण्ड फेज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। कभी ईरान के शाह के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। ऐसा, श्रीमान्, हुआ क्यों? ऐसी कौन सी बात है कि जिससे यह इतना पैसा बढ़ गया। जो कुछ एस्टीमेट बना था उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन इतना भयंकर फर्क नहीं आ सकता है। इसका मैन कारण यही है इस राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में भयंकर करप्शन है। सारे के सारे फैक्ट्स पहले भी सदन में पेश किए गए थे कि निर्माण में भयंकर सी पेज हुआ है। इसमें बराबर लूटते हैं। मैं आपको कहता हूं कि अगर सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स की सम्पत्ति की जांच की जावे तो उससे मालूम होगा कि किस तरह से हमारे देश का पैसा इस प्रोजेक्ट में सीपेज करके खुद के इस्तेमाल में लिया गया है। मैं आपको कहता हूं कि इनकी चण्डीगढ़ में कोठियां, दिल्ली में कोठियां, उदयपुर के अन्दर कोठियां, कोटा में कोठियां, जयपुर में कोठियां और बीकानेर के अन्दर तो पूरी की पूरी कालोनी, 235 बंगले बने हुए हैं जिनकी लाखों की कोस्ट आफ कंस्ट्रक्शन है। उनको अगर तुड़वा कर देखा जावे तो, माननीय सिंचाई मन्त्री जी, मैं दावे के साथ कह सकता है कि उनकी ईंटों के ऊपर आर.सी.पी. का नाम लिखा हुआ मिलेगा। इतना भयंकर भ्रष्टाचार इसके अन्दर हुआ है। मेरा निवेदन है कि

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आप मांग करें इससे कोई गिला नहीं है लेकिन जिस बात के लिए पैसा खर्च करना है, जिस काम के लिए पैसा खर्च करने की मांग करते हैं वह इस देश की इकोनोमी को सुदृढ़ करने के लिए ही पैसा लगे, इस बात की गारन्टी दें।

मान्यवर, माही प्रोजेक्ट के बारे में मेरे पास इन्फार्मेशन है कि ठेकेदारों को बुला करके इंजीनियर्स पहले से ही कांट्रेक्ट करते हैं, इस प्रकार की हिदायत करते हैं कि जो टेण्डर आप दें, उन टेण्डर्स के अन्दर फिफ्टी पर्सेन्ट कमीशन तो पहले से ही तय कर दीजिए। इस तरह 50 पर्सेन्ट के हिसाब से इन्जीनियर्स कान्ट्रेक्ट कर के टेण्डर दिलावें तो उस काम की दशा क्या होगी? ऐसे प्रोजेक्ट से इस देश को क्या उम्मीद हो सकती है? गंग कैनाल उस जमाने में बनी थी किन्तु आज तक उसमें कोई नहर नहीं टूटी है। भाखरा कैनाल 52 में बनी है।

(श्री हरचन्द सिंह)

उसमें उसने कम नहरें टूटी हैं और उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल में तो नहरें आए दिन टूटती रहती हैं। तो यह साबित करता है कि सारे के सारे सीमेंट, जिसके लिए सदन में हंगामा हुआ है, को हमारे इन्जीनियर्स चोरी करते हैं और उसका लाभ हमारे काश्तकारों को मिला है। इस राजस्थान कैनाल में दस दस किलोमीटर के बैल्ट के अन्दर, ईस्ट और वैस्ट में हमारे घर पक्के बन गये हैं। हमें कभी सीमेंट नसीब नहीं होती थी। हमारे झोंपड़े पक्के हो गये। इस राजस्थान कैनाल से एक लाभ तो हम को यह मिला है। उसकी सीमेंट हम को मिली है। यह हम कबूल करते हैं। ये वे ही इन्जीनियर्स हैं जिन्होंने चोरी करके सीमेन्ट हमको दिया है, बेचा है। हमारे घर में खुशहाली आई, हम ने मकान बनाये।

मान्यवर, मेरा यह निवेदन करना है कि मन्त्री महोदय पैसा लीजिए, इस देश की खुशहाली के लिए पैसा खर्च कीजिए लेकिन साथ ही इसकी ऐसी व्यवस्था कर दे कि इसमें जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी हैं, वह न आ सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक इन्जीनियर के बारे में स्पेसिफिक सवाल पूछा था, राज्य सरकार से यह सवाल किया था कि उस इन्जीनियर ने नियमों में जो प्रावधान है, उसके तहत कब कब अचल, चल सम्पत्ति बनाने या बेचने के लिए राज्य सरकार से अनुमति ली है? अगर अनुमति ली है तो उसकी इत्तिला दी जाए। मान्यवर, सिंचाई विभाग ने जो जवाब दिया है, यह दिया है कि उन्होंने कोई मकान नहीं बनाया है, कोई सम्पत्ति नहीं बनाई है। मैंने उनके पास इसके सबूत किन्तु और आज तक कोई कार्यवाही उस इन्जीनियर के खिलाफ नहीं की गई है। उस इन्जीनियर के खिलाफ मेरा चार्ज है। मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि अगर यह साबित नहीं कर दूं तो मैं सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा।

माननीय मन्त्री महोदय, आप रेवेन्यू के नाम पर आज सिंचाई की 50 प्रतिशत दर बढ़ा रहे हैं। इस सम्बन्ध में इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने मुख्य मन्त्री महोदय को एक प्रतिवेदन दिया है कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए। श्रीमान् आप यह दर इसलिए बढ़ा रहे हैं, ऐसे अधिकारी के लिए बढ़ा रहे हैं जो पैसे की चोरी करता है और अपने खुद के लिए इस्तेमाल करता है। इसके लिए आप यह बढ़ा रहे हैं तो मुझे सख्त अफसोस है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप काश्तकारों की हालत सुधारना चाहते हैं, आप लोक कल्याण की दुहाई देते हैं तो मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस लीकेज आफ मनी होता है, एक्स नेकर की जो पैसा भ्रष्टाचार में जाता है, उसको रोकिए और सही मायने में जैसा मदवार रुपया यहां पर मांगा है, उसी मद में यह लगे,

(श्री हर चन्द सिंह

उसकी व्यवस्था कर दें। यह व्यवस्था न करें तो 50 प्रतिशत जो लगान वृद्धि की है उसको वापिस ले लें। यह कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ दिलाऊंगा कि जब सिंचाई दरें उन्होंने बढ़ाई थीं तो उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किये कि हमारे रख-रखाव का खर्चा, सिंचाई विभाग का बहुत ज्यादा है। हमारा रिटर्न वापस नहीं होता है। हम को एक फीसदी ब्याज नहीं मिलता है। इस बात पर मैं यह कहना चाहूंगा सबसे पहले कि यह रिटर्न की जिम्मेदारी अकेले किसान को नहीं है। रिटर्न की जिम्मेदारी आप पर है। आज अधिकारियों की फौज खड़ी कर रहे हैं। आज अधिकारी के पास शानदार पेट्रोल, डीजल जीप है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस की उनको कितनी जरूरत है? क्या दो एक्स. ईएन के बीच में एक जीप नहीं रखी जा सकती? इसके लिये आपके यहां पर कोई पाबन्दी नहीं है कि खर्चा कम करें। इसके लिए हमारे अधिकारियों को कोई परेशानी नहीं है। एक सिंचाई विभाग के अधिकारी की ऐसी शानदार कोठी होगी जैसी आपके मन्त्रियों की नहीं है। उस कोठी का डेकोरेशन, उसके रहने का तरीका है और जिस तरह के साधन उसके डिस्पोजल पर है, वैसे आज आपके मन्त्रियों के पास नहीं है। सबसे जरूरी बात मेरे से पूर्व वक्ता, जो पीलीबंगा से आए हैं इस विभाग के करप्शन के बारे में कही है. यह सर्व विदित है यह तो आज का रिवाज है. उसका परसेन्टेज तय होता है। यह तो चलता है। यह तो दस्तूर है....

श्री दाऊ दयाल जोशी : आज सिंचाई विभाग के लिए यह कहा जा रहा है उसका परसेन्टेज होता है। यह बीमारी उस क्षेत्र में है जहां पर कि सदस्य जागरुक नहीं हैं। मैं चैलेन्ज के साथ कहता, श्रीमान् श्योपत सिंह जी को चुनौती देता हूं कि मेरे कोटा में इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान उस तरफ है। हम जागरुक हैं...

(व्यवधान)

श्री नूरा : सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कोटा में है।

श्री दाऊदयाल जोशी: कोटा में नहीं है। आप निष्क्रिय रहे हैं, निकम्मे हैं। आप लोगों में हिम्मत नहीं है इसलिए वहां पर चोरियां होती हैं।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय सदस्य कह रहे हैं कोटा में नहीं हो रही है चोरी तो क्या बीकानेर और जैसलमेर में भी नहीं हो रही है?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कोटा में इस प्रकार का काम

(श्री दाऊदयाल जोशी)

नहीं होता। है वहां पर काम करने वाले एम. एल. ए. हैं...

श्री लाल चन्द : आप सर्टिफिकेट किसे दे रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री जेठमल बरबड : आपकी पार्टी के एक माननीय सदस्य ही चार्ज लगा रहे हैं...

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो बोल नहीं सकते।

श्री माधो सिंह : ये चोरी करने वालों के *दलाल है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी कृपया चर्चा जारी रखें।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : जी हुजूरों की जमात इकट्ठी हो गई है।

श्री लाल चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस सदन के सदस्यों के लिये निष्क्रिय और निकम्मे शब्दों का प्रयोग किया है। या तो इन शब्दों को एक्सपंज करवाया जाये या माननीय सदस्य से माफी मंगवायी जाये। यह गलत शब्द इस्तेमाल किया गया है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं अगर कोटा में भ्रष्टाचार नहीं है....

एक माननीय सदस्य : ये तो अधिकारियों की *चमचागिरी कर रहे हैं।

श्री लाल चन्द : ये भ्रष्टाचार करने वालों की पैरवी कर रहे हैं। यहां पर पैरवी इसलिए कर रहे हैं इनको कोई न कोई लालच दिया गया है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है

श्री दाऊ दयाल जोशी : घर फूंक तमाशा देखते हैं।....

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि सिंचाई विभाग में कोई ईमानदार अधिकारी नहीं है। मगर क्या ऐसी व्यवस्था है कि ईमानदार अधिकारी कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। यह मेरा दावा है। इस विभाग में सारी की सारी ऐसी व्यवस्था है कि ईमानदार अधिकारी की कुछ नहीं चलती है। आज राज्य सरकार किसान पर टैक्स बढ़ाने जा रही है। यह बहाना ले रही है कि हमारा रिटर्न नहीं आ रहा है। सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने अधिकारियों पर होने वाले खर्च को कम करे। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कोई टैक्स बढ़ाया जाये उससे पहले हम सोचे। यह पानी आप मोल नहीं लाये हैं। यह कुदरत की देन है। दरियाओं से पानी मिलता है। हम उस पानी को चेनेलाइज कर के जिस इलाके में लाते हैं, जिन क्षेत्रों में पानी देते हैं, चाहे वह भाखडा परियोजना हो, राजस्थान कैनाल परियोजना हो, चाहे चम्बल योजना हो, चाहे माही परियोजना हो, उन परियोजना में कमाण्ड क्षेत्र से आपकी सरकार ने बेटरमेंट लेवी वसूल

*शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(170)

श्री श्योपतसिह मकासर

कर अरबों रुपया वसूल किया है । इसका पर्पज क्या है ?

इसका मतलब यह, है कि हमारी परियोजनाओं पर जो खर्च होता है । मेन्टीनेंस का खर्चा है उसका रिटर्न आपको मिलना चाहिये । रख रखाव के खर्चे के लिये, मैं पूछता हूं किस बात का टैक्स ? जितनी जमीन सरकार ने दी वह कीमत पर दी है । हमने दान में नहीं ली है हमसे रुपये लिये हैं । आपने उस पर क्या खर्च किया है ? कितना रुपया खर्च किया है ? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं । हरियाणा, पंजाब में बैटरमेंट टैक्स को खतम कर दिया गया । उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं सब घाटे में, है क्या उनको बनाने वाले लोगों पर उस खर्चे का दायित्व नहीं है ? उन लोगों के लिये बिल्डिगें, बड़े-बड़े महल, हैं और जिस किसान, के झोपड़ी भी नहीं, उस किसान के द्वारा पानी का टैक्स न चुकाने के कारण पानी बन्द कर दिया जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, किसान की मजबूरियां होती है, उसके सामने भी परेशानियां होती हैं और आप आसानी से कह देते हैं टैक्स नहीं चुकाया इसलिये कनेक्शन कांट दिया । मैं कह रहा हूं अपने खर्चे को कम कीजिये । इस खर्चे को कम करके किसानों को राहत दीजिये । किसान पर टैक्स मत लगाइये ।

इसके साथ साथ में राजस्थान कैनाल के लिये कुछ कहना चाहता हूं । हमारे लिये यह शर्म की बात है कि हमें राजस्थान कैनाल का पानी नहीं मिल रहा है । जब तक यह पानी जैसलमेर तक नहीं पहुंच जाय, हम अपने पानी को काम में नहीं ले सकें । आज तक पंजाब के साथ क्यों नहीं समझौता किया गया ?आज हम अपना पानी नहीं ले सकते हैं, हम चोरी छिपे ले रहे हैं, लेकिन यह अधिकार नहीं कि राजस्थान के लोग इसको युटिलाइज कर सकें । पंजाब वाले यह पानी ले सकते हैं, पाकिस्तान में जा सकता है लेकिन हमारे को अधिकार नहीं । राजस्थान की सरकार बिल्कुल असफल रही है बदनसीबी से । क्या राजस्थान केनाल बोर्ड के चेयरमैन जानते हैं कि मोगा किसको कहते है, बारी किसको कहते हैं । उनका कोई ताल्लुक नहीं, प्रैक्टिकल नालेज नहीं । चेयरमैन तो हमारे खास आदमी रहेंगे क्योंकि वे हमारे खास खास काम करेंगे । हमारे पास चीफ इंजीनियर की कमी है तो पंजाब में बहुत से तजुर्बेकर लोग बैठे हैं ऐसे लोगों को हमें राजस्थान केनाल बोर्ड का चेयरमैन बनाना चाहिए । आपके चेयरमैन से राजस्थान केनाल के सारे इन्जिनियर्स परेशान है भयभीत हैं जो आप योजना पूरी करना चाहते है वह कभी पूरी नहीं हो सकती । वे जानवर नहीं इन्जीनियर हैं, वे समझदार हैं, वे समझते हैं

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : भीमसिंह शेर सिंह और तीसरा कौन सिंह है ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : सब सिंह ही सिंह है । मुझे कोई एतराज नहीं है, सिंह रहे या नहीं रहे, मगर राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि बोर्ड का चेयरमैन कोई चीफ इन्जीनियर बने, यह ट्रेडीशन रहा है ।

इसके साथ-साथ माननीय उपाध्दक्ष महोदय, है कुछ सवालों की तरफ आपका

(श्योपत सिंह मकासर)

ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजस्थान कैनाल क्षेत्र में हमारे सामने सीम की समस्या पैदा हो गई है। इस समय सूरतगढ़, तिलवाड़ा, टीबी में और समस्या पैदा हो गई है। इसके साथ साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, बारी के बारे में कहूंगा जब भी कभी हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हमें बारी से परेशान किसान मिलते हैं। इसके लिये क्यों नहीं आप पंजाब के सिस्टम को लागू करते? यह वारी की समस्या है, नीचे से लेकर एक्स. ई. एन. तक लोग इन्वाल्व्ड है इसमें। आप मेहरबानी करके पंजाब का कानून लागू करें। आपका इसमें क्या स्वार्थ है? इसके साथ साथ मैं मजदूरों के बारे में कहूंगा सबसे ज्यादा खून चूसने वाला कर्मचारियों का अगर कोई विभाग है तो यह सिंचाई विभाग है। माननीय सिंचाई मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, आप एक प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हैं आप किसी पार्टी के मंत्री नहीं हैं। यह बात ठीक है, आप सोच सकते हैं कि मैंने कुछ नेताओं को खुश कर दिया। अगर पार्टी के लोगों को खुश करने से ही कुछ होता तो संजय गांधी ने भी युवक कांग्रेस पैदा की थी, वह कहा गई? तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों की हड़तालें होती हैं, अभी एक महीने तक भाखरा गंग कैनाल के मजदूरों की हड़ताल चली —

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, आप मजदूर नेता को बुलाते। मगर आपने अपने लोगों को बुला कर कहा, हम मांगें मंजूर कर रहे हैं अलग संगठन बना लो। सीटू से बात नहीं करेंगे। आप अपना नजरिया बदलिये। इस प्रकार से किसी संगठन पर आप छा नहीं सकते। अगर आप में योग्यता नहीं है, भरोसा नहीं है आप में, तो फिर कोई क्या करें। संगठन थोपने से नहीं बनता....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत जी, चर्चा समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट में से सिद्धमुख योजना और नोहर फीडर के बारे में कहूंगा। कांग्रेस ने थोथे झांसे दिये, जब भी कोई मंत्री वहां जाता, है10 साल से सुन रहे हैं कोई कांग्रेस का मंत्री भादरा गया, नोहर गया, चूरू गया-बस एक ही बात। कितनी दफा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसका असर क्या हुआ? सिद्धमुख और नोहर फीडर्स के बारे में क्या कर रहे हैं? सिद्धमुख और नोहर फीडर्स का काम तब तक नहीं होगा जब तक पंजाब के साथ आप फैसला नहीं करेंगे। आप किसी भी चीफ इंजीनियर को रखिये मगर सारे राजस्थान में एक चीफ इंजीनियर होना चाहिये और उसके नीचे सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होना चाहिये। आपने राजस्थान कैनाल को अलग करके—

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लास्ट में कह रहा हूं।

अभी तक हमने यह देखा है कि जिस मंत्री का विभाग होता है उस विभाग के कर्मचारी उस मंत्री के अधीन होते हैं। एक मंत्री ऐसा भी देखा है जिसके ऊपर बड़ी

(172)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

भारी जिम्मेदारी राजस्थान कैनाल की है। लेकिन उस विभाग के अधिकारी उस मंत्री के नीचे नहीं हैं, फिर काम कौन करेगा ? राजस्थान कैनाल का चीफ इंजीनियर अलग बनाया। राजस्थान कैनाल के अधिकारी राजस्थान के सिंचाई मंत्री के नीचे रहते हैं ताकि चौधरात तो होगी चतुर्वेदी जी का और विभाग होगा केदार जी का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी विराजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आखिर मैं एक ही बात कह कर—

श्री उपाध्यक्ष : श्री समरथलाल।

श्री श्योपतसिंह मकासर : भांखरा कैनाल में इन्टेंसिटी बढ़ाइये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद देता हूं। अभी अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य भरतपुर के अन्दर जो बाढ़ आती है उसके बारे में बड़ी पीड़ा के साथ कह रहे थे। इस सदन के अन्दर जब कभी सिंचाई विभाग के ऊपर इस तरह की चर्चा चलती है उस समय भरतपुर के अन्दर जो बाढ़ आती है इस सदन में उसकी चिन्ता होना स्वभाविक है। माननीय सदस्य ने यह कहा कि अलवर और जयपुर से, हरियाणा से और यू० पी० से जो पानी आता है उससे सारा भरतपुर का इलाका तबाह हो जाता है। माननीय उपाध्यक्ष, सरकार के पास इसका बड़ा मुकम्मिल इलाज है। उस इलाज को सरकार को करना चाहिये। अलवर जिलेये से जितना पानी भरतपुर में आता है उस पानी को अलवर जिले के अन्दर रोकना चाहिये और जितना पानी जयपुर से जाता है उसको जयपुर में रोकना चाहिये। इसकी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। भरतपुर में जब बाढ़ आई तो भरतपुर के एक माननीय सदस्य, जो सत्ताधारी दल के सदस्य भूख हड़ताल की। उनकी कोई बात नहीं सुनी गयी सरकार द्वारा और उनको भूख-हड़ताल तोड़नी पड़ी। तो इस प्रकार की परेशानी का हमारा जिला है, इस राज्य का एक जिला है वह इतना परेशान है तो इस परेशानी को दूर करने के लिये, जिला भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिये उन जिलों में राज्य सरकार को पानी रोकना चाहिये। इसलिए मेरा कहना है कि अलवर के अन्दर का पानी जो भरतपुर को तबाह करता है उसको अलवर की सीमा के अन्दर बान्ध के जरिये से रोका जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जितने बान्ध अब तक बने हैं उन, बान्धों पर जितना खर्चा हुआ है और जितना खर्चा इस सिंचाई विभाग के अन्दर हुआ है उसमें कितने बान्ध बने हैं, उसमें कितना खर्चा हुआ है, उसका असेसमेंट होना चाहिये, उसके बाद में खर्चे के मुकाबले में कितनी राज्य सरकार को इन्कम हुई है उसका भी असेसमेंट होना चाहिये। जितना खर्चा सिंचाई विभाग के जरिये किया

(श्री समरथ लाल)

गया बान्धों ने अन्दर, नहरों के अन्दर उससे जनता को कितना फायदा हुआ इस बात का भी असेसमेंट होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह एसेसमेंट आ जायेगा। इसके अलावा इस सिंचाई विभाग के चीफ इन्जीनियर, कमिश्नर और नीचे के लेवल का जितना भी प्रशासन है उस प्रशासन पर कितना खर्चा हुआ है उस खर्च का असेसमेंट होना चाहिये। यह 3-4 साल के असेसमेंट हमारे सामने आ जायेंगे तो मैं समझता हूं कि सिंचाई मंत्री जी की आंखें खुल जायेंगी कि इतना खर्चा कैसे हुआ, उसमें से जितना बान्धों पर खर्च हुआ उसको अगर निकाला जायेगा तो उसके मुकाबले में राजस्थान की गरीब जनता को कितना फायदा हुआ है, यह सारी बात अपने आप आपकी समझ में आ जायेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जितने पुराने बन्धे हैं उनकी मरम्मत होनी चाहिये। राजस्थान में जितने भी बन्धे बने हुये हैं, हजारों बन्धे ऐसे हैं, माननीय उपाध्यक्ष, जिनमें नहरें नहीं है। वह बन्धे पानी से भरे रहते हैं लेकिन नहरें नहीं हैं जिनके जरिये से पानी दिया जा सके, और पानी का उपयोग किया जा सके।

इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों का कोटपुर गांव की तरफ अलवर जिले के अन्दर और गीतापुर खेड़ा की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं। उन गांवों में पानी एक स्थान पर इकट्ठा होकर एक रास्ते से निकलता है, एक थोड़ी सी सकड़ी भूमि में उस पानी का निकास है जिसको बान्धा जा सकता है और उस इलाके के 30-40 गांवों की जो फसल नष्ट हो जाती है। खेतों की उर्वरक शक्ति को यह पानी बहा देता है और नष्ट कर देता है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि कुबेर बान्ध अलवर जिले में बन रहा है वह करीब 10 साल से बन रहा है। राजगढ़ तहसील की जमीन पर बान्ध बन रहा है लेकिन राजगढ़ तहसील की एक इंच जमीन को सिंचाई का फायदा नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास भवरेल बान्ध बना हुआ है। वह 15-20 साल पहले बना हुआ था। किस चीफ इंजीनियर ने बनाया है, किस इन्जीनियर ने उसका एप्रूवल किस तरह से किया है? करीब 22लाख रुपये भवरेल बान्ध पर खर्च हुए हैं उस बांध में आज की तारीख में जब बरसात होती है 2-3 फीट पानी आता है। इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि 22 लाख रुप खर्च हुए 22 लाख से एक नये पैसे का भी रिटर्न सरकार को नहीं मिला, और न एक नये पैसे का वहां की जनता को फायदा मिला है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपकी मार्फत कि साल के 12 महीनों में से 11 महीने यह विभाग चुपचाप बैठा रहता है और जब मार्च का महीना आता है तो मार्च के महीने में करोड़ों रुपया खर्च होता है। मेरी जानकारी के अनुसार मैं यह कह सकता हूं कि इस मार्च के अन्दर ढाई करोड़ रुपयों की सिंचाई विभाग ने केवल मशीनें खरीदी है और 11 महीने बैठे रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विभाग 12

(श्री समर्थलाल)

महीनों का उपयोग नहीं कर पाता है और मार्च के महीने में ही पूरे धन को पानी की तरह बहा देता है। इसके ऊपर चौक होना चाहिये। यही मैं निवेदन करना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं मेरे कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान सिंचाई की समस्याओं की ओर दिलाने का प्रयास करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष, कृषि प्रधान देश में सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है विशेष कर उस प्रान्त के लिये जिस प्रान्त में पीने के पानी की समस्या है, जो प्रान्त अकाल का शिकार रहे, जिस प्रान्त में रेगिस्तान बढ़ता जा रहा हो, ऐसी भयानक समस्याओं वाले प्रान्त में सिंचाई का बहुत ज्यादा महत्व है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन समस्याओं के साथ-साथ एक सब में बड़ी समस्या यह है कि पानी का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। एक तरफ तो सूखा है और दूसरी तरफ हमारे सामने बाढ़ की समस्या है। यह हमारे लिये एक चुनौती है कि पानी के अभाव की समस्या होते हुए भी पानी की अधिकता की समस्या भी हमारे सामने है। इसलिए मै सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पानी एक तरफ हमारे लिये समस्या पैदा करता है उस पानी को उस इलाके के अन्दर लेजाकर जहां कि रेगिस्तान है, जहां पीने के पानी की समस्या है, जहां अकाल की समस्या है, उस क्षेत्र के अन्दर इस्तेमाल किया जाना चाहिये। लेकिन सरकार, लगता है, इस ओर ध्यान विशेष नहीं दे पा रही है। साधनों के अभाव के साथ साथ मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि हमारे यहां प्रयत्नों का भी अभाव है। जितना प्रयत्न हमें समुचित उपयोग करने के लिये करना चाहिये उतना प्रयत्न हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सिचाई की क्षमता बढ़ाने के लिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारी बरसात का पानी भी बेकार जा रहा है। बिल्कुल बेकार फालतू पानी बहाया जा रहा है। राजस्थान कैनाल का पानी बेकार जा रहा है। उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। भाखरा कैनाल का पानी बेकार जा रहा है। उस पानी का उपयोग नहीं होता है। एक बार मैं प्रो० केदार, सम्पतराम जी और लालचन्द जी चण्डीगढ़ गये। उस वक्त हरियाणा के सिंचाई मन्त्री ने कहा था अगर आप इरिगेशन करना चाहते हैं, पानी की इन्टेंसिटी बढ़ाई जाये, तो उसके लिये हमको पैसा दो। हम पिछली साल से लड़ रहे हैं। हरियाणा को पैसा देकर, भाखड़ा की कैपिसिटी बढ़ाकर हम पानी नहीं ले पाये हैं। हमारे पास पैसे का अभाव नहीं है, हमारी लगन का अभाव है। हरियाणा सरकार को पैसा नहीं देने की वजह से वह पानी नहीं दे रहा है। इस प्रकार से हम प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हालांकि उनकी जानकारी इतनी बड़ी नहीं है न उन्होंने समस्या का सामना किया है।

(श्री बहादुर सिंह)

लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि देश की बहबूदी के लिए, प्रान्त की बहबूदी के के लिये उनको प्रयत्न करना चाहिये। देश की प्रगति के लिये, देश के विकास के लिये, इस प्रान्त की पैदावार बढ़ाने के लिये, उन्हें सीधा प्रयत्न करना चाहिये।

(व्यवधान)

भाखड़ा क्षेत्र में भी अभी ऐसे क्षेत्र पड़े हुये हैं। भाखड़ा की कैपिसिटी बढ़ाकर उनको पानी दिया जा सकता है।

(समय-समाप्तिःसूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : केवल दो मिनट और हैं।

श्री बहादुरसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि मुझे दो मिनट और दिये जायें। उनको एक्जिस्टिग नहर से पानी दिया जा सकता है। इसके लिये न नया डिपार्टमेन्ट खोलने की जरूरत है, न और कोई बात करनी है। उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर उस क्षेत्र को पानी दिया जा सकता है।

मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। नोहर फीडर और सिद्धमुख नहर हमारी अकर्मण्यता के कारण पड़ी हुई है 387 लाख नोहर फीडर में खर्च कर दी है, हमने सब में इतनी ज्यादा धनराशि खर्च कर दी है फिर भी आज तक शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ी अकर्मण्यता और क्या होगी? यही हालत सिद्धमुख कैनाल की है। ढाई करोड़ की स्कीम थी। पीने के पानी के अन्दर करोड़ों रुपया बरबाद कर दिया है। आज तक हम उस नहर को शुरू नहीं कर पाये हैं। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी से कहूंगा कि यह चुनौति नहीं है, यह हमारे लिये एक कलंक है। इस योजना को टेकअप नहीं कर पाते हैं और पैसा बरबाद करते हैं। मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी का कानूनी समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने पेचीदगियां पैदा की हैं। उनको आप ठीक नहीं कर सके। आपने उनको और बढ़ाया है। सिंचित क्षेत्र में और बारानी क्षेत्र में एक ही फर्क होता है कि सिंचित क्षेत्र में सरकार को कुछ खर्च करना पड़ता है। वहां किसान बैटरमेंट करने को तैयार हैं। पानी की कीमत देने को तैयार हैं। लेकिन पानी की कीमत के बाद, बैटरमेंट लेने के बाद भी उसके ऊपर सीलिंग लगाने के बाद उसके पास जमीन नहीं रह सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचकघंटी)

जो भी नहर इस क्षेत्र में आजायेगी, काश्तकार इन कानूनों से पीड़ित होकर अपने हकूकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन कानूनी बातों को हटायें। आपने बार बार वायदा किया है, खातेदारी अधिकार देंगे। गवर्नर के अभिभाषण में कहलाने के बावजूद सर्वत्र समाप्त होने आ रहा है। आज तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मन्त्री का ध्यान

(176)

(श्री बहादुरसिंह)

दिलाऊंगा कि नोहर फीडर का काम शुरू नहीं करने का हमारी अकर्मण्यता के अलावा और कोई कारण नहीं है। भाखड़ा में पानी बढ़ाकर सूखे क्षेत्र की सिंचाई करने की समस्या है। उस कलंक को दूर करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। यह सिंचाई का बजट है। आंकड़े देखने से पता लगता है कि 146 करोड़ और कुछ लाख रुपये खर्च हो रहे है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर आपने सात जिलों, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर बाड़मेर, जालौर, सिरोही, और पाली, इन में डेढ़ करोड़ खर्च होने वाला है। राजस्थान का अरावली पहाड़ एक पानी देने वाला इलाका है। 146 करोड़ में 35 लाख लाख की जनसंख्या को कितना लाभ मिलने वाला है। इस पर गौर करना चाहिए। इस पर विचार करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल: इसीलिये मरु प्रदेश की बात कहते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, सारे प्रश्नों पर विचार करना चाहिये। अरावली पहाड़ राजस्थान में सब को पानी देता है। अरावली पहाड़ से निकवाली नदियां सिरोही और जालोर के क्षेत्र में भी आती हैं, उनसे 2 लाख एकड़ में अनाज पैदा होता था। सांचौर की पूरी तहसील, आहोर की आंधी तहसील उससे पानी पीती थी। आज टेक्नीक के नाम पर वह सूख रहा है। विज्ञान के नाम पर सूख रहा है। दूसरी तरफ छोटे छोटे बांध बनाये हैं। हम घोषणा करते हैं कि इतने हैक्टयर जमीन बनेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है कि पिछले 30 वर्ष से 3 लाख एकड़ जमीन जहां पानी पीती थी, वह जमीन आज बंजर हो गई है। उसकी ओर राजस्थान सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना समय नहीं है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि लूनी बेसिन की ओर ध्यान दिया जाये। नर्मदा बेसिन का नारा दिया गया है। वह कब आयेगी, पता नहीं है। भगवान जानें। पाली और जालोर जिले में छोटे छोटे बांध बने हुऐ हैं। कहते हैं कि पानी की क्षमता नहीं है। मैं कहता हूं कि बहुत क्षमता है। एग्रोनामिस्ट जो भी कहते हैं, वह सही नहीं है। वह किसी से मिलते नहीं हैं। टेबल पर बैठकर काम करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। सारे छोटे बान्धों को दो फीट ऊंचा किया जायेगा तो ईरिगेशन एरिया बढ़ेगा। कुवों में पानी बढ़ेगा। आबू पर्वत है। बहुत एरिया है। उसका सारा पानी बेकार जाता है। एक नक्की तालाब है जो आबू को

(श्री रघुनन्दन व्यास)

पानी देता है। आबू पर्वत पर पावर हाउस के पास डैम बनाया जाये। उस डैम का उपयोग हो तो सिंचाई के साथ-साथ बिजली का उत्पादन भी हो सकता है। लेकिन आबू हमेशा नेग्लेक्टेड रहा है, योजना बद्ध राजनीतिक ईर्ष्यावश इसकी दुर्गति हुई है। हमारे यहां एक सूंदो पहाड़ है, कहावत है कि सूंदो ऊंदो फूट्यो। सूंदो का पानी गुजरात में जाता है, इससे पांच नदियां निकलती हैं। उन नदियों का सर्वे नहीं हुआ और न सिंचाई की दृष्टि से उसका कोई उपयोग ही हुआ।

तीसरी बात मोडर्नाइजेशन की आ गई। सही मायने में कुछ काम हुआ भी है और हो भी रहा है, नहरों की खुदाई कई जगह हुई है, कई बान्धों को भी ठीक किया गया है लेकिन वास्तव में कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। इस बारे में कोई काम नहीं किया गया। हां, जैसलमेर में मोडर्नाइजेशन के नाम पर काम हो रहा है। सूखे से रोकने के लिये निश्चित रूप से कुछ काम करना पड़ेगा और इसी से बजट की उपयोगिता बढ़ेगी। सौ वर्षों पुराने तालाब टूटे-फूटे पड़े हैं, जालोर में अनादरा का तालाब है, सिरोही का तालाब है, कहीं पर लाख और कहीं पर दो लाख रुपये डालने हैं, वह नहीं होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अकाल के नाम पर काम अधूरे पड़े हुए हैं, लोग हमारे पर हंसते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अकाल राहत और बाढ़ के नाम पर, तालाब के नाम पर जो काम हुआ उसका सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए जिससे सही मायने में इसकी उपयोगिता हो। चाहे एग्रोनामिस्ट कुछ कहें उनको चालू करवाया जाय तो उनसे तत्काल लाभ मिल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जवाई नदी का बान्ध बना, सेई नदी का पानी है वह उसमें चला गया, लेकिन जो गांव डूब गए उनके बारे में आज तक कुछ नहीं हुआ। वहां के किसान भूखे मर रहे हैं। इसको बनाते समय यह समझौता हुआ था कि जोधपुर और सिरोही को पानी दिया जायेगा। जोधपुर को उससे पानी मिल रहा है लेकिन सिरोही को पानी नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि पुराने समझौते के आधार पर सिरोही को भी जवाई से पानी दिया जाय अथवा छोटे-छोटे बान्धों को बनाकर उनकी सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जाय। जितने भी ओवरफ्लो दिये हैं वे सब गलत हैं। 71 की बाढ़ में गांव के गांव बह गए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जहां पर जनता जागरूक थी वहां का काम हो गया, सिरोही की जनता गूंगी रही इसलिए वहां पर कोई काम नहीं हुआ। 71 की बाढ़ में 60 लाख एकड़ जमीन धूल

178

(श्री रघुनन्दन व्यास)

हो गयी। पोषालिया के पास पांचनाला का बांध

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

बह गया। छोटे बांध थे, हजारों घर डूब गए। वहाँ पर कालोनाइजेशन लागू हो गया, जहां पर पीढ़ियों से लोग बैठे थे। रेवदर के पास एक पामेरा गांव है उसमें पानी नहीं पहुंच सका, सौ वर्षो से मकान बने हुए हैं वहां पर। कालोनाइजेशन एक्ट की धारा 22 में इजेक्ट करने के एस. डी. ओ. सिरोही ने जो आदेश दिये वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी, कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : इसलिए जोधपुर डिवीजन के सात जिलों में अलग से पैसा मिलना चाहिए और इसका सर्वेक्षण कराया जाय। आबू और सिरोही की क्षमता, सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम किया जाना चाहिए। जो अच्छे काम हो रहे हैं इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नूरा जी।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने में ऐसा पढ़ने को मिला था कि रेतीले इलाके में मानसून बहुतायत से आता है। जहाँ रेत के टीबे खड़े हो गये उसके बाद मानसून सिन्ध घाटी की तरफ से काश्मीर की तरफ चला गया। राजस्थान में यह रेतीला भाग बहुत कम था, ऐसा हमको पढ़ने को मिला, उसकी वजह से रेत के टीबे हमारे यहां अब बहुत हैं क्योंकि मानसून इस तरफ नहीं है। आज भी पानी कहीं से खरीदना नहीं पड़ता, यह बात सच है लेकिन जो पानी बह कर जाता है उस पानी को सिर्फ योजना बद्ध तरीके से उस इलाके में लेजाकर छोड़ना चाहिये जहां पर सूखा पड़ता है। उस इलाके को पानी मिलने की बात समय समय पर कही गई है। जहां पर पानी बहुतायत में है, जहां बाढ़ आती है, उस बाढ़ से वह इलाका बच जाय और जब बाढ़ का तालाब और उसके लिए सहायता उस इलाके में जहां पानी नहीं बरसे, सूखे से बचाने के लिए, मैंने पहले भी कहा है और मन्त्री महोदय इसका जवाब देंगे। अजमेर की जल समस्या कई वर्षों से है और हर साल कुछ न कुछ भाग अकाल की चपेट में रहा है। सरकार को लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा है। अगर चम्बल का पानी अजमेर जिले की तरफ ले जाया जाय तो जितना पैसा अकाल पड़ने पर लोगों को राहत देने में खर्च होता है। कुछ ही लाखों के खर्चे से इस पानी को लाया जा सकता है और वह इलाका हमेशा हमेशा के लिये आसमान की तरफ देखा करता है, उसको पानी मिल जायेगा जहां फसल पानी के अभाव में सूखती है। उस पानी को अजमेर जिले में दे दिया जाय तो सूखे से बचाया जा सकता है। आज बहने वाली नदियाँ जगह-जगह रोक दी गई हैं जिस इलाके को पानी पहुंचाया गया, गंगानगर के इलाके में मैंने देखा है जहाँ रेतीला इलाका था, राजस्थान नहर और गंगानगर इलाके में गंगनहर आने के बाद जहां पर रेत

(श्री नूरा)

की बहुतायत थी उससे कई गुना ज्यादा पानी हो गया है। राजस्थान में खेतिहर इलाका होने से ज्यादातर लोग खेती करते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। पहले लोग छोटे छोटे कुए बनाकर खेतों की सिंचाई किया करते थे लेकिन जब पानी धोखा दे जाता है तो हालत खराब हो जाती है। ऐसी हालत में नदियाँ तबाही मचाती हैं, उन इलाकों से पानी उस तरफ ले जाना चाहिये जो सूखे इलाके हैं।

जहाँ तक राजस्थान नहर का सवाल है, यह नहर जब शुरू की गई थी तब बाहर के देश हमारे देश के लिए सोचते थे कि इतनी बड़ी योजना को ये कैसे पूरा कर लेंगे, ये मखौल उड़ाते थे लेकिन हिम्मत करके हमने इस योजना को किस हद तक पूरा किया है लेकिन राजस्थान नहर के काम को जिस धीमी गति से चला रहे हैं उसको तेजी से लिया जाना चाहिए और जल्दी पूरा करना चाहिए। भले ही हमें किसी और योजना में कटौती करनी पड़े, इसमें पैसा लगाना पड़े लेकिन यह राज्य की सबसे बड़ी योजना है, इसको पूरा करने के लिए ज्यादा ध्यान लगायें ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

और पूरा करना चाहिए ताकि हमें संतोष हो जाए कि हमने एक योजना पूरी कर ली।

राजस्थान में पानी की कमी है। मैं कहता हूं सिंचाई के लिए अगर पानी नदियों से लिया जाए तो उसके साथ साथ दो बातें पूरी हो जाएंगी, पीने के लिए पानी मिलेगा और सिंचाई के लिए भी। दुनियां में ऐसे देश हैं जहां पर इन नदियों से पानी पहाड़ों पर ले जाकर पहाड़ी क्षेत्र को हरा भरा किया है। खास तौर से सोवियत संघ ने भी पहाड़ों पर लिफ्ट से पहाड़ों को हरा भरा कर दिया। हम भी इस काम को पूरा करें। हम नदियों का पानी लेकर छोड़ दें तो हम इस अकाल से जो राजस्थान के भाग में लिखा है, उसका हमेशा के लिए खात्मा हो जाये।

मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर से अजमेर जिले के लिए आप उत्तर में बतायें, चम्बल का पानी लाने के लिए सरकार की क्या योजना है। वह अजमेर जिले को मिलना चाहिए। उसके साथ साथ और कोई दूसरी योजना नहीं है कि वहां हमेशा पड़ने वाले अकाल की पूर्ति कर सके, तो इस बारे में आप जरूर विचार करें आप हिम्मत करके इसमें हाथ डालें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मावजी भाई।

श्री मावजी भाई (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष जी, हमारी जयसमन्द झील राजा महाराजाओं के समय से बनी हुई है जिसका पानी काफी बेकार जाता है। हजारों बीघा जमीन बेकार बिगड़ गई है जिसको देखने वाला कोई नहीं है और उदयपुर डिवीजन के कामों को देखने

(श्री मावजी भाई)

के लिए अफसर रखे हुए है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरा क्या होता है? जो ठेके दिए जाते हैं वे पूंजीपतियों को दिए जाते हैं, आदिवासियों या गरीबों को नहीं मिलते हैं, मछली का ठेका भी पूंजीपतियों को मिलता है। अगर जनता सरकार कुछ करके नहीं दिखाएगी तो जनता आपको उठाकर फेंक देगी। कांग्रेस ने बेईमानी की जंगल के जंगल बेचकर खा गए। लेकिन वह खुद खतम हो गई। मैं जनता पार्टी से कहता हूं कि ईमानदारी से काम करो तो अच्छा है नहीं तो ये मंत्री जो मोटरों पर झंडा लगाकर घूमते फिरते हैं, उनको जनता हटा देगी। आप कान खोलकर सुनिये, मंत्रियों को सुनना चाहिए। मन्त्री सुनवाई नहीं करते। हम भी एक लाख जनता के प्रतिनिधि हैं। हम उनकी सुनवाई करें वर्ना हमको इधर से उधर पलट सकते हैं। हमारे यहां 5-5, 10-10 बीघा की जमीन लोगों के पास है, वहां पर 5 बीघा के अलावा जमीन नहीं है, वह मगरे की जमीन है। मुश्किल से लोग खेती करते हैं। जंगल तो पहले ही कांग्रेस वाले खा गए और हम आदिवासियों को परेशानी में डाल कर छोड़ गये। लेकिन मगरे के क्षेत्र की जमीन का ध्यान रखा जाए। नहीं तो जैसे कांग्रेस वाले बदल गए उसी तरह आपका भी पाटिया गोल है। जयसमन्द की नहरें पक्की की जावें तथा उसकी भूमि को सुधारा जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री सूरजपाल सिंह : हमारे दल का नाम

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अगर उसी आधार पर चल रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर दूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : तीन आदमी यहां से बोलें, एक वहां से।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यहाँ हां और नाँ पक्ष के अलावा एक और पक्ष भी है।

श्री सूरजपाल सिंह : हमारे दल को भी समय दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर समय का विभाजन देखा जाए तो मैंने विरोधी पक्ष को ज्यादा समय दिया है।

(व्यवधान)

कृपया बिराजिए। श्री नाथूराम।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने सभी दलों को समय दिया, बाकी मेरे दल का क्या होगा?

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में कडाना और माही

(श्री नाथूराम बागीदोरा)

की समस्या आदिवासियों के लिए भयंकर है। वहाँ पुनर्वास की समस्या पिछली सरकार के समय से चल रही है लेकिन बाँसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासियों की पुनर्वास की समस्या यह सरकार हल नहीं कर सकी। इस विषय में पिछले समय मैंने निवेदन किया था। गुजरात सरकार 419 फीट ऊंचाई कडाना बाँध की रखना चाहती है। आदिवासियों की जमीन, जो सोना उगलने वाली है, में पानी भर जाएगा। उनकी पुनर्वास की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आबादी की समस्या हल नहीं हो रही है। पिछली सरकार तो कमजोर साबित हुई लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में आदिवासियों के उत्थान की बातें कही हैं, कम से कम उनकी भलाई के लिए उनके पुनर्वास की समस्या को पूरा करना चाहिये। इस साल पानी पड़ेगा। कई आदिवासियों को जमीन के बदले जमीन नहीं मिली। सड़कों पर मिट्टी डाल रखी है लेकिन सड़क पूरी नहीं हुई। तो कडाना व माही की जो पुनर्वास की समस्या है उसको हल करना चाहिए।

माही बजाज सागर की बड़ी परियोजना है। मैं सिंचाई मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि 22 साल में जो इस माही बजाज सागर पर खर्चा हुआ उसका सरकार मूल्यांकन करें कि कितना प्रशासन पर खर्चा हुआ, कितना आबादी पर हुआ? सरकार मूल्यांकन करे तब पता लगेगा कि धन का कितना दुरुपयोग हुआ। पिछले सालों में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। माही को 22 साल हो गए फिर भी योजना पर काम शुरू नहीं हुआ इसलिए योजना पर काम शुरू हो, माही परियोजना को पूरा करना चाहिए। माही में आने वाले गांवों के निवासियों के पुनर्वास की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि माही परियोजना में हजारों एकड़ वन विभाग की सम्पत्ति को नष्ट किया गया। आदिवासियों की सोना उगलने वाली जमीन को नष्ट किया और रिटर्न में कुछ नहीं मिला इसलिए समस्या अधूरी है इसका हल करना चाहिए।

इसी तरह से इरिगेशन विभाग से जो तालाब बने, जो बांध बने हैं किसानों के साथ सरकार ने अन्याय किया है। 1973 की बाढ़ से तालाब और बांध नष्ट हुए हैं, नहरें नष्ट हुई हैं और किसानों के खेत पानी से भरे रहते हैं, किसान को फसल नहीं मिलती है और रेवेन्यू अदा करते हैं इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि जो इरिगेशन में बांध, तालाब और नहर नष्ट हुई हैं, नहरों ने सीपेज हो रहा है तो सरकार को धन देकर जो किसानों को नुकसान हुआ है उसको बचाना चाहिए। इसी तरह से लिफ्ट योजना राजस्थान कैनाल की और डूंगरपुर, बाँसवाड़ा के जो छोटे-छोटे तालाब हैं दोनों की रेट कम है। सारे किसानों के साथ अन्याय है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि लिफ्ट की जो रेटस् बढ़ाई हैं राजस्थान कैनाल की रेट अलग होनी चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की छोटी-छोटी लिफ्ट योजनायें हैं। तालाब के पानी की

(182)

(श्री नाथूराम बागीदोरा)

जो रेट है उसकी भी वहीं रेट होनी चाहिए। यही निवेदन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आदिवासी क्षेत्र में कडाना का पानी भरेगा और पानी ऊंचा आवेगा तो इसका फायदा गुजरात सरकार उठायेगी। माही का पानी और कडाना का पानी है 81 प्रतिशत गुजरात फायदा उठायगा। और राजस्थान को केवल 19 प्रतिशत ही लाभ मिलेगा। जितना राजस्थान सरकार गुजरात से पैसा ले रही है वह पैसा वापस देना पड़ेगा। इसलिये आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि राजस्थान में माही से और कडाना से जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस नुकसान को राजस्थान सरकार को पूरा करना चाहिये........

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री नाथूराम : अभी दो मिनट में समाप्त करता हूं। इसी तरह से कडाना पुनर्वास में भारत सरकार ने सर्वे की। कई गांव ऐसे रह गये हैं कि जिनके चारों तरफ पानी भर जाता है और बीच में टापू के समान गाँव हो जाते हैं। गांवों को न पुनर्वास का पैसा मिला और न मुआवजा मिला। तो मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रकृति का प्रकोप है कि वह गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राजस्थान सरकार को इसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिये। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरजपालसिंह कृपया तीन चार मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जो कटौती प्रस्ताव सिंचाई विभाग के बारे में दिये हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो जोधपुर संभाग के लिए पैसा दिया है वह बहुत कम है। जोधपुर डिवीजन से तो मेरे ख्याल से सिंचाई मन्त्री को एलर्जी सी हो गई है। जब वह पहले शिक्षा मन्त्री थे तो मेरे क्षेत्र में कोई प्राईमरी स्कूल नहीं खोली और सिंचाई मन्त्री हैं तब भी इन्होंने मेरे इलाके के अन्दर जितने भी टूटे हुए बांध पड़े हैं जिनके ऊपर कम से कम 30-40 लाख रुपया खर्चा हो रखा है। जिनकी सूची में बता सकता हूं लेकिन समय नहीं है, 73 के फ्लड में टूट गये थे बाद में इन कामों को शुरू नहीं कराया।

दूसरी बात मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहूंगा। जैसे किसी एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का ट्रान्सफर होता है तो उसी समय जैसे ठेकेदार का भी ट्रान्सफर हो जाता है। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का तो आप सरकारी आदेशों से ट्रान्सफर करते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर अपने आदेशों से ठेकेदार का एक तरह से ट्रान्सफर करता है। जितना नुकसान होता है वह ठेकेदारों और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की मिलीभगत से होता है। आप रेकार्ड उठा कर देख लीजिए हमारे, जालोर डिस्ट्रिक्ट

(श्रीसूरजपालसिंह)

में जितने भी एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर गये हैं हर साल उनका बजट लैप्स हुआ है और जो उपयोगिता के काम हैं उनको वह नहीं लेते। उन्होंने भीनमाल के आस पास और उसके इर्द-गिर्द ही छोटे-छोटे बांध बना दिये गये जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मेरे क्षेत्र में पांच नदियां हैं बांडी, सूकड़ी, जवाई और लूनी आदि और मेरे ही क्षेत्र में एक लाख बीघा भूमि कटाव में आ चुकी है उसके लिए मैं हमेशा आपका ध्यान आकर्षित करता रहा हूं लेकिन आपके जूं रेंगने वाली नहीं है क्योंकि आपको हमारे क्षेत्र से एलर्जी है। विरोधी पक्ष से हम जरूर हो सकते हैं लेकिन वहां भी राजस्थान की जनता है। यदि आप जनता के हकों की उपेक्षा करेंगे तो ज्यादा दिन आप इस कुर्सी पर रहने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जालोर जिला जो कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है, पांच नदियां बहती हैं और एक लाख बीघा भूमि कटाव के अन्दर आई हुई है वहाँ तीन गांव ऐसे हैं तूमड़िया, पामेरा और बाली जिनकी विलेज प्रोटेक्शन की स्कीम नहीं बनाई तो वह बह जायेंगे। इसमें कोई शक किसी तरह का नहीं है। तो विलेज प्रोटेक्शन की स्कीम को आप देखिये। जो बांध टूटे पड़े हैं फ्लड के बाद में तो उनको आप ठीक करिये।

मैं उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा का ज्यादा उल्लंघन नहीं करना चाहता क्योंकि थोड़ा सा समय दिया इसके लिए धन्यवाद देते हुए सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में आप देखिये और अगर इसकी उपेक्षा करते रहेंगे तो एक लाख बीघा जमीन है, जिसके लिए राजस्व मन्त्री जी से मैंने प्रश्न किया था आपने उसको माना है कि 20 हजार बीघा ही जमीन है जो कि खोटे आंकड़े हैं और जितने भी प्रश्नों के हमें उत्तर मिलते हैं वह गलत होते हैं आपने 20 हजार माना है जब कि हमारे जिले के माननीय सदस्य बताते हैं कि एक लाख बीघा जमीन कटाव में आई है। अगर राज्य ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो नुकसान हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान कमाण्ड एरिया के बारे में जो समस्या है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सिरोही जिले के अन्दर डोगरा बांध है उसके अन्दर चार गांव सिपेड़ी, बावरा, पामेरा और मालागांव इनमें बैटरमेन्ट लेवी की समस्या खड़ी हो गयी। मैं आपसे इस विषय में मिला था अनुरोध किया था और आपने आदेश भी दिये थे लेकिन उस जगह रुके तो हो गया लेकिन कलेक्टर और राजस्व प्रशासन है। वह यह कहता है कि जब तक सरकार घोषणा नहीं करती या सरकार हमारे पास आदेश नहीं दे तब तक 150 रुपया बीघा की डिमाण्ड है इसको कम नही करेंगे। इसलिए 150 रुपये बैटर-मेन्ट लेवी का है आप जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल करें। पामेरा गांव है जिसके लिए सिरोही से आने वाले माननीय

(184)

(श्री माधोसिंह)

सदस्य ने भी कहा उसकी दो हजार बीघा जमीन कमाण्ड में आती है और जो 15-16 साल हो गए बांध को बने हुए, वह दो हजार बीघा है और जो 11 हजार बीघा जमीन रह गयी है उसको भी कमाण्ड एरिया में मानने से कई प्रकार की समस्यायें खड़ी हो गयी हैं। वहां पर रेबारियों के 40 परिवारों के घर हैं लेकिन एस० डी० एम० ने उन सब के खिलाफ फैसला दे दिया और बेदखल करने के आदेश दे दिये गये जबकि 75-76 में सरकार के आदेश हैं कि सब गांवों की समस्या भूमि की आबादी, वह तो राजस्व अभियान के अन्दर निपटानी थी वह निपटा ली लेकिन इन 40 परिवारों का आज तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस को कमाण्ड एरिया में से हटा देंगे तो यह समस्या अपने आप हल हो जायेगी। इसलिए आप इसकी घोषणा कीजिए।

दूसरी जो बातें सब माननीय सदस्यों ने कही हैं जोधपुर संभाग को छोड़ दें, सिरोही के अन्दर कोई पैसा खर्च किया होगा तो मुझे मालूम नहीं। आबू पर्वत राजस्थान में एक अच्छा स्थान है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अच्छी जमीन है। मैं अनुरोध करूंगा कि केवल 6-7 जिलों में ही पैसा मत खर्च करिये, उधर भी कुछ पैसा लगाइये।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मन्त्री जी। आप अपना उत्तर 20 मिनट में समाप्त कर देंगे...

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण। माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय का उत्तर सुनें।

आप माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के हैं, आपको तो मांगें पारित करवाने में सहयोग देना चाहिये। खेद के साथ कहना चाहता हूं आप सहयोग नहीं दे रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, सारे माननीय विधायकों को जिन्होंने जहाँ एक ओर अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा सिंचाई विभाग का ध्यान आकर्षित किया है, उन सारे सुझावों के उनके मार्गदर्शन के आधार पर राजस्थान की भूमि में एक-एक बूंद पानी का उपयोग सिंचाई विभाग निश्चित रूप से करेगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भूमि के क्षेत्रफल की दृष्टि से हिन्दुस्तान में दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है। पोटेन्शियल एरिया 11 प्रतिशत इस प्रकार का क्षेत्रफल राजस्थान का है वहाँ केवल एक प्रतिशत सारे भारतवर्ष का है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में राज-

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

स्थान के क्षेत्र में सब ओर पानी पहुंचाना उसके लिए जो मार्गदर्शन माननीय विधायक महोदयों का मिला, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ कहना चाहता हूं, न केवल पानी का उपयोग हम करेंगे, इस बात के पहले भी प्रयत्न हुए हैं और अभी भी हमने किये हैं कि हिन्दुस्तान की शेष नदियों के जिनके बेस पर हम स्थित हैं उसके पानी को राजस्थान में लाने की कोशिश की जाये। भाखरा से 9.2 लाख क्यूसेक्स पानी राजस्थान को प्राप्त होता है। गंग केनाल से 7.5 लाख एकड़ की सिंचाई इस दृष्टि से कर रहे हैं। रावी, व्यास से 80 लाख क्यूसेक्स पानी राजस्थान नहर परियोजना के द्वारा लाने का प्रयास किया जा रहा है।

अभी माननीय रामनारायण जी चौधरी कह रहे थे गंगा जमुना का पानी राजस्थान में लाने की दृष्टि से कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जब से जनता सरकार आई है तब से इस सम्बन्ध में लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। गंगा-जमुना से पानी हमको मिलेगा। जितना भी पानी मिलेगा राजस्थान के अरावली के उत्तर पश्चिम के सारे क्षेत्र उससे लाभान्वित करेंगे। दूसरी ओर चूरू, अलवर और भरतपुर में भी सिंचाई हो सकेगी। यह बात सच है कि गंगा-जमुना का पानी अभी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, लगातार बात-चीत हो रही है और हिम्मत बन रही है। एक साल की मीटिंग्स के बाद एक दो साल में कुछ न कुछ पानी गंगा-जमुना का निश्चित रूप से हमें मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि नर्मदा के अवार्ड को कार्यान्वित कराने के लिये 30 साल में आपने क्या किया? जनता पार्टी की सरकार जब से केन्द्र में आई है···

(व्यवधान)

ऐसी हालत है बराबर जहां 5 लाख फी एकड़ पानी प्राप्त होगा। यह बात सच है कि 300 मील तक पानी हमको लाना होगा, उसमें जितना समय लगना होगा, लगेगा, लेकिन बाड़मेर और जालौर क्षेत्र निश्चित रूप से सिंचित होगा। इसके लिए सामने बैठने वाले विधायकों को जनता पार्टी को, हमने आपके उलझे हुए मामले में निर्णय करवा दिया है, धन्यवाद देना चाहिये था····

(व्यवधान)

मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 75–76 में और 76–77 में कांग्रेस सरकार थी केवल 3 हजार एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई हुई। 77–78 में जनता सरकार आई तब 19 हजार एकड़ में अतिरिक्त सिंचाई हुई। 1978–79 में यह एक लाख 58 हजार एकड़ में होगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं····

(186)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(व्यवधान)

पहले पूरी बात कहने दीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह चौपड़ नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया इन्ट्रप्शन न करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शांति से सारी बात कहने दें।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मन्त्री की तरह भाषण दो। यह चौपड़ नहीं है....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अगर मन्त्री महोदय का उत्तर सुनने का साहस नहीं कर सकते हैं, कृपया डिस्टर्ब न करें। कृपया आप बिराज जायें....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं–यह पहला वर्ष है जिस वर्ष में एक ओर 53 वर्क्स की....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सूरजपाल सिंह जी, माननीय रामनारायण जी, माननीय सदस्य कृपया बिराजें....

(व्यवधान)

अगर आप मन्त्री महोदय का उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो माननीय सदस्य आपकी नीतियों से यही आभास हो सकता है कि आप उनके उत्तर को सुनने का साहस नहीं कर सकते हैं।

आप सत्ता पक्ष में रह चुके हैं और इस तरह व्यवधान करना आपको शोभा नहीं देता है। कृपया बिराजें।

श्री सूरजपाल सिंह : कौन-कौन से केनाल में क्या-क्या किया है, यह तो बताते नहीं....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : खेत सिंह जी भी तो बैठे हैं शान्ति से।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो इतना ही चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय जो जवाब दें वह संयम से दें। ये कोई आर०

(श्री खेतसिंह राठौड़)

एम० एम० की रैली में भाषण नहीं कर रहे हैं। ये विधान सभा में भाषण कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय मन्त्री जी तो संयम से उत्तर दे सकते हैं लेकिन अपने में क्षमता नहीं है सुनने की।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा यह पहला वर्ष है···

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड : बोलने दें।

श्री रघुनाथ सिंह विश्नोई : आपने रेफरेन्स किया था 53 वर्क्स का, उसका क्या हुआ ?

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ये सबसे पुराने सदस्य हैं और सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। कोई नया सदस्य हो तो कोई बात नहीं है।

आप योग्य होकर भी गड़बड़ी करते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ये तो आपको समझा रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : हमको क्या समझायेंगे ?

(व्यवधान)

आप शान्ति से सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें मेहरबानी करके। माननीय जयकृष्ण जी आप अपने आपको वरिष्ठ सदस्य मानते हैं और यह सही भी है लेकिन क्या इस तरह बीच-बीच में इंट्रप्शन करना आपको शोभा देता है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात न करें। मैं तो बैठ जाता हूं लेकिन माननीय मन्त्री महोदय सदन को गलत सूचना देते हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मन्त्री जी के बोलने के बाद पूछ सकते हैं। बीच में नहीं बोल सकते हैं, यह कोई नियम नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : On a point of order····

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं। यह पहला वर्ष है जब 53 टैन्क्स पहली बार राजस्थान में कम्पलीट हुये हैं। इसमें तीन मध्यम योजना के हैं, 50 लघु

(188)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

योजना के हैं। उसी प्रकार मैं आधुनिकरण के सिलसिले में जिक्र करूंगा 20 इस प्रकार के टैन्क्स थे जिन पर आधुनिकरण के लिये दो करोड़ रुपयों का प्रावधान कराया गया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मन्त्री महोदय का उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं उनसे कह सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : We want a blue print of what is this modernisation.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आधुनिकरण के विषय में दो करोड़ रुपये जो 20 योजनाओं पर खर्च किये गये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी योजना यह है कि जितना रुपया जिस वर्ष में खर्च किया जायगा उसका रिटर्न और प्रोफिट उसी वर्ष में आयेगा। बान्धों को ऊंचा करना, नहरों की लाईनिंग करना इस प्रकार की और कई तकनीकी बातों को करना। जो टैंक्स हमें उपलब्ध हैं, मैं जानकारी देना चाहता हूं नये टैंक में चार हजार का खर्चा आता है और माडर्नाईजेशन में जो सारा व्यय करते हैं उसमें दो करोड़ रुपये से लेकर तीन करोड़ रुपये तक आता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 10 मिनट रह गये हैं, मेरा प्रश्न चम्बल के....

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न चम्बल के....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कालोनाइजेशन मंत्री भी बोलेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : और आपकी जानकारी के लिये आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि पंचम पंचवर्षीय योजना के चार सालों में 176 करोड़ का प्रावधान किया था इस छठी योजना के दो सालों में हमने 136 करोड़ का प्रावधान किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर परियोजना की दृष्टि से तो प्रोफेसर साहब बतायेंगे। 1200 करोड़ एक वर्ष में खर्च होता था वहां अब 25 से 30 करोड़ खर्च हो रहे हैं और पिछले दो वर्ष में 83 हजार हैक्टेयर भूमि में इसका इरिगेशन पोन्टेन्शियल रहा है।

माही और बजाज सागर योजनाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी हाल ही में 13-2-79 को दिल्ली में माही नियंत्रण मण्डल की 10 वीं बैठक में गुजरात के साथ समझौता हुआ जिसके अनुसार 9-25 करोड़ रुपया मुआवजा व पुनर्वास कार्यों के लिये

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

निर्धारित किया गया है जिसमें 9.00 रुपया राजस्थान का होगा और 40·00 रुपया गुजरात का होगा अर्थात् राजस्थान व गुजरात 9:40 के अनुपात में वहन करेंगे। यह फैसला नहीं हो पा रहा था किन्तु हमने प्रयत्नों से इसको भी पूरा करवा दिया है। इसी प्रकार नर्बदा के अवार्ड में भी जो वर्षों से नहीं हो रहा था वह जनता सरकार अवार्ड ले आई है। माही व बजाज सागर परियोजनाओं के विस्थापितों को भूमि का मुआवजा व उनके बसाने की व्यवस्था पर भी हम सक्रियता से विचार कर रहे हैं। यद्यपि समय बहुत कम है इसलिये मैं कहना चाहता हूं और माननीय सदस्य चम्बल के लिये चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं उसमें 3.2 मिलियन एकड़ की सारी योजना बनाई गई है। मैं कहना चाहता हूं सन् 61 से 71 तक चम्बल नदी के क्षेत्र में जितना पानी आया है उसके अध्ययन से पता चला है कि इससे लगभग 4 मिलियन एकड़ फीट वार्षिक पानी का उपयोग किया जा सकता है इसमें अभी पाइंट 8 बेकार जाता है तो साढ़े तीन सौ रुपये से लेकर एक हजार रुपयों में प्रति एकड़ में इतनी योजना बनती है तो क्या उनको छोड़ा जायेगा ? मैं नहीं समझता हूं पिछली सरकार ने क्या किया जिससे यह स्थिति भी नहीं ला सकी और अब हमने वे योजनायें भी बनाई हैं।

हमको यह भी लगा कि कोटा बैराज की कम कैपेसिटी थी और कोटा बैराज के नीचे चम्बल नदी में पानी निकालना पड़ता है जिसको सिंचाई हेतु कोई उपयोग नहीं होता था इसलिये अब ऊंचाई का प्रावधान किया जा रहा है। 2.5 लाख क्षेत्रफल जिसका कि सर्वे नहीं किया गया था और जहां पानी लिफ्ट से पहुंचाया जा सकता था अब हमने 11 करोड़ की योजना बनाई है जिसमें एक लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था होगी। इतनी सस्ती योजनायें थीं जिनको पहले भी की जा सकती थी लेकिन अब हमने उन सबको हाथ में लिया है और हमें प्लानिंग कमीशन ने उसकी स्वीकृति दे दी है। और 12 योजनाये इस प्रकार शुरू हो गई हैं इसमें तीन योजनायें शुरू हो गई हैं जिससे 6200 एकड़ क्षेत्रफल सिंचित होगा। आप चार-आठ फुट तक के लिए पानी बहा दें, किसान पानी उठा सकता है और अपने खेतों की सिंचाई कर सकता है। ऐसी 36 योजनाएं चालू की गई थीं जिनमें से 24 योजनाएं पूरी हो गई हैं और शेष योजनायें भी शीघ्र ही पूरी हो जायेंगी जिसमें साढ़े तीन सौ से एक हजार रुपये लगा कर काम चला सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मारवाड़ में भी ले जाओ।

(व्यवधान)

अब बिराज जाओ, दस मिनट रह गए हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जाखम की एक बहुत बड़ी योजना है जिस पर इसी साल में 270 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं और अगले साल

१९०

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

के अन्दर तीन सौ लाख रुपयों की योजना है जिससे इन दोनों परियोजनाओं पर, जाखम और गुड़गांवा योजना पर कार्य तीव्र गति से हो रहा है। इस जाखम परियोजना का लाभ बनवासी क्षेत्रों को जल्दी ही मिल सकेगा जिससे जिनकी खेती प्यासी है उनकी प्यास बुझ सकेगी और पूरा लाभ उनको मिल सकेगा। गुडगांवा योजना में भी जून, 70 में मिट्टी की खुदवाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा जिससे हमें उम्मीद है कि इसी साल में हम पानी उपलब्ध कराने की स्थिति में हो जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्यम सिंचाई योजनाओं के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में लगभग दस परियोजनाओं पर तीव्रगति से कार्य किया जा रहा है। अभी तक किए गए कार्य से गोपाल पुरा और जैतपुरा आदि परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है और 4 जून, 1979 तक डाया, झाडोल और लसाडिया योजनायें पूर्ण हो जायेगी और इसी बरसात के अन्दर डाया, झाडोल और लसाडियां योजनाओं से चार हजार अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी। इसी तरह से मेजा फीडर, भीम-सागर, हरिश्चन्द्र सागर, पोचना, सोम-कमला-अम्बा, सोम-कागदर एवं वागन परा-वर्तन योजनायें ऐसी हैं जिनके ऊपर पिछली सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। राज-नैतिक आधार पर भेद-भाव के कारण इन पर ध्यान नहीं दिया गया लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोम-कागदर और वागन योजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है और इनके पूर्ण होने पर 40,000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधायें का विकास हो जायेगा।

मांडक योजना के बारे में अभी बताया गया और कपासन से आने वाली माननीय सदस्या भोपाल सागर के बारे में कह रही थीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भोपालसागर के बारे में छानबीन कर रहे हैं और भोपालसागर के बारे में इसी वर्ष फैसला कर देंगे। मांडक योजना के विषय में सर्वे चल रहा है और मैं आपसे जनरल तौर पर निवेदन करना चाहता हूं, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं और सिरोही से भी आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं और सिरोही से भी आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी स्कीम बनाई जायेगी, मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि कोई भी स्कीम बिना सर्वे के नहीं बनाई जाएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह जनता सरकार की उपलब्धि है कि पिछले 5-7 सालों के बाद प्रथम बार नवीन योज-नाओं को हाथ में लिया है तथा 67 नए कार्य जो इस वर्ष चालू किये गये हैं। जो 81 कार्य पिछले चल रहे थे उनमें से 50 कार्य तो पिछले साल ही पूर्ण कर लिए गये थे और इस साल 12 कार्य और पूर्ण कर लिये जायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छः जिले ऐसे है जिनमें लघु सिंचाई योजना से दस हजार एकड़ में पानी उपलब्ध होगा और इसी साल उसमें से छः हजार एकड़ भूमि में इन पांच जिलों में पानी मिलने लगेगा। इसलिए यह आरोप गलत है कि हम मुगालते

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

में रहे, हम भूल में रहे हैं, बल्कि हमने कार्य किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री खेतसिंह राठौड़ : घन्टी बज गई, बैठ जाओ। केदार साहब को सुनना चाहते हैं अब।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गंगानगर और भाखरा के सम्बन्ध में बात की जाती है और पहले भी राजस्थान कनाल के बारे में विचार किये गए हैं। मैं आपको नोहर एवं सिद्धमुख परियोजनाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह निर्णय लिया है कि गंगा नहर एवं भाखरा क्षेत्र में वाटर अलाउंस को 2.4 क्यूसेक्स प्रति हजार एकड़ से बढ़ाकर 3 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ कर दिया जावे। इसके लिये हमने योजना बनाकर योजना आयोग के पास भेज दी है और जिस दिन वहां से मंजूरी आ जायेगी, केन्द्रीय जल वितरण आयोग से मंजूरी आ जायेगी उसी दिन काम प्रारम्भ हो जावेगा।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, माननीय बहादुरसिंह जी ने कहा कि हरियाणा को पैसा मत दो, पानी के लिए हरियाणा को मजबूर करो। मैं निवेदन करता हूं कि जिस दिन हरियाणा को पैसा देने की बात कही जाएगी हम पैसा दे देंगे और कह देंगे कि वह अपनी नहर की कैपेसिटी बढ़ायें ताकि पानी उपलब्ध करा सकें।

श्री नूरा : मैंने आपसे अजमेर जिले के लिए कहा था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मन्त्रीजी, बहुत हो गया, अब विराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बाढ़ की दृष्टि से भी सरकार ने क्या किया है इस बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। जहूर साहब ने भी कहा था, आपको पता है कि इस वर्ष 70 हजार एकड में पानी भरा हुआ था और हमेशा भरा रहता था लेकिन यह जनता पार्टी की सरकार का ही कार्य है कि इस वर्ष जो 27 हजार एकड़ में पानी रह गया था वह सारा का सारा पानी बाहर निकाल दिया गया और एक एक इंच भूमि पर खेती हो सकी है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है....

श्री नत्थीसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि साबी नदी बांध के लिये जो योजना थी जिससे दिल्ली और हरियाणा से पानी आकर भरतपुर को नुकसान होता है उसके लिये क्या किया?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार : लिफ्ट इरिगेशन के बारे में बताइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मै बाढ़ की दृष्टि से कह रहा हू। मैं आपसे निवेदन कर रहा

192

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हूं कि करप्शन के बारे में कई बातें कही गई लेकिन कोई भी स्पेसिफिक केस बतायें तो सिंचाई विभाग के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा उसको कटघरे में लाकर खड़ा किया जायेगा। जनरल बातें कहने से कुछ नहीं होगा, स्पेसिफिक केस बताइये। इन्हीं शब्दों के साथ ... ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब तो पांच मिनट रह गए, इसमें भी बोल दो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो मांग संख्या 46 रखी गई है उसको पारित किया जावे।

श्री केदारनाथ (राजस्थान नहर मन्त्री): मान्यवर, जो आज तक इण्टर स्टेट एग्रीमेंट किए गये पानी के बारे में, मेरा यह चार्ज तो नहीं है कि पिछली सरकार ने इण्टर स्टेट एग्रीमेंट्स् में इस स्टेट के इन्ट्रेस्ट को वाच नहीं किया इसके इन्टरेस्ट पर ध्यान नहीं दिया लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं जब कभी इण्टर स्टेट एग्रीमेंट किये गये उस समय जो प्रिकोशन लेने चाहिए थीं वह नहीं ले पाए। आज जब भी मौका आता है तो जो कनेक्टेड इन्टर स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, वह मार्जिन आफ डाउट का फायदा उठाती है।

श्री मूलचन्द डागा : हुआ क्या ?

श्री केदारनाथ : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो इण्टरप्रिटेशन में बेनीफिट आफ डाउट का फायदा पंजाब और हरियाणा उठा जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिजीकल कण्ट्रोल के लिए एक्ट बनाया गया, भाखरा रेगुलेशन एक्ट ..

श्री मूलचन्द डागा : वहाँ तो हार गए।

श्री केदारनाथ : मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सुनिये। उस एक्ट के तहत पंजाब का फिजीकल कण्ट्रोल भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड को देखना चाहिये था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पर अवार्ड नहीं दे सके इसका कारण यही था कि पंजाब सरकार ने यह फैसला कर लिया कि व्यास और रावी के पानी के बारे में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको री-ओपन किया जावे। किन्तु मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर यह री-ओपन हो गया तो हमारी स्टेट को इण्टर स्टेट एग्रीमेंट में बहुत नुकसान पहुंचेगा। आपकी मार्फत में हाउस की भावना को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा कर रहा हूं कि हमारी सरकार कभी भी इस कदम को प्रोत्साहन नहीं देगी और व्यास और रावी का जो डिस्ट्रिब्यूशन किया है उसको री-ओपन नहीं करने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए।

मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान केनाल के फर्स्ट फेज के बारे में, इसके पेस आफ प्रोग्रेस के बारे में माननीय रामनारायण जी ने अटेक किया। मैं मानता हूं कि माननीय रामनारायण जी आपका टोन अग्रेसिव था और एज ए लीडर आफ दी अपोजिशन जैसा टोन होना चाहिए वैसा ही था। लेकिन साथ ही आपको कुछ सबस्टेंस, कुछ आधार भी देना चाहिये। जब जब आप अग्रेसिव टोन

(श्री केदार नाथ)

अजूम करें एज ए अपोजिशन लीडर तो उसके साथ में कांनटेट्स भी होना चाहिए उसके बराबर, ताकि जो बात आप कहें उसको पूरे फोर्स के साथ कह सकें। फिर भी मैं आपकी तारीफ करता हूं। आपने कहा कि आज वहां पर कोई प्रगति नहीं हो रही है, काम बिल्कुल ठप्प है। मान्यवर, राजस्थान केनाल योजना के लिए इस साल तीस करोड़ रुपयों का हमने एलोकेशन किया है और उसमें से 29 करोड़ रुपया हम खर्च कर देंगे और 35 किलोमीटर लाईनिंग करना था उसके अगेंस्ट में 30 किलोमीटर की लाईनिंग हम कर देंगे और जो पानी है सी. ए. सी. की लाइनिंग का वह 260 किलोमीटर करना था उसके अगेंस्ट में 230 किलोमीटर में कर देंगे। यह कमी भी जो रही है वह कोयले और सीमेंट की कमी के कारण रही है। यह नेशनल लेवल शार्टेज हैं, स्टेट लेवल नहीं है।

दूसरी बात यह है कि सैकिंड फेज को पूरा कर देंगे अगर एलोकेशन आफ फण्डस इसी प्रकार से रहा तो 85-86 तक सैकिंड फेज पूरा कर देंगे। जैसा कि हमने सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में 162 करोड़ का प्रोवीजन मांगा है, अगर हमको पूरा पैसा मिल गया तो सैकिंड फेज 85-86 तक कम्पलीट हो जाएगा, आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

मैं मानता हूं कि चिन्ता राजस्थान केनाल बोर्ड के बारे में होनी चाहिए, मैंने खुद आपके एक प्रश्न के उत्तर में घोषणा की थी इसका चेयरमैन फस्ट ग्रेड इंजीनियर्स में से बनाया जाय, आयन्दा इंजीनियर्स में से चेयरमैन बनायेंगे। आज तक इस तरह की प्रथा नहीं थी लेकिन उसकी नई शुरुआत करना चाहते हैं और इसलिये भी करना चाहते कि राजस्थान केनाल का काम बहुत बड़ा काम है, उसका इन्तजाम वहीं पर हो सकता है, उस पर लगातार विजिलेंस रहे, चेयरमैन को पता रहे कि सारे काम की प्रोग्रेस क्या है, सारे काम की देख रेख रख सकें। सारे इन्जीनियर्स के करप्शन की बात भी कही गई लेकिन मैं मानता हूं जो लैप्सेज और कमीशन्स एण्ड ओमीशन्स हैं, सारे ही एज ए क्लास ऐसे नहीं हैं फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी सब कुछ होते हुए भी बोर्ड का चेयरमैन इन्जीनियर्स में से होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं आपने कहा कि वहां पर काफी भ्रष्टाचार है, एज ए इन्जीनियर क्लास उसको मैं कर्डम नहीं करता। मुझे जोइन्ट कंसलटेटिव कौंसिल्स की मीटिंग में जाने का मौका मिला, मुझे हरियाणा और पंजाब के इन्जीनियर्स से मिलने का मौका मिला जहां तक सब्जेक्ट के ग्रेस्प का सवाल है, उनकी नोलेज का सवाल है। इन्जीनियरिंग साइन्स का सवाल है। और जहां तक इन्टीग्रिटी एण्ड परफोरमेंस का सवाल है, उसमें भी दूसरों से कम नहीं हैं। कुछ इन्जीनियर्स के बारे में शिकायत की गई, अगर कोई भी स्पेसिफिक कम्पलेन्ट आयेगी तो डेफिनेटली उसकी जांच की जाएगी और कल्प्रिट पाने पर एक्शन लिया जाएगा ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

(श्री केदार नाथ)

एक बात यहां पर लिफ्ट इरिगेशन के बारे में कही गयी। इसको री-एग्जामिन कर रहे हैं। जो मेरे कांग्रेस के दोस्तों ने कहा कि स्कीम को ड्राप कर दिया है. ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर राजस्थान की काया को बदलना है तो इस इलाके में केवल धंधा पशु पालन का है; वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करनी होगी। जब डेजर्ट बढ़ता है तो पशुओं का मूवमेन्ट बढ़ता है। ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम बढ़ती है

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

लिफ्ट स्कीम को हमको लेना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं। पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए कितना पैसा अकाल के अन्दर, कितना पैसा मवेशी को बचाने के लिए, कितना पैसा उस डेजर्ट के लिये खर्च किया जायेगा, तो इसको लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को ड्राप नहीं किया है। हम इसको री-एग्जामिन कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : स्कीम को ले रहे हैं।

श्री केदार नाथ : री-एग्जामिन कर रहे हैं।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आपने सर्वे डिवीजन तो तोड़ दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप घोषणा करिये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय चर्चा समाप्त करें।

मुख बन्दी का प्रयोग कर दिया गया है।

मांग संख्या 46 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 सिचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,46,05-39,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

शेष मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1, संसद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 64,86,-000 रुपये तक की राशि प्रदानकी जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2, मन्त्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,-

(श्री उपाध्यक्ष)

15,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3, सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,19,62,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4, जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,80,64,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5, प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31, मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 2,49,51,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,61,29,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7, निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 34,41000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9, वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, 9,05,13,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10, विविध सामान्य सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 6,36,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11, विविध सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,75,61,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12, अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,95,46000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14, बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,9881,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15, पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,22,98 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17, कारागार सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,08,26,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18, जन-सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 84,38,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 20, आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,03,91,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 22, क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24,12,86,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 23, श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 47,80,03,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 25, कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में लिए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,67,10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 27, पेय जल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,87,30,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 28, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,80,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध

198

(श्री उपाध्यक्ष)

में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,28,48,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30, जन जाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,68 81,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31, पुनर्वास एव सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,68,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग सं० 32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,58,9,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग सं० 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,83,70,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,20,44,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,17,89,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16;25,96,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,25,51,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग सं० 40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,87,45,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,88,23,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि माँग सं० 44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,90,97,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,67,55,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,25,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 62,77,01,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,15,72,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।]

विधायी कार्य : विधेयक का पुनःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1979

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1979 को पुनःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) 1979 को पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1979

श्री उपाध्यक्ष : महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1979 को पुनःस्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1979 को पुनःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र ; मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 28–3–79 म० पू० 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय 6–45 बजे बुधवार दिनांक 28 मार्च, 1979 के म० पू० 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(202)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न 594 की सूची)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-4) विभाग

प्रेषिति :

जिलाधीश,
जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली,
बीकानेर और चूरू ।

संख्या एफ 6(9) ज (ग्रुप-4)76 जयपुर, दिनांक 21-4-76

विषय : मरुस्थली जिलों में एक स्थित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन करने तथा मरुस्थली विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखने हेतु ।

महोदय,

मरुस्थली जिलों में स्थित भूमि की कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन न कर मरुस्थली विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के परिपत्र संख्या प. 3(16) राज (ग्रुप-3)73 दिनांक 20-9-75 के द्वारा वह निर्देश दिये गये थे कि सीलिंग कानून के तहत अवाप्त भूमि के नियमानुसार आवंटन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं माना जाये तथा राजकीय अनाधिकृत भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामलों का राज्य सरकार के आदेश परिपत्र के अनुसार नियमन किया जाये ।

राज्य सरकार ने मरुस्थली जिलों में स्थित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन न करने तथा मरुस्थली विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखे जाने के प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार कर यह निर्णय लिया है कि मरुस्थली जिलों में एक हेक्टेयर तक भूमि के टुकड़े के आवंटन के सिवाय अन्य किसी कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जाये ।

अतः निदेशानुसार लेख है कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली, बीकानेर तथा चूरू जिलों में एक हेक्टेयर के टुकड़े में स्थित भूमि के आवंटन के

सिवाय अन्य किसी कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जावे। ऐसे एक हेक्टेयर तक भूमि के टुकड़ों का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में उल्लेखित आवंटन हेतु निषेध क्षेत्र, आवंटन के लिए व्यक्तियों की योग्यता एवं प्राथमिकता तथा अन्य प्रावधानों को मदेनजर रखा जाकर उक्त नियमों के जमीन लिया जाये। एक हेक्टेयर से अधिक का सिवाय चूरू क्षेत्र मरुस्थली विकास के लिए आरक्षित रखा जाये।

भवदीय

हस्ता.

उप शासन सचिव

204

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENUE (Gr. IV.) DEPARTMENT

No,F.6(20)Rev/Gr./71 Jaipur, April 13, 1971

To,

ALL THE COLLECTORS

Sub :- Regularisation of Tress-pass Cases on Government unoccupied agricultural lands.

It has always been an endeavour of the Government to allot land to landless persons as speedily as possible. It was in this context that the Govt took liberal view of the encroachment on Govt. agricultural land by landless persons and issued instructions for regularisation of such cases of tress-pass committed upto 31st Dec., 1966 under the circumstances narrated in detail in this Deptt, Circular No. F. 3 (50) Rev/B '64 dt. 5-10-67. A provision was also inserted in the form of Rule 20 in the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Agricultural land for agricultural purposes) Rules, 70 enabling the Tahsildars to regularise such cases.

The question of such regularisation of trass-pass cases has been further reviewd by the Govt. and it has been decided that all encroachments made upto 1st Jan., 1971 by landless persons on Govt. agricultural land except in colony areas be regularised without payment of any penalty of premium provided that the total area of the land held by such persons in the State including land so regularised does not exceed 15 bighas and the land does not fall in any of the categories of lands which are not available for allotment under Raj. Land Revenue (Allotment of Land for agricultural purposes) Rules, 1970.

It has also been decided that the penalty and premium recovered for regularisation of such cases of tress-pass after 1st Jan.. 1966 from the landless persons would be adjusted toward the arrears as well as the future demand of land revenue of the tress passers of his successor in

making such adjustment, however, the land revenue due for the years such land remained in unlawful occupation of the tress-passer would also be adjusted.

I have, therefore, been directed to request you that cases pending with various Revenue Offices should be decided according to the instructions referred above. As far as the circumstances under which regularisation can be done, is concerned, reference is invited to this Department Circular No. F.3(50) Rev/B/64 dated 5th October, 1967 which will continue to govern the cases of regularisation.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged and the instructions contained in the Circular be explained to all subordinate Officers to avoid hardship to the cultivators.

Sd/-
Ganpat Rai,
Dy. Secretary to Govt.

206

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न सं० 595 की सूची)

पंचायत समिति का नाम	आवंटित की गई गेहूं की मात्रा (मैट्रिक टनों में)	पंचायत समिति का नाम	आवंटित की गई गेहूं की मात्रा (मैट्रिक टनों में)
1	2	1	2
जिला बीकानेर		8. पदमपुर	112.00
1. नोखा	1467.00	9. भादरा	155.00
2. लूनकरनसर	617.00	**जिला अलवर**	
3. कोलायत	667.00	1. किशनगढ़वास	645.00
4. बीकानेर	1027.00	2. कोटकासिम	170.00
जिला चूरू		3. राजगढ़	335.00
1. रतनगढ़	272.00	4. उमरैन	220.00
2. सरदारशहर	370.00	5. सिदरा	380.00
3. राजगढ़	1757.00	6. गोविन्दगढ़ (मु० लक्ष्मीगढ़)	650 00
4. तारानगर	430.00	7. कठूमर	625.00
5. चूरू	430.00	8. मुण्डावार	365.00
6. सुजानगढ़	370.00	9. रामगढ़	335.00
7. डूंगरपुर	240.00	10. रैणी	275.00
जिला गंगानगर		11. बहरोड	275.00
1. रायसिंहनगर	179.00	12. नीमराना	270.00
2. करनपुर	117.00	13. बांसूर	510.00
3. सादुलशहर	172.00	14. थानागाजी	520.00
4 गंगानगर	125.00		
5. हनुमानगढ़	252.00	**जिला भरतपुर**	
6. नोहर	242.00	1. डीग	460.00
7. सूरतगढ़	142.00	2. बसेंडी	343.00

1	2	1	2
3. नगरपहाड़ी (मु० नगर)	495.00	**7. जिला झुन्झुनू**	
4. कामां	115.00	1. झुन्झुनू	1645.00
5. राजाखेड़ा	325.00	2. अलसीसर	2015.00
6. धौलपुर	346.00	3. बुहाना	2500.00
7. बैर	495.00	4. खेतड़ी	1950.00
8. बयाना	455.00	5. उदमपुरवाटी	1950.00
9. रूपवास	398.00	6. नवलगढ़	975.00
10. बाड़ी	387.00	7. चिड़ावा	1675.00
11. नदबई	450.00	8. सूरजगढ़	2000.00
12. कुम्हेर	408.00		
13. सेवर	403.00	**8. जिला सीकर**	
		1. लक्ष्मणगढ़	825.00
जिला जयपुर		2. फतेहपुर	925.00
1. बस्सी	1070.00	3. पिपराली	1190.00
2. सांगानेर	750.08	4. दांतारामगढ़	1460.00
3. झोटवाड़ा	408.08	5. धोद (मु० सीकर)	1330.00
4. फागी	1340.00	6. श्री माधोपुर	1320.00
5. बांदीकुई	818.07	7. खण्डेला	1330.00
6. जोबनेर (मु० सांभर)	770.00	8. नीम का थाना	2350.00
7. दूदू	1279.00	**9. जिला सवाई माधोपुर**	
8. गोविन्दगढ़	1140.00	1. महुआ	758.00
9. आमेर	880.00	2. हिन्डौन	787.00
10. जमवारामगढ़	2130.00	3. गंगापुर	605.00
11. शाहपुरा	1210.00	4. करौली	761.00
12. बैराठ	1625.00	5. सपोटरा	886.00
13. सिकराय	1010.00	6 टोडाभीम	748.00
14. लालसोट	1520.00	7. सवाई माधोपुर	921 00
15. कोटपूतली	1360.00	8. खण्डार	766.00
16. दौसा	2159.02	9. बौंली	921.00
17. चाकसू	1268.05	10. नादौती (मु० बामनवास)	163.00

२०८

1	2	1	2
10. जिला टोंक		**14. जिला बूंदी**	
1. टोंक	302.07	1. तालेडा	1365.00
2. मालपुरा	281.04	2. हिन्डोर्ली	1680.00
3. निवाई	280.09	3. नैनवा	1920.00
4. देवली	639.06	4. केशोरायपाटन	1345.00
5. उनियारा (मु० खलीगढ़)	410.02		
6. टोडाभीमसिंह	281.06	**15. जिला बाड़मेर**	
		1. सिवाना	285.00
11. जिला जैसलमेर		2. शिव	145.00
1. साकड़ा (मु० पोकरण)	240.00	3. बालोतरा	375.00
2. जैसलमेर	240.00	4. चौहटन	235.00
3. सम (मु० जैसलमेर)	260.00	5. धोरीमना	105.00
		6. बाड़मेर	265.00
12. जिला अजमेर		7. बायतू	235.00
1. श्री नगर	1698.00	8. सिन्धरी	145 00
2. पिसांगन	3024.00		
3. जवाजा	5423.00	**16. जिला कोटा**	
4. मसूदा	3174.00	1. लाडपुरा	515.00
5. केकड़ी	2499.00	2. अन्ता	1390.00
6. भिनाय	2647.00	3. बांरा	590.00
7. किशनगढ़ (मु० सिलोरा)	1924.00	4. अटरू	1605.00
8. अराई	1474.00	5. शाहबाद	1190.00
13. जिला झालावाड़		6. चेचट (मु० खैराबाद)	305.00
1. झालरापाटन	783.00	7. स्पैगोद	985.00
2. खानपुर	908.00	8. सुल्तानपुर	1040.00
3. डग	949.00	9. इटावा	1140.00
4. पिडावा (मु० सुनैल)	798 00	10. छीपाबड़ौद	850.00
5. बकानी	816.00		
6. मनोहर थाना	834 00	11. छबड़ा	860.00

1	2	1	2
17. जिला जालौर		10. रियां	3300.00
1. आहोर	490.00	11. मेड़ता	11950.00
2. जालौर	305.00	**20. जिला पाली**	
3. सायला	240.00	1. बाली	1670.00
4. भीनमाल	295.00	2. सुमेरपुर	1120.00
5. रानीवाड़ा	195.00	3. खारची	1070.00
6. जसवन्तपुरा	250.00	4. देसूरी	870.00
7. सांचोर	195.00	5. रानीस्टेशन	870.00
18. जिला जोधपुर		6. जैतारण	870.00
1. ओसिया	1575.00	7. रायपुर	1650 00
2. बिलाड़ा	610.00	8. सोजत	1220.00
3. भोपालगढ़	1784.00	9. पाली	1620.00
4. मन्डौर	720.00	10. रोहट	1270.00
5. लूनी (मु० जोधपुर)	817.00	**21. जिला सिरोही**	
6. शेरगढ़	522.00	1. पिन्डवाड़ा	857.00
7. बालेसर	1517.00	2. सिरोही	882.00
8. फलौदी	573.00	3. शिवगंज	707.00
9. बाप	342.00	4. रेवदर	682.00
19. जिला नागौर		5. आबूरोड़	650.00
1. डीडवाना	4250.00	**22. जिला बांसवाड़ा**	
2. लाडनूं	3000.00	1. बढ़ी	1160.00
3. कुचामन	4250.00	2. कुशलगढ़	395.00
4. नागौर	4250.00	3. सज्जनगढ़	635.00
5. मुण्डवा	4500.00	4. बागीडोरा	810.00
6. जायल	4750.00	5. भूखिया (आनन्दपुरी)	400.00
7. मकराना	4750.00	6. घाटोल	770.00
8. परबतसर	5750.00	7. पीपलखूंट	300.00
9. डेगाना	3450.00	8. बांसवाड़ा (मु० तलवाड़ा)	600.00

1	2
23. जिला डूंगरपुर	
1. सागवाड़ा	407.00
2. सिमलवाड़ा	505.00
3. डूंगरपुर	384.00
4. बिछीवाड़ा	411.00
5. आसपुर	421.00
24. जिला भीलवाड़ा	
1. माण्डलगढ़	330.00
2. शाहपुरा	723.00
3. माण्डल	977.00
4. सुवाना	475.00
5. आसीन्द	1260.00
6. हुरड़ा	390.00
7. बनेड़ा	593.00
8. जहाजपुर	525.00
9. कोटड़ी	448.00
10. रायपुर	690.00
11. सहाड़ा	969.00
25. जिला चित्तौड़गढ़	
1. बेगूरू	550.00
2. चित्तौड़गढ़	630.00
3. राश्मी	560.00
4. कपासन	300.00
5. प्रतापगढ़	670.00
6. निम्बाहेड़ा	520.00
7. मदेसर	480.00
8. डूंगला	570.00
9. अचनेरा	430.00
10. छोटीसादडी	440.00
11. मैसूरौडगढ़	310.00
12. भोपालसागर	450.00
26. जिला उदयपुर	
1. कोटडी	5986.00
2. राजसमन्द	6975.00
3. कुमलगढ़	5738.00
4. रैलमूगरां	387.02
5. आमट	526.08
6. गिवा	1106.01
7. बड़गांव	1396.02
8. खमनोर	503.04
9. धरियावद	613.02
11. सलूम्बर	966.08
11. सराड़ा	885.05
12. मावला	1125.03
13. खैरवाड़ा	941.06
14. भीन्डर	914.03
15. गोगुन्दा	1044.04
16. झाड़ौल	700.02
17. देवगढ़	515.07
18. भीम	554.07

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके
तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

ग्राम पंचायत सेवा (जयपुर) के सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

598. श्री रामदेव सिंह चौधरी (मूंडवा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सेवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर के सरपंच श्री कल्याण दत्त के खिलाफ कई भ्रष्टाचार की शिकायतें जिलाधीश या आपको की गई हैं एवं उनके आधार पर जांच की जा रही है ? अगर हां तो किन कारणों से इनको निलंबित नहीं किया गया ?

(2) क्या करीब 300 बीघा जमीन इस सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने रिश्तेदारों को आवंटित करा दी है ? अगर हां, तो उक्त सरपंच को अभी तक पदमुक्त क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(2) जी हां। राजाज्ञा क्रमांक एफ-3/(ए. जे.)/61/जयपुर/71/9359 दिनांक 13–12–78 द्वारा श्री कल्याणदत्त सरपंच पंचायत सेवा के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, सन् 1953 की धारा 17 (4) के परन्तुक के प्रावधानानुसार परिनिर्णय लेखबद्ध किया जा चुका है तथा अब इस सरपंच को पद मुक्त करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।

गवोर्धन ड्रेन कुम्हेर क्षेत्र में पानी के सीवेज की समस्या

600. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गोवर्द्धन ड्रेन कुम्हेर क्षेत्र में रारह, ताखा, सांतरुक एवं विठोली आदि ग्रामों के पास की भूमि लेविल से बहुत ज्यादा ऊंची होने के कारण सीवेज का पानी प्रति वर्ष हजारों एकड़ भूमि में काफी मात्रा में भर जाता है एवं बहुत सी भूमि बिना बोये रह जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पानी को निकालने का कोई स्थायी हल निकाल रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या इस पानी को सांतरुक के

212

(श्री काशीनाथ गुप्त)

पास एक चैनल बना कर पास ही उत्तर प्रदेश के डिप्रेशन में नही डाला जा सकता ?

(3) क्या ड्रेन के दूसरे बैंक का जिस प्रकार उत्तर प्रदेश बिजली के बड़े बड़े पाइप लगाकर अपने यहां की भूमि को खाली कर लेता है एवं राजस्थान में भी कामां क्षेत्र में बिजली के पम्प लगाकर पानी को ड्रेन में डाल देते हैं उसी प्रकार इस क्षेत्र में भी बिजली के पाइप लगा कर यहां भी भूमि को खाली करने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। इसके समाधान हेतु एक ड्रेन बनाने की योजना विचाराधीन है। इस पानी को सांतरूक के पास एक ड्रेन बना कर उत्तर प्रदेश की पुरानी वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन में डाला जा सकना है।

(2) जी हां।

(3) इन ग्रामों में बिजली न होने के कारण डीजल के पम्पों से ही पानी निकालना पड़ता है। अब ड्रेन बनाने की योजना विचाराधीन है, जो स्थाई योजना है।

ग्राम जाखड़ा (बाड़मेर) में भू-आवंटन

601. श्रीमती मदन कौर (पंचपदरा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील बाड़मेर के ग्राम जाखड़ा में गत वर्ष ऐसी गैरमुमकिन दर्ज भूमि को काश्त के लिए आवंटित कर दिया है जिससे गांवाई कुआ, जो एक मात्र उस क्षेत्र के लिए पीने के पानी का साधन है बना हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम जाखड़ा और उसके पास के दो तीन गांवों में कोई खाली जमीन पशुओं की चराई और विचरण के लिये उपलब्ध नहीं है ?

(3) क्या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां बड़े पैमाने पर मरुस्थल विकास कार्य हाथ में लिये जा रहे हैं वहां नाम मात्र को उपलब्ध खाली गैरमुमकिन भूमि को काश्त के लिये आवंटन करना उचित है ?

उत्तर

(1) ग्राम जाखड़ा तहसील बाड़मेर में गैर मुमकिन भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। आवंटित भूमि की किस्म बी 3 है जो मुमकिन व काबिले काश्त है। गैरमुमकिन न बैरी खसर नं० 29 है जिसका आवंटन नहीं किया गया है।

(2) ग्राम जाखड़ा और उसके पास स्थित खारड़ा भारतसिंह, खारड़ा चारणान एवं समरखिया में गोचर भूमि नहीं है। खारणा चारणान एवं समरसियों में औरण भूमि है जिसमें मवेशी चरती हैं।

(3) यदि गैरमुमकिक भूमि मौके पर काबिले काश्त हो तो राज्य सरकार द्वारा

(राजस्व मन्त्री)

लगाये गये प्रतिबन्धों के तहत इसका आवंटन । नियमन हो सकता है ।

जिला बांसवाड़ा में सिंचाई के साधन जुटाये जाने हेतु मास्टर प्लान

602: श्री निथिंग भाई (कुशलगढ़), **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा में कुशलगढ़, दानपुर क्षेत्रों में सिंचाई साधन जुटाने के लिये मास्टर प्लान बनाया गया है ? यदि हां, तो मास्टर प्लान के अन्तर्गत कितने तालाबों का सर्वे किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा पहाड़ी पथरीला इलाका होने से सर्वे शुदा तालाबों, बी. सी. रेशो में वहां बैठने से अधिकांश सिंचाई योजनायें अस्वीकृत होती हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

(3) क्या यह भी सही है कि 1974 में बी. सी. रेशो नहीं था ? यदि हां, तो बी. सी रेशो कब से लागू किया गया ? क्या राज्य सरकार बी. सी. रेशो को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या जिला बांसवाड़ा सूखा संभावित क्षेत्रों में आता है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में हरित क्रांति के लिये राज्य सरकार के पास क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । जनजाति उपयोजना 1974–79 के अन्तर्गत जिन तालाबों का सर्वेक्षण एवं निर्माण किया गया है उसकी सूचि "क" संलग्न है । वर्ष 1977 व 1978 में डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत शैल्फ आफ वर्क्स बनाने को सर्वेक्षण किया गया है जिसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) बांसवाड़ा जिला एक पहाड़ी जिला है, सामान्यत: जिन योजनाओं का बी. सी. रेशो 1:5:1 से ज्यादा होता है वे योजनाएं स्वीकृत होती हैं । जब कि ट्राईबल कार्यों पर बी. सी. रेशो 1:1 से ज्यादा होने पर योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं ।

(3) जी नहीं । ट्राइबल सब प्लान के के अन्तर्गत योजनागत कार्यों एवं डी. पी. ए. पी. कार्यों पर बी सी. रेशो का प्रावधान था । विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उन 42 कामों के जिन्हें अकाल राहत के काम के रूप में चालू करके बाद में उप योजनान्तर्गत ले लिया था उन्हीं के

214

(सिंचाई मन्त्री)

लिए वन टाइम डिसीजन लिया गया था कि काम बन्द न हो इसलिये इन पर बी.सी. रेशो की शर्तें लागू न की जांय। अतः बी० सी० रेशो हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां। बांसवाड़ा जिला सूखा सम्भावित क्षेत्रों में आता है। इस जिले में हरित क्रांति के लिये माही बजाज सागर परियोजना निर्माणाधीन है।

सूची–क

शैल्फ आफ वर्क्स

कुशलगढ़ क्षेत्र

1. हिरन स्टोरेज डेम	— सर्वेक्षण सर्वे डिवीजन उदयपुर द्वारा किया जा चुका है।
2. रामगढ़	— सर्वे करके एस्टीमेट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है।
3. कलिजरा	— ,, ,, ,,
4. सुनारिया	— सर्वे चालू है।
5. पीपलोन	— एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।
6. गोयका प्रसाद	— सर्वे करके एस्टीमेट उच्चाधिकारियों को प्रेषित — कर दिया है।
7. खाना पाड़ा	— ,, ,, ,,
8. सारन पातेला का नाका	— ,, ,, ,,
9. बगायचा हिम्मतगढ़ी	— सर्वे हो चुका है एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।
10. नागदा	— एस्टीमेट मुख्य कार्यालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

दानपुर क्षेत्र

1. कामत्रीपाड़ा	— एस्टीमेट तैयार है। बी. सी. रेशो प्राप्त नहीं हुआ।

2. कुण्डल	—	सर्वेक्षण बाकी है।
3. बारी दानपुर	—	एस्टीमेट अनुमति हेतु भेजे जा चुके हैं।
4. पेफार	—	एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।
5. महूड़ीखाड़ा	—	सर्वेक्षण बाकी है।
6. छापरिया	—	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य चालू किया जावेगा।
7. बारीगामा	—	,, ,, ,,
8. बोर खावर	—	,, ,, ,,

पूर्ण हुये कार्यों की सूची

डी. पी. ए. पी. के पूर्ण कार्य :

1.	घोडी तेजपुर	बांसवाड़ा
2.	वियापाड़ा	कुशलगढ़
3.	पाण्दा	कुशलगढ़
4.	सगवाड़िया लिफ्ट II	बांसवाड़ा
5.	घोराधरा	कुशलगढ़
6.	बड़ीसरवा	कुशलगढ़
7.	अन्देश्वर	कुशलगढ़
8.	सुरवानियां नहर	बांसवाड़ा

राज्य योजना :

1. मसका

विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पूर्ण कार्य :

1.	छोटी काण्डी	कुशलगढ़
2.	रोहानियां	कुशलगढ़
3.	भूराकुआं	कुशलगढ़
4.	रसोड़ी	कुशलगढ़
5.	मुहड़ीपाड़ा	बांसवाड़ा

मसूदा को तहसील बनाने का मामला

603. **श्री नूरा** (मसूदा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि ब्यावर तहसील में दो पंचायत समितियां मसूदा और जवाजा है तथा दो नगरपालिका हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर तहसील का क्षेत्रफल और जनसंख्या आम तहसीलों से बहुत बड़ी है ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील में दो विधान सभा चुनाव क्षेत्र हैं ?

(4) क्या यह सही है कि मसूदा क्षेत्र की जनता समय समय पर मसूदा को अलग तहसील बनाने की मांग करती आई है ? क्या सरकार मसूदा पंचायत समिति को एक तहसील क्षेत्र बनायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ब्यावर तससील में दो पंचायत समितियां मसूदा व जवाजा हैं, तथा दो नगर पालिकाएं हैं। नगर परिषद् ब्यावर व नगर पालिका विजयनगर।

(2) जी नहीं।

(3) जी हा। तहसील ब्यावर में दो विधान सभा चुनाव क्षेत्र ब्यावर व मसूदा हैं।

(4) जी हां, यह सही है कि मसूदा क्षेत्र की जनता ने मसूदा को अलग तहसील बनाने की मांग की है। मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र को तहसील बनाने का अभी सरकार का विचार नहीं है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग के सुझाव

604. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय पुलिस आयोग के सुझावानुसार राज्य सरकार क्या क्या कार्यवाही करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार वर्तमान पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के संघ को मान्यता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश के अनुसार पुलिस कर्मियों के वेतनमान में वृद्धि करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुलिस आयोग के सुझाव राज्य सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(2) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। पुलिस कर्मचारियों का कार्य इस प्रकार का है कि राज्य सरकार की राय में यह उचित नहीं होगा कि उन्हें संघ बनाने की अनुमति दी जावे। इनकी मांगों के बारे में राज्य सरकार जानकारी करती रहती है व सीमित साधनों के अन्तर्गत उनके बारे में आवश्यक कार्यवाही करती है।

(4) आयोग की सिफारिश राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

महावीर इन्सुलेशन प्रा. लि., भीलवाड़ा को भू-आवंटन

605. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आर. आई. एम. डी. सी. क्षेत्र भीलवाड़ा के अन्तर्गत महावीर इन्सुलेशन प्रा. लि. को कितनी जमीन किन किन शर्तों पर किस किस समय प्रदान की गई ?

(2) महावीर इन्सुलेशन से निर्मित कितनी सिक्यूरिटी मनी जमा की गई ?

(3) क्या यह सही है कि प्रारम्भ की 10% राशि जमा कराये बिना ही जमीन आवंटित कर दी गई ?

(4) अब तक महावीर इन्सुलेशन ने कितनी किश्त तथा कुल राशि कितनी जमा करायी है ?

(5) क्या यह भी सही है कि महावीर इन्सुलेशन ने बिना नक्शा पास कराये निर्माण कार्य करवा लिया ?

(6) क्या राज्य सरकार एग्रीमेंट के अनुसार इनकी जमीन को जब्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मै० महावीर इन्सुलेशन प्रा. लि. को 6 एकड़ भूमि पत्र सं. आई. डी. 5(3) लेन्डस /73/2539 दिनांक 8-2-73 द्वारा आवंटित की गई। निहित काश्त की प्रति परिशिष्ट (अ) पर है। फर्म को अतिरिक्त 12338 स्क्वायर मीटर भूमि पत्र क्र. 8397 दिनांक 22-4-77 द्वारा आवंटित

(उद्योग मन्त्री)

की गई। इस प्रकार इसको कुल 36.620 वर्ग मीटर का आवंटन किया गया। अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु परिशिष्ट (ब) में अंकित है।

(2) फर्म ने सिक्यूरिटी मनी के रूप में 2,500/– जमा कराये हैं।

(3) आवंटन के पूर्व 10 प्रतिशत डवलपमेंट चार्जेज की जमा नहीं कराई जाती अपितु नियमानुसार 10% डवलपमेंट चार्जेज की राशि आवंटन प्राप्त होने के 40 दिन के अन्दर जमा करा देना चाहिए थी। परन्तु इस केस में उक्त राशि 3 दिन बाद 7-5-73 को जमा की गई।

(4) महावीर इन्सुलेशन ने पूर्व आवंटित 6 एकड़ के लिए 10 प्रतिशत डवलपमेंट चार्जेज की राशि 3,120/– एवं वार्षिक किराया (इकनोमिक) की राशि 180/– जमा कराई है। बाद में 12,338 वर्गमीटर भूमि के लिए 14,481/– विभिन्न मदों में जमा कराये। इस प्रकार फर्म ने सिक्यूरिटी मनी सहित कुल 19,291/–रु० कराये हैं।

(5) जी हां, सही है।

(6) राज्य सरकार का इस मामले में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। प्रारम्भ में दिनांक 8-2-73 को आर. आई. एम. डी. सी. ने परिशिष्ट "अ" की शर्तों के अनुसार आवंटन किया था मगर पार्टी ने यह एतराज उठाया कि बिना विकास कार्य किये विकास की राशि उसके द्वारा देय नहीं है और ये विवाद लम्बे अर्से तक चलता रहा है। पार्टी ने भी एतराज उठाया कि उसकी भूमि का सीमांकम सही तरीके से नहीं हुआ है। दिनांक 22 अप्रेल, 76 को परिशिष्ट "अ" एवं "ब" के द्वारा अतिरिक्त भूमि 12,338 वर्गमीटर जो इस भूमि के पास पड़ती थी वो और एलाट की और कुल 41,087.33 रु. पार्टी के द्वारा देय था। यह राशि जमा नहीं कराने पर पार्टी का ज्ञापन प्रेषित हुआ और पार्टी ने 18 हजार के आस-पास राशि जमा भी करवाई। पार्टी ने मुख्य रूप से यह दर्शाया है कि विकास उसने स्वयं किया है और उसने जमींन पर फैक्ट्री खड़ी करके उसको चला रखा है। निम्न शर्तों पर जमीन एलाट की गई थी :—

1. विकास शुल्क की अदायगी 2. लीज डीड का निष्पादन। हम दोनों की ही अनुपालना पार्टी ने नहीं की है। पार्टी से जमींन वापस ली जाने की कार्यवाही चालू है और....

२१७

Annexure—ब

Telegram–RIMDCO.,
Telephone–63777

RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL
AND
MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION, LTD.

100–JAWAHAR LAL NEHRU MARG,
JAIPUR–4

(RULES 5, 6 & 10)

No. ID. 5(3) Land/73/2539 Dated 8.2.73

To,

M/s. Mahavir Insulation Pvt. Ltd,
Neeta Niwas,
Sindhu Nagar,
Bhilwara

REGISTERED A.D.

Sub :– Allotment of land for the establishment of Factory in Industrial area BHILWARA

Dear Sir,

We are writing to refer to your application dated 6-12-72 for allotment of land in Industrial area at Bhilwara and to inform you that the corporation has been pleased to allot you plot No——— (Measuring 6 Acres 50 meters in Industrial area at Bhilwara for establishing Fire Bricks & Insulation Industry on the following terms and conditions :

1. That you shall deposit in this office the economic rent of the land alloted to you at the rate of Rs, 30/– per year for every 4000 sq. meters within one month from the date of issue of this order and in future at the beginning of each year in advance by 31st Jan. of that year,

2. That you shall pay the first instalment of 10% of the development charges calculated at the rate of Rs. 1.30 per sq. meter and amounting to Rs. 3120/–and also have the lease deed executed and registered at your cost within 40 days from the date of receipt of allotment orders–You shall pay the balance amount (of the development charges) in a period of four Years commencing from the third year of the date of allotment with 9% interest on the outstanding amount.

(b) That You shall take over possession of the plot alloted to you within 10 days from the date of signing the lease deed and commence the construction of the factory building within six months from the date of sianing the legse deed.

3. In case any extension of time limit is required for depositing the economic rent, fist instalment for development charges, signing and executing the lease deed, taking over possession of plot or any one of it, application stating the cogent reasons therefor, should reach the undersigned with in the time limits prescribed for each of these items.

4. In case the amount of economic rent and development charges is not paid and the lease deed is not executed within 40 days from the date of receipt of allotment order or within the authorised extended period, this allotment order shall be treated as cancelled and security money deposited by you shall stand foreited to the corporation.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sd/–

(C.M. MISHRA)

LIAISON OFFICER

Copy to :– 1. Director of Industries, Jaipur.
2. Finance Division,
3. Resident Engineer..
4. Asstt. Resident Engineer.
5. A.R.E Bhilwara.
6. Asstt. Director of Industries Bhilwara.
7. Master file.
8. Project Accountant.
9. Office copy.

Sd/-
LIAISON OFFICER

Annexure–ब

OFFICE OF THE RESIDENT ENGINEER R.I.M.D.C. LTD.,
83–PANCHWATI, UDAIPUR.

No. 8397 Dated 22 April, 76

To,

The M/s. Mahavir Insulation Pvt. Ltd.,
Neeta Niwas,
Sindhu Nagar,
Bhilwara

Sub :– Allotment of land at Industrial Area Bhilwara

Dear Sir,

Please refer to your representation to the Managing Director of R.I.M.D.C. Ltd. dated 18-3-76 and subsequent decision at the meeting with you for allotment of balance land @ Rs. 1.50 per Sq. Meters. You are hereby informed accordingly that you have deposited only Rs. 3156–66 against the previous allotment of plot measuring 6 acre (23282 Sq. Meters) The detail of outstanding amount is as follows :–

Dues towards the 10% initial payment	Rs. 35–34
1st Instalment dues on dated 7-2-75	Rs. 7102–25
Interest	Rs. 5064–40
IInd Instalment dues on dated 7-2-76	Rs. 7102–25
Penal Interest	Rs. 1213–87
Interest	Rs. 1895–40
Penal Interest	Rs. 166–87
Total	Rs. 22580–38

The total land as per revised plan signed by us which is 36620 Sq. Meters, out of which 6 Acre (24282 Sq. Meters) is previously alloted, the further allotment is now for 12338 Sq. Meters and the amount of development charges @ Rs. 1–50 per Sq. Meter comes as Rs. 18507–00 which is to be deposited in lump sum. It is therefore requested to please deposit the amount of Rs. 41087–38 and get the Lease–Deed executed at an early date.

Thanking you,

Yours faithfully

Sd/–

(M.C. PANDYA)

RESIDENT ENGINEER

कामां, भरतपुर में चार हरिजनों की हत्या का समाचार

606. **श्री मोहम्मद जहूर** (कामां), **श्री गुलमोहम्मद** (जौहरी बाजार) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 30-12-78 को दैनिक नवज्योति, समाचार पत्र में छपा था कि ग्राम घर्मशाला थाना कामां (भरतपुर) में 4 (चार हरिजनों) की हत्या कर दी है ?

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धर्मशाला थाना कामां (भरतपुर) में कोई हत्या नहीं हुई ?

(3) क्या इस तरह की गलत अफवायें फैलाने वाले के व गलत समाचार छापने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अखबार में गलत सूचना छापने पर कोई काबिल अस्तन्दाजी अपराध घटित नहीं होने की सूरत में पुलिस कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य में खाद के कारखानों की स्थापना

607. **श्री शंकर लाल** (जैतारण) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि इसी वर्ष जनवरी माह में राज्य के मुख्य मन्त्री द्वारा भारत के प्रधान मन्त्री को राजस्थान में दो खाद के कारखाने लगाने हेतु लिखित में अनुरोध पत्र भेजे गये ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

जी हां। यह प्रस्ताव अभी भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

एक प्रस्ताव सलादीपुरा खण्डेला–सीकर के लिये व दूसरा उदयपुर क्षेत्र में रॉक फास्फेट पर आधारित है।

पंचायत समिति लाडनूं के शिक्षकों द्वारा फर्जी यात्रा भत्ता उठाने का मामला

608. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर के अध्यापकों द्वारा फर्जी यात्रा भत्ते के बिल उठाने आदि का मामला जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में चल रहा था, उसमें अब तक क्या क्या कार्यवाही हो चुकी तथा क्या कार्यवाही करनी शेष है ?

(2) इस मामले में कौन कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कब तक चालान कर दिया जायेगा ?

(श्री हरजी राम बुरड़क)

(3) यह कितने रुपये के गबन का मामला है ?

(4) इसका चालान कब तक पेश कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में श्री मोतीलाल मोदी, मोदी बिल्डिंग लाडनूं, जिला नागौर का दिनांक 23/12/74 का परिवाद इस विभाग में प्राप्त हुआ था जिसकी जांच के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश बाड़मेरा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं के विरुद्ध लाडनूं के ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को श्री ओम प्रकाश बाड़मेरा, विकास अधिकारी द्वारा बिना किसी सरकारी कार्य के मुख्यालय पर मीटिंग रख कर बुलाया जाना प्रमाणित हुआ और उन्होंने यात्रा भत्ते के बिल बनाकर भुगतान भी उठाया। इसी भांति राज्य सरकार को रुपये 3000-18 पैसे की हानि हुई। जांच पूर्ण की जाकर तथ्यात्मक-प्रतिवेदन इस विभाग के पत्र संख्या भ्रनिवि/परि/जांच/विभाग/5/75/29-30 दिनांक 5/1/78 द्वारा अवर शासन सचिव, सामुदायिक विकास एवं, पंचायत विभाग, राजस्थान, जयपुर के दोषी अधिकारी (श्री ओमप्रकाश बाड़मेरा, विकास अधिकारी पंचायत समिति, लाडनूं) के विरुद्ध आर. सी. एस. (सी. सी. एण्ड ए.) नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। जिन्होंने यह मामला निदेशक कृषि विभाग को उनके पत्र दिनांक 22/3/78 द्वारा स्थानान्तरित कर दिया। अब इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही इस विभाग द्वारा अपेक्षित नहीं है।

(2) इस मामले में श्री ओमप्रकाश बाड़मेरा, विकास अधिकारी, दोषी पाये गये।

(3) जांच के अन्तर्गत फर्जी यात्रा भत्ते के बिलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को 3000–18 पैसे की हानि हुई है।

(4) चूंकि भ्रष्टाचार विभाग द्वारा सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का सुझाव दिया गया था ऐसी परिस्थिति में चालान का प्रश्न ही नहीं उठता।

जोधपुर शहर में बिजली की अव्यवस्था

609. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदार पुरा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में बिजली के वोल्टेज सामान्य से बहुत कम रहते हैं ? यहां तक ट्यूब लाइट नहीं रोशन होती, 100 वाट का बल्ब दीपक की तरह रोशनी देता है और इलेक्ट्रिक आइरन गर्म ही नहीं होता ? यदि हां, तो क्या राज्य का विद्युत बोर्ड ऐसी ही दयनीय स्थिति को कब तक बनाये रखना चाहेगा ?

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(2) जनता सरकार आने के पश्चात् जोधपुर में लगातार गत दो वर्षों से आ रही वोल्टेज समस्या को समाप्त करने के लिए राज्य के विद्युत् बोर्ड ने क्या योजना बनाई ? यदि हां, तो क्या प्रगति है ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर का औद्योगिक विकास 1981 तक बिजली की कमी के कारण नहीं हो सकेगा ? अगर हां, तो जुम्मेदार कौन है ? यदि नहीं, तो कारगर उपचार क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि विद्युत् वोल्टेज की कमी के कारण जोधपुर नगर के विभिन्न उद्योग इकाइयां भयंकर घाटे में हैं ? यदि हां, तो कौन जिम्मेदार है और कब किस प्रकार का सुधार होगा ?

उत्तर

(1) सायंकाल 4.00 बजे से रात्रि के 8.00 बजे तक कभी कभी कुछ क्षेत्रों में वोल्टेज की कमी हो जाती है। विद्युत् मण्डल इस स्थिति को सुधारने के लिये प्रयत्नशील है।

(2) पिछले दो वर्षों में त्वरित विद्युत् विकास के कारण जोधपुर क्षेत्र में बिजली की मांग काफी बढ़ी है। इसकी पूर्ति के लिये विद्युत् मण्डल ने जोधपुर ग्रिड सब स्टेशन के ट्रान्सफार्मर से तिवरी-बालोतरा आदि क्षेत्रों को जो 33 के. वी. पर पावर दी जाती थी उन क्षेत्रों को 132 के. वी. की लाइनों से जोड़कर अब जोधपुर ग्रिड सब स्टेशन से जोधपुर नगर के लिये उपलब्ध करा दी गई है। अब जोधपुर नगर को 132 के. वी. पर बिजली पाली तथा बालोतरा दोनों ओर से उपलब्ध है। इस ग्रिड सब स्टेशन पर एक और 20 एम. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर जोधपुर नगर के लिए लगाया जा रहा है।

(3) जी नहीं। औद्योगिक कनेक्शनों पर कोई रोक नहीं है तथा ग्रिड सब स्टेशन पर अतिरिक्त क्षमता का प्रावधान किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। लाईटिंग टाइम में वोल्टेज की किसी अस्थाई कमी के कारण ऐसी कोई सम्भावना नहीं होती है।

राज्य सरकार द्वारा विकलांगों को दी जाने वाली सहायता

610. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है।

(2) क्या यह सही है कि अब तक विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण क्रय करने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा राशि प्रदान की जाती है।

(3) क्या यह सही है कि उक्त उपकरणों में अपंग व्यक्तियों के काम में आने

(श्रीमती नारंगी देवी)

वाले कैलीपर (जूते) पुनर्भरण योग्य नहीं हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त कैलीपर का भुगतान, राज्य कोष से, राज्य कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के वास्ते अन्य अपंग व्यक्तियों को भी प्रदान किये जाने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) प्रश्न अस्पष्ट है।

विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता की राशि प्रति वर्ष

क्र.सं.	वर्ष	अपाहिज पेन्शन	उपकरण एवं छोटे मोटे व्यवसायों हेतु स्वीकृत की गई राशि	विकलांग छात्र/छात्राओं को दी गई राशि
1	2	3	4	5
1.	1975-76	4,44,000	44,000	1,20,000
2.	1976-77	7,46,000	49,000	2,67,000
3.	1977-78	11,11,000	70,000	4,71,000
4.	1978-79	25,00,000 (प्रावधान)	90,000 (प्रावधान)	3,00,000 (प्रावधान)

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल में रिक्त पद

611. **श्री जगदीश चन्द्र शर्मा** (रतनगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल में कुल कितने और कौन कौन से पद रिक्त पड़े हैं तथा कितने कितने समय से ? इसके क्या कारण हैं ?

(2) विद्युत् मण्डल में ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनका सेवाकाल बढ़ाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर मण्डल में रिक्त पदों का विवरण सूची "अ" पर सदन की मेज पर रख दिया गया है। विद्युत् मण्डल विकासशील संस्थान है। इसमें नये पदों के सृजित करने तथा भरने की प्रक्रिया निरन्तर चलती है।

पद रिक्त रहने के कुछ प्रमुख कारण ये हैं :—

1. कुछ पद जिनका सृजन कार्य भार की सम्भावना के आधार पर किया गया था किन्तु उन्हें कार्य की कमी के कारण नहीं भरा गया। तथा उन्हें आवश्यकता होने पर भरा जावेगा।
2. कुछ पदों के लिए निर्धारित योग्यता के अनुरूप उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुए एवम् प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आवश्यकता से कम लोग उत्तीर्ण हुए।
3. सहायक अभियन्ताओं की परीक्षा का परिणाम माननीय उच्च न्यायालय की निषेधाज्ञाओं के कारण रोका गया है।

(2) किसी अधिकारी का सेवाकाल नहीं बढ़ाया गया। केवल दो अधिकारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद पुर्नियुक्ति दी गई है, वे निम्नलिखित हैं :—

1. श्री हनुमान कुमार बहड़—मुख्य अभियन्ता।
2. श्री के. एम. लोढा, केमिस्ट।

सूची "अ"

क्र.सं.	रिक्त पदों का नाम	वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या	कितने समय से रिक्त है	रिक्त पद के कारण व उसे भरने की कार्यवाही की स्थिति।
1	2	3	4	5
1.	उप मुख्य अभियन्ता	1	1-1-79	नियमानुसार योग्यताधारी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है।
2.	अधीक्षक अभियन्ता	1	20-3-79	इस पद का सृजन दिनांक 20-3-79 को ही हुआ है।

1	2	3	4	5
3.	सहायक अभियंता	74	वर्ष 1977-78 व 1978-79 के दौरान	ये रिक्त पद सीधी भर्ती के हैं तथा इनके भरने के लिए मण्डल ने अभ्यार्थियों की परीक्षा जुलाई, 77 में ली किन्तु रिक्त पदों की संख्या के अनुसार व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। मण्डल ने दुबारा दिसम्बर, 1978 में परीक्षा ली है। इसका परिणाम न्यायालय की निषेधाज्ञा होने की वजह से घोषित नहीं नहीं किया गया है। परिणाम घोषित होने पर ये पद भर दिये जायेंगे।
4.	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक/विद्युत/सिविल/टेलीक्यूनीकेशन)	431 89 8	वर्ष 1977-78 व 1978-79 के दौरान	इन पदों पर नियुक्ति के लिये दिसम्बर, 1978 में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें 416 प्रत्याशी थे किन्तु 124 ने ही परीक्षा दी और उसमें केवल 11 उत्तीर्ण हुए। पुनः परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इसके फलस्वरूप नियुक्तियां दे दी जायेंगी।
5.	लेखा नियन्त्रक	1	अगस्त, 1977	यह पद माही परियोजना में रिक्त है, परन्तु फिलहाल वहां कार्य भार कम होने की वजह से नहीं भरा गया है।
6.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	5	1977-78	तीन पदों पर लेखाधिकारी कार्य कर रहे हैं। दो पद थर्मल

1	2	3	4	5
				व माही परियोजना में कार्य भार कम होने से नहीं भरे गये हैं।
7.	लेखाधिकारी	3	अगस्त, 77 व मार्च, 78	दो पद माही परियोजना में कार्य भार कम होने से नहीं भरे हैं। एक पद पर फिलहाल कार्य भार नहीं होने से नही भरा गया है।
8.	सहायक लेखाधिकारी	6	अगस्त, 77	4 पद थर्मल व माही परियोजना कार्य भार कम होने से नहीं भरे हैं। एक पद पर लेखाकार को पदस्थापित किया है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही हैं।
9.	संयुक्त सचिव	1	अक्टूबर, 78	राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने पर पुनः राज्य सरकार में चले गये। पद भरने की कार्यवाही जारी है।
10.	विधि अधिकारी	1	1976–77	पूर्व में पद भरने के लिए विज्ञापन प्रसारित किया गया था पर योग्यताधारी व्यक्ति नहीं आया। अब इस पद को भरने की कार्यवाही की जा रही है।
11.	कार्मिक अधिकारी	6	1977	पदों को भरने के लिए विज्ञापन द्वारा प्रार्थना पत्र मांगे गए थे, पर योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
				हो सके। केवल दो आवेदक ऐसे थे जो निर्धारित योग्यता रखते थे। उनमें से एक साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं हुये तथा दूसरे अपने नियोजक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर नहीं आये। अभी हाल ही में उन्होंने अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया है, जिस पर आगामी कार्यवाही की जा रही है।
12.	अनुभागाधिकारी	10	1978	यह पद नियमानुसार योग्यताधारी व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं होने से रिक्त हैं। 4 अधीक्षक (श्रेणी प्रथम) इन पदों पर स्थापित कर रखे हैं।
13,	अधीक्षक-श्रेणी–I	4	1978	इन पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।
14.	अधीक्षक-श्रेणी–II	64	1977–78	इन पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।
15.	आशुलिपिक–I	10	1978–79	नियमानुसार योग्यताधारी व्यक्ति के उपलब्ध नहीं होने से है।
16.	आशुलिपिक–II	66	1977–78	योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं होने से पद रिक्त हैं। हाल ही परीक्षा ली थी जिसमें उत्तीर्ण व्यक्तियों को नियुक्ति दी जा

1	2	3	4	5
				रही है। विभागाध्यक्षों को भी अस्थायी तौर पर पद भरने के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है।
17.	सांख्यिकीय सहायक	4	1978	इन पदों की भर्ती के लिए कार्यवाही की जा रही हैं।
18.	संगणक	33	1977–78	इन पदों पर विभागीय कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे कि इन पदों पर सीधी भर्ती के स्थान पर विभागीय कर्मचारियों को नियुक्त किया जाय। मण्डल इन पदों में से 50 प्रतिशत को विभागीय कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रखने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। इस प्रश्न पर निर्णय के बाद नियुक्तियां कर दी जावेगी।
19.	वरिष्ठ लिपिक	38	1978–79	ये पद सीधी भर्ती के कोटा के हैं तथा नियुक्ति के लिये पैनल उपलब्ध है परन्तु कर्मचारी संघ द्वारा आपत्ति किए जाने के कारण नियुक्तियां किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।
20.	कनिष्ठ लिपिक	694	1978–79	मण्डल में परीक्षा लेकर परिणाम दिनांक 8-3-79 को निकाल दिये गये हैं। सफल परिक्षार्थियों के नाम सम्बन्धित नियुक्ति अधि-

1	2	3	4	5
				कारियों को नियुक्ति हेतु भिजवाये जा रहे हैं।
21.	लेखा-लिपिक	37	1978 से 1979	कुल 739 पदों में से कुल 37 रिक्त है। विभागीय परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 78 में किया गये था जिसके परिणाम निकल गया है। इस सूची से नियुक्तियां की जा रही है।
22.	लेखाकार	17	1978 से 1979	कुल 405 में से केवल 17 पद रिक्त है। विभागीय परीक्षा का परिणाम निकाल यिया गया है और उस सूची के अनुसार नियुक्तियां की जा रही है। लेखाकारों की सीधी भर्ती हेतु एक प्रतियोगी परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जा रही है।

अजमेर शहर की विद्युत अव्यवस्था

613. श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर की विद्युत व्यवस्था इतनी खराब है कि आजकल दिन में बार बार विद्युत की आंखमिचोली होती रहती है और नगर-वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो इस अव्यवस्था का क्या कारण है?

(2) विद्युत व्यवस्था सुचारू एवं सन्तोषजनक ढंग से संचालित रहे उपरोक्त अव्यवस्था का स्थाई समाधान हो इस हेतु राज्य सरकार का क्या कारगर कदम उठाये जाने का संकल्प है?

उत्तर

(1) अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था सामान्य रूप से सन्तोषप्रद है। इतने बड़े नगर के विशाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कार्य करने के लिये अथवा छोटी-मोटी खराबी के कारण किसी क्षेत्र में कुछ समय के लिये बिजली का बन्द होना स्वाभाविक है।

(विद्युत मन्त्री)

(2) अजमेर नगर की बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ करने, सुचारू और सन्तोषजनक ढंग से संचालित रखने तथा नये कनेक्शन आदि के अतिरिक्त भार को वहन करने के लिये एक 33 के. वी. का रिंगमेन लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है। जिसके अन्तर्गत माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे वर्कशाप, केसरगंज एवं उर्स विश्राम स्थल आदि स्थानों के समीप 33/11के.वी. का सब स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

गोगुन्दा पर्यटन स्थल का विकास

614. श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने पिछले विधान सभा सत्र में गोगुन्दा पर्यटन स्थल के विकास हेतु योजना बनाने के बारे में कहा था ? क्या इस एक वर्ष की अवधि में कोई कार्य कराया गया ? यदि हां, तो कितना रुपया खर्च किया गया ?

(2) भविष्य में इस क्षेत्र के विकास हेतु क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। कुछ भी व्यय नहीं किया गया क्योंकि यह क्षेत्र केन्द्रीय सरकार ने मेवाड़ काम्प्लेक्स के साथ सम्मिलित कर लिया है एवं इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(2) इस क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये महाराणा प्रताप के जीवन से सम्बन्धित 5 क्षेत्रों के लिये मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है और कार्यवाही चालू है।

रींगस में रेल्वे पुल

615. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रींगस में रेल्वे पुल न होने से यातायात में काफी रुकावट पैदा होती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार का इस ओवर ब्रिज को बनाने का कब तक इरादा है ?

(2) क्या कुछ वर्ष पूर्व इस ओवर ब्रिज के बनाने के लिए योजना को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो किस कारण से यह योजना पूर्ण नहीं हुई ? क्या प्राथमिकता के आधार पर इसे जनहित में शीघ्र पूरा किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

इस ओवर ब्रिज का प्रस्ताव राज्य सरकार ने परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को छठी पंचवर्षिय योजना में सम्मिलित करने हेतु भेज दिया है।

(2) जी नहीं।

234

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

यह रेल्वे क्रासिंग राष्ट्रीय मार्ग 11 पर पड़ता है अतः केन्द्र सरकार ही स्वीकृति देने में सक्षम हैं।

मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रियों के निवर्तन की राशि

616. श्री मूल चन्द डागा (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों के निवर्तन पर कितनी 2 राशि रखी जाती है ?

(2) मंत्रियों के निवर्तन पर रखी गयी राशि का उपयोग वे किस प्रकार कर सकते हैं ? क्या इसके लिये कोई दिशा निर्देश जैसी चीज है ? यदि हां, तो वर्तमान मंत्रियों ने उनका किस हद तक पालन किया है ?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न है।

(2) निवर्तन पर रखी गई राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश (संलग्न नियमों) के तहत किया जाता है। वर्तमान मंत्रीगण नियमानुसार ही पालन कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रिगणों के निवर्तन पर चालू वर्ष में रखी गई ऐच्छिक अनुदान राशि विगत :—

मुख्य मंत्री	रु. 2,00,000
मंत्रिगणों को	रु. 10,000 प्रत्येक को
राज्य मंत्रिगणों को	रु. 5,000 प्रत्येक को
चिकित्सा मंत्री	रु. 10,000 अलग से
पुनर्वास मंत्री	रु. 1,000 अलग से
समाज कल्याण मंत्री	रु. 10,000 अलग से

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 'C')

No. F.14 (19) GA/C/59. Dated Jaipur, the 14th Oct., 1959.

ORDER

Sub :- Rules governing the discretionary grants by the Ministers

The Governor has been pleased to accord sanction to the following rules governing the discretionary grants placed at the disposal of the Ministers :-

*1. The Discretionary grant placed at the disposal of the Minister is intended ordinarily to enable him to meet unexpected demands for help to institutions, hospitals and other bodies of a public or quasi-public character which deserve assistance from the Governments funds, The Minister may, however, at his discretion allow payments out of the grant to individuals, who may, in his opinion be deserving of assistance or reward from Government funds provided that :-

(i) the amounts sanctioned in one financial year shall not exceed the following limits :-

(a) Rs. 1000/- in the case of insitution,

(b) Rs. 500/- in the case of an individual; and

(c) Rs. 1000/- in the case of an individual, in special circumstances, with the approval of the Chief Minister.,

(ii) no payment shall be made to a gazetted Oficer of any Government.,

(iii) no recurring grant or frequent non-recurring grants shall be giver to a non-gazetted employee of any Government or to a dependent member of his family; and

(iv) before the grant is sanctioned, the applicant shall have to certify that he has not been granted or refused assistance by any other Minister."

---

*Substituted vide order No. F.12(2) Cab. 67 dated 20-9-67 for the following :—

The Discretionary grant placed at the disposal of the Minister is intended ordinarily to enable him to mect unexpected demands for help to insitutions, hospitals and other bodies of a public or quasi–public character which deserve assistance from the Government funds. The Minister may, however, at his discretion allow payments out of the grant to individuals, who may, in his opinion be deserving of assistance or reward from Government funds.

Provided that the amounts sanctioned in one financial year shall not exceed the following limits :—

(i) Rs. 1000/– in the case of insitution.

(ii) Rs. 500/– in the case of an individual, and

(iii) Rs. 1000/– in the case of individuals in special circumstances with the approval of the Chief Minister.

These amendments shall be deemd to have come into effect from 1st July, 1965.

(Substitute in place of the following note vide order No. F8(14 Cab/65 dated 15-9-65 :—

2. The grant will not, however, be utilised to meet expenditure which may commit Government financial liability+ It will not be utilised to make temporary additions to establishments or to supplement provision for such departmental expenditure as works, contingencies.

@3. Sanction accorded by the Minister will be communicated to the Accounts Officer, Appointments(c) Department indicating the ocassion for and object of the grant.

£4. Payment of amount out of discretionary grant will be made by the Treasury Officer, Jaipur, without prior authority from the A.G. Rajasthan, Jaipur on presentation of bills by the Accounts Officer (Appointments(C) Department.

The petty payments be made out of the permanent advance placed at the disposal of Accounts Officer, Secretariat and amount of such payments will be reccuped in due course of time. The permanent advance shall be governed by the Rules relating to Parmanent Advances.

By order
Sd/—
Chief Secretary to Govt.

Note :—The amount sanctioned in any one financial year will not exceed Rs. 300/- in the case of an individual and Rs. 500/- in the case of an insitution.

%2. "Provided further that before the grant is sanctioned, the applicant shall have to certify that he has not been granted, or refused assistance, by any other Minister. In other case, the discretion of the Minister to grant assistance shall remain unfettered."

%(Inserted vide order No. F.9(9)Cab/64, dated the October 14/16, 1965).

+After the close of the financial year (1) deleted vide order No. F.12(2) Cab/67 dated 20th September, 1967.

@3. Substituted vide Order No. F.8(14)

Cab/65 dated thh August 21, 1965 for the following :

"Sanctions accorded by the Minister will be communicated to the Accountant General, and will indicate the occasion for and object of the grant where the Minister considers that an account should be rendered by the grantee of the expenditure incurred out of the amount received by him, approppiate direction will be included in the sanction. In such cases the certificate that the grant was spent in the manner required, will also be transmited to the Accountant General after countersigature by the Minister of such Officer as may be indicated in the sanction."

4. Substituted vide order No. F.8 Cab/65 dated the 21st August, for the following :

"Payment of amounts sanctioned will ordinarily be made by the Treasury Officers on receipt of authority from the Accountant General. In order, however to enable the Minister to make petty payment without the neoessity of drawing bills from the Treasury a permanent advance of Rs. 300/- (Rupees Three Hundred) only will be placed at the disposal of Pvt. Secy. to the Minister.

Note :—(1) The permanent advance will be governed by the general rules relating to permanent advance.

(2) Petty payment will mean payments not exceeding Rs. 300.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(CABINET SECRETARIAT)

No. F. 12(2) Cab/67 Dated Jaipur, Septamber 20, 1967

ORDER

Sub :— Rules governing the 'Discretionary grants by the Chief Minister.

The governor has been pleased to make the following amendment in the Rules regulating payments out of the Chief Ministers Discratìonary Grant with immediate effect :—

The existing note below rule 1 of the aforesaid rules, issued under Government Order No. F.2 (2) E.G./52-9584 dated 23rd September, 1962, shall be numbered as Note—1, and the following Note 2 shall be inserted :—

Note 2—No payment shall be made to Gazatted Officers of any Gavernment and no expenditure shall be incurred for presenting a gift to a Gazetted Officer as a souvenir on the occassion of his transfer or retirement or in appreciation of some special work done by him. Frequent grants shall not also be made to non-gazetted employees of any Government or to any dependent member or his family.

These amendments shall come into force with immediate effect.

This issues with the concurrence of the Finance Department vide D. No. 1777/PA/FC/67 dated 25-5-67.

By Order
Sd/—
(Satya Prakash Vishnoi)
Deputy Secretary to the Government.

Copy forwarded to the :—

1. Accountant General, Rajsathan, Jaipur.
2. Secretary Legislative Assembly.
3. Private Secretaries to All Ministers.
4. Treasury Officer (Secretariat Branch), Jaipur.
5. Finance Department (Expenditure) (with one spare copy).
6. Accounts Officer, Apptts. (C) Department.

Sd—
Deputy Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(CABINET SECRETARIAT)

No. F. 11(2) Cab/74 Dated Jaipur, the 9th August, 1974

ORDER

Sub :—Rules governing the "Discretionary Grants by the Chief Minister."

The Governor has been pleased to make the following amendment in the Rules regulating payments out of the Chief Minister's Discretionary Grant, with immedaite effect :—

Under Rule 1 of the said Rules, for the existing Note 1 the following note shall be substituted, namely :—

"Note :—(1) The amount sanctioned in any one financial year shall not exceed Rs. 2,500/- in case of an individual or an insitution."

By Order of the Governor,
Sd/-
(V. S. Verma)
Deputy Secretary to Government.

Copy forwarded to the :—

1. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
3. Secretary to the Chief Minister.
4. Treasury Officer, Secretariat Branch, Jaipur.
5. Accounts Officer, Department of Personel (c) (Sectt.) Jaipur.
6. F. D. (Exp-III),)with one spare copy.

Sd/-
(Chandan Singh)
Astt. Secretary to Government.

राजस्थान सरकार

(मंत्रिमण्डल सचिवालय)

प्रेषक : मुख्य सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषति : महालेखाकार,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ–7 (5) मं. सं./73 जयपुर, दिनांक 6 जुलाई, 1976

विशय : मुख्य मंत्री द्वारा स्वेच्छानुदान के लिये धनराशि।

महोदय,

इस सचिवालय के पत्र संख्या एफ–29(1) मं. सं/75 दिनांक 24-3-76 के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1 अप्रेल, 1976 से मुख्य मंत्री द्वारा व्यय हेतु स्वेच्छानुदान की राशि रु. 2,00,000 (रुपया दो लाख) मात्र वार्षिक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

यह व्यय बजट शीर्षक 213–मंत्रि परिषद् (ड़) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान(1) मुख्य मंत्री द्वारा वैवेकिक अनुदान की राशि के अन्तर्गत वर्तमान प्रावधान राशि रुपये (रुपया दो लाख) मात्र से प्रमार्य है।

आज्ञा से,
ह.
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, मुख्य मंत्री। समस्त मंत्रिगण।
2. वित्त (आय-व्ययक) विभाग)।
3. वित्त (व्यय–3) विभाग।
4. लेखाधिकारी, कार्मिक (ग) विभाग।
5. लेखा लिपिक, मंत्रि-मण्डल सचिवालय।
6. रचड़ी पंजिका।

ह.
सहायक शासन सचिव

महावीर

19-8-77

राजस्थान सरकार
मंत्री मण्डल सचिवालय

प्रेषक - मुख्य सचिव,
राजस्थान जयपुर।

प्रेषति : महालेखाकार,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ–7(5) मं. मं./76 जयपुर, दिनांक 6 जुलाई, 1976

विषय : मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान के लिये धनराशि।

महोदय,

इस सचिवालय के पत्र संख्या प–7(1) मं.मं./74 दिनांक 5-2-74 के अतिक्रमण में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1 अप्रैल, 76 से मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान की राशि रु. 7,500 से बढ़ाकर 10,000 (रुपया दस हजार) वार्षिक करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यह व्यय बजट शीर्षक 213 मंत्रि-परिषद्(ड़) मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान (V) मंत्रिगणों द्वारा वैवेकिक अनुदान की राशि के अन्तर्गत वर्तमान प्रावधान रुपये 1,05,000 (एक लाख पांच हजार) से प्रभार्य है।

आज्ञा से,
ह.
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव व समस्त मंत्रिगण।
2. वित्त (आय-व्ययक) विभाग।
3. लेखाधिकारी. कार्मिक(ग) विभाग।
4. लेखालिपिक, मंत्रि-मण्ड सचिवालय।
5. वित्त विभाग (व्यय-3)।
6. रक्षी पत्रिका।

ह.
सहायक शासन सचिव

महावीर

19-8-77

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

संख्या प.9/1/मं.मं.77 जयपुर, दिनांक 18 जून, 1978

— विज्ञप्ति —

विषय :— राज्य मंत्रियों को स्वेच्छानुदान के लिये धनराशि।

राज्यपाल महोदय, मंत्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान के नियम संख्या प.14/19/जीए/सी/59, दिनांक 14 अक्टूबर, 1959 में मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री शब्द, तुरन्त प्रभाव से जोड़ने की अनुमति प्रदान करते हैं।

राज्यमन्त्रियों द्वारा स्वेच्छानुदान स्वीकृति की राशि प्रति वर्ष के लिये 5,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी। वित्त विभाग की सहमति संख्या 3829/वि. आ./78 के द्वारा, दिनांक 22 अप्रेल, 1978 को ली जा चुकी है।

राज्यपाल की आज्ञा से
ह०/-
अशोक कुमार पांडे
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :—

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, मुख्य मंत्री/समस्त मन्त्री एवं राज्य मन्त्रिगण
3. वित्त (आय-व्ययक) विभाग
4. वित्त (व्यय-3) विभाग
5. लेखाधिकारी, कार्मिक (ग) विभाग
6. सहायक लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग को राज्य मन्त्रियों के लिये स्वेच्छानुदान की राशि का बजट में प्रावधान हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

ह०/-
एस. के. भट्टाचार्य
17-7-78
सहायक शासन सचिव

२४४

नैनवा से उनियारा सड़क का निर्माण

617. श्री माणकलाल ठाकोर(नैनवा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिसम्बर सन् 1977 में कोटा कैम्प पर मंत्रि मंडल की बैठक हुई थी जिसमें नैनवा से उनियारा रोड के निर्माण की स्वीकृति हुई थी ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में टेन्डरों की स्वीकृति अब तक नहीं हुई है और कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

(3) क्या राज्य सरकार यह आश्वासन देने की स्थिति में है कि 78–79 के बजट में स्वीकृति धन मार्च, 79 तक कार्य पूर्ण नहीं हो सकने की स्थति में लैप्स नहीं होगा ? यदि लैप्स होने की आशंका है तो राज्य सरकार इस संबंध में सतर्कता के रूप में क्या क्या कदम उठा रही है ?

(उत्तर)

(1) जी हां। नैनवा उनियारा सड़क बनाने हेतु 10 लाख रु० की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(2) जी नहीं।

इस कार्य के टैन्डर स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(3) जी नहीं। कार्य को इस वर्ष पूर्ण करने का प्रावधान नहीं था। अतः लैप्स होने का प्रश्न नहीं उठता।

सचिव मुख्य मंत्री द्वारा उत्सवों में भाग लेना

618. श्री बजरंगलाल शर्मा(बनीपार्क): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री मीठालाल मेहता ने मुख्य मंत्री के सचिव का पद धारण करने की अवधि में किन्हीं अराजकीय संस्थाओं के उत्सवों में मुख्य अतिथि, उद्घाटनकर्ता, अध्यक्ष या किसी विशिष्ठ रूप में भाग लिया ? यदि हां, तो किन किन संस्थाओं में कब कब और किस रूप में भाग लिया ?

(2) क्या राज्य सेवा में रहते हुए ऐसा करने के लिये सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो किस किस अवसर पर वह स्वीकृति दी गई ?

(3) उक्त संस्थाओं को राज्य सरकार से क्या आर्थिक अथवा अन्य लाभ प्रदान होता है ? कितना कितना और कब कब वह मिला ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) केवल एक संस्था महेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर को पिछले वर्षों में निम्न अनुदान मिला है :—

1976–77	1,24,702/–
1977–78	1,28,431/–
1978–79	1,20,000/–
	(जनवरी, 1979 तक)

श्री मीठा लाल मेहता, ग्राई० ए० एस० ने मुख्य मंत्री जी के सचिव पद धारण करने की ग्रवधि में निम्नांकित संस्थाग्रों के उत्सवों में भाग लिया है :—

1. विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक शाला के वार्षिकोत्सव की ग्रध्यक्षता ।

(स्थान—भीलवाड़ा
दिनांक 1 ग्रक्टूबर, 1978)

2. बैंक ग्राफ बड़ौदा के ग्रामीण विकास केन्द्र का उद्घाटन तथा ग्रन्त्योदयी परिवारों को ऋण वितरण ।

(स्थान—घाटोल, जिला बांसवाड़ा
दिनांक 12 नवम्बर, 1978)

3. बांसवाड़ा ग्रौद्योगिक क्षेत्र में टाइल्स फैक्टरी का उद्घाटन ।

(स्थान—बांसवाड़ा
दिनांक 12 नवम्बर, 1978)

4. बैंक ग्राफ बड़ौदा के ग्रामीण विकास केन्द्र सागवाड़ा का उद्घाटन व ग्रन्त्योदयी परिवारों को ऋण वितरण ।

(स्थान—सागवाड़ा जिला डूंगरपुर
दिनांक 13 नवम्बर, 1978)

5. बैंक ग्राफ बड़ौदा की मंगलवाड बैंक शाखा का उद्घाटन ।

(स्थान—मंगलवाड
दिनांक 24 दिसम्बर, 1978)

6. ग्रन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष पर भीलवाड़ा जिले में यूनोस्को चाइल्ड्स एसोसिएशन की स्थापना एवम् बाल विकास प्रवृत्तियों का समारम्भ ।

(स्थान—कोटरी जिला भीलवाड़ा
दिनांक 7 जनवरी, 1979)

7. महेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर के गणतन्त्र दिवस पर झंडारोहण ।

(स्थान—जयपुर
दिनांक 26 जनवरी, 1979)

प्रतापगढ़ से नीमच सड़क

619. श्री कारू भाई मीणा(प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़-नीमच वाया पानमोडी, थड़ा बरड़िया मार्ग को कब तक पक्का बना दिया जायेगा ?

(2) प्रतापगढ़—मुगाणा वाया अचलपुर रामपुरिया और पंडावा मार्ग को क्या पक्का बनाने का प्रस्ताव है ?

(3) क्या गत दो वर्षों में आदिवासी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है ? यदि हां, तो कौन कौन से मार्गों का निर्माण किया गया ?

उत्तर

(1) इस सड़क का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। गत दो वर्षों में निम्नलिखित सड़क :

1. अरनोद से पीपलोदा की पक्की (मेटल) सड़क का निर्माण।
2. प्रतापगढ़ से बांसवाडा सड़क।
3. दलोट से सामगढ़ सड़क।
4. प्रतापगढ़ से धारियावद सड़क देवगढ़ तक,

जिनकी अनुमानित लागत 37.50 लाख है स्वीकृत कर कार्य कराया गया।

फलासिया क्षेत्र की वन भूमि को रेवेन्यू में बदलना

621. श्री लालू दास (फलासिया) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अब तक फलासिया विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कितनी कृषि योग्य भूमि को रेवेन्यू में बदला गया है ? यदि नहीं, तो वन विभाग की कितनी भूमि कब तक रेवेन्यू में बदल दी जावेगी ?

उत्तर

अब तक फलासिया विधान सभा क्षेत्र में 1089 बीघा 5 बिस्वा वन भूमि को राजस्व में बदला गया है।

राज्य में टंगस्टन का कचरा एवं साधारण ग्रेड के खनिज उपयोग हेतु संयंत्र

622. श्री बंशीलाल सारस्वत(नागौर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टंगस्टन का कचरा और साधारण ग्रेड का खनिज अनुपयुक्त और बेकार रूप से पड़ा है और इसके सही उपयोग के लिए एक सयन्त्र लगाना जरूरी है ?

(2) क्या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां पर एक संयन्त्र लगा रखा था और भारत स्वतन्त्र होने के दौरान उसे क्या नष्ट कर दिया गया ?

उत्तर

(1) टंगस्टन खनिज के बहुत पुराने टैलिस (क्यरा) व निम्न श्रेणी का खनिज कहीं कहीं मिश्रित अवश्य हो गया है लेकिन ये दोनों इतने निम्न श्रेणी के हैं और इसमें टंगस्टिक आक्साइड की मात्रा इतनी कम है कि साधारणतया इसको परिष्कृत नहीं किया जा सकता। फिर भी जहां कहीं भी थोड़ी भी इससे अधिक मात्रा में टंगस्टन उपलब्ध है उस मिट्टी को (ग्रावेल) रड़का लेते हैं। जहां तक संयन्त्र लगाने का प्रश्न है इसको लगाने से पहले विधि (प्रोसेस) मालूम होना जरूरी है लेकिन ऐसी विधि अभी तक नहीं मिली है जो कि आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो और जिसके द्वारा रिकवरी भी पर्याप्त हो।

(2) डेगाना माइन्स पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जीगींग टेबलिंग मिल लगी हुई थी किन्तु यह युद्ध समाप्त होने के बाद ही और स्वतन्त्रता प्राप्ति के 2 वर्ष पूर्व ही यानि सन् 1955 में ही हटा ली गई थी।

ग्राम पंचायतों को अनुदान

623. श्री वृद्धि चन्द जैन (बड़ी सादड़ी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान को पहले वर्ष की राशि का जमा खर्च पंचायत समितियों द्वारा खाद बीज आदि की बाकयात में कर दिया गया है? यदि हां, तो प्रत्येक पंचायत समिति में कितनी राशि इस प्रकार जमा हुई? क्या राज्य सरकार उस राशि को वापस ग्राम पंचायतों को दिलाने के प्रश्न पर विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

यह सही है कि वर्ष 1977–78 के लिये दी गई कुल अनुदान राशि में से पंचायत समितियों के विरुद्ध 31–3–77 को अल्पकालीन बकाया ऋण की राशि का 1/3 भाग काट कर शेष 1,68,15,550 रुपये की राशि पंचायत समितियों की पंचायतों को वितरण करने हेतु पी. डी. खातों में हस्तान्तरित कराई गई है और 232 में से राज्य की 156 पंचायत समितियों को वर्ष 1977–78 में सहायक अनुदान की राशि दी गई है। शेष 76 पंचायत समितियों को उनके विरुद्ध बकाया ऋण राशि का 1/3 भाग दिये जाने वाले अनुदान से अधिक होने के कारण उनसे पूरी राशि का समायोजन कर लिया गया है। आदेश संलग्न है।

जी नहीं।

(आदेश विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

248

काम के बदले अनाज योजना में सरपंचों के विरुद्ध गबन की शिकायतें

624. श्री रामकरणसिंह :(कोटपूतली) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत राज्य के कितने सरपंचों के विरुद्ध गबन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जयपुर जिले में इस बारे में क्या किसी का चालान किया गया तथा क्या किसी का केस रजिस्टर्ड हुआ है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस जिले में किसी का चालान नहीं किया गया, किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत हिगोंटिया एवं उप सरपंच ग्राम पंचायत काली पहाड़ी, पंचायत समिति दौसा के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है।

भाग (1) से संबंधित सूची।

1. सरपंच, ग्राम पंचायत गुणेसरा, पंचायत समिति करौली।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत हिगोंटिया एवं काला पहाड़ी, पंचायत समिति दौसा।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत छोटी उदेई, पंचायत समिति गंगापुर।

लालसोट, दौसा तथा सिकराय तहसीलों में सीमेंट का वितरण

625. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा), **श्री हरसहाय मीणा** (लालसोट) : **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लालसोट, दौसा तथा सिकराय तहसील के लिए विगत एक वर्ष में कितनी सीमेंट वितरण हेतु आवंटित की गई?

(2) लालसोट व दौसा तहसील क्षेत्र में कुओं के लिए सीमेंट की कितनी मात्रा की मांग पंचायत समिति के रिकार्ड के अनुसार मौजूद है?

(3) क्या सरकार काश्तकारों को सीमेंट उपलब्ध कराने हेतु इस क्षेत्र में सीमेंट का अधिक कोटा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) लालसोट व दौसा तथा सिकराय तहसील के लिये जनवरी, 78 से दिसम्बर, 78 तक क्रमश: 2575, 2296, एवं 1044 टन सीमेंट आवंटित की गई।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) पंचायत समितियों के रिकार्ड के अनुसार लालसोट व दौसा तहसील के क्षेत्रों के कुओं के लिये क्रमशः 500 एवं 621 टन सीमेंट की मांग है।

(3) सीमेंट की मात्रा में वृद्धि केन्द्र सरकार से अधिक आवंटन प्राप्त होने पर ही सम्भव है।

राज्य में नये न्यायिक न्यायालय

626. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय), **श्री हरसहाय मीना** (लालसोट): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार ने न्यायिक न्यायालय और बढ़ाने की स्वीकृति दी है? यदि हां, तो कितने न्यायालयों की?

(2) क्या राज्य सरकार ने न्यायालय खोलने हेतु स्थान निर्धारित कर लिये हैं? यदि हां, तो कहां कहां?

(3) क्या राज्य सरकार लालसोट जिला जयपुर में न्यायिक अदालत खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) लालसोट क्षेत्र के दौसा न्यायालयों में कितने कितने दीवानी, फौजदारी एवं विविध मामले विचाराधीन हैं?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है? केन्द्र सरकार द्वारा गठित सप्तम वित्तीय आयोग ने सिफारिश की है कि राजस्थान में नौ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा 39 मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नये न्यायालय खोले जांय, जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है?

(2) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही उच्च न्यायालय से परामर्श कर नये न्यायालय खोलने के लिये स्थान निर्धारित किये जायेंगे।

(3) नये न्यायालय खोलने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है जो केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात प्राथमिकता के आधार पर खोले जायेंगे।

(4) दौसा क्षेत्र के दीवानी 193, फौजदारी 398 व विविध 25 मामलें मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में लम्बित है जिनकी कुल संख्या 616 है।

सिरोही जिले में वनों का विकास

627. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में वनों का विकास नहीं होकर तीस वर्षों में वनों की कटाई ही कटाई हुई है?

(2) क्या यह सही है कि दांतो बाड़ा

250

(श्री रघुनाथ व्यास)

प्रोजेक्ट भी वृक्षारोपण नहीं कर रही हैं और इस कारण गुरु शिखर 'आबू पर्वत' सिरोही से शिवगंज तक का रेंज साफ सूखा हो गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सिरोही जिले में सड़कों के किनारे भी वृक्षारोपण आज तक नहीं हुआ है ?

(4) क्या यह भी सही है कि डाबाजोड, पालडीजोड, मारकुण्डेश्वर के जंगल भी नष्ट हो गए हैं ?

(5) क्या वन विभाग के पास सिरोही जिले के वनों का विकास करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वनों की कटाई के साथ साथ विकास कार्य भी कराये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) डाबाजोड, एवं मारकुण्डेश्वर वन विभाग के अधिनस्थ नहीं है। पालड़ीजोड़ के जंगल नष्ट नहीं हुए हैं।

(5) जी हां। सिरोही जिले में निम्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे हैं :--

(i) परिभाषित वनों का पुर्नवास।
(ii) परिभाषित वनों का पुनर्रोपण।
(iii) वृक्षारोपण कार्यक्रम।
(iv) दांतीवाड़ा नदी घाटी क्षेत्र में भू-संरक्षण।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न सं. 701 की सूची)

जिलेवार सम्पर्क चयनित काश्तकारों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	सम्पर्क चयनित काश्तकार की संख्या
1.	अजमेर	6912
2.	अलवर	17515
3.	भरतपुर	18560
4.	जयपुर	9844
5.	दौसा	8591
6.	सवाई माधोपुर	9888
7.	गंगानगर	5760
8.	हनुमानगढ़	6042
9.	पाली	11609
10.	सिरोही	3552
11.	कोटा-बांरा	7296
12.	बूंदी	2632
12.	झालावाड़	4412
14.	टोंक	9444
15.	बांसवाड़ा	5752
16.	भीलवाड़ा	13920
17.	चित्तौड़गढ़	16383
18.	डूंगरपुर	3931
19.	उदयपुर	9100
20.	कांकरोली	7484

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न सं. 705 की आडिट रिपोर्ट व सूची)

आडिट रिपोर्ट वर्ष 1967–68 से 1970–71 ग्राम पंचायत हरसोर के विभिन्न पैरों की प्रमाणित प्रतिलिपि

9. रुपये 705/– का गबन

माह जनवरी 68 के आय व्यय के विवरण के नीचे रोकड़ पृष्ठ संख्या 35 (स्याही से अंकित) पर श्री राम बल्लभ तापड़ियां सरपंच द्वारा नोट अंकित किया गया कि नोट सांड के चारे के रुपये 705) मेला प्लाट से सचिव ने प्राप्त किए व चारे के लिए अन्य अन्य वस्तु खरीदी है उसकी एन्ट्री रोकड़ में कर लेवें सिर्फ अलग हिसाब की टोटल का इन्द्राज करते और स्टाक रजिस्टर अलग रखें। परन्तु इस नोट के बावजूद भी राशि पंचायत की रोकड़ बही में कहीं जमा होनी नहीं पाई गई। इस राशि के बारे में दिनांक 17–11–71 को सरपंच को एक मांग पत्र एल. ए. डी. 4 दिया जाकर स्पष्टीकरण चाहा गया तब एल. ए. डी. के उत्तर में सरपंच द्वारा दिनांक 1–7–69 को पंचायत की बैठक के प्रस्ताव सं. 2 की प्रति संलग्न कर प्रेषित कर दी गई जिसमें रुपये 705) व्यय होनी बताई परन्तु राशि का हिसाब आदि जांच में उपलब्ध नहीं करवाया गया। इससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कृषि भूमि से कितनी आय हुई तथा कहां है परन्तु यह तो स्पष्ट है कि सरपंच दूसरा उक्त नोट में बताई राशि रुपये 705) वास्तव में रोकड़ बही में नहीं ली जाकर गबन करली गई। सरपंच द्वारा सचिव के पास राशि होना बताया गया परन्तु सचिव की कोई रसीद आदि नहीं है इसके अतिरिक्त प्रस्ताव दिनांक 1–7–69 के अनुसार राशि गुलाब चन्द से भी नहीं लेनी पाई गई। इससे राशि के गबन का उत्तरदायित्व ज्ञात नहीं हो सका फिर भी पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 16 के अन्तर्गत पंचायत कोष के लिए सरपंच ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः उक्त रुपये 705) का रामबल्लभ तापड़िया सरपंच द्वारा गबन किया जाना प्रतीत होता है इसलिये रुपये 705) श्री रामबल्लभ तापड़िया से वसूल किए जाकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।

10. रसीद में कांट-छांट कर राशि का संभावित गबन

रसीद संख्या 57 दिनांक 10–12–68 से 2000) रु० की राशि श्री गुलाब चन्द के नाम जनसहयोग के रूप में श्री रामबल्लभ तापड़िया सरपंच द्वारा जारी की गई। रसीद पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं थे परन्तु सरपंच द्वारा अपने हाथ से जारी करना बताई गई। इस रसीद में ग्राम पंचायत का नाम तारीख, राशि अंकों में तथा शब्दों में

दूसरी स्याही से अंकित थी जिसे बाद में दूसरी स्याही से कांट छांट कर रुपये 1000) कर दिया गया। कांट छांट की स्याही से ही चंदा सब-इन्सपेक्टर हस्ते गुलाब चन्द शब्द लिखे हुए थे, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि रुपये 2000) की रसीद पहले जारी की गई परन्तु बाद में कांट-छांट कर रुपये 1000) किए गए। इस प्रकार रसीद जारी कर्ता श्री रामबल्लभ तापड़िया सरपंच द्वारा संम्भवत रुपये एक हजार का गबन कर लिया गया। अतः जिलाधीश महोदय नागौर का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित कर अनुरोध है कि रसीद में कांट छांट कर रुपये 1000) की राशि कम कर रुपये एक हजार का सम्भावित गबन करने के लिए उत्तरदायी श्री रामबल्लभ तापड़ियां सरपंच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे तथा उनसे रुपये 1000) की राशि वसूली की जाकर पंचायत कोष में जमा करवाई जावे।

11. कृषि भूमि का ठेका पैसों में न देकर वस्तु में देना, वस्तु (चूना) को भण्डार रजिस्टर में न लेकर बाला बाला व्यय बताना, हिसाब के अभाव में सम्भावित अपहरण :—

पंचायत की बैठक दिनांक 1–7–69 के प्रस्ताव संख्या 3 में मेला मैदान की कृषि भूमि को वर्ष 68 के लिए श्री छोटू खां को एक हजार चूने में देना बताया गया। जिसकी कोई पत्रावली नहीं थी। इस चूने में से 400 मन चूना सब सैन्टर निर्माण पर लगाना बताया गया। (जब कि इसके लिए कोई भण्डार रजिस्टर नहीं था) दो सो मन चूना रुपये 140) में से विक्रय करना बताया गया (आर्य रोकड़ में जमा नहीं की गई।) साठ मन चूना स्कूल भवन में देना बताया गया। शेष रहा तीन सो चालीस मन चूना। वर्ष 68 के बाद जांच के समय तक श्री छोटू खां से वसूल होना नहीं पाया गया जिसका उक्त प्रस्ताव में भी उल्लेख है। रुपये 140) चूने की कीमत में से रुपये 57) सांड के लिए चारा, रुपये 8) ओला के व रुपये 75) में सांडों के लिए जो खरीद कर दिए जावे का सुझाव दिया गया परन्तु यह राशि वास्तव में व्यय हुई या नहीं का कोई हिसाब नहीं था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिना किसी पत्रावली के 10 0 मन चूने में जमीन का ठेका देना तथा चूने को किसी भण्डार रजिस्टर में दर्ज किए बिना व्यय बताना विक्रय किए गए चूने की राशि 140) रुपये को बिना रोकड़ में दर्ज किए रुपये 65) विभिन्न खर्च के पेटे व्यय बताना तथा 75) के जो खरीदने का सुझाव देना (जिसका मालूम नहीं की खरीदे गए अथवा नहीं) चूने का अपहरण होना अथवा चूने की कीमत का अपहरण होना प्रमाणित करता है।

अतः जिलाधीश महोदय, नागौर से अनुरोध है कि उक्त 1000 मन चूने के ठेका देने तथा ठेका कब दिया गया, सामान कब आया राशि कब काम में ली गई थी विभागीय स्तर पर जांच करवाई जाकर उक्त गम्भीर अनियमितता के तथा 1000 मन चूने के अपहरण के लिए उत्तरदायी श्री रामबल्लभ तापड़िया सरपंच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर चूना 1000 मन अथवा 1000 मन चूने की कीमत वसूल की जावे। जांच परिणाम से इस विभाग को भी अवगत करवाया जावे।

सदस्य विधान सभा के प्रश्न के भाग 5 के सम्बन्ध में सूची

वर्ष 1960–61 पैरा (7) फाटक वसूली 1)50   श्री मोहन लाल सरपंच

वर्ष 1962–63 पैरा (11) रसीद में कम जमा 25 पैसे   ,,   ,,

(14) नाटक हेतु अनियमित भुगतान 10)   ,,   ,,

(14) (2) अनियमित भुगतान 8)99 श्री रामबल्लभ   ,,

वर्ष 1963–64 पैरा (8) रेडियो लाईसेंस सरचार्ज 5)   ,,   ,,

वर्ष 1965–66 से पैरा (18) (1) भूमि विक्रय में दस प्रतिशत से कम वसूली 17)20   ,,   ,,

,,   ,, पैरा (9) (2) संदेहात्मक प्रमाण का 732)50 श्री रामबल्लभ सरपंच

,,   ,, ,, (9) (4) बेरी हेतु अनुदान से अधिक व्यय रु० 12)50   ,,   ,,

वर्ष 1966–67 के पैरा (9) (4) दिनांक 15–4–67 से कुल खर्चा पर सहमति 607)56   ,,   ,,

विभागीय जांच अनुचित पाया जाने पर वसूली का सुझाव।

वर्ष 1967–68 से पैरा 5 पंचायत कोष पास रखने पर ब्याज 879)30   श्री रामबल्लभ सरपंच

पैरा (18) फाटक में प्रवेश पशुओं पर चराई शुल्क 134)50   ,,   ,,

पैरा (23) सांड खरीद पर जीप पैट्रोल का व्यय 73)53   ,,   ,,

पैरा (24) बीज खरीद का आपत्तिजनक भुगतान 264)00   ,,   ,,

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न सं. 710 की सूची)

सूची—अ

जिला श्रीगंगानगर के तहसीलवार 31 मार्च, 1978 तक विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम
तहसील सूरतगढ़	
1.	अमरपुरा राठान
2.	चक-34 एस. टी. जी.
3.	ढोलीपाल
4.	दलमानी 7 पी. ई. एन.
5.	जवालसिंहवाला
6.	लीलावती
7.	लखमीसर
8.	पीलीबंगा
9.	रामपुरा
10.	सूरतगढ़
11.	मानकखेड़ी
12.	बादोपाल
13.	सीरामसर
14.	खारतीय
15.	माणकसर
16.	करणीस
17.	दूलमाना
18.	भारोनी
19.	उदराना (तह॰ भादरा)
20.	गणेशपुरा (तह॰-भादरा)
21.	दासरी (तह॰ भादरा)
22.	सरदारपुरा खतरां
23.	मानकसर
24.	4 एन. आर. (निहालपुरा)
25.	32 एस. टी. जी.
26.	10 एस. टी. जी.
27.	10 एस डब्ल्यू.
28.	9 एम. डी.
29.	10 एम. डी.
30.	12 एम. डी.
31.	13 एम. डी.
32.	22 जे. आर. के. (गोलूवाला)
33.	24 जे. आर. के.
34.	जनापा (तह॰ भादरा)
तह.—हनुमानगढ़	
35.	9 आर. पी. (रणजीतपुरा)
36.	9 आर. पी.
37.	8 एन.डी.आर.
38.	1 आर. पी.
39.	3 एम. डब्ल्यू.
40.	हरीपुरा
41.	15 एन. डी. आर. (ढाणी मोतीयारान)
42.	हनुमानगढ़
43.	मकासर
44.	रोरावाली

क्र० सं०	ग्राम का नाम	क्र० सं०	ग्राम का नाम
45.	शतिपुरा	72.	पन्नेवाली 18 एफ.टी.ए.पी.
46.	चन्दरा	73.	सूरेवाला
47.	नावन	74.	कमरानी
48.	कुंजा	75.	मसानी
49.	लाखूवाली	76.	चा 14 जी.जी.ग्रार.
50.	रावतसर	77.	शेरेखान
51.	कोहला	78.	टीबी
52.	डबलीवास, मोलवी	79.	तलवाडा
53.	बहलोलनगर	80.	सिलवाडा
54.	ववलीवासकुतब	81.	सालेवाली
55.	साहजीपुरा	82.	बसिर
56.	जगजहाना	83.	गीलवाला
57.	मसूरवाला	84.	कुलचन्द्र
58.	फतेहगढ़	85.	सहरानी
59.	श्रीनगर	86.	दौलतपुरा
60.	रामसरानारायण	87.	खराखेड़ा
61.	गंगागढ़	88.	मालाखेड़ा
62.	जाबर	89.	सरमुखसिंह वाला
63.	डावली चुगता	90.	16 एस. डब्ल्यू. डब्ल्यू.
64.	महरसिंहवाला	91.	1 एम. डी. महरवाला
65.	डबलीवास सरडाना	92.	महराना (तह० भादरा)
66.	डबलीवास तिमा	93.	रा० गडीया (तह० भादरा)
67.	डबलीवास चैना	94.	7 एम. डी.
68.	डबलीवास मिढारोही	95.	8 एम. डी.
69.	फतेहमोहम्मद	96.	11 डी.बी.एल. (डुबलीकंला)
70.	मैनावाली	97.	13 डी. बी. एल.
तहसील टीबी			
71.	पीरकामारिया	98.	14 डी.बलएल (डबलीकंला)

क्र० सं०	ग्राम का नाम
तहसील संगरिया	
99.	संगरिया
100.	फतेहपुररोही
101.	नगराना
102.	शेरगढ़
तहसील–नोहर	
103.	गुडिया
104.	भूकरका
105.	दईदास
106.	टोपारिया
107.	नोरंगदेसर (तह० टीबी)
108.	चान्दुरवाला
तहसील–श्रीगंगानगर	
109.	श्रीगंगानगर
110.	चक 1 जेड
111.	चक 2 जेड
112.	चक 3 जेड
113.	चक 4 जेड
114.	चक 5 जेड
115.	चक 6 जेड
116.	चक 8 जेड
117.	चक 10 जेड
118.	चक 7 जेड
119.	चक 12 जेड
120.	चक 13 जेड
121.	चक 3 वाई
122.	चक 5 वाई
123.	चक 7 वाई
124.	चक 8 वाई
125.	चक 9 वाई
126.	चक 11 वाई
127.	चक 1 ई
128.	चक 2 ई
129.	चक 3 ई
130.	चक 4 ई
131.	चक 6 ई
132.	चक 7 ई
133.	चक 1 ए
134.	चक 1 बी
135.	चक 1 डी
136.	चक 4 बी
137.	चक 2 जी
138.	चक 1 एम एल
139.	चक 3 एम एल
140.	चक 4 एम एल
141.	चक 5 एम एल
142.	चक 15 एम एल
143.	चक 16 एम एल
144.	चक 17 एम एल
145.	चक 1 वाई
146.	चक 2 वाई
147.	चक 19 एम एल
148.	चक 3 जी
149.	चक 5 एच
150.	चक 18 एम एल
151.	चक 3 एच एच
152.	चक 8 क्यू

258

क्र० सं०	ग्राम का नाम	क्र० सं०	ग्राम का नाम
153.	चक 9 क्यू	199.	चक 3 एच
154.	चक 10 क्यू	200.	किरारा छोटी (तह० भादरा)
155.	11 क्यू	201.	चक 1 डी
156.	चक 12 क्यू	202.	चक 2 डी
157.	चक 13 क्यू	203.	चक 20 एम एल ए
158.	चक 14 क्यू	204.	चक 20 एल एल बी
159.	चक 18 एल एन पी	205.	चक 1 जे
160.	छानी बडी (तह० भादरा)	206.	कालपा (तह० भादरा)
169.	भारल (तह० भादरा)	207.	चक 7 एफ
170.	चक 10 एस एल	208.	चक 9 एफ
171.	किरारा बडी (तह० भादरा)	209.	चक 10 एफ
172.	चक 5 एल एन पी	210.	चक 11 एफ
173.	चक 3 एल एन पी	111.	चक 2 पी
174.	चक 3 क्यू	212.	वेर (तह० भादरा)
175.	चक 8 एल एल पी	213.	चक 16 एल एन पी
176.	चक 21 एल एम एन	214.	चक 1 जी
177.	चक 3 एम एल	215.	चक 1 एच एच
178.	चक 7 एम एल	216.	चक 1 डी
179.	चक 9 एम एल	217.	चक 6 एफ
180.	चक 22 एम एल	218.	चक 8 एफ
181.	चक 23 एम एल	219.	चक 4 एफ
182	चक 24 एम एल	220.	चक 6 एल एन पी
183.	चक 11 एम एल	221.	चक 4 एल एन पी.
184	चक 500 एल एन पी	222.	चक 6 क्यू
185.	चक 20 जी जी	223.	चक 1 क्यू
186.	चक 18 जी जी	224.	चक 2 एच एच
187.	चक 2 जी	225.	चक 1 जी जी
188.	चक 2 जी	226.	चक 1 एफ
189.	चक 6 जी	227.	चक 2 एच
190.	चक 6 जी		

क्र० सं०	ग्राम का नाम	क्र० सं०	ग्राम का नाम
228.	चक 1 एच	258.	चक 35 एफ
229.	चक 3 जे	259.	6 जेड ए
230.	चक 13 एफ	260.	3 ए
231.	चक 14 एफ	261.	10 एल एन पी
232.	चक 7 एल एन पी	262.	6 ए
233.	चक 6 जी	263.	9 एल एन पी
234.	चक 1 जी	264.	501 एल एन पी
235.	चक 17 एल एन पी		**तहसील पदमपुर :**
236.	चक 2 ई	265.	पदमपुर
237.	चक 20 जी जी	266.	चक 10 बी बी
238.	चक 12 एफ	267.	चक 9 बी बी
239.	चक 2 एच एच	268.	1 सी सी हैड
240.	चक 3 क्यू	269.	चक 13 बी बी
241.	चक 24 एल एन पी लाडूवाला	270.	चक 21 बी बी
242.	गणेशगढ	271.	चक 18 बी बी
243.	चक पटीखिया	272.	चक 12 बी बी
244.	संगतपुरा 8 एच	273.	चक 14 बी बी
245.	खाटलूबाना 2 एफ	274.	चक 17 बी बी
246.	चक 12 एल एन पी सियांगावाली	275.	चक 11 बी बी
247.	खियालीवाला 11 एल एन पी	276.	चक 19 बी बी
248.	चक महीराजका	277.	चक 20 बी बी
249.	महीपानवाली 4 एच एच	278.	चक 15 बी बी
250.	चक 4 एल सी	279.	चक गर्जासिहपुर
251.	सुघाजोर	280.	रीडमलसर 60 एल. एन. पी.
252.	डाबला 5 एम पी	281.	27 एस. एल.
253.	हरीपुरा डाबला	282.	चक 31 आर. बी.
254.	चक 17 एफ	283.	भादरा (तहसील भादरा)
255.	साहूवाला (तहसील भादरा)	284.	चक 45 एस.
256.	चक 32 एफ	285.	निनाण (तहसील भादरा)
257.	चक 33 एफ		

क्र० सं०	ग्राम का नाम
286.	2 सीसी
287.	4 सीसी
288.	2 एन. एन.
289.	4 एन. एन.
	तहसील रायसिंहनगर
290.	रायसिंहनगर
291.	चक 26 पी. एस. ए.
292.	चक 24 पी. एस.
	तहसील अनूपगढ़
293.	आर. पी. सी. कालोनी
294.	24 जी. बी.
295.	22 जी. बी.
296.	7 के. सी.
297.	मसानीवाला
298.	33 जी. बी.
299.	29 जी. बी.
300.	61 जी. बी.
301.	22 पी. एस.
302.	चक 21 पी. एस.
303.	चक 19 पी. एस.
304.	चक 4 पी. एस.
305.	चक 3 पी.एस.
306.	चक 14 पी.एस.बी.
307.	चक 14 एम.एल.
308.	चक 30 एम.एल.
309.	चक 15 पी.एस.
310.	चक 3 एफ.एफ.बी.
311.	चक 4 एफ.एफ.बी.
312.	चक 9 एफ.एफ.बी.
313.	चक 79 आर.बी.ए.
314.	चक 79 आर.बी.
315.	चक 1 एल.सी.
316.	चक 2 एल.सी.
317.	1 एम.पी.डी.
318.	23 पी.एस.सी.
	तहसील सादुलशहर
319.	लालगढ़ जाटा 8 एल.एल.जी.
320.	डूंगरसिंहपुरा
321.	करडवाला 9 के.आर. डब्ल्यू.
322.	तख्तहजारा 8 एस.डी.एस.
323.	सादुलशहर
324.	खैरूवाला 22 पी.टी.पी.
325.	पाटली 25 के.एस.डी.
326.	गडेरखेड़ा 22 के.एस.डी.
327.	प्रतापपुरा 30 पी.टी.पी.
328.	चक घोला पी.टी.पी.
329.	नारायणगढ़ 25 पी.टी.पी.
	तहसील करणपुर
330.	श्री करणपुर
331.	चक 19 ओ.
332.	चक 16 ओ.
333.	चक 17 ओ.
334.	चक 2 ओ.
335.	चक 3 ओ.
336.	चक 4 ओ.

क्र० सं०	ग्राम का नाम	क्र० सं०	ग्राम का नाम
337.	चक 5 ग्रो.	367.	चक 21 एफ.एफ.
338.	चक 6 ग्रो.बी.	368.	चक 11 एफ.एफ.बी.
339.	चक 7 ग्रो.	369.	चक 4 एफ.
340.	चक 8 ग्रो.	370.	चक 48 एफ.
341.	चक 9 ग्रो.	371.	चक 41 एफ.बी.
342.	चक 11 ग्रो.ए.	372.	चक 41 एफ. ए.
343.	चक 11 ग्रो.बी.	373.	केशरीसिंहपुर
344.	चक 15 ग्रो.	374.	चक 1 डब्ल्यू
345.	चक बारीनगा 43 एफ.	375.	चक 2 डब्ल्यू.
346.	चक 36 एफ.	376.	चक 3 यू.
347.	चक 42 एफ.	377.	1 बी.
348.	चक 47 एफ.बी.	378.	1 बी.बी.
349.	चक 49 एफ.	379.	2 बी.
350.	चक 1 एफ.एफ.	380.	4 बी.
351.	चक 6 एफ.एफ.	381.	3 डब्ल्यू.
352.	चक 5 एफ.एफ.	382.	4 डब्ल्यू.
353.	चक 7 एफ.एफ.	383.	5 डब्ल्यू.
354.	चक 8 एफ.एफ.	384.	1 यू.
355.	चक 13 एफ.एफ.	385.	7 डब्ल्यू.
356.	चक 14 एफ.एफ. ए.	386.	10 एफ.
357.	चक 14 एफ.एफ.बी.	387.	20 एफ.
358.	चक 15 एफ.एफ.	388.	21 एफ.
359.	चक 16 एफ.एफ.	389.	22 एफ.
360.	चक 4 एफ.एफ.	390.	25 एफ.
361.	चक 9 एफ.एफ.	391.	26 एफ.
362.	चक 4 एफ.एफ.	392.	27 एफ.
363.	चक 7 डब्ल्यू.	393.	28 एफ.
364.	चक 3 एफ.	394.	29 एफ.
365.	चक 39 एफ.	395.	फूसेवाला 2 एम.
366.	चक 2 एफ.एफ.	396.	बलकानाखुद 4 एस.

क्र० सं० ग्राम का नाम	क्र० सं० ग्राम का नाम
397. चक 16/17 एच.	तहसील अनूपगढ़
398. चक 18 एच.	415. जैतसर 1 जे.बी.
399. चक 19 एच.	416. सरुमदेसर
400. चक 20 एच	417. सरदारगढ़
401. चक 23 एच	418. चक 2 जी.जी.
402. चक 24 एच.	419. चक 7 जी.बी.
403. चक 25 एच.	420. चक 4 जी.
404 चक 26 एच.	421. चक 3 जी.बी.
405. चक 27 एच.ए.	422. एस.टी.बी. 1
406. चक 27 एच.बी.	423. फरीददेसर
407 29 एच.	424. मेगावाली ढाणी
408. 78	425. श्री विजयनगर
409. 58 बी.	426. चक 21 बी.बी.
410. 28 एच.	427. रामसिंहपुर
411. 31 एफ.	428. अनूपगढ़
412. 34 एफ.	429. 61 जी.बी.
413. 1 ओ.	430. 62 जी.बी.
414. 31 आर.बी.	431. 82 जी.बी.

सूची 'ब'

माह मार्च, 78 तक राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	जिला	कुल ग्राम एवं नगरों की सं.	31/3/79 तक विद्युतीकृत ग्राम	विद्युतीकरण का प्रतिशत
1.	अजमेर	962	456	47.40
2.	अलवर	1873	720	38.44
3.	बांसवाड़ा	1441	363	25.19
4.	बाड़मेर	839	47	5.60
5.	भरतपुर	1877	606	32.28
6.	भीलवाड़ा	1512	582	38.39
7.	बीकानेर	546	86	15.75
8.	बून्दी	733	129	17.59
9.	चित्तौड़गढ़	2139	644	30.23
10.	चूरू	861	155	18.00
11.	डूंगरपुर	827	200	24.18
12.	जयपुर	2694	1203	44.65
13.	जैसलमेर	434	3	0.59
14.	जालोर	597	180	30.15
15.	झुन्झुनू	705	391	55.46
16.	झालावाड़	1446	369	25.51
17.	जोधपुर	706	207	29.32
18.	कोटा	1911	461	24.12
19.	नागौर	1224	397	32.43
20.	पाली	830	498	60.00
21.	सवाई माधोपुर	1537	377	24.52
22.	सीकर	817	383	46.87
23.	सिरोही	428	223	52.10
24.	श्रीगंगानगर	2398	413	17.97
25.	टौंक	1012	240	23.71
26.	उदयपुर	3122	815	26.10
	कुल योग	33462	10166	30.40

इस सूची में कोटपूतली सरल इलेक्ट्रिक को-आपरेटिव सोसायटी द्वारा विद्युतीकृत ग्राम सम्मिलित नहीं हैं।

परिशिष्ट–7

अ० ता० प्रश्न संख्या 712 की सूची

जयपुर जिले में जिन बान्धों की चादर चलने से पानी बेकार गया उनकी सूची

क.सं.	नाम बान्ध	पानी जो व्यर्थ गया (लगभग मिलियन घनफुट)
1.	रामगढ़	800
2.	बूचारा	495
3.	खरड़	375
4.	कूकस	210
5.	हिंगोनिया	360
6.	कालख	160
7.	फटन	350
8.	दांतली	450
9.	चांदराना	1050
10.	सैंथल	525
11.	कालाखो	300
12.	दक्षिण सागर	100
13.	भण्डारी	380
14.	खेड़ी	225
15.	कूयाड़ा	50
16.	उपरेदा	50
17.	दापावन	30
18.	गुढामुई	85
19.	निंबला	25
20.	रायावाला	170
21.	रामयावाला	80
22.	टंकू	110
23.	छितौली	36

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न 714 का विवरण

सूची "क"

1. राज्य की जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का विवरण

क्र० सं०	जिला	योजना का नाम	व्यय किया गया खर्चा (लाखों में)	प्रारम्भ का वर्ष	वास्तविक औसतन सिंचाई (एकड़ों में)	बन्द होने का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	बांसवाड़ा	बोडला	1.27	1971–72	93	चालू है।
2.	,,	सागयाड़िया द्वितीय	1.27	,,	101	,,
3.	,,	भीमसोर	1.49	,,	110	,,
4.	,,	देवलिया प्रथम	1.41	,,	90	,,
5.	,,	चन्दु जी का बड़ा बांई	0.48	,,	43	,,
6.	,,	चन्दु जी का बड़ा दायां	0.52	,,	155	,,
7.	,,	साधनी	1.23	,,	61	,,
8.	,,	टेकला	1.20	,,	48	,,
9.	,,	खेड़ा	0.81	,,	96	,,
10.	,,	प्रतापपुर (ए)	0.79	,,	49	,,

1	2	3	4	5	6	7
11.	बांसवाड़ा	जनसौरा	1.13	1971–72	66	चालू है।
12.	,,	सागवाड़ीया प्रथम	1.36	,,	91	,,
13.	,,	प्रतापपुर (बी)	1.30	,,	42	,,
14.	,,	ओडवाडिया	0.87	,,	50	,,
15.	,,	कूम जी का पहला बांया	1.12	,,	90	,,
16.	,,	देवलिया द्वितीय	1.62	1972–73	96	,,
17.	,,	परसोलिया	1.67	1971–72	91	,,
18.	,,	खोदन	4.12	1974–75	47	,,
19.	,,	चौयासम	1.59	1971–73	113	,,
20.	,,	पड़ोसी राठौड़	1.00	,,	89	,,
21.	,,	कूम जी का पहला दायां	2.17	,,	155	,,
22.	,,	बड़ी शरेडी	3.16	1974–75	44	,,
23.	,,	मोटागांव	6·77	,,	221	,,
24.	डूंगरपुर	गलियाकोट	1.45	1970–71	151	,,
25.	,,	सलोडा	1.39	,,	69	,,
26.	,,	भीलुण्डा	1·56	,,	115	,,
27.	,,	भीलुण्डा	—	,,	90	,,

1	2	3	4	5	6	7
28.	उदयपुर	भाना	—	1971–72	360	चालू है ।
29.	,,	खमनोर	—	1975–76	95	,,
30.	,,	राजनगर	—	1970–71	432	,,
31.	बून्दी	पावलपुरिया	2.11	1969–70	204	1970–71
32.	,,	भण्डावरा	1.20	,,	101	,,
33.	,,	करजूना	0.03	,,	50	,,
34.	,,	नमाला	0.90	1967–68	288	1968–69
35.	,,	छतरगंज	0.81	1970–71	103	1971–72
36.	,,	फूल बरोद	0.59	1968–69	70	1969–70
37.	,,	तुलसा	0.91	1970–71	20	1971–72
38.	,,	मजरोहिला	0.98	,,	35	,,
39.	,,	साजगढ़	0.23	1966–67	31	1967–68
40.	,,	सहायगढ़	0.19	1967–68	12	1968–69
41.	चित्तौड़गढ़	कोटरी	0.95	—	101	—
42.	,,	नानाकग्धार	2.09	—	62	—

२६८

1	2	3	4	5	6	7
43.	झालावाड़	कुन्दनपुरा	1.20	1970–71	61	1972–73
44.	,,	अटरालिया	0.42	,,	46	,,
45.	,,	जावर	0.20	,,	40	,,
46.	,,	हुनोतिया	0.21	,,	15	,,
47.	,,	सलोटिया	0.15	,,	125	,,
48.	,,	भवरसा	0.31	,,	40	,,
49.	भीलवाड़ा	स्वरूपगंज	0.82	,,	50	चालू हैं।
		योग			10068	

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 716 की सूची

सूची "क"

शेल्फ ग्राफ वर्क्स

हनुमानगढ़ क्षेत्र :

1.	हिरन स्टोरेज टेंस	—	सर्वेक्षण सर्वे डिविजन उदयपुर द्वारा किया जा चुका है।
2.	रामगढ़	—	सर्वे करके एस्टीमेट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है।
3.	कलिजरा	—	,, ,, ,,
4.	सुनारिया	—	सर्वे चालु हैं।
5.	पीपलोन	—	एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।
6.	गोयका प्रसाद	—	सर्वे करके एस्टीमेट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है।
7.	खाना पाड़ा	—	,, ,, ,,
8.	सारन पतेला का नाका	—	,, ,, ,,
9.	बगायचा हिम्मत गढ़ी	—	सर्वे हो चुका है ऐस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।
10.	नागदा	—	एस्टीमेट मुख्य कायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न सं. 720 की सूची

क.सं.	रन का नाम	अकाल सहायता के लिये जा सकने वाले प्रस्तावित कार्य	डी. पी. ए. पी. योजना के तहत प्रस्तावित कार्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	कानोद रन	1. आगोरिया खडीन	(अ) डी.पी.ए.पी. के सर्वे प्रोग्राम में सम्मिलित कार्य :— 1. खोरडो खडीन 2. रेल खडीन (ब) नये आईडेन्टी फाईड कार्य:- 1. हुडारन खडीन 2. कानोद हुडारन खडीन 3. बीरया की कानाद खडीन 4. सुथारो का खडीन	
2.	भुज रन	1. भुज खडीन 2. खाडोरिया खडीन 3. दुनार खडीन 4. मैनी खडीन 5. बराड खडीन 6. खोतरली खडीन 7. नखीया एडीन	(अ) डी. पी. ए. पी. के सर्वे प्रोग्राम में सम्मिलित कार्य :— 1. बन्टालिया खडीन 2. जाजीया का पाक्षार 3. डेडा खडीन प्रथम	

1	2	3	4	5
			4. हेडा खडीन द्वितीय	
			5. पाछोर खडीन द्वितीय	
			(स) नये आईडेन्टी फाईड कार्य :–	
			1. भुज खडीन (ऊपर)	
3.	ब्रह्मसर रन	1. रोघा खडीन	(अ) डी. पी. ए. पी. के सर्वे प्रोग्राम में सम्मिलित कार्य :—	
			1. ब्रह्मसर खडीन प्रथम	
			2. ब्रह्मसर खडीन द्वितीय	
			(ब) डी. पी.ए. पी. के अन्तर्गत पूर्ण हुये व चल रहे कार्य :—	
			1. ब्रह्मसर खडीन तृतीय	कार्य पूर्ण हो चुका
			2. नवोदा खडीन	कार्य पूर्ण हो चुका
4.	जानेजा रुपसी रन	1. टकसानी खडीन 2. रोड़ी वाला खडीन 3. दुदाला खडीन 4. जसाला खडीन	(अ) डी. पी. ए. पी. के सर्वे प्रोग्राम में सम्मिलित कार्य :— 1. सोसाइटी खडीन	

(272)

1	2	3	4	5
			(ब) डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत पूर्ण हुये व चल रहे कार्य :—	
			1. उगटा खडीन	कार्य पूर्ण हो चुका
			2. सोसायटी खडीन प्रथम	कार्य पूर्ण हो चुका
			3. पल्ली खडीन	कार्य चल रहा है।
			4. खरेडों की खडीन	कार्य चल रहा है।
5.	काक नदी	1. चुंदी एनीकट		इस नदी पर रुपसी ग्राम को निम्न-लिखित खाद पहले ही बन चुकी है। 1. साज खडीन 2. सिनाड़ा खडीन 3. घगड़ खडीन 4. रोडी वाला खडीन 5. वाली खडीन

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न सं० 721 की सूची

सिंचाई खण्ड, उदयपुर के अधीन राहत कार्यों के अन्तर्गत चलाये गये कार्यों की सूची

क्रमांक	नाम तालाब	तहसील	सन्
1	2	3	4
1.	मलारिया	गोगुन्दा	1971-72
			1972-73
			1973-74
2.	भारोडी	,,	1965-66
			1970-71
			1971-72
			1972-73
			1973-74
			1977-78
3.	नान्देरामा	,,	1965-66
			1969-70
			1970-71
			1971-72
			1972-73
			1973-74
			1977-78
4.	गगडुन्दा	,,	1971-72
			1973-74
5.	पलवा	,,	1969-70
			1970-71
			1971-72
			1972-73
			1973-74
			1977-78

274

1	2	3	4
6.	घुव तालाब	गोगुन्दा	1971–72 1973–74
7.	जसवन्त सागर	,,	1971–72 1972–73 1973–74
8.	ओवरा	,,	1971–72 1972–73 1973–74 1977–78
9.	भदारड़ा	,,	1971–72 1972–73 1973–74
10.	सूलेर	,,	1971–72 1973–74
11.	फुटेला	,,	1971–72 1973–74
12.	मोवावास	,,	1971–72 1973–74
13.	मेरवाखेल	,,	1971–72 1972–73 1973–74
14.	छीपाला	,,	1971–72 1972–73 1973–74
15.	गोंगुन्दा की हूंर	,,	1965–66 1971–72 1973–74

1	2	3	4
16.	रावलिया खुर्द	गोगुन्दा	1971–72
			1972–73
			1973–74
17.	मोहदा के नाल	,,	1971–72
			1973–47
18.	बटेरी	,,	1969–70
			1970–71
			1971–72
			1972–73
			1973–74
			1977–78
19.	रोड़राव	,,	1968–70
			1970–71
	सायरा तालाब	,,	1972–74

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 724 की सूची

राजस्व अभियान वर्ष, 1977 एवम् वर्ष, 1978 में
निपटाये गये मामलों की संख्या

		वर्ष, 1977	वर्ष, 1978	योग
1	2	3	4	5
वर्गीकरण :				
(1)	खातेदारी अधिकार के निपटाये गये मामले	143416	82010	225426
(2)	नामान्तरण खोल कर स्वीकृति करना	577393	412522	989915
(3)	भूमि आवंटन :			
	(क) नोन कमाण्ड	61184	37635	98819
	(ख) कमाण्ड	12863	4997	17860
(4)	नियमन :			
	(क) अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर बनाये गये मकान एवं बाड़ों का निपटारा	31017	25521	56538
	(ख) सिवायचक, गैरमुमकिन, पड़त अंगोर या वन भूमि पर स्थापित किये गये ग्रामों व ढाणियों के नियमितिकरण किये गये मामलों की संख्या	575	245	820
(5)	अतिक्रमण के मामलों का निपटारा	266539	285920	552459

1	2	3	4	5
(5)	रहन बिल कब्ज की भूमि का सम्बन्धित काश्तकारान को दिलाने बाबत प्रगति	3462	2796	6258
(7)	काश्तकारों की अवाप्त की गई भूमि के लगान की कमी करना	32713	17518	50231
(8)	कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण सम्बन्धी मामलों का निपटारा	12778	5425	18203
(9)	ग्रामों की आबादी के लिए भूमि उपलब्ध कराना	1838	2335	4173
(10)	बैंकिंग संस्थानों से काश्तकारों को ऋण दिलाने के लिए राजस्व अभिलेखों की प्रतियां एवं बकाया राशि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देना	27095	19300	46395
(11)	जनता के अभाव अभियोगों का तत्परता से निपटारा करना	—	27282	27282
(12)	राजस्थान निर्माण के पश्चात् हड़पी हुई भूमि के सम्बन्ध में जांच के दौरान हड़पी हुई भूमि के पाये गये मामले	—	201	201
(13)	पैट्रोल पम्प एवं ईंट भट्टों के बाबत यह शिकायत है कि उनके लिए आवंटित भूमि से ज्यादा पर कब्जा कर लिया गया है, की जांच :			

1	2	3	4	5
	(क) पैट्रोल पम्प	—	7	7
	(ख) ईंट भट्टे	—	17	17
(14)	राजकीय विद्यालयों को खेल के मैदानों के लिए भूमि आवंटन करना	—	2298	2298
(15)	कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पियों एवं सीमान्त कृषकों के ऋणभार समाप्ति संबंधी कार्यवाही करना।	1131	1575	2706
(16)	वृद्धावस्था पैन्शन	18611	18954	37565
(17)	प्रत्येक ग्राम में आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार का चयन करके उनके आर्थिक विकास का कार्य प्रारम्भ करना	132777	107212	239998
(18)	नये आवंटियों को सहकारिता की सदस्यता के फार्म भरवाना	—	11280	11280
(19)	जागीर बाण्डों का वितरण कराना	—	5177	5177
(20)	ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार करना	4989	—	4989
	योग :—	1328381	1070227	2398608

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 728 की सूची

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा प्रश्न संख्या 128 रा. मं. द्वारा गुल मोहम्मद । आर० एस० आर० की धारा 244 (2) के अन्तर्गत 11 पटवारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्त किये गये जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1.	श्री गौरीशंकर दीक्षित	पटवारी
2.	श्री कुतुबुद्दीन	,,
3.	श्री मोहम्मद इसहाक	,,
4.	श्री गंगाशंकर	,,
5.	श्री मोहम्मद हनीफ	,,
6.	श्री इन्दु प्रसाद	,,
7.	श्री गणपतलाल	,,
8.	श्री इस्माईल खां गोरी	,,
9.	श्री अब्दुल गफूर	,,
10.	श्री अब्दुल लतीफ पिता अब्दुल खां	,,
11.	श्री अब्दुल लतीफ पिता हसन खां	,,

परिशिष्ट 'ब'

उपरोक्त पटवारियान में से 8 पटवारियान को राज्य आदेश के अन्तर्गत वापस राज्य सेवा में लिये गये । जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1.	श्री गौरीशंकर दीक्षित	पटवारी
2.	श्री कुतुबुद्दीन	,,
3.	श्री मोहम्मद हनीफ	,,
4.	श्री इन्दु प्रसाद	,,
5.	श्री गणपतलाल	,,
6.	श्री इस्माईल गोरी	,,
7.	श्री अब्दुल लतीफ पिता अब्दुल खां	,,
8.	श्री अब्दुल लतीफ पिता हुसन खां	,,

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 731 की सूची

इस वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत एवं सुरक्षा हेतु
आवंटित राशि का मानचित्र

क्र.सं.	नाम जिला	सा० नि० विभाग	पंचायत विभाग	कुल योग
1.	अलवर	8,20,000) रु.	—	8,20,000) रु.
2.	भरतपुर	5,25,000) रु.	18,900) रु.	5,43,900 रु.
3.	बीकानेर	4,42,000) रु.	23,000) रु.	4,65,000) रु.
4.	जयपुर	9,66,000) रु.	3,40,000) रु.	13,05,000) रु.
5.	गंगानगर	3,37,771) रु.	1,42,200) रु.	4,79,971) रु.
6.	सीकर	5,34,000) रु.	3,07,750) रु.	8,41,750) रु.
7.	झुन्झुनू	1,24,000) रु.	3,65,500) रु.	4,89,500) रु.
8.	चूरू	8,25,000) रु.	2,30,800) रु.	10,55,820) रु.

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न सं० 732 की सूची

बाढ़ से बचाव एवं निर्माण कार्यों के लिये धनराशि के आवंटन की सूची

(राशि लाखों रु०)

क. सं.	नाम जिला	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सिंचाई विभाग	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग	भवनों के लिये पंचायत विभाग	भवनों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर	20.00	43.85	—	—	8.20	72.05
2.	बीकानेर	5.00	—	—	0.23	4.42	9.65
3.	बून्दी	13.00	—	—	—	—	13.00
4.	भरतपुर	25.00	38.58	—	0.19	5.25	69.02
5.	जयपुर	73.00	22.00	20.50	3.40	9.66	128.56
6.	गंगानगर	26.00	6.41	—	1.42	3.37	37.20
7.	सवाई माधोपुर	14.00	—	—	—	—	14.00

283

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	सीकर	40.00	21.66	16.00	3.08	5.34	86.08
9.	झुन्झुनू	22.00	13.00	—	3.65	1.24	39.89
10.	कोटा	30.00	—	—	—	—	30.00
11.	पाली	32.00	—	—	—	—	32.00
12.	चूरू	35.00	—	63.50	2.31	8.25	109.06
13.	झालावाड़	15.00	—	—	—	—	15.40
14.	टौंक	—	4.50	—	—	—	4.50
	टोटल	350.00	150.00	100.00	14.28	45.73	660.01

284

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न सं० 734 की सूची

(धौलपुर खण्ड के अधीन सड़कों की सूची)

इस खण्ड के लिए सड़कों की मरम्मत हेतु 38–39 लाख की स्वीकृति है जिसमें मे 10.31 लाख की राशि साधारण मरम्मत के लिए जो व्यय की जा चुकी है और 27.88 लाख की राशि में से निम्न सड़कों पर कार्य लिये जाकर इस वर्ष में ही पूर्ण किये जाने की सम्भावना है इस राशि में से 66 किलोमीटर में डामर का कार्य 8 किलोमीटर एवं रिमेटलिंग एवं डामर का कार्य एवं छोटी छोटी 8 पुलियों का निर्माण कराया गया है जैसा कि निम्न प्रेषित है।

क्रमांक	सड़क का नाम	स्वीकृति राशि (लाखों में)	व्यय (लाखों में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	राजकीय उच्च मार्ग धौलपुर बाड़ी सरमुथरा करौली सड़क	11.00	11,15,000	इस सड़क पर 16 कि.मी. में कार्य कराया गया।
2.	धौलपुर सैपऊ रूपवास सड़क	4.00	3.85	इस सड़क पर 7 कि०मी० में कार्य कराया गया।
	मुख्य प्रान्तीय सड़कें			
1.	धौलपुर राजाखेड़ा सड़क	9.00	9.00	इस सड़क पर 8 कि०मी० में कार्य कराया गया है।
	ग्रामीण सड़कें			
1.	बाड़ी सैपऊ सड़क	इन खण्डों के लिए 14.19 लाख रु० की स्वीकृति है।	14.10	
2.	बाड़ी बसेड़ी ब्याना सड़क			4 कि०मी०
3.	बसेड़ी जगनेर सड़क			4 कि०मी०
4	बाड़ी उमरेह सड़क			2 कि०मी०

1	2	3	4	5
5.	धौलपुर डाग वसई सड़क			4 कि०मी०
6.	मनिया मुरैना सड़क			2 कि०मी०
7.	जाटोली कुथियाना सड़क			5 कि०मी०
8.	ग्रा डेला कोलारी सड़क			4 कि०मी० तथा पुलियों का निर्माण
9.	वनविहार सड़क			2 कि०मी०
10.	बाड़ी रामसागर सड़क			4 कि०मी०
11.	बाड़ी गजपुरा सड़क			2 कि०मी०
12.	धौलपुर ग्रुरजा रोड			1 कि०मी०
13.	ग्रन्य सड़कें (सिटी)			2 कि०मी०

1. निर्माण कार्य हेतु इस खण्ड में 3 कार्य हैं जो कि प्रगति पर है। इन निर्माण कार्यों पर बजट प्रावधान के ग्रनुसार ही व्यय किया जा रहा है। जैसा कि निम्न प्रेषित है :—

क्रमांक	सड़क का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	कार्य पूर्ण किया गया
1.	धौलपुर सरानी खेड़ा	50000/-	50000/-	1.12 कि०मी० मिट्टी एवं सभरण का कार्य
2.	धौलपुर सैंपऊ रोड से महादेव मन्दिर तक	30000/-	30000/-	
3.	राजा खेड़ा से पिनाहट	21000/-	21000/-	1 कि०मी० डब्लू बी एम

286

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न सं. 737 की सूची)

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	पर्यटक विश्राम गृहों/स्थलों के नाम	व्यय राशि 1976–77	व्यय राशि 1977–78
1	2	3	4
1.	जयपुर में नवीन पर्यटक विश्राम गृहों का निर्माण	5.17	8.26
2.	पर्यटक विश्राम गृह, जोधपुर में निर्माण कार्य	—	0.25
3.	पर्यटक विश्राम गृह, तीज में निर्माण कार्य	—	0.04
4.	पर्यटक विश्राम गृह, पुष्कर में परिवर्तन एवं परिवर्धन	0.23	—
5.	पर्यटक विश्राम गृह, जैसलमेर के निर्माण कार्य	0.25	0.06
6.	पर्यटक निश्राम गृह, अजमेर में निर्माण कार्य	1.25	0.06
7.	पर्यटक विश्राम गृह, कोटा का निर्माण	2.02	3.57
8.	पर्यटक विश्राम गृह, रिखबदेवजी का निर्माण	0.66	2.27
9.	पर्यटक विश्राम गृह, सरिस्का में परिवर्तन एवं परिवर्धन	0.68	0.44
10.	पर्यटक विश्राम गृह, उदयपुर में परिवर्तन परिवर्धन	0.01	—

1	2	3	4
11.	पर्यटक विश्राम गृह, स्थल, महुवा का निर्माण	2.83	1.68
12.	पर्यटक विश्राम गृह, बहरोड़ का निर्माण	1.73	0.53
13.	विभिन्न पर्यटक विश्राम गृहों की साज सज्जा पर व्यय	1.69	—
14.	अन्य पर्यटक विश्राम गृहों पर परिवर्तन, परिवर्धन व्यय	0.67	—
15.	पर्यटक विश्राम गृह, रणकपुर का निर्माण कार्य	—	0.54
16.	पर्यटक विश्राम गृह, नाथद्वारा का निर्माण व्यय ( )	0.19	0.01
17.	मेटाडोर की खरीद पर व्यय	—	0.51
18.	प्रयुक्त यूथ होस्टल, जयपुर में निर्माण कार्य	—	0.02
19.	पर्यटक विश्राम गृह, आबू पर्वत का निर्माण कार्य	—	0·17
20.	पर्यटक विश्राम गृह, भरतपुर की खरीद पर व्यय	—	2.35
21.	पर्यटक विश्राम गृह, बीकानेर का निर्माण कार्य	—	0.03
22.	चित्तौड़गढ़ किले में विकास कार्य	0.06	0.07
23.	जयपुर शहर के सौन्दर्यीकरण पर व्यय	0.50	0.14

1	2	3	4
24.	जगत शिरोमणी मन्दिर का निर्माण कार्य	0.40	—
25.	सज्जनगढ़ बाग का निर्माण कार्य	0.01	—
26.	हल्दीघाटी के विकास कार्यों पर व्यय	6.29	0.99
27.	भरतपुर में कैम्पिग साइट का निर्माण कार्य	0.93	—
28.	आबू पर्वत के विकास कार्यों पर व्यय	1.94	3.89
29.	मसूरिया हिल्स जोधपुर के विकास पर व्यय	0.17	—
34.	भगवानदास रोड जयपुर पर बिजली लगाने का कार्य	1.26	—
	योग:—	28.46	25.88

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न सं. 743 का विवरण)

SOIL CONSERVATION IN THE CATCHMENT AREA OF RIVER VALLEY PROJECT

5.30 Soil conservation measures in the catchment of river valley project deserve formost priority in an integrated development programme. They are necessary not only to check the silting of reservoirs but also to conserve soil, improve soil moisture status, enrich the forest growth, increase the productive potential of agricultural fields in the area. Soil conservation programmes in river valley projects in Rajasthan were first initiated in the year 1962 in the catchment of four inter state multipurpose, power and irrigation dams, i.e. Gandhisagar, Rana Pratapsagar, Jawahar Sagar, & Kota Barrage on the Chambal river. Subsequently the programmes were extended to Dantiwara in 1969 and Kadana in 1970. Because of the spread of catchments in a number of States, a coordinated approach for the protection of reserviors is necessary. The Govt. of India have therefore rightly sponsored these works as 100% Centrally Sponsored Scheme.

5.31 The erosion hazards in all these areas are acute and silt discharge ranges from 5 to 15 acre ft. per Sq. Mile against the estimated 0.75 acre ft. per Sq. Mile. The danger of rapid siltation, impairing the utility of these dams is real and imminent. It is necessary to treat the entire area with intensive soil conservation measures within a maximum period of 10 years. The total catchment areas of the important river valley projects in the state are :

Project	Total catchment	Catchment area in Rajasthan in Sq. Kms.	Area treated till the end of fourth Plan in Raj. in Sq. Kms.
1. Chambal R.V.P.	26,944	4,108.80	574.19
2. Dantiwara-R.V P.	2,828.80	2,034.20	210.31
3. Kadna R.V.P.	32,280	16,476.16	89.51
4. Jakham	2,375.68	2,375.60	—

5.32 Soil Conservation measures are necessary in the entire area of the catchment irrespective of whether it consists of cultivated land, degarded forests, wastelands or village commons. Neglect in any section nullifies the achievements of other sections, Soil Conservation medsures in different areas comprise of construction of marginal contour and graded bunds in the gently sloping areas and terracing over steep slopes in agricultural fields, closure to grasing, or regulated grasing, raising of plantations for providing vegetative cover and construction of silt & soil holding devices like check dams etc. in forest areas. In case of village commons or waste lands engineering structures to prevent flow of silt to reservors are needed. Priority areas are determined by carrying out silt and hydrological studies in main nallahs and tributaries of rivers in the catchment.

5.33 In view of urgency of expenditing soil conservatiron measures in the catchments of multipurpose power and irrigation dams following fifth plan proposals were submitted to the Government of India by the State Government :

Name of the project	Financial outlay Rs. in lakhs
1. Chambal River Valley Soil conservation Project.	175.00
2. Dantiwara River Valley Soil Conversation Project.	136.00
3. Kadana (Mahi River Valley) Soil Conversation Project.	499.00
4. Scheme for protection of Table Lands and stabilisation of ravinous areas.	559.00
5. Bajaj Sagar (Mahi) Soil Conversation project.	1,350.00
6. Scheme for Crocodile-cum Gavial Farm.	26.00
Total	2,864.00 Lakhs

However the physical and financial targets for Fifth Plan Period were considerably reduced. The approved Fifth Plan is given below :—

Name of Project	Physical targets in hectares	Financial target in Lakhs of Rs.
1. Chambal River Valley Soil Conservation Project.	12,000	80.00
2. Dantiwara River Valley Soil Conversation Project.	15,000	100.00
3. Kadana (Mahi) River Valley Soil Conversation Project.	13,000	90.00
4. Scheme for protection of Table Lands & Stablisation of Ravinious Areas.	3.000	75.00
5. Afforestation in Chambal Command Area.	1,000	15.00
	Total	360.00

5.34. The Committee Recommended that looking to the magnitude of the problem of soil erosion in the catchment areas of the River Valley Projects and their national importance, the allocations for undertaking works in the catchment areas should be increased to the extent required so as to complete it within 10 years.

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा दिनांक 23 से 26 अक्टूबर, 1978 तक आयोजित संगोष्ठी नवजाति उपयोजना क्षेत्र में वनों के संरक्षण एवं उचित विभाग के विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया था एवं निम्न लिखित मुख्य सिफारिशें दी थी :—

1. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए एक अलग से वन संरक्षण एवं भू-संरक्षण की डाइरेक्ट रेट होनी चाहिये।

२९२

2. फोरेस्ट रेंज स्तर पर राज्य सरकार द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया जावे जिस में फोरेट रेंजर, तहसीलदार, विकास अधिकारी सरपंच और गांव के समितियों को सम्मिलित किया जावें ताकि वनों के संरक्षण और विकास आदिवासियों व योगदान लिया जा सके।

3, भूसंरक्षण के महत्वपूर्ण कार्य पर अधिक से अधिक जोर देने की सिफारिश की गई और यह भी सिफारिश की गई कि इसका एक बढ़ा कार्य विश्व बैंक की योजनाओं के अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में लिया जाना चाहिये।

4. सोशियल फारेस्टों की वढ़ी योजनायें जनजाति उपयोजना क्षेत्र में ही जानी चाहिये।

5. "र्हाविल्चर" के कार्य को वड़े स्तर पर लिया जावे।

6. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में लघु वन उपज पर आधारित कुटीर उपयोगों का विकास किया जावे और आदिवासियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर उन्हें लघु उद्योगों के कार्य में सम्मिलित किया जावे ताकि उनको आर्थिक स्थिति सुधार सके और वो आत्म निर्भर वन सके।

7. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वनों के समुचित विकास को 10 वर्षिय विशेष योजना वनाई जानी चाहिये।

परिशिष्ट–19

(अतारांकित प्रश्न सं० 744 की सूची)

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (भेड़ विकास) जिला जालौर प्रारम्भ जुलाई 1975 भौतिक प्रगति विवरण (फरवरी 79)

क्र० सं०	वर्ष	भू-खण्ड का नाम	तारबन्दी	कुण्ड	झौपड़ी	आवास गृह	सहकारी समिति	बीजारोपण	भेड़ की प्रविष्टि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1975–76	नौसरा खाम्बी	पूर्ण	हैन्डपम्प	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	8
2.	,,	नीम्बला	,,	,,	,,	,,	,,	,,	10
3.	,,	भाद्रा जून	,,	,,	,,	,,	,,	,,	3
4.	,,	रामसीन	,,	—	,,	,,	,,	,,	7
5.	,,	मून्थलासिली	,,	—	,,	,,	,,	,,	1
6.	1976–77	जोड़वाडा	,,	—	,,	,,	,,	,,	6
7.	,,	धानसा	,,	—	,,	,,	,,	,,	5
8.	,,	आमली	—	—	—	—	,,	—	—
9.	,,	साथू	पूर्ण	—	पूर्ण	पूर्ण	,,	पूर्ण	16
10.	,,	बीजरोल	,,	—	,,	,,	,,	,,	—

293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	1976–77	चौरा	पूर्ण	—	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	10
12.	,,	नूंन	,,	—	,,	,,	,,	,,	—
13.	,,	भागल सेप्टा	,,	—	,,	,,	,,	,,	39
14.	,,	धावतरा	,,	—	,,	,,	,,	,,	25
15.	,,	विशाला	,,	—	,,	,,	,,	,,	45
16.	1977–78	मेडा अपरला	—	पूर्ण	—	,,	—	—	—
17.	,,	बाला	—	—	—	,,	पूर्ण	—	—
18.	,,	अरणाया	—	—	—	—	,,	—	—
19.	,,	रोडला	—	—	—	—	,,	—	—
20.	,,	डोगरा	—	—	—	—	,,	—	—
21.	,,	पाथेड़ी	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	,,	पूर्ण	27
22.	,,	सरनेऊ	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट–20

(अतारांकित प्रश्न सं० 334 की सूची)

रोहुआ ग्राम में डूब आये कुए एवं कृषि योग्य भूमि व कृषकों की संख्या की वर्षवार सूची

वर्ष जिनमें भूमि व कुए डूब में रहें।	डूब में रहे कुए की संख्या	कुल काश्तकार जिनकी भूमि डूब में रही।	कुल काश्तकारों में से सिंचित भूमि वाले काश्तकार।	कुल रकबा जो डूब में रहा (हैक्टेयर में)	कुल रकबे में से सिंचित भूमि का रकबा जो डूब में रहा (हैक्टेयर में)
1976–77	13	104	90	159–980	69·709
1977–78	13	104	90	115–280	69·709
1978–79	3	39	3	13–928	13·928

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न सं० 252 की सूची)

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनाज का विभिन्न जिलों में किये गये आवंटन की सूची

क्र० सं०	नाम जिला	अब तक आवंटित गेहूं की मात्रा।
1	2	3
1.	बीकानेर	3880
2.	चूरू	3870
3.	गंगानगर	1500
4.	अलवर	5590
5.	भरतपुर	5502
6.	झुन्झुनू	15210
7.	सवाई माधोपुर	8780
8.	सीकर	10730
9.	जयपुर	24740
10.	टोंक	3260
11.	अजमेर	20690
12.	बाड़मेर	1790
13.	जैसलमेर	740
14.	जालौर	1970
15.	जोधपुर	8460
16.	नागौर	5420
17.	पाली	12230
18.	सिरोही	3780
19.	बून्दी	6310
20.	झालावाड़	5088
21.	कोटा	12680
22.	बांसवाड़ा	5070
23.	भीलवाड़ा	9850
24.	चित्तौड़गढ़	5910
25.	डूंगरपुर	2130
26.	उदयपुर	14770
	योग	199950

(297)

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमांक एफ–120 (6) साविपं/खाद्य, यो/77/1697 जयपुर, दि० 18–10–78।

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति,
अलसीसर (झुन्झुनू)

विषय : कार्यों के लिए खाद्य योजना।

आपके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 5188 दिनांक 6/7–10–78 के सन्दर्भ में आपका ध्यान राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के संशोधित नियम 92 ए की ओर दिलाते हुए लेख है कि इस योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी, प्रचलित बजार दर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस प्रकार के कार्यों के लिए दी जाने वाली मजदूरी को आधार मानते हुए भुगतान किया जावे। संशोधित नियमों की प्रति जानकारी के लिए नीचे उद्दृत की जा रही है।

ह०
उप विकास आयुक्त (प्रशि०),
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :—
1) समस्त जिलाधीश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2) समस्त विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ह०
उप विकास आयुक्त (प्रशि०),
राजस्थान, जयपुर

Extract of Rule–92–A & B of the Rajasthan Panchayat (General) Rules, 1961.

92–A. Schedules of Rates :—In carrying out works departmentally or by contract, the P.W.D. schedule of rates applicable in the area will be taken as a guide for regulating the rates of all the detailed items of works commoly executed by the Panchayat. The schedule will be kept up to date to facilitate preparation of estimates and serve a guide to watch the actual performance of works executed departmentally.

92–B. Register of works :—Every Panchayat will keep Register of warks in form Z–A for each work under taken by it.